



छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी -मार्च, 2025 सत्र

मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2025

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में राशनकार्डों में परिवर्तन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (*क्र. 1018) श्री सुशांत शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022 से जनवरी, 2025 तक कितने APL राशन कार्डधारियों को BPL राशनकार्ड जारी किया गया तथा क्यों ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश "क" के BPL राशन कार्ड में परिवर्तन हेतु हितग्राही के किस पहचान पत्र का उपयोग किया गया तथा इस हेतु संबंधित हितग्राही से सहमति/आवेदन प्राप्त किया गया? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) प्रश्नांश "क" के परिवर्तित BPL राशनकार्ड बनाने में किन-किन अधिकारियों की जवाबदेही थी ? क्या इस कार्य में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022 से जनवरी 2025 तक एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड जारी नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड में परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड में परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः इस कार्य हेतु जवाबदेही संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता। एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल में परिवर्तित करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अपितु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में जिला प्रशासन एवं राज्य स्तरीय जांच दल द्वारा जांच में एपीएल कार्ड को बीपीएल में परिवर्तित किया जाना नहीं पाया गया।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र

[महिला एवं बाल विकास]

2. (*क्र. 1112) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? (ख) उक्त संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में से कितने केन्द्रों को स्मार्ट आंगनबाड़ी के रूप में अपग्रेड किया गया है? कृपया ग्रामवार जानकारी देवें? (ग) स्मार्ट आंगनबाड़ी केन्द्रों में अन्य केंद्रों की अपेक्षा क्या-क्या अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होती है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल

373 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। **(ख)** प्रश्नांश 'ख' अनुसार 23 आंगनाबाड़ी केन्द्रों को स्मार्ट आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। आंगनबाड़ीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** नियमित संसाधनों के अतिरिक्त इन केन्द्रों में टीवी के माध्यम से अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के साथ ही केन्द्र में बच्चों के बैठने के लिए बालसुलभ कुर्सियां, बालसुलभ बाला पेंटिंग के साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र के माहौल को बालानुकूलन बनाया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में किसानों से धान खरीदी में अनियमितता की प्राप्त शिकायतें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 798) श्री इंद्र साव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में धान खरीदी हेतु कुल कितने पंजीकृत कृषक हैं? पंजीकृत कृषकों में से कितने कृषकों का कुल कितना धान 14 नवंबर, 2024 से लेकर जनवरी, 2025 तक खरीदी की गई है ? धान खरीदी के एवज में उक्त कृषकों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" अवधि में जिले के धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी में अनियमितता एवं बारदाना की कमी, अमानक बारदाना, सूखत के नाम पर ज्यादा मात्रा में धान तौलने एवं रकबा शून्य संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई एवं कितनी लंबित हैं ? **(ग)** क्या सरकार की घोषणा अनुसार प्रदेश के सभी पंजीकृत किसानों से 3100 रु. कि दर से धान की खरीदी एवं राशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं तो अंतर की कितनी राशि का भुगतान किसानों को कब तक किया जायेगा ? समय सीमा बताएं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में धान खरीदी हेतु कुल 1.67 लाख कृषक पंजीकृत हैं। पंजीकृत कृषकों में से 1.60 लाख कृषकों से कुल 8.55 लाख मे.टन धान 14 नवंबर, 2024 से लेकर 31 जनवरी, 2025 तक खरीदी किया गया है। धान खरीदी के एवज में उक्त कृषकों को भुगतान हेतु 1966.94 करोड़ रुपये की राशि अपेक्स बैंक को अंतरित किया गया है। विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अवधि में जिले के धान खरीदी केन्द्रों में 13 शिकायतें प्राप्त हुई थी, प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की प्रकरणवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** जी हां, प्रदेश में उपार्जित धान का दिनांक 20.02.2025 की स्थिति में 25.46 लाख किसानों को समर्थन मूल्य की राशि 34,317 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कृषक उन्नति योजना अंतर्गत रूपये 3,100 प्रति किंटल से समर्थन मूल्य की अंतर की राशि रूपये 16,800 प्रति एकड़ के मान से 25.47 लाख किसानों को 11,920 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

धान खरीदी के दौरान अवैध रूप से धान संग्रहित करने व परिवहन में जब्ती की कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

4. (*क्र. 1005) श्री बघेल लखेश्वर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में धान खरीदी वर्ष 2024-25 के दौरान अवैध रूप से धान संग्रहित कर रखने व परिवहन करते समय कहां-कहां व कितने किंटल धान की जब्ती की गई ? कृपया बतावें? **(ख)** इन जब्ती प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में धान खरीदी वर्ष 2024-25 के दौरान

अवैध रूप से धान संग्रहण एवं परिवहन के निर्मित प्रकरणों में 7117.67 किंटल धान जब्ती की गई। स्थानवार जब्ती की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जब्ती के प्रकरणों पर कि गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन" \]](#)

प्रदेश में महतारी वंदन योजना अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही

[महिला एवं बाल विकास]

5. (*क्र. 411) श्री उमेश पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- प्रदेश में महतारी वंदन योजना में प्रथम पंजीयन के समय कितने हितग्राही थे तथा प्रश्नांकित अवधि तक कितने हितग्राही पंजीकृत हैं, जिलेवार, ब्लॉकवार जानकारी देवें। क्या वर्तमान समय में हितग्राहियों की संख्या में कमी आई है ? यदि हां तो क्यों ? यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या महतारी वंदन योजना में फर्जी नाम से लाभ लेने का मामला प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो कहां-कहां फर्जी नाम से लाभ लेने के प्रकरण संज्ञान में आये है? क्या पात्रता हेतु विभागीय सत्यापन का कोई नियम है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : प्रदेश में महतारी वंदन योजना में प्रथम पंजीयन (20.02.2024 तक) कुल 7027154 हितग्राही द्वारा आवेदन किया गया था। अद्यतन स्थिति में कुल पंजीकृत आवेदकों में से 6963621 हितग्राही पात्र है। विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** जी हाँ, कमी आई है, यह कमी हितग्राहियों की मृत्यु होने, लाभ त्याग करने, दो आवेदन के प्रकरण तथा अपात्र होने आदि कारणों से आई है। जी हाँ, अद्यतन स्थिति में फर्जी नाम से लाभ प्राप्त करने का 01 मामला बस्तर जिले से प्राप्त हुआ है। जी हाँ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार" \]](#)

बांट माप तथा तौल उपकरणों के निर्माताओं/विक्रेताओं को प्रदत्त अनुज्ञप्तियां

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (*क्र. 777) श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024 से जनवरी, 2025 तक बांट माप तथा तौल उपकरणों के किन-किन निर्माताओं, विक्रेताओं एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां प्रदाय की गई है? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** जिला रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में व्यापारिक संस्थानों की जांच एवं त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध कब-कब, किन-किन के द्वारा क्या-क्या शिकायतें विभाग/शासन स्तर पर की गई है तथा इन शिकायतों पर नियमों के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जिलावार, शिकायतवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** वर्ष 2024 से जनवरी, 2025 तक बांट माप तथा तौल उपकरणों के विक्रेताओं एवं सुधारकों को कुल 20 अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई है, जिलेवार जानकारी **प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** प्रश्नांकित अवधि में बांट-माप और तौल उपकरणों हेतु निर्माताओं के अनुज्ञप्ति नहीं जारी की गई है। **(ख)** जिला रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में व्यापारिक संस्थानों एवं त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध क्रमशः 33, 19 तथा 14 कुल 66 शिकायतें प्राप्त हुई है जिलावार, शिकायतवार जानकारी **प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच" \]](#)

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (*क्र. 1080) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 31-01-2025 तक की समर्थन मूल्य पर कुल कितने मूल्य की कितनी मात्रा में धान खरीदी की गई? जिलावार बतायें? (ख) प्रश्नांश 'क' धान खरीदी में अनियमित (बोगस) खरीदी तथा अवैध धान की पकड़ (जब्ती) जिलावार बतायें ? जब्त धान की भौतिक स्थिति 05.02.2025 की स्थिति बतायें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 31.01.2025 तक समर्थन मूल्य पर कुल 149.24 लाख मे.टन धान की खरीदी की गई, जिसका समर्थन मूल्य के मान से राशि 34348.33 करोड़ रूपये होता है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' धान खरीदी में अनियमित (बोगस) खरीदी तथा अवैध धान की पकड़ (जब्ती) की जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।

बीजापुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

8. (*क्र. 816) श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बीजापुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी एवं स्वीकृत आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या विकासखण्डवार बतावें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार कितने केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका पदस्थ हैं? कितने में नहीं ? संख्या बतावें? कितने भवनविहीन, कितने जर्जर भवन, कितने किराये के भवन या कितने किसी शासकीय भवन में संचालित हैं? विकासखण्डवार संख्या बतावें? (ग) बीजापुर जिले में नियद नेल्लानार योजना सहित किसी अन्य योजना मद से वर्ष 2024-2025 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों की संख्या कितनी है? राशि क्या है? निर्माण की भौतिक स्थिति क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) बीजापुर जिले में स्वीकृत एवं संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

विकासखण्डकानाम	स्वीकृतआ.बा.केन्द्रोंकीसंख्या	संचालितआ.बा.केन्द्रोंकीसंख्या
बीजापुर	234	234
उसूर	342	342
भोपालपटनम	238	237
भैरमगढ़	374	374
योग	1188	1187

(ख) बीजापुर जिले में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पद एवं भवन संबंधी विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ग) बीजापुर जिले में नियद-नेल्लानार योजना सहित किसी अन्य योजना मद में वर्ष 2024-2025 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों की संख्या 255 है। प्रति भवन 11.69 लाख रूपये स्वीकृत है। निर्माण की भौतिक स्थिति की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को किया गया भुगतान

[महिला एवं बाल विकास]

9. (*क्र. 1078) डॉ. चरण दास महंत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महतारी वंदन योजना के पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की संख्या माह मार्च, 2024 से जनवरी, 2025 तक बतावें? जनवरी, 2025 तक कितनी किस्तों का भुगतान हो चुका है? **(ख)** प्रशंश 'क' हेतु मार्च, 2024 से जनवरी, 2025 तक ऐसे पात्र हितग्राहियों की संख्या बतावें जिन्हें भुगतान प्राप्त नहीं हो सका है? **(ग)** मार्च, 2024 से जनवरी, 2025 तक कितने मृतक हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की गई? **(घ)** महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को कितनी किस्तों के भुगतान में कितनी बार मद परिवर्तन के माध्यम से राशि की व्यवस्था की गई? कौन से मद की कितनी राशि मद परिवर्तन कर हितग्राहियों की किस्तों का भुगतान किया गया?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** महतारी वंदन योजना के पात्र, अपात्र एवं मृत हुए हितग्राहियों की प्रश्नाधीन अवधि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि जनवरी 2025 तक कुल 11 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। **(ख)** प्रतिमाह समस्त पात्र हितग्राहियों को भुगतान अनुमोदित किया जाकर भुगतान की कार्यवाही की जाती है किंतु आधार संबंधी एवं बैंक खाते संबंधी तकनीकी कारणों से कतिपय हितग्राहियों के भुगतान असफल हो जाते हैं। मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक ऐसे पात्र हितग्राही, जिनका भुगतान असफल हुआ है, की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 6 पर उल्लेखित है। **(ग)** माह मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 24194 हितग्राहियों के मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है, जिन्हें भुगतान सूची से हटाया गया है। मृत हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित नहीं की जा रही है। **(घ)** महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को निर्धारित बजट प्रावधान योजना शीर्ष 7048 से ही राशि आहरित कर भुगतान किया गया है, मद परिवर्तन नहीं किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात" \]](#)

धान के उपार्जन एवं उसके निराकरण में शासन को हुई क्षति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

10. (*क्र. 1073) श्री दिलीप लहरिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- धान के उपार्जन एवं उसके निराकरण में कृषि विपणन सीजन 2021-22 से 2023-24 तक शासन को हुई वर्षवार क्षति (वास्तविक अथवा अनुमानित) की जानकारी दी जाये ? क्या इस क्षति को नियंत्रण करने की कोई कार्ययोजना है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : धान के उपार्जन एवं उसके निराकरण में कृषि विपणन सीजन 2021-22 का अंतिम दर निर्धारण हेतु दावा पत्रक भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। कृषि विपणन सीजन 2022-23 का अंतिम दर निर्धारण हेतु दावा पत्रक तैयार किया जा रहा है। कृषि विपणन सीजन 2023-24 में उपार्जित धान का सी.एम.आर. जमा किये जाने की कार्यवाही जारी है। अतः कृषि विपणन सीजन 2021-22 से 2023-24 तक भारत सरकार से अंतिम दर निर्धारण उपरांत हानि की जानकारी ज्ञात हो सकेगी।

जिला-रायपुर अंतर्गत विकासखंड धरसीवा के ग्राम पंचायत पिरदा में आबंटित भूमि

[महिला एवं बाल विकास]

11. (*क्र. 397) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि जिला रायपुर अंतर्गत विकासखंड धरसीवा के ग्राम पंचायत पिरदा में राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली निपसेड को भूमि आबंटित की गई थी, जिसमें कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा निविदा आमंत्रण कर अहाता निर्माण भी कर दिया गया था ? यदि हां तो क्या उसको भू माफिया के द्वारा तोड़ कर जमीन को दो भाग में बाँट कर वहां रास्ता बना दिया गया है? **(ख)** क्या इस सम्बन्ध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? अगर हाँ तो विभाग के द्वारा सम्बंधित के ऊपर क्या कार्यवाही की गई है? अगर नहीं तो क्यों? कारण सहित बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हां, जिला रायपुर अंतर्गत विकासखंड धरसीवा के ग्राम पंचायत पिरदा में राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली निपसिड को भूमि आबंटित की गई थी जिसमें लोक निर्माण विभाग के द्वारा निविदा आमंत्रण कर अहाता निर्माण किया गया है। आबंटित भूमि में निर्मित अहाता के एक हिस्से को तोड़कर रास्ता बनाने की तैयारी की गई थी। **(ख)** छत्तीसगढ़ उजाला रायपुर में ब्रेकिंग न्यूज दिनांक 23 नवम्बर 2024 को प्रकाशित हुआ है। उक्त समाचार के आधार पर संचालक महिला एवं बाल विकास के पत्र दिनांक 17.12.2024 एवं दिनांक 24.01.2025 द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी रायपुर को कार्यवाही हेतु लेख किया गया। तत्संबंध में कार्यालय कलेक्टर, महिला एवं बाल विकास, जिला रायपुर के पत्र दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग रायपुर को निपसिड हेतु आबंटित जमीन में अवैध निर्माण कार्य की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी रायपुर से दिनांक 23.02.2025 को प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार निपसिड को आबंटित भूमि में अहाता को तोड़कर अवैध निर्माण का कार्य श्री ओमप्रकाश कृपलानी निवासी भोपाल (म.प्र.) एवं श्री प्रेम चौहान की देखरेख में कराया गया था। उक्त शासकीय भूमि पर तोड़ी गई बाऊण्डीवाल को श्री ओमप्रकाश कृपलानी निवासी भोपाल (म.प्र.) एवं श्री प्रेम चौहान के द्वारा निर्माण कर पुनः पूर्व की स्थिति में कर दिया गया है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में प्रशासनिक व्यय मद की राशि तथा उसका उपयोग

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

12. (*क्र. 1084) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कास्टशीट में प्रशासनिक व्यय मद में किन-किन दरों से राशि का प्रावधान है? **(ख)** खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में प्रशासनिक मद में विहित दर से पात्र राशि कितनी-कितनी होती है? इसमें से कितनी-कितनी राशि का व्यय हुआ तथा शेष राशि का क्या किया गया? **(ग)** प्रशासनिक व्यय की राशि का उपयोग किन-किन प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है? क्या इस मद की राशि का वितरण धान उपार्जन करने वाली सहकारी सोसाइटियों को किया जाता है? यदि हां तो कितना और किस लिए?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए जारी कास्ट शीट में प्रशासनिक मद में विहित दर धान (कॉमन) के लिए रू. 23.00 प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए के लिए रू. 23.20 प्रति क्विंटल है। **(ख)** खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में प्रशासनिक मद में विहित दर से पात्र राशि, व्यय तथा शेष राशि की जानकारी निम्नानुसार है-

(राशि करोड़ में)

खरीफ वर्ष	प्रशासकीय व्यय अंतर्गत विहित दर अनुसार अधिकतम प्राप्ति योग्य राशि	व्यय राशि	रिमार्क
2018-19	87.77	180.34	-
2019-20	110.57	199.25	-
2020-21	245.34	290.93	भारत सरकार से अंतिम लागत पत्रक जारी नहीं हुआ है
2021-22	329.08	229.20	भारत सरकार से अंतिम लागत पत्रक जारी नहीं हुआ है
2022-23	220.30		आडिट कार्य प्रक्रियाधीन है।
2023-24	317.81		आडिट कार्य संपादित होना शेष है।

शेष राशि की स्वीकृति हेतु अंतिम लागत पत्रक को पुनरीक्षित करने हेतु भारत शासन को लेख किया गया है। (ग) भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय व्यय मद में प्रावधान अनुसार अनाज खरीद में प्रशासनिक शुल्क उन खर्चों को संदर्भित करते हैं जो सरकार या उन एजेंसियों द्वारा उठाए जाते हैं जो अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन और निगरानी करती हैं। प्रशासकीय व्यय की राशि का वितरण धान उपार्जन करने वाली सहकारी सोसायटी को नहीं किया जाता है, इन समितियों को अन्य मदों (यथा कमीशन, मंडी लेबर चार्ज आदि) अंतर्गत राशि प्रदाय की जाती है।

वन स्टॉप सेंटर की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

13. (*क्र. 419) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी अंतर्गत कहां-कहां एवं कब-कब से किसके द्वारा वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं? संचालित सेंटरों में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं? सेंटरों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन/मानदेय का भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है? भोजन व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं की सम्पूर्ण जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जिला राजनांदगांव में बल्देवबाग, दैनिक दावा कार्यालय के समीप राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में मार्च 2017 से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी में सखी वन स्टॉप सेंटर वर्तमान में संचालित नहीं है, संचालन हेतु स्वीकृति जारी की गयी है एवं संचालन हेतु सेवाप्रदाताओं के चयन की एवं अन्य कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिला राजनांदगांव के सखी वन स्टॉप सेंटर में पीड़िताओं को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं विधिक सलाह एवं परामर्श, आपातकालीन आश्रय, चिकित्सकीय सहायता एवं पुलिस सहायता उपलब्ध करायी गयी है। सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत सेवाप्रदाताओं को, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश एवं अधिकतम व्यय सीमा के भीतर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दर पर सेवा शुल्क प्रदाय किया जा रहा है। भोजन व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं की **जानकारी प्रपत्र पर संलग्न है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

जांजगीर चांपा व सक्ती में एपीएल कार्ड को बीपीएल में परिवर्तित करने का कारण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

14. (*क्र. 1015) श्री बालेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले में जनवरी, 2023 से जनवरी, 2025 तक कुल कितने एपीएल राशन कार्ड एवं बीपीएल कार्ड राशन कार्ड बनाए गए हैं? तथा कितने एपीएल राशन कार्ड को परिवर्तित कर बीपीएल किन कारणों से किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी दें? **(ख)** खाद्य विभाग के आई. डी. से कितने तथा अन्य किस - किस की आई. डी. से कितने एपीएल से बीपीएल किये गये हैं? **(ग)** एपीएल कार्ड को बीपीएल में परिवर्तित की जांच कौन सी समिति एवं किसकी अध्यक्षता में की गई है? एपीएल कार्ड को बीपीएल करने से शासन को कौन - कौन से और कितने क्रिंटल खाद्यान्न एवं राशि की क्षति हुई है ? उक्त सभी के दोषी कौन-कौन है और दोषियों पर क्या -क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जांजगीर-चांपा जिले में प्रश्रंकित अवधि में 1,771 एपीएल राशनकार्ड, 4,912 अंत्योदय राशनकार्ड, 47,391 प्राथमिकता राशनकार्ड, 115 एकल निराश्रित राशनकार्ड 101 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा जिला सक्ती में 1,040 एपीएल राशनकार्ड, 4,772 अंत्योदय राशनकार्ड, 33,280 प्राथमिकता राशनकार्ड, 72 एकल निराश्रित राशनकार्ड 117 निःशक्तजन राशनकार्ड बनाये गये है। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड में परिवर्तित नहीं किया गया है। **(ख)** एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड में परिवर्तित नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड में परिवर्तित नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानों का संचालन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

15. (*क्र. 966) श्री अनुज शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किनके-किनके द्वारा दुकानों का संचालन कहां-कहां किया जा रहा है? **(ख)** उक्त संचालित किन-किन दुकानों के विरुद्ध संचालन एवं अनियमितता से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया ? कितनी शिकायतें लंबित हैं? लंबित शिकायतों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार वित्तीय अनियमितता से संबंधित कितनी शिकायतें किन-किन के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं? विभाग द्वारा इन शिकायतों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्रंकित अवधि में उचित मूल्य दुकान संचालन एवं अनियमितता की 31 शिकायतें प्राप्त हुई है, इनमें से जांच में 12 शिकायत सही पायी गयी। 19 शिकायत सही नहीं पायी गयी। शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। वर्तमान में शिकायत लंबित नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्रंकित अवधि में उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

राईस मिलरों को कस्टम मिलिंग के लिये दिये जाने वाले धान के प्रति क्विंटल मिलिंग चार्जिस

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

16. (*क्र. 605) श्री भूपेश बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य के राईस मिलरों को कस्टम मिलिंग के लिये दिये जाने वाले धान के प्रति क्विंटल मिलिंग चार्जिस (प्रोत्साहन राशि सहित) की दरों की जानकारी प्रदान करें? दरों में कब-कब वृद्धि की गयी ? दरों में वृद्धि का क्या औचित्य है ? राज्य के राईस मिलरों को मार्कफेड द्वारा जनवरी, 2023 से जून, 2024 तक मिलिंग चार्जिस (प्रोत्साहन राशि सहित) के भुगतान की माहवार जानकारी प्रदान करें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य के राईस मिलरों को कस्टम मिलिंग के लिये दिये जाने वाले धान के प्रति क्विंटल मिलिंग चार्जिस (प्रोत्साहन राशि सहित) की दरों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	मिल का प्रकार	कस्टम मिलिंग चार्जिस (प्रोत्साहन राशि सहित)
1	अरवा	90
2	उसना	100

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 की तुलना में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। राज्य के राईस मिलरों को मार्कफेड द्वारा जनवरी, 2023 से जून, 2024 तक मिलिंग चार्जिस (प्रोत्साहन राशि सहित) के भुगतान की माहवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह" \]](#)

जिला बिलासपुर में संचालित कुपोषण मुक्ति योजनाएं

[महिला एवं बाल विकास]

17. (*क्र. 1108) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बिलासपुर में कुपोषण मुक्ति हेतु कौन-कौन सी योजना संचालित है? **(ख)** योजना अंतर्गत किस-किस प्रकार के कौन-कौन से पोषण पदार्थ का वितरण किया जा रहा है? पोषण पदार्थ का क्रय कब-कब और कहाँ से किस दर पर किया गया है? **(ग)** विगत दो वर्षों में कुपोषण मुक्ति हेतु कितना बजट कौन-कौन से मद से प्राप्त हुआ है? प्राप्त बजट का उपयोग किस-किस कार्य हेतु किया गया है? वर्षवार जानकारी दें? **(घ)** विगत दो वर्षों में कितने हितग्राहियों को पोषण प्राप्त हुआ है और कितने शिशु और महिलाएं सुपोषित हुये हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** बिलासपुर जिले में कुपोषण मुक्ति हेतु पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम (मुख्यमंत्री सुपोषण योजना) एवं पोषण अभियान संचालित है। **(ख)** पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत हितग्राहियों को नाश्ता में पोहा/रेडी टू ईट का हलवा एवं गर्म पका हुआ भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल, सब्जी एवं तेल मसाला का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। नाश्ता एवं गर्म भोजन की खाद्य सामग्री का क्रय स्थानीय स्तर पर महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्रतिमाह किया जाता है तथा रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईड गेहूं का आटा का वितरण छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (छत्तीसगढ़ का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है। नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन का दर प्रतिहितग्राही प्रतिदिन 8 /-रूपये एवं रेडी टू ईट फूड की दर प्रतिकिलो ग्राम 57 रू. तथा अतिरिक्त जीएसटी शुल्क पर किया जाता है।

(ग) प्रश्नांश ग की जानकारी संलग्न प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश घ की जानकारी संलग्न प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता की भर्ती

[महिला एवं बाल विकास]

18. (*क्र. 892) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में 01 जनवरी, 2023 से जनवरी, 2025 तक कितने पद सहायिका व कार्यकर्ता के भरे गए हैं ? ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : विधानसभा क्षेत्र सीतापुर जिला-सरगुजा अन्तर्गत जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

सितम्बर 2022 के बचत स्टॉक का दुरुपयोग करने वाले राशन दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

19. (*क्र. 89) श्री राजेश मूणत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या दिनांक 26 जुलाई, 2024 तारांकित प्रश्न 5(क्र.426) के उत्तर में बताए गए अनुसार माह सितम्बर 2022 के बचत स्टॉक का दुरुपयोग करने वाले चावल वाले 339, शक्कर वाले 344, नमक वाले 333, चना वाले 163 तथा गुड़ वाले 21 राशन दुकान संचालकों के विरुद्ध आर.आर.सी. वसूली की कार्रवाई राजस्व न्यायालय में प्रक्रियाधीन होने के कारण नहीं हो पा रही है ? यदि हाँ तो राजस्व न्यायालयों को इन प्रकरणों का निराकरण फास्ट ट्रेक आधार पर करने के निर्देश जारी करने में क्या कठिनाई है ? (ख) जिन राशन दुकान संचालकों के विरुद्ध एफ.आई.आर. की कार्रवाई माननीय न्यायालय से स्थगन होने के कारण नहीं होना बताया जा रहा है, क्या विभाग ने उनका स्टे वेकेट कराने के लिए अर्जेंट हियरिंग की प्रार्थना माननीय न्यायालय के समक्ष की है ? यदि हाँ तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ? एवं इस प्रकार की प्रार्थना करने में वैधानिक तौर पर क्या कठिनाई है? (ग) क्या विभाग प्रश्नांश "क" एवं "ख" में उल्लेखित कार्य हेतु कार्रवाई करने पर विचार करेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) विधानसभा तारांकित प्रश्न 5 (क्रमांक 426) दिनांक 26 जुलाई 2024 में माह सितम्बर 2022 के बचत स्टॉक का दुरुपयोग करने वाले उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध आर.आर.सी.वसूली की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गयी है। जिन उचित मूल्य दुकानों में आर.आर.सी. वसूली की कार्यवाही शेष है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर आर.आर.सी. वसूली शीघ्र पूर्ण कराने हेतु जिला कलेक्टर को संचालक खाद्य के पत्र दिनांक 20.02.2025 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। (ख) 01 उचित मूल्य दुकान में वसूली हेतु जारी आर.आर.सी. पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी गयी है। उपरोक्त प्रकरण में स्टे वेकेट कराने के लिए अर्जेंट हियरिंग की प्रार्थना माननीय न्यायालय के समक्ष की जावेगी।(ग) जी हाँ।

पथलगांव वि.स. क्षेत्र में महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हितग्राही

[महिला एवं बाल विकास]

20. (*क्र. 1058) श्रीमती गोमती साय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र पथलगांव में महतारी वंदन योजना अंतर्गत कितनी पात्र महिलाओं को

योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है? विकासखण्डवार विवरण दें? **(ख)** कितने ऐसे हितग्राही थे, जिन्हें अपात्र कर दिया गया? अपात्र किये जाने का क्या कारण है? **(ग)** महतारी वंदन योजना अंतर्गत छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के लिए पुनः कब अवसर प्रदान किया जायेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विधानसभा पथलगांव में महतारी वंदन योजना अंतर्गत अद्यतन स्थिति में पात्र हितग्राहियों की संख्या 80787 है, जिनमें विकासखण्ड बगीचा में 6212, विकासखण्ड कांसाबेल में 22043, विकासखण्ड पथलगांव में 52532 हितग्राही है। **(ख)** अद्यतन स्थिति में कुल 941 हितग्राहियों को अपात्र करते हुए लाभ सूची से हटाया गया है, इन्हें योजना के पात्रता मापदंड में न आने, मृत्यु हो जाने, एक ही हितग्राही के 02 आवेदन होने, पुरूष के द्वारा आवेदन किए जाने, आयकरदाता होने आदि कारणों से अपात्र किया गया है। **(ग)** महतारी वंदन योजना में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को पुनः शामिल किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आबंटन/निरस्तीकरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

21. (*क्र. 961) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022 से जनवरी, 2025 तक मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन मंगाए गए? उपरोक्त आवेदनों में से कितने शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोले जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई? क्या राशन दुकानों का आबंटन/निरस्त किये जाने हेतु छ.ग.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के तहत खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा0) को अधिकार है? **(ख)** प्रश्न "क" अनुसार ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिये अपीलीय अधिकारी कौन है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 से जनवरी 2025 तक 18 शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त किये गये। इनमें से 17 शासकीय उचित मूल्य दुकान खोले जाने की स्वीकृति दी गयी है तथा 01 उचित मूल्य दुकान खोलने की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी हां, उचित मूल्य दुकान आबंटन/निरस्त किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के तहत जिला मुख्यालय में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी एवं जिले के शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकार है। **(ख)** उचित मूल्य दुकान आबंटन/निरस्त किये जाने के प्रकरणों के लिये अपीलीय अधिकारी कलेक्टर/अपर कलेक्टर है।

महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हितग्राही

[महिला एवं बाल विकास]

22. (*क्र. 867) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में छ.ग. प्रदेश में विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है एवं इनमें से कितनी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है ? जिलेवार बतावें? **(ख)** महतारी वंदन योजना का लाभ लेने हेतु कुल कितनी महिलाओं ने आवेदन किया था? कितनी महिला हितग्राही पात्र की श्रेणी में आये, कितने अपात्र की श्रेणी में आये एवं कितने का आवेदन निरस्त किया गया? जिलेवार बतावें ? **(ग)** महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित शेष विवाहित महिलाओं के आवेदन-पत्र को स्वीकार कर कार्यवाही किये जाने हेतु क्या दिशा-निर्देश है? आवेदन प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा क्या कोई व्यवस्था बनायी गयी है ? जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में छ.ग. प्रदेश में विवाहित महिलाओं की संख्या बताया जाना संभव नहीं है। महतारी वंदन योजना हेतु आवेदन करने वाले पोर्टल में दर्ज पात्र विवाहित महिलाओं में से माह फरवरी 2025 की स्थिति में 6963621 महिलाओं को लाभ दिए जाने हेतु अनुमोदित किया गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** महतारी वंदन योजना का लाभ लेने हेतु कुल 7027154 महिलाओं ने आवेदन किया था। जिनमें से मार्च 2024 की स्थिति में 7009578 महिलाएं पात्र की श्रेणी में आये तथा 17576 अपात्र महिलाओं के आवेदन पत्र निरस्त किये गये। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित शेष विवाहित महिलाओं के आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह" \]](#)

धमतरी जिले में कुपोषण मुक्ति हेतु संचालित योजनाओं के तहत प्राप्त आबंटन एवं व्यय

[महिला एवं बाल विकास]

23. (*क्र. 541) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) धमतरी जिले में वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक कुपोषण से मुक्ति के लिए राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित किन-किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ? प्रश्नांकित अवधि में उक्त योजनाओं के तहत जिले को कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ तथा प्राप्त राशि का व्यय किन-किन कार्यों में किया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) धमतरी जिले में वर्ष 2022-23 से जनवरी 2025 तक कुपोषण से मुक्ति के लिए संचालित योजना का विवरण निम्नानुसार है:- 1. कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना 2. समेकित बाल विकास सेवा योजना (पूरक पोषण आहार कार्यक्रम) 3. महतारी जतन योजना 4. पोषण अभियान 5. मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रश्नांश अवधि में उपरोक्त सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध एवं व्यय राशि का योजनावार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह " \]](#)

कांकेर जिले में संचालित राशन दुकानें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

24. (*क्र. 810) श्री आशा राम नेताम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कांकेर जिले में कितनी राशन दुकानें हैं? कितनी दुकाने स्व सहायता समूहों द्वारा और कितनी व्यक्तिगत रूप से चलायी जा रही हैं? वर्तमान में कितनी राशन दुकानें बंद हैं? बंद होने का क्या कारण है? क्या इस संबंध कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां तो उसे पर क्या कार्रवाई की गई ? (ख) कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2022 -23 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक राशन दुकानों के बंद होने या वित्तीय अनियमितता की कितनी शिकायत प्राप्त हुई है? शिकायतों पर किस स्तर पर जांच की गई है? जांच में क्या पाया गया है? तथा क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) कांकेर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 492 उचित मूल्य दुकान संचालित है। इनमें से 163 उचित मूल्य दुकान महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही है। उचित मूल्य दुकान का संचालन व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जाता है। वर्तमान में कोई भी उचित मूल्य दुकान बंद नहीं है। उचित मूल्य दुकान बंद होने के संबंध में 14 शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतों पर की गयी कार्यवाही **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** कांकेर जिले में प्रश्नांकित अवधि तक उचित मूल्य

दुकान बंद होने के 14 शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतों पर की गयी कार्यवाही **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। उचित मूल्य दुकानों में वित्तीय अनियमितता के शिकायत प्राप्त नहीं हुए है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह" \]](#)

प्रदेश में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने संबंधी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

25. (*क्र. 6) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सत्य है कि मांगों के बावजूद प्रदेश में वर्ष 2024-25 में कहीं भी कोई नया धान खरीदी केंद्र नहीं खोला गया है? क्या 2025-26 में नवीन धान खरीदी केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां तो इसके मापदंड क्या होंगे और नहीं तो क्यों? खरीदी केन्द्रों में पेयजल, चबूतरा सह शेड निर्माण एवं गोदाम आदि के निर्माण के लिए क्या कार्ययोजना है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 2739 धान खरीदी केन्द्र संचालित थे, अतः नवीन धान खरीदी केन्द्र नहीं खोला गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, अतः नवीन खरीदी केन्द्र प्रारंभ करने के संबंध में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 में 346 धान खरीदी केन्द्रों में नलकूप पेयजल, फड, शेड, गोदाम, सीसी रोड, बाउंड्रीवाल आदि कार्य हेतु लागत 5033.49 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****प्रदेश में कुपोषण की स्थिति एवं एनीमिक महिलाओं की संख्या**

[महिला एवं बाल विकास]

1. (क्र. 55) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को शासन की ओर से किन-किन योजनाओं के तहत क्या-क्या लाभ प्रदान किया जा रहा है ? जानकारी दें ? **(ख)** प्रदेश में कुपोषण की वर्तमान में क्या स्थिति है तथा प्रदेश में एनीमिक महिलाओं की संख्या कितनी है? जिलावार/विकासखण्डवार जानकारी दें ? छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रदेश में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को शासन की ओर से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू ईट फूड,, प्रधानमंत्री मातृवन्दना योजनांतर्गत प्रथम जीवित संतान के लिए दो किस्तों में राशि रूपये 5000/-रूपये एवं द्वितीय संतान बालिका होने पर एकमुश्त राशि 6000/-रूपये एवं कतिपय जिलों में स्थानीय निधि से कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम (मुख्यमंत्री सुपोषण योजना) अंतर्गत गर्म पका हुआ भोजन एवं अतिरिक्त पौष्टिक आहार प्रदाय किया जा रहा है। **(ख) प्रश्नांश 'ख' अनुसार-**

- वर्तमान में उम्र के अनुसार वजन की स्थिति में प्रदेश में कुपोषण की वर्तमान दर 13.27 प्रतिशत है।
- प्रदेश में एनीमिक महिलाओं की जिलावार/विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**
- छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उठाये गये कदम-कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं तथा संबंधित विभागीय योजनाओं के माध्यम से विविध प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें पूरक पोषण आहार का प्रदाय, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन, सामुदायिक जनजागरण से संबंधित गतिविधियों का आयोजन, सुपोषण चौपाल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं जिला स्तर पर स्थानीय प्रयास प्रमुख हैं।
- लक्ष्य पूर्ति का निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धान उपार्जन (खरीदी) केन्द्रों में धान खरीदी व उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (क्र. 56) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024-25 कितने धान उपार्जन (खरीदी) केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें ? **(ख)** संचालित केन्द्रों में जनवरी, 2025 तक कितने किंटल खरीदी की गई है? केन्द्रवार जानकारी दें? क्या खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव नियमित रूप से किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्तमान में धान उठाव की अद्यतन जानकारी बतावें ? **(ग)** क्या किसी खरीदी केन्द्र में बारदानों की कमी की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 35 धान उपार्जन केन्द्र संचालित है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।(ख) जी हॉ, डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित केन्द्रों में जनवरी, 2025 तक धान खरीदी एवं उठाव की केन्द्रवार अद्यतन जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।(ग) खरीदी केन्द्रों में बारदानों की कमी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह" \]](#)

एन.जी.ओ. को दिए गए कार्यों की समीक्षा

[महिला एवं बाल विकास]

3. (क्र. 90) श्री राजेश मूणत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कैलेण्डर वर्ष 2024 में विभाग कितने एन.जी.ओ. के माध्यम से कार्य पूर्वानुसार जारी रखा हुआ था तथा इस हेतु उन्हें इस कैलेण्डर वर्ष में कितनी राशि का भुगतान हुआ? विवरण दें। (ख) क्या विभाग प्रश्नांश "क" में उल्लेखित एन.जी.ओ. की सेवाएँ कैलेण्डर वर्ष 2025 में भी लेना चाहता है ? हाँ, तो क्यों ? विवरण दें। (ग) क्या विभागीय अधिकारीगणों ने प्रश्नांश "क" एवं "ख" में उल्लेखित एन.जी.ओ. के कार्यों की समीक्षा जुलाई 2024 के पश्चात की है ? हां तो कब ? बतावें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।

धान खरीदी में फर्जी धान विक्रय के प्रकरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

4. (क्र. 165) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला-मोहला-मानपुर-अंतर्गत धान खरीदी वर्ष 2024-2025 में फर्जी किसानों द्वारा धान बेचने के प्रकरण में क्यासोसाइटी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता पाई गई है? यदि हां, तो इन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : जी हाँ, जिला मोहला मानपुर अंतर्गत धान खरीदी वर्ष 2024-25 में फर्जी किसानों द्वारा धान बेचने के प्रकरण धान उपार्जन केन्द्र औंधी एवं गोटाटोला का संज्ञान में आया है। इन कर्मचारियों के विरुद्ध की गई एवं प्रचलित कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस" \]](#)

जांजगीर-चांपा जिले के शासकीय कार्यालयों में महिला उत्पीड़न की दर्ज शिकायतें

[महिला एवं बाल विकास]

5. (क्र. 235) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत शासकीय कार्यालयों में नवंबर, 2023 से जनवरी, 2025 तक महिला उत्पीड़न की कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं? तिथिवार थाना का नाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या विभागों में महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कोई विभागीय आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) गठित की गई है? यदि हां तो समितियों का नाम समितियों के पदाधिकारियों का नाम एवं समितियों के कार्यक्षेत्र अधिकार क्षेत्र बतावें? (ग) प्रश्नांश 'क' के अनुसार प्राप्त शिकायतों पर किसके-किसके

विरूद्ध क्या-क्या अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं तथा कितने लोगों को दंडित किया गया है? नाम, पता, पदनाम सहित तिथिवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) जी हां, गठित आंतरिक शिकायत समितियों के पदाधिकारियों का नाम की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। गठित आंतरिक शिकायत समिति का कार्यक्षेत्र संबंधित कार्यस्थल है तथा समिति का अधिकार क्षेत्र कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 9 से 14 अनुसार है। जो कि **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक है।

विधानसभा मोहला-मानपुर में पंजीकृत कृषकों से धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (क्र. 349) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में वर्ष 2024-2025 में धान खरीदी हेतु कुल कितने पंजीकृत कृषक हैं? पंजीकृत कृषकों में से कुल कितने कृषकों का कुल कितना धान खरीदा गया? (ख) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में कितने धान संग्रहण केन्द्र हैं? इन केन्द्रों में कितनी मात्रा में धान संग्रहण किया गया है? केन्द्रों में गत वर्ष 2023-2024 में कितना भंडारण हुआ व इस वर्ष कितने का लक्ष्य है? क्या परिवहनकर्ता की नियुक्ति कर दी गई है? यदि हाँ, तो विकासखंडवार बतावें? प्रश्नांश (क) अवधि में किन-किन धान उपार्जन केन्द्रों में अनियमितता / बारदाना की कमी, भुगतान नहीं होने, सुखद तथा सार्टेज की शिकायत प्राप्त हुई? (ग) क्या अन्य राज्यों से भी धान लाकर विक्रय किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो विकासखंडवार जानकारी देवें? संबंधित के ऊपर क्या कार्यवाही की गई? क्रय की गयी कितनी मात्रा के धान की कस्टम मिलिंग दिनांक 30/01/2025 तक पूर्ण कर दी गई है? कितना शेष है? क्या वर्ष 2024-2025 में क्रय की गयी धान का निराकरण पूर्ण हो गया है? यदि हाँ, तो कितने का? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में वर्ष 2024-2025 में धान खरीदी हेतु कुल पंजीकृत कृषक 32815 हैं। पंजीकृत कृषकों में से कुल 29727 कृषकों का कुल 162054.28 में.टन धान खरीदा गया। (ख) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत खरीफ वर्षवार 2023-24 एवं 2024-25 धान संग्रहण केन्द्र संचालित नहीं है। संग्रहण केन्द्र नहीं होने के कारण भंडारण का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। विकासखंड मोहला-मानपुर के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में धान परिवहनकर्ता (मेसर्स मंदीप रोड लाईन्स एवं मेसर्स धनवंत गिल) की नियुक्ति की गई है। प्रश्नांश (क) अवधि में धान उपार्जन केन्द्रों में अनियमितता/बारदाना की कमी, भुगतान संबंध में प्राप्त शिकायत की केन्द्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ग) जी नहीं। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कुल उपार्जित धान की मात्रा 222042.60 में.टन में से दिनांक 30.01.2025 तक की स्थिति में कस्टम मिलरो के माध्यम से 61373.76 में.टन का उठाव किया गया है एवं उपार्जन केन्द्रों में 115928.02 में.टन शेष हैं। वर्ष 2024-2025 में क्रय की गयी धान का निराकरण पूर्ण नहीं हुआ है तथा शेष धान का निराकरण प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

खरीफ वर्ष 2019-20 से 2023-24 की धान खरीदी में सरकारी क्षति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (क्र. 392) श्री अजय चंद्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ वर्ष 2019-20 से 2023-24 के धान खरीदी में कितनी मात्रा में, किन-किन कारणों से धान अमानक हुयें? उसका

किसानों से खरीदी गई धान के मूल्यों के आधार पर कितनी मूल्यों का होता है? तथा इसके कारण राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ व इसके जिम्मेदार/दोषी कौन-कौन है? एवं भरपाई के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये? वर्षवार बतायें? (ग) राज्य सरकार द्वारा ऑनलाईन ऑक्शन के माध्यम से धान एवं चावल का विक्रय करने का निर्णय किन कारणों से लिया गया एवं उक्त वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में, किस दर पर विक्रय किया गया एवं किसानों से खरीदी गयी धान के मूल्यों के आधार पर कितनी राशि का नुकसान हुआ? वर्षवार बतायें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक केवल खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कुल 85655 मे.टन. धान अमानक हुआ है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में संग्रहण केन्द्रों में भंडारित धान कोविड-19 महामारी के कारण धान उठाव एवं कस्टम मिलिंग प्रभावित होने, लंबी अवधि तक धान भंडारण होने एवं असामयिक वर्षा होने के कारण धान की गुणवत्ता प्रभावित हुई एवं धान अमानक हुआ। अमानक धान 85655 मे.टन. का मूल्य किसानों से खरीदी गई धान के मूल्यों के आधार पर राशि 155.66 करोड़ रुपये होता है। उक्त मात्रा में से 40970 मे.टन. अमानक धान का राज्य सरकार के निर्देशानुसार विक्रय किया गया जिससे राज्य शासन को हुई हानि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ में)
1	विक्रय किये गये अमानक धान 40970 मे. टन पर औसत समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल के मान से राशि (करोड़ रुपये में)	74.77
2	अमानक धान 40970 मे.टन को विक्रय किये जाने पर प्राप्त राशि (करोड़ रुपये में)	22.47
3	अमानक धान 40970 मे.टन को विक्रय पर राज्य शासन को हुई अनुमानित हानि (करोड़ रुपये में) 3 = (1-2)	52.30

शेष अमानक धान 44685 मे.टन. का निराकरण होने के पश्चात् राज्य सरकार को होने वाली कुल वास्तविक हानि ज्ञात हो सकेगी। राज्य शासन को हुई हानि के लिए प्रकृतिजन्य कारक जैसे असामयिक अत्यधिक वर्षा एवं परिस्थितिजन्य कारक यथा कोरोना महामारी एवं लंबी अवधि तक धान भंडारित होने के कारण किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार/दोषी नहीं माना जा सकता है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से केन्द्रीय पूल में प्राप्त सी.एम.आर. लक्ष्य तथा राज्य/केन्द्र की नीति के तहत पी.डी.एस. के लिए आवश्यक सी.एम.आर. लक्ष्य के अनुरूप अनुपातिक धान का निराकरण उपरांत राज्य में उपार्जित अतिशेष धान का निराकरण के उद्देश्य से ऑक्शन के माध्यम से विक्रय करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कुल 8.965 लाख मे.टन धान का ऑक्शन 1273.165 करोड़ रुपये में किया गया, जिससे अधिप्राप्ति मूल्य के आधार पर रुपये 556.19 करोड़ रुपये की हानि हुई। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य शासन के निर्देशानुसार ऑनलाईन ई-निविदा के माध्यम से 33500.00 मे.टन चावल का विक्रय किया गया। विक्रय की गई चावल की मात्रा, स्वीकृत दर एवं हानि की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

मार्कफेड का ऋण व ऋण की अदायगी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (क्र. 393) श्री अजय चंद्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक मार्कफेड द्वारा कितनी-कितनी राशि, किन-किन संस्थाओं से, कितनी अवधि के

लिये, किस ब्याज दर पर कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया और उनमें से कितने ऋणों की अदायगी हो चुकी है व कितनी शेष है तथा उसकी ब्याज अदायगी प्रति माह/वर्ष कितनी है? वर्षवार बतायें? **(ख)** उक्त वर्ष में दिनांक 31 जनवरी 2024 की स्थिति में मार्कफेड को राज्य सरकार से कितनी राशि, किस मद से लेना था और कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा मार्कफेड को अदायगी की गयी व कितनी शेष रही?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** मार्कफेड द्वारा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से समर्थन मूल्य पर धान उत्पादन हेतु लिए ऋण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** दिनांक 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में मार्कफेड को राज्य सरकार से हानि प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय मद में राशि रू. 31,582.16 करोड़ की लेनदारी के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा 15,186.91 करोड़ बजट के माध्यम से भुगतान किया गया है तथा दिनांक 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में रू. 16,395.25 करोड़ की अदायगी शेष है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस" \]](#)

महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

9. (क्र. 420) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य सरकार अविवाहित, निराश्रित तथा विधवा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? यदि नहीं तो उक्त महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजनायें बनाई जा रही हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण एवं सक्षम योजना के तहत अविवाहित, निराश्रित तथा विधवा महिलाओं को उनकी पात्रता अनुसार ऋण प्रदाय कर रोजगार के अवसर प्रदाय किया जाता है।

महतारी वंदना योजना के संबंध में

[महिला एवं बाल विकास]

10. (क्र. 598) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल कितनी महिलाओं को योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त किये जाने हेतु कुल कितने फार्म के विरुद्ध कितनी विवाहित महिलाओं को राज्य शासन द्वारा प्रति माह कुल कितनी राशि प्रदान की जा रही है? पात्र महिलाओं की संख्या कितनी है? अपात्र हितग्राही एवं उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जानकारी देवें? विभाग द्वारा अपात्र हितग्राही पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** क्या ऐसी विवाहित महिलाएं जिनको महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ उन्हें लाभार्थी सूची में लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश में योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित समयावधि तक कुल 7027154 महिलाओं के द्वारा फार्म प्रस्तुत किया जाकर ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिनमें से पात्र महिलाओं को प्रतिमाह निर्धारित राशि प्रदान की जा रही है। कुल भुगतान हेतु अनुमोदित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** अद्यतन स्थिति में पात्र महिलाएं 6963621 हैं, अपात्र हितग्राहियों की संख्या 29220 तथा मृत हितग्राहियों की संख्या 34313 है। अपात्र हितग्राहियों के संबंध राज्य में 06 तथा जिलों से 56 अपात्र हितग्राहियों की शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें से परीक्षण के आधार पर 59 हितग्राहियों को लाभ सूची से हटाया गया है

तथा इन अपात्र हितग्राहियों से जिलों द्वारा रू. 5.79 लाख की राशि की वसूली हुई है। (ख) जी, नहीं। ऐसी महिलाओं को लाभ दिए जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस" \]](#)

महिला एवं बाल विकास विभाग संचालित हितग्राही मूलक एवं फ्लैगशिप योजनाएं

[महिला एवं बाल विकास]

11. (क्र. 748) श्री ललित चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कितने हितग्राही मूलक एवं फ्लैगशिप योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? उक्त योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक राज्य शासन द्वारा कितना बजट आंबटन किया गया ? कितना व्यय किया गया ? कितना बजट शेष है? प्रत्येक योजनाओं की जिलेवार, वर्षवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार दुर्ग जिला में विभाग द्वारा संचालित हितग्राही मूलक एवं फ्लैगशिप योजनाओं से वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक कितने हितग्राहियों को किन-किन योजनाओं से क्या-क्या लाभ हुए ? (ग) प्रश्नांक (ख) अनुसार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दुर्ग जिला में वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक कितना बजट, किन-किन मदों में प्राप्त हुआ? वर्षवार जानकारी दे? उक्त प्राप्त बजट से कितनी कन्याओं का विवाह कराया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी दें? विभाग को फर्जी विवाह के संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं जिला महासमुंद के अन्तर्गत धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

12. (क्र. 767) श्री संदीप साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बलौदाबाजार भाटापारा एवं जिला महासमुंद के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में संचालित धान खरीदी केन्द्रों में कितना धान खरीदी किया गया ? कितने केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा कितने केन्द्रों में जीरो शार्टेज मिला और कितने केन्द्रों में शार्टेज मिला? केन्द्रवार बतावें? (ख) क्या धान खरीदी केन्द्रों में भौतिक सत्यापन के पश्चात बोगस धान खरीदी का मामला पाया गया है? यदि हां तो केन्द्रवार, मात्रा सहित जानकारी देवें? बोगस धान खरीदी की जानकारी पाये जाने के पश्चात क्या धान की पूर्ति के लिए प्रबंधक को समय दिया गया है? यदि हां तो कितना समय? जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' में अनियमितता पाये जाने के पश्चात जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं जिला महासमुंद के धान खरीदी केन्द्रों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों तथा भविष्य में अनियमितता न हो इसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही/कार्ययोजना तैयार की गई है? बतावें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जिला बलौदाबाजार एवं जिला महासमुंद के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में संचालित धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी एवं भौतिक सत्यापन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला का नाम	धान खरीदी की मात्रा लाख मे.टन में	भौतिक सत्यापन किये गये उपार्जन केन्द्रों की संख्या	भौतिक सत्यापन में जीरो शार्टेज वाले खरीदी केन्द्रों की संख्या	भौतिक सत्यापन में शार्टेज मिलने वाले खरीदी केन्द्रों की संख्या
1	बलौदाबाजार-भाटापारा	8.55	166	163	03
2	महासमुंद	11.04	182	169	13

जिलेवार भौतिक सत्यापन में शार्टेज पाये गये खरीदी केन्द्रों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा एवं महासमुंद के धान उपार्जन केन्द्रों का भौतिक सत्यापन पश्चात् बोगस धान खरीदी का मामला वर्तमान में सामने नहीं आया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा एवं महासमुंद में अनियमितता पाये जाने के पश्चात् की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। विभाग द्वारा सुचारू पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

विधानसभा क्षेत्र कसडोल स्थित खाद्यान्न गोदाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

13. (क्र. 770) श्री संदीप साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र कसडोल में कितने गांवों में खाद्यान्न गोदाम हैं? कितने भवनविहीन एवं कितने जर्जर अवस्था में हैं? इनके रख-रखाव, मरम्मत के लिए वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक कब-कब, कितनी- कितनी राशि खर्च हुई है? वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है? विकासखण्डवार बतावें? **(ख)** खाद्यान्न गोदाम केन्द्र भवन निर्माण हेतु वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक विभागीय बजट अनुसार किन-किन केन्द्रों हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि का आबंटन किन-किन कार्यों के लिए हुआ है? विकासखण्डवार अद्यतन स्थिति बतावें? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अन्तर्गत खाद्य विभाग के कितने अधिकारी-कर्मचारी कहां-कहां पदस्थ हैं? पदवार एवं केन्द्रवार विवरण दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** कसडोल विधानसभा क्षेत्र में 126 उचित मूल्य दुकान स्वयं के दुकान सह गोदाम में संचालित है तथा 38 उचित मूल्य दुकान भवनविहीन है। इनमें से कसडोल विकासखण्ड में 36 उचित मूल्य दुकान स्वयं के दुकान सह गोदाम में संचालित है तथा 15 उचित मूल्य दुकान भवनविहीन है। कसडोल विकासखण्ड में दुकान सह गोदाम के जर्जर भवन नहीं है। विकासखण्ड पलारी में 90 उचित मूल्य दुकान स्वयं के दुकान सह गोदाम में संचालित है तथा 23 उचित मूल्य दुकान भवनविहीन है। पलारी विकासखण्ड में 06 उचित मूल्य दुकान के गोदाम भवन जर्जर है। दुकान सह गोदाम के रख-रखाव मरम्मत के लिए प्रशांकित अवधि में राशि व्यय नहीं की गयी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु प्रशांकित अवधि में विभागीय बजट से राशि का आबंटन प्रदाय नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** कसडोल विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्ड कसडोल एवं विकासखण्ड पलारी में 01-01, खाद्य निरीक्षक पदस्थ है।

विधानसभा भाटापारा में संचालित पीडीएस दुकान संचालकों के द्वारा अनियमितता की शिकायतें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

14. (क्र. 799) श्री इंद्र साव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024 से जनवरी, 2025 तक विधानसभा भाटापारा क्षेत्रांतर्गत विकासखंड भाटापारा एवं सिमगा क्षेत्र में पीडीएस के तहत संचालित कितनी राशन दुकाने हैं? विकासखंडवार जानकारी दें ? शासन द्वारा संचालित उक्त पीडीएस दुकानों में चावल, चना, शक्कर के संबंध में स्टॉक, आवक-जावक वितरण व शेष से संबंधित अनियमितता/अंतर पाया गया है ? जिसके संबंध में उक्त अवधि में शिकायत प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायत पर दुकान संचालन के उपर क्या कार्यवाही की गई है ? **(ख)** प्राप्त शिकायत के आधार पर विभाग द्वारा कितनी दुकानों की जांच कर व भौतिक सत्यापन के पश्चात दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया है ? कितनों को निलंबित व निरस्त किया गया है तथा कितने दुकानदारों व विभागीय कर्मियों के विरुद्ध पुलिस/विभागीय जांच प्रारंभ की गई है ? विकासखंडवार जानकारी दें ? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र भाटापारा के विकासखंड भाटापारा एवं सिमगा के कितने पीडीएस दुकान का संचालन महिला समूहों के द्वारा किया जा रहा है ? इन दुकान संचालकों के विरुद्ध अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष, 2024 से जनवरी, 2025 तक विकासखण्ड भाटापारा में 108 उचित मूल्य दुकान एवं विकासखण्ड सिमगा में 58 उचित मूल्य दुकान संचालित है। प्रश्नांकित अवधि में उचित मूल्य दुकानों में चावल, चना, शक्कर के संबंध में स्टॉक, आवक-जावक, वितरण व शेष से संबंधित विकासखण्ड भाटापारा में 26 शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत की जांच में उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता नहीं पायी गयी। अतः कार्यवाही नहीं की गयी। विकासखण्ड सिमगा में 10 शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों की जांच में 09 शिकायत में अनियमितता नहीं पायी गयी। 01 शिकायत में उचित मूल्य दुकान में अनियमितता पाए जाने के कारण प्रकरण दर्ज कर उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निलंबित किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' में प्राप्त शिकायत के आधार पर विकासखण्ड सिमगा में 01 उचित मूल्य दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा दुकान संचालन एजेंसी निलंबित किया गया है। विकासखण्ड भाटापारा में उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड भाटापारा में 30 उचित मूल्य दुकानों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नांकित अवधि में इन उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध 12 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों की जांच में शिकायत सही नहीं पायी गयी है। विकासखण्ड सिमगा में 35 उचित मूल्य दुकानों का संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। इन उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध 09 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से जांच उपरांत अनियमितता पाए जाने के कारण 01 उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निलंबित किया गया तथा शेष 08 शिकायत जांच में सही नहीं पायी गयी।

कांकेर जिले में धान की खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

15. (क्र. 813) श्री आशा राम नेताम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर जिले में 15 जनवरी, 2025 तक कितनी धान की खरीदी की गई है? कितनी मात्रा में धान की कस्टम मिलिंग की गई है? कितने धान की कस्टम मिलिंग करने हेतु शेष है? शेष बचने का क्या कारण है ? शेष बचे धान की मिलिंग कब तक कर दी जाएगी ? **(ख)** कांकेर जिले में कितने राइस मिल है? इनमें कितने मिलों में खरीफ वर्ष 2022-23 व 2023-24 के धान की कस्टम मिलिंग की गई है? इनमें मिलों को कितना

भुगतान किया गया है? कितना भुगतान शेष है और क्यों अगर भुगतान नहीं किया गया है तो कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कांकेर जिले में 15 जनवरी, 2025 तक समर्थन मूल्य पर 4.33 लाख मे.टन धान की खरीदी की गई है। आज दिनांक 18.02.2025 की स्थिति में 2.38 लाख मे.टन धान कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किया गया है एवं 1.62 लाख मे.टन धान निराकरण हेतु शेष है। वर्तमान में प्रदेश में कस्टम मिलिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा कस्टम मिलिंग चांवल जमा करने की समयावधि दिनांक 30 जून, 2025 तक निर्धारित कि गई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) कांकेर जिले में खरीफ वर्ष 2024-25 में 71 राईस मिले संचालित है। खरीफ वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कस्टम मिलिंग करने वाले राईस मिलो की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	कस्टम मिलिंग करने वाले राईस मिलों की संख्या	मिलरो को भुगतान की गई राशि (राशि करोड़ में)	मिलरो को भुगतान हेतु शेष राशि (राशि करोड़ में)
2022-23	51	18.62	1.14
2023-24	68	मिलिंग कार्य प्रक्रियाधीन है	

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 जिन मिलरों के द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है उनका बिल भुगतान हेतु शेष है तथा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मिलिंग कार्य प्रगति पर होने के कारण मिलरों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण कस्टम मिलिंग भुगतान नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की भर्ती में अनियमितता की जाँच

[महिला एवं बाल विकास]

16. (क्र. 899) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2025 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की कितने पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए गए? कितने पदों पर नियुक्ति की गई? कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं एवं कितने प्रक्रियाधीन हैं ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) में पूछी गई अवधि में की गई भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा विभाग के संज्ञान में आई? उस पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार, विकासखण्डवार, वर्षवार पूरी जानकारी उपलब्ध करावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रश्नांश अवधि में चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में नवीन राशनकार्ड बनवाने हेतु प्राप्त आवेदन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

17. (क्र. 945) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 में दिनांक 15 जनवरी, 2025 तक नवीन राशनकार्ड बनवाने के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदनों से कितने आवेदकों को नवीन

राशनकार्ड प्रदान किया गया है और कितने आवेदकों का नवीन राशनकार्ड नहीं बन पाया है ? विकासखण्डवार संख्या प्रदान करें ? **(ख)** क्या नवीन राशनकार्ड बनवाने के नाम पर अवैध उगाही या पैसे लेने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवीन राशनकार्ड बनवाने हेतु वर्ष 2023-24 में 489 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर 489 नवीन राशनकार्ड जारी किये गये। वर्ष 2024-25 में 15 जनवरी 2025 तक 7,028 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर 6,543 नवीन राशनकार्ड जारी किये गये 485 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, शेष प्रशंसा उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस" \]](#)

महासमुंद जिले में पेंशन योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति

[समाज कल्याण]

18. (क्र. 946) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले में कौन-कौन सी पेंशन योजनायें संचालित हैं और किस-किस पेंशन में कितनी राशि देने का प्रावधान है ? उक्त पेंशन योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि का बजट विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है? पेंशन योजना में पात्रता की क्या शर्तें हैं ? **(ख)** प्रश्न "क" में उल्लेखित समयावधि के दौरान पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने आवेदकों को पेंशन प्रदान किया जा रहा है और कितने आवेदक किन कारणों से पेंशन से लम्बित हैं ? प्राप्त आवेदन, पात्र आवेदक एवं अपात्र आवेदकों की जानकारी ग्राम पंचायतवार प्रदान करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

साजा विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए रेडी टू इट सेक्टर जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

19. (क्र. 960) श्री ईश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या साजा विधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल-विकास विभाग द्वारा 'रेडी -टू इट' सेक्टर बनाये गये हैं? **(ख)** यदि हां, तो वर्ष 2021 से 2024 तक उन सेक्टरों में किन समूह द्वारा 'रेडी -टू इट' वितरण किया गया? **(ग)** समूह को वितरण कार्य प्रदाय करने की क्या-क्या नियमावली थी एवं वर्तमान में किस समूह द्वारा वितरण किया जा रहा है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी नहीं। अपितु परियोजना अंतर्गत पर्यवेक्षक सेक्टर में रेडी टू इट का निर्माण एवं वितरण किया जाता था। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2021-22 तक रेडी टू इट का निर्माण एवं वितरण महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया गया था। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है**। माह अप्रैल 2022 से रेडी टू इट वितरण का कार्य छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा चिन्हांकित महिला स्व सहायता समूह/व्यक्ति के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों तक किया जा रहा है। **(ग)** वित्तीय वर्ष 2021-22 तक महिला स्व सहायता समूहों का चयन निर्देश **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है**। वर्तमान में कार्यरत महिला समूह की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है**।

खैरागढ़ विधानसभा अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

20. (क्र. 965) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा खैरागढ़ अंतर्गत वर्ष 2022 से दिसम्बर, 2024 तक की स्थिति में कितने भवनयुक्त एवं भवनविहीन उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) संचालित उचित मूल्य की दुकानों में उक्त अवधि में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि तक 163 उचित मूल्य दुकान स्वयं के दुकान सह गोदाम में संचालित है तथा 15 भवनविहीन उचित मूल्य दुकान संचालित है। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है।(ख) प्रश्नांकित अवधि में उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध 18 शिकायतें प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को सामग्री का वितरण

[समाज कल्याण]

21. (क्र. 967) श्री अनुज शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) रायपुर जिले अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को कौन-कौन सी सामग्री का वितरण किया गया ? (ख) प्रश्नांक 'क' अवधि में कितने दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्राईसाईकल का वितरण किस आधार पर किया गया?वर्षवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार वितरण हेतु मोटराईज्ड ट्राईसाईकल एवं अन्य सामग्रियां किन-किन फर्मों से किस-किस आधार पर खरीदे गये? क्या मोटराईज्ड ट्राईसाईकल एवं अन्य सामग्रियों को खुली निविदा के आधार पर निविदा आमंत्रित कर खरीदी की गई ? यदि हां तो किन-किन समाचार पत्रों में कब-कब इस निविदा का प्रकाशन कराया गया था?जानकारी प्रदान करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला रायपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को ट्रायसायकल, मोटराईज्ड ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, वार्किंग स्टीक, वाकर, छड़ी, स्मार्ट केन, स्मार्ट फोन, ब्रेलकिट एवं एम.आर.कीट का वितरण किया गया है। (ख) जिला रायपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 100 तथा 2024-25 में 100 मोटराईज्ड ट्रायसायकल दिव्यांगजनों को वितरण किया गया है। दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्रायसायकल उनके आवेदन के आधार पर पात्रता अनुसार वितरित की गई है। (ग) जिला रायपुर अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को वितरित करने हेतु मोटराईज्ड ट्रायसायकल एवं अन्य सामग्रियों को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, एलिम्को कानपुर (भारत सरकार का उपक्रम) से सीधी खरीदी तथा ईवोक्स मोहाली (पंजाब), हेयरिंग केयर सेंटर रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं कवीरा साल्यूशन, नागपुर (महाराष्ट्र) से निविदा के माध्यम से खरीदे गए हैं। जी हाँ। दैनिक समाचार पत्रों-वीर अर्जुन (नई दिल्ली) में दिनांक 08.09.2022, नवभारत (रायपुर), मिड-डे (मुंबई), टाइम्स ऑफ इंडिया (रायपुर) में दिनांक 09.09.2022, दैनिक भास्कर (रायपुर) में दिनांक 08.06.2023, टाइम्स ऑफ इंडिया (रायपुर), लोकमत (नागपुर) में दिनांक 09.06.2023, हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली) में दिनांक 10.06.2023, सेंट्रल क्रॉनिकल

(रायपुर), दैनिक भास्कर (रायपुर) में दिनांक 04.07.2023 एवं इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली) तथा प्रातः काल (मुंबई) में दिनांक 05.07.2023 को निविदा प्रकाशन कराया गया था।

जिला रायगढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र

[महिला एवं बाल विकास]

22. (क्र. 1001) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिला में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? कितने भवनविहीन हैं? कितने भवन जर्जर हो चुके हैं? **(ख)** जनवरी, 2025 की स्थिति में कितने नवीन भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए हैं? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ग)** कितने भवन पूर्ण /अपूर्ण हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** रायगढ़ जिले में कुल 2706 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। 712 भवनविहीन है। 236 भवन जर्जर हो चुके है। **(ख)** जनवरी 2025 की स्थिति में 46 नवीन भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए हैं। विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

प्रदेश में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

23. (क्र. 1003) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में जनवरी, 2025 की स्थिति में कुल कितना धान खरीदी किया गया है? धान खरीदी का भुगतान किस दर पर किया जा रहा है ? **(ख)** 3100 रु प्रति क्विंटल का भुगतान कब तक किया जाएगा ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** प्रदेश में जनवरी, 2025 की स्थिति में कुल 149.25 लाख मे.टन धान खरीदी किया गया है। धान खरीदी का भुगतान धान ग्रेड "ए" हेतु 2320 रूपये प्रति क्विंटल एवं धान कॉमन ग्रेड हेतु 2300 रूपये प्रति क्विंटल के दर पर किया गया है।**(ख)** कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान विक्रय करने वाले किसानों को रू. 800 प्रति क्विंटल के मान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय पर रू. 16800 प्रति एकड़ के मापदण्ड से 25.48 लाख किसानों को 11920 करोड़ का भुगतान दिनांक 17 फरवरी, 2025 तक कर दिया गया है।

बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

24. (क्र. 1019) श्री सुशांत शुक्ला : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कब-कब , कहाँ-कहाँ , कितने-कितने जोड़ों का विवाह कराया गया? उक्त आयोजन में कितनी-कितनी राशि, किन-किन प्रयोजन हेतु खर्च की गई? विकासखंडवार, आयोजनवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के आयोजनों हेतु सामग्री खरीदी में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आयी ? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश "क" के आयोजनों में क्या ऐसे जोड़ों का भी विवाह कराया गया जिनका विवाह आयोजन तिथि से पूर्व ही हो चुका था? यदि हाँ तो इस हेतु कौन - कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार थे और उन पर क्या - क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी, हां। दिनांक 10.08.2023 को सामान्य सभा की बैठक में बाल विकास परियोजना सीपत में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह में उपहार हेतु क्रय सामग्री की गुणवत्ता विहीन होने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच तत्कालीन जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, बिलासपुर द्वारा की गई। जांच में शिकायत निराधार पाई गई। (ग) जी, नहीं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस" \]](#)

समाज कल्याण विभाग धमतरी एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय का ऑडिट

[समाज कल्याण]

25. (क्र. 1030) श्री ओंकार साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या अताराकित प्रश्न संख्या 43 क्रमांक 818 दिनांक 26/07/24 द्वारा समाज कल्याण विभाग धमतरी एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय के ऑडिट की दी गई जानकारी में की गई आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार, अनियमित खरीदी तथा भंडार क्रय नियमों को ताक में रख कर कराए गए कार्य/ खरीदी की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया? (ख) क्या उक्त ऑडिट रिपोर्ट में लाखों रुपए की जीएसटी एवं टीडीएस राशि का भुगतान शासन को नहीं किए जाने का भी लेख है? क्या उक्त GST/TDS की राशि शासन के कोष में जमा करा दी गयी है? (ग) उक्त समस्त अनियमितताओं के लिए कौन जिम्मेदार है? उक्त समय अवधि में कौन अधिकारी आहरण संवितरण अधिकारी /शाखा प्रभारी/ लेखापाल थे तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी, हां। (ख) जी हां। संबंधित फर्म से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त हुआ है। (ग) ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं निरंक है वरन अन्य अनियमितताओं का उल्लेख है जिसमें क्रय नियमों का उल्लंघन एवं रूपये 76,785/- जी.एस.टी. एवं रूपये 43,000/- टी.डी.एस. की राशि का भुगतान नही होने का लेख है। चूकि जांच समिति गठित की गई है अतः प्रतिवेदन प्राप्त होने उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। उक्त समय अवधि में श्री एम.एल.पाल, उप संचालक आहरण एवं संवितरण अधिकारी, श्रीमती टी.नेताम, शाखा प्रभारी एवं श्री तोष कुमार जायसवाल लेखापाल थे।

बिलासपुर जिला अंतर्गत कुपोषित बच्चे

[महिला एवं बाल विकास]

26. (क्र. 1068) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत विगत 02 वर्षों में कितने कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है? विकासखण्डवार एवं वर्षवार विवरण देवें? (ख) क्या कंडिका "क" के चिन्हांकित कुपोषित बच्चों को शासन द्वारा चिन्हांकित कर उनको सुपोषित/गरम भोजन उपलब्ध कराया गया हैं यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण देवें? (ग) कंडिका "क" के अंतर्गत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने कुपोषित बच्चों को सुपोषित किया गया? विवरण देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) बिलासपुर जिले में पोषण ट्रेकर के अनुसार गत दो वर्षों में चिन्हांकित कुपोषित बच्चों का विकासखण्डवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विकासखण्ड	वर्ष2023में	वर्ष2024में
1	बिल्हा	6010	4317

2	कोटा	3477	2384
3	मस्तूरी	3485	3038
4	तखतपुर	3608	2304
योग		16580	12043

(ख) प्रश्नांश-‘ख’ अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

- वर्ष 2023में- शासन से प्राप्त निर्देश अंतर्गत मीनू अनुसार नाश्ता, गरम भोजन एवं रेडी टू ईट फूड तथा डीएमएफ मद से सप्ताह में दो दिन गंभीर कुपोषित बच्चों को अण्डा/पौष्टिक लड्डू।
- वर्ष 2024में- शासन से प्राप्त निर्देश अंतर्गत मीनू अनुसार नाश्ता, गरम भोजन एवं रेडी टू ईट फूड तथा डीएमएफ मद से सप्ताह में दो दिन गंभीर कुपोषित बच्चों को अण्डा/पौष्टिक लड्डू (माह अप्रैल 2024 तक)

(ग) प्रश्नांश-‘ग’ अनुसार वर्ष 2023 में 2485 बच्चे तथा वर्ष 2024 में 1304 बच्चे कुपोषण से बाहर आये हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा पंजीकृत दिव्यांग

[समाज कल्याण]

27. (क्र. 1069) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में कितने प्रकार के दिव्यांगों को पंजीकृत किए जाने का प्रावधान है? विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के दिव्यांगों हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजना संचालित की जा रही है? विवरण देवें? (ग) कंडिका "ख" के अंतर्गत विगत 02 वर्षों में कितने-कितने दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया है? वर्षवार विवरण देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में 21 प्रकार के दिव्यांगों को पंजीकृत किए जाने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:-

चलन दिव्यांगता, कुष्ठ रोग मुक्त, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मांसपेशी दुर्विकास, अम्ल आक्रमण पीड़ित, दृष्टि बाधित, अल्प दृष्टि, श्रवण बाधित, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक मंदता, ऑटिज्म, मानसिक रोगी, बहु-स्केलेरोसिस, पार्किंसन रोग, हेमोफिलिया, थेलेसिमिया, सिक्कल कोशिका रोग एवं बहुदिव्यांगता। (ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा पंजीकृत दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना, सामर्थ्य विकास योजना, दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांगजन छात्रगृह योजना, शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना, उत्थान सब्सिडी योजना, कुष्ठ कल्याण योजना, तीरथ बरत योजना, घरौंदा योजना, हॉफ-वे-होम, अपराजिता, मोटराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय योजना संचालित की जा रही है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

बिलासपुर जिला में संचालित योजनाओं का भुगतान

[महिला एवं बाल विकास]

28. (क्र. 1074) श्री दिलीप लहरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर जिला में महिला बाल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022- 23 से जनवरी, 2025 तक जिले में किन-किन गतिविधियों के लिए किन-किन एनजीओ को कार्यदिश दिया गया? गतिविधियाँ संचालन के लिए किन-किन एनजीओ को कितना कितना अनुदान या भुगतान किया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

29. (क्र. 1079) डॉ. चरण दास महंत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से कितने-कितने धान की मिलिंग करवा कर कितना-कितना चावल राज्य पूल तथा केंद्रीय पूल में दिया जाना है? (ख) क्या उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी से निराकरण करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो किस किस के किन-किन केन्द्रों के, कितने-कितने धान की नीलामी की जाएगी? अतिशेष धान से क्या आशय है? क्या राज्य की आवश्यकता से अतिशेष समस्त चावल को केंद्रीय पूल में लेने से इन्कार किया गया है? यदि हां तो उससे संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं? (ग) धान का विक्रय करने से होने वाली हानि की अनुमानित राशि क्या है तथा इसका भार किसके ऊपर आएगा? (घ) क्या धान तथा चावल उपार्जन के संबंध में केंद्र सरकार के साथ हुए एम.ओ.यू. का पूरा पालन किया जा रहा है? उसकी प्रति भी उपलब्ध कराएं?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान 149.24 लाख मे.टन धान में से लगभग 122.61 लाख मे. टन धान की मिलिंग करवा कर लगभग 13.34 लाख मे. टन चावल राज्य पूल में तथा 70.00 लाख मे.टन चावल केंद्रीय पूल में जमा किया जाना है। (ख) जी हां, उपार्जित धान में से केंद्रीय पूल हेतु प्राप्त अनुमति तथा राज्य पूल के लिए आवश्यक चावल के अनुपातिक धान उपरांत शेष धान की नीलामी से निराकरण करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित मोटा, पतला एवं सरना तीनों किस्मों के लगभग 40.00 लाख मे. टन धान की नीलामी की योजना है। दिनांक 16.02.2025 की स्थिति में जिलेवार, संग्रहण केन्द्रवार धान भण्डारण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। अतिशेष धान से आशय है "राज्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु आवश्यक चावल के अनुपातिक धान के अतिरिक्त राज्य में शेष उपार्जित धान"। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की आवश्यकता से अतिशेष समस्त चावल को केंद्रीय पूल में लेने से इन्कार नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) धान विक्रय होने के पश्चात ही होने वाली हानि का आंकलन किया जा सकेगा। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हां, एम.ओ.यू. की प्रति जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

छत्तीसगढ़ प्रदेश में महतारी वंदन योजना के निर्धारित मापदण्ड

[महिला एवं बाल विकास]

30. (क्र. 1081) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में महतारी वंदन योजना कब से लागू की गई? इस योजना हेतु क्या मापदंड निर्धारित किया गया तथा निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले लाभांवितों की संख्या (प्रथम किस्त हेतु) बताएं? (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश में महतारी वंदन योजना हेतु 01जनवरी, 2024 से 31.01.2025 तक निर्धारित मापदंड के अनुसार कुल महिलाओं की संख्या ,योजनाओं में लाभान्वित महिलाओं की संख्या जिलावार बताएं? (ग) महतारी वंदन योजना की राशि प्रति माह कब तक जमा कर दी जाती है? क्या दिसम्बर, 2024 तथा जनवरी, 2025 की किस्त जमा कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हाँ तो कब, नियमित रूप से समय पर जमा किये जाने हेतु क्या प्रावधान किया जा रहा है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में महतारी वंदन योजना 01.03.2024 से लागू की गई। इस योजना से लाभ लिए जाने हेतु पात्रता एवं अपात्रता के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। मापदंड पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-“अ” अनुसार है। प्रथम किश्त के भुगतान हेतु निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले हेतु लाभांशितों की संख्या 7009578 है। (ख) महतारी वंदन योजना हेतु 10.03.2024 से 31.01.2025 तक निर्धारित मापदंड के अनुसार योजना से लाभ हेतु अनुमोदित कुल महिलाओं की जिलेवार संख्या क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-“ब” से प्रपत्र-“ल” तक अनुसार है। (ग) महतारी वंदन योजना की सहायता राशि सामान्यतः माह के प्रथम सप्ताह में जमा कर दी जाती है। जी हाँ, योजना 01 मार्च 2024 से प्रारंभ की गयी है, माह मार्च 2024 से जनवरी 2025 की किश्त जमा कर दी गई है। माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-“म” अनुसार है। नियमित रूप से समय पर ही राशि जमा की जा रही है।

समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में आने वाली कमी की लागत

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

31. (क्र. 1085) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में धान उपार्जन केन्द्रों तथा धान संग्रहण केन्द्रों पर कितनी-कितनी मात्रा में शार्टेज आई थी? इसकी लागत कितनी-कितनी है? 2023-24 का कितना धान संग्रहण केन्द्रों पर शेष है? (ख) शार्टेज के कारण क्या-क्या हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्षति की प्रतिपूर्ति किस प्रकार से होगी? भारत सरकार द्वारा कितना शार्टेज मान्य है? (ग) उपार्जन केन्द्रों पर धान में आई शार्टेज की मात्राओं पर क्या सहकारी सोसाइटियों को कमीशन, मंडी लेबर चार्ज, सुरक्षा एवं रखरखाव व्यय (प्रासंगिक व्यय) आदि देय नहीं होता है? यदि हां, तो मदवार बताएं कि कितनी-कितनी राशि देय नहीं होगी? क्या केंद्र या राज्य की नीति/निर्देशों में ऐसा प्रावधान है? यदि हां तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान उपार्जन केन्द्रों में 571.47 मे.टन तथा धान संग्रहण केन्द्रों में 6530.97 मे.टन धान की शार्टेज आई थी, इसकी लागत 15.732 करोड़ रुपये है। 2023-24 में धान उपार्जन केन्द्रों में 39447.99 मे.टन धान की शार्टेज आई थी, इसकी लागत 93.405 करोड़ रुपये हैं। वर्तमान में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव का कार्य प्रक्रियाधीन है, संग्रहण केन्द्रों से संपूर्ण धान उठाव होने के पश्चात् शार्टेज की मात्रा ज्ञात हो सकेगी। (ख) भंडारित धान में नमी में हास होने एवं लंबी अवधि तक धान भंडारण होने के कारण ड्रायज (सूखत) आता है। उपार्जन केन्द्रों में शार्टेज मान्य नहीं है। संग्रहण केन्द्रों में आने वाली ड्रायज (सूखत) की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार को दावा प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी प्रावधिक लागत पत्रक में समर्थन मूल्य पर 0.50 प्रतिशत ड्रायज (सूखत) मान्य किया गया है। (ग) जी हाँ, उपार्जन केन्द्रों पर धान में आई शार्टेज की मात्राओं पर सहकारी सोसाइटियों को कमीशन, मंडी लेबर चार्ज, सुरक्षा एवं रखरखाव व्यय (प्रासंगिक व्यय) आदि देय नहीं होता है। मदवार जानकारी निम्नानुसार है:-

खरीफ विपणन वर्ष	मदवार विवरण (रुपये में)			
	समिति कमीशन	मंडी लेबर चार्ज	सुरक्षा एवं रखरखाव	योग
2022-23	178584	52175	28573	259332
2023-24	12327496	6773220	1972399	21073115

जी हों, चूंकि राज्य की धान उपार्जन नीति में स्पष्टतः सूखत मान्य नहीं है, अतः शॉर्टेज मात्रा पर समिति को कमीशन, MLC, सुरक्षा एवं रख रखाव आदि की राशि प्रदाय करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इन मदों में राशि सिर्फ उस मात्रा पर देय होती है, जिसका उठाव मार्कफेड अथवा मिलरों के द्वारा किया गया है। राज्य की नीति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-खेरुद में नवीन आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन

[महिला एवं बाल विकास]

32. (क्र. 1092) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-खेरुद में नवीन आंगनबाड़ी क्र. 02 हेतु भवन का निर्माण हुआ है ? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार यदि भवन का निर्माण हुआ है तो क्या नवीन आंगनबाड़ी क्र. 02 का संचालन हो रहा है ? क्या संचालन हेतु विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो कब ? जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-खेरुद में 01 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत व संचालित है। नवीन आंगनबाड़ी क्रमांक 02 की स्वीकृति नहीं दी गई है परन्तु भवन का निर्माण हुआ है। इसके लिये विभाग से सहमति नहीं ली गई है। **(ख)** जी नहीं, नवीन आंगनबाड़ी क्र. 02 का संचालन नहीं हो रहा है। ग्राम खेरुद की जनसंख्या मापदण्ड के आधार पर एक नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति हेतु विभाग को दिनांक 21.10.2024 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र

[महिला एवं बाल विकास]

33. (क्र. 1093) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं ? कितने भवन-विहीन हैं ? कितने भवन जर्जर हैं एवं कितने आंगनबाड़ी केंद्र अहाताविहीन हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार ऐसे कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं जो मुख्य आवागमन मार्ग से जुड़ा हुआ या समीप है ? बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे केन्द्रों में अहाता निर्माण हेतु शासन की क्या योजना है तथा कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ? जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। पुराने भवनों में अहाता निर्माण हेतु विभाग अंतर्गत योजना नहीं है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत किये जा रहे भवनों में अहाता निर्माण का प्रावधान है। निर्माण कार्य की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" \]](#)

वृद्धजनों, अतिवृद्धजन एवं नशापीडितों हेतु संचालित योजना

[समाज कल्याण]

34. (क्र. 1096) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या 26 जुलाई, 2024 के तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्रमांक 827) में दिये गए उत्तर में अभिकरणों को राज्य अनुदान प्रदाय कर संचालित की जाने वाली परियोजनाओं में एक जैसे पदनाम वाले पद हेतु मानदेय अलग-अलग है जिसकी विसंगति दूर करना प्रक्रियाधीन है, की जानकारी दी गयी है? क्या यह प्रक्रिया पूर्ण

कर ली गयी है और नहीं तो क्यों ? **(ख)** क्या अनुदान राशि में वृद्धि करने हेतु विभागीय अनुदान नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन की जानकारी दी गयी है ? क्या यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है और नहीं तो क्या कारण है और कब तक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी? जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हां। वर्तमान में विचाराधीन है। **(ख)** जी हां। प्रकरण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राज्य के समस्त जिलों में नशामुक्ति केन्द्र का प्रारंभ

[समाज कल्याण]

35. (क्र. 1097) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राज्य के समस्त जिलों में नशामुक्ति केन्द्र प्रारंभ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई निर्देश प्राप्त है? यदि हाँ तो उक्त निर्देश के परिपालन में किन-किन जिलों में किन-किन संस्थाओं द्वारा नशामुक्ति केन्द्र प्रारंभ कर लिया गया है व जिन जिलों में प्रारंभ नहीं हुआ है उसका क्या कारण है ? कब तक प्रारंभ कर लिया जावेगा ? जिन जिलों में नशामुक्ति केन्द्र प्रारंभ हो गया है, क्या उन संस्थाओं को अनुदान जारी किया जा रहा है? यदि नहीं तो कब तक जारी किया जावेगा? जिलेवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हां। नशामुक्ति केन्द्र संचालित करने वाली स्वैच्छिक संस्था एवं जिले का नाम **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं की अनुपलब्धता के कारण 10 जिलों में नशामुक्ति केन्द्र संचालित नहीं है। नशामुक्ति केन्द्र संचालित नहीं करने वाले जिलों में नशामुक्ति केन्द्र प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है। नशामुक्ति केन्द्र के संचालन हेतु जिलों से प्राप्त अनुदान प्रस्ताव का नियम-निर्देश अनुसार पात्रता का परीक्षण उपरान्त अनुदान जारी किया जाता है। अनुदान जारी किये जाने संबंधी जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में उल्लेखित है। समय सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

नवीन धान खरीदी केंद्र हेतु प्राप्त आवेदन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

36. (क्र. 1100) श्रीमती भावना बोहरा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पंडरिया विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024 - 25 में वर्तमान स्थिति तक नई धान खरीदी केंद्र के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कितने नए धान खरीदी केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया है? कितने लंबित हैं एवं लंबित धान खरीदी केंद्रों की स्वीकृति एवं संचालन कब तक किया जाएगा?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** पंडरिया विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में वर्तमान स्थिति तक नई धान खरीदी केन्द्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:-

क्रं	वर्ष	विकासखंड	प्राप्त आवेदन की संख्या
1	2023-24	पंडरिया	06
		सहसपुर लोहारा	03
2	2024-25	पंडरिया	13
		सहसपुर लोहारा	04
		कवर्धा	02

(ख) प्रश्ननांक "क" अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध वर्ष 2023-24 में 01 नये धान खरीदी केन्द्र का संचालन शुरू कर दिया गया है। शेष लंबित है। वर्तमान में धान खरीदी कार्य वर्ष 2024-25 हेतु समाप्त हो चुका है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

पंडरिया विधानसभा में प्रचलित विभिन्न राशन कार्ड

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

37. (क्र. 1101) श्रीमती भावना बोहरा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) पंडरिया विधानसभा में जनवरी, 2025 तक मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कुल कितने राशन कार्ड प्रचलन में हैं? कृपया कार्ड के प्रकारवार एवं विकासखंडवार जानकारी देने का कष्ट करें? (ख) प्रश्ननांक "क" के अंतर्गत राशन अप्राप्त (नहीं मिलने) के कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए? उनमें से कितने आवेदनों का निराकरण किया गया? कितने हितग्राहियों के प्रकरण लंबित हैं ? कृपया विकासखंडवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि तक मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के कुल 1,43,248 राशनकार्ड प्रचलित है। राशनकार्ड के प्रकार एवं विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत राशन नहीं मिलने के 24 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से विकासखंड पंडरिया में 20 आवेदन, विकासखंड कवर्धा में 01 आवेदन तथा विकासखंड सहसपुर लोहारा में 03 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण किया गया है। वर्तमान में आवेदन लंबित नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस" \]](#)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के पदों पर नियुक्ति

[महिला एवं बाल विकास]

38. (क्र. 1106) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.01.2025 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के कितने पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन कब-कब जारी किया गया ? जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) कंडिका "क" के उपरोक्त पदों पर कितने कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति की गई तथा उक्त पदों पर कितनी दावा आपत्ति प्राप्त हुई ? वर्षवार, परियोजनावार जानकारी दें? (ग) क्या उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है ? बताएं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.01.2025 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के कुल 94 पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया। विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) कंडिका "क" के उपरोक्त पदों पर 24 कार्यकर्ताओं एवं 70 सहायिकाओं की नियुक्ति की गई तथा उक्त पदों पर कुल 103 दावा आपत्ति प्राप्त हुई। वर्षवार, परियोजनावार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में विभाग को कुल 05 शिकायत प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतीस" \]](#)

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

39. (क्र. 1107) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? कितने स्वयं के भवन में एवं कितने किराए के भवन में संचालित हैं तथा कितने भवन जर्जर अवस्था में हैं? विधानसभावार जानकारी देवें? **(ख)** वर्ष 2023-24 से 31 जनवरी, 2025 तक खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कितने नवीन भवन स्वीकृत किए गए हैं? कितने निर्माणाधीन हैं? कितने पूर्ण/अपूर्ण हैं और कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस" \]](#)

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

40. (क्र. 1113) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? कृपया ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** उक्त संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्र भवन भवनविहीन तथा कितने केन्द्र जर्जर भवनों में संचालित हैं? **(ग)** भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा जर्जर हो चुके आंगनबाड़ी भवनों के लिए नए भवन की व्यवस्था कब तक कर ली जाएगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश-क अनुसार संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 53 केन्द्र भवनविहीन हैं। जर्जर भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं। **(ग)** भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा जर्जर हो चुके आंगनबाड़ी भवनों के लिए नए भवन की व्यवस्था हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस" \]](#)

प्रदेश में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

41. (क्र. 1116) श्री विक्रम मंडावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु धान उपार्जन हेतु कुल कितने किसानों का पंजीयन किया गया था? कितने किसानों द्वारा कितनी मात्रा में 31 जनवरी, 2025 तक धान उपार्जन किया गया? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रदेश के धान उपार्जन केन्द्रों से 31 जनवरी, 2025 तक कितनी मात्रा में धान उठाव मिलिंग हेतु किया गया? कितनी मात्रा में भण्डारण हेतु किया गया? कितनी मात्रा में धान उपार्जन केन्द्रों में रखा है? जिलेवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार कितने किसानों को कितनी राशि का भुगतान किस दर पर किया गया? क्या किसानों को एकमुश्त भुगतान किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** कितना भुगतान किया जाना शेष है? शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? जानकारी बतावें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु धान उपार्जन हेतु कुल 27.79 लाख किसानों का पंजीयन किया गया था। कुल 25.47 लाख किसानों से 31 जनवरी, 2025 तक

149.24 लाख मे.टन धान का उत्पादन किया गया, जिसकी जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रदेश के धान उत्पादन केन्द्रों से 31 जनवरी, 2025 तक कुल 74.27 लाख मे.टन धान उठाव मिलिंग हेतु किया गया एवं 25.24 लाख मे.टन धान उठाव भण्डारण हेतु किया गया तथा 49.73 लाख मे.टन धान उत्पादन केन्द्रों में रखा था, जिसकी जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार दिनांक 20.02.2025 तक 25.46 लाख किसानों को 34,317 करोड़ का भुगतान किया गया है। धान कॉमन हेतु दर रूपये 2300 प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड-ए हेतु रूपये 2320 प्रति क्विंटल के मान से एकमुश्त भुगतान किया गया है। **(घ)** दिनांक 20.02.2025 की स्थिति में धान विक्रय करने वाले किसानों को 3119.18 लाख रूपये का भुगतान किया जाना शेष है। बैंक स्तर पर कृषक खातेदारों को भुगतान जारी है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस" \]](#)

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित खाद्यान्न गोदाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

42. (क्र. 1117) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कितने गाँवों में शासकीय उचित मूल्य दुकान की खाद्यान्न गोदाम हैं? अगर खाद्यान्न गोदाम नहीं हैं या जर्जर अवस्था में हैं तो उन्हें कब तक बना लिया जावेगा? **(ख)** खाद्यान्न गोदाम केंद्र हेतु आबंटन कहां से मिलता है ? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ अंतर्गत खाद्य विभाग में कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं? पदवार विवरण दें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 58 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम है। 88 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम नहीं है। 16 दुकान सह गोदाम जर्जर अवस्था में है। विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने पर दुकान सह गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा। **(ख)** उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु राशि विभागीय बजट में प्राप्त होता है। **(ग)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खाद्य विभाग के 03 खाद्य निरीक्षक सुश्री वर्षा चौहान, खाद्य निरीक्षक बिलाईगढ़, सुश्री सुमन श्यामनानी, खाद्य निरीक्षक सरसीवा एवं सुश्री नीलिमा शर्मा, खाद्य निरीक्षक भटगांव पदस्थ है।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ

[महिला एवं बाल विकास]

43. (क्र. 1118) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में कुल कितनी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है ? उक्त योजना में हितग्राहियों की पात्रता हेतु क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं? **(ख)** उक्त योजना के तहत कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को लाभ दिया जा रहा है तथा कितने निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' में क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को देय मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक माह महतारी वंदन योजना के तहत ₹1000 दिए जा रहे हैं और वहीं पर निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रदत्त पेंशन राशि को जोड़कर ₹1000 प्रदान की जा रही है ? जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना अंतर्गत कुल अद्यतन स्थिति में 6963621 महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। महतारी वंदन

योजना में हितग्राहियों के पात्रता हेतु निर्धारित मापदंड **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को योजना की पात्रता मापदंड में आने एवं आवेदन करने के कारण योजना के तहत 44425 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 45018 आंगनबाड़ी सहायिका, 973441 विधवा तथा 105520 परित्यक्ता महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। निराश्रित महिलाओं की जानकारी योजना के पोर्टल में उपलब्ध नहीं है। **(ग)** जी हाँ, महतारी वंदन योजना के दिशानिर्देश की कंडिका 7.2 में महिलाएं, जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं में प्रतिमाह रू. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, ऐसी पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी ही राशि की सहायता स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, जिससे उन्हें कुल रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त हो सके। तदनुसार भुगतान किया जा रहा है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

स्टॉक में कमी पाए गए उचित मूल्य दुकानों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

44. (क्र. 1119) श्री बालेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2023 से जनवरी, 2025 तक की अवधि में किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर विकासखण्ड जैजैपुर व मालखरौदा के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान संचालकों को स्टॉक में कमी के आधार पर कारण बताओ सूचना एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी थी? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार जिन दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया था उनके विरुद्ध अंतिम से क्या , अवचार की कार्यवाही की गयी है ? कृपया जानकारी दें । **(ग)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार स्टॉक में पाई गई कमी की पूर्ति करने नियम में क्या प्रावधान किया गया है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी ? कृपया जानकारी देवे ।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जी हां। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में 31 मार्च 2024 की स्थिति में किये गये भौतिक सत्यापन उपरांत स्टॉक में कमी पाए जाने पर विकासखण्ड जैजैपुर एवं मालखरौदा की 04 उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निरस्त किये गये तथा 11 उचित मूल्य दुकान संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है। **(ख)** जिन दुकान संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उनके विरुद्ध प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में विचाराधीन है। **(ग)** उचित मूल्य दुकान में कम पायी गयी राशन सामग्री की वसूली संबंधी कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के खण्ड 16 (7) के अनुसार "यदि प्राधिकृत अभिकरण/उचित मूल्य का दुकानदार किसी आवश्यक सामग्रियों को किसी अपात्र व्यक्ति को प्रदाय अथवा वितरण करता है, तो उसका मूल्य ऐसे कार्य करने हेतु दोषी पाए गये व्यक्ति से प्रचलित बाजार मूल्य या आर्थिक लागत जो भी अधिक हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने"के प्रावधान है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****मार्च 2024 के बचत स्टॉक (जिला रायपुर) के सत्यापन में मिली गड़बड़ी पर कार्रवाई**

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (क्र. 91) श्री राजेश मूणत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** तारांकित प्रश्न 13(क्र.109) दिनांक 17 दिसंबर 2024 में दी गई जानकारी अनुसार जिला रायपुर के राशन दुकानों में मार्च 2024 के बचत स्टॉक सत्यापन में 31 दुकानों में अनियमितता पाई गई यदि हां तो इन दुकानदारों के विरुद्ध एफ.आई.आर. क्यों दर्ज नहीं कराई गई ? **(ख)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित 31 दुकानों में से 22 उचित मूल्य दुकानों में आर.आर.सी. के तहत वसूली की कार्रवाई एक समय सीमा के अन्दर करने में क्या कठिनाई है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** रायपुर जिले के उचित मूल्य दुकानों में मार्च, 2024 के बचत स्टॉक सत्यापन में 31 उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता पाई गयी। इनमें से 01 उचित मूल्य दुकान संचालक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज तथा वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गयी है। 30 उचित मूल्य दुकानों में कम पायी गयी राशन सामग्री की वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी किया गया है, इनमें से 15 उचित मूल्य दुकानों में वसूली पूर्ण हो गयी है। शेष 15 उचित मूल्य दुकानों में वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आर.आर.सी. के माध्यम से वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी गयी। **(ख)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित 31 दुकानों में से वर्तमान में 16 उचित मूल्य दुकानों में आर.आर.सी.के तहत वसूली की कार्यवाही की जा रही है (01 उचित मूल्य दुकान जिसमें एफ.आई.आर. दर्ज की गई है जिसमें आर.आर.सी. भी जारी है शामिल है) 15 उचित मूल्य दुकानों में वसूली पूर्ण हो चुकी है तथा शेष 16 उचित मूल्य दुकानों में आर.आर.सी. के तहत आंशिक वसूली की गयी है। आर.आर.सी. के तहत वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार द्वारा की जा रही है। आर.आर.सी. वसूली की कार्यवाही अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

धान खरीदी में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (क्र. 92) श्री राजेश मूणत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी, 2025 तक प्रदेश में कुल कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है ? जिलेवार विवरण दे? **(ख)** कंडिका "क" के संबंध में कुल कितने मीट्रिक टन धान का उठाव किय जा चुका है और कितना उठाव होना शेष है ? **(ग)** क्या शासन के पास धान उठाव में गबन या खरीदी इंचार्यों की अनियमितताओं की कोई शिकायत इस खरीफ विपणन वर्ष में आई है? यदि हां तो इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी, 2025 तक प्रदेश में कुल 149.24 लाख मे.टन धान की खरीदी की गई है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रदेश में 31, जनवरी 2025 की स्थिति में कुल 99.51 लाख मे.टन धान का उठाव किया जा चुका है

और 49.73 लाख मे.टन उठाव होना शेष है। (ग) जी हॉ। धान उठाव में गबन या खरीदी इंचार्यो की अनियमितता के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

प्रदेश में संचालित पेंशन योजना व प्रदाय पेंशन

[समाज कल्याण]

3. (क्र. 394) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में कितने प्रकार की पेंशन योजना संचालित हैं? उनमें से कितने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित है तथा इन योजनाओं के माध्यम से कितनी-कितनी पेंशन, किन-किन हितग्राहियों को प्रदाय की जाती है? किन-किन योजनाओं में कितने-कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी पेंशन दी जा रही है तथा कौन-कौन सी योजना, कब से बंद हो चुकी हैं? **(ग)** उक्त योजना का लाभ लेने, पंजीयन की प्रक्रिया क्या है? कैसे आवेदन किया जाता है? तथा इनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिये सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में क्या-क्या मुहिम चलाई गई है? क्या इसके लिये किसी भी प्रकार का सर्वे किया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत 3 केंद्र सरकार एवं 3 राज्य सरकार की पेंशन योजनाएँ संचालित है। इन योजनाओं में प्रदत्त पेंशन राशि, हितग्राही समूह एवं लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	योजना का नाम	प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन राशि	हितग्राही समूह	लाभान्वित हितग्राही
केंद्रीय पेंशन योजना				
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	500/-	BPL परिवार की सूची में नाम वाले 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध	6,42,882
		650/-	BPL परिवार की सूची में नाम वाले 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग वृद्ध	
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	500/-	BPL परिवार की सूची में नाम वाले 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा	2,17,586
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	500/-	BPL परिवार की सूची में नाम वाले 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांगजन	33,315
राज्य पेंशन योजना				
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	500/-	BPL परिवार की सूची में नाम वाले 6 वर्ष या अधिक आयु के दिव्यांगजन एवं बौने व्यक्ति	4,25,226
5.	सुखद सहारा योजना	500/-	BPL परिवार की सूची में नाम वाले 18-39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा एवं 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त	2,18,683
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	500/-	SECC-2011 के स्वतः सम्मिलित सूचकांक एवं वंचन सूचकांक की सूची के वृद्ध, 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्त	7,30,786
योग-				22,68,478

कोई भी पेंशन योजना बंद नहीं हुआ है। (ग) पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए पंजीयन/स्वीकृति प्रक्रिया एवं आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार है- आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर शहरी क्षेत्र की दशा में नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत में तथा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम पंचायत में जमा करेंगे। ग्राम पंचायत, प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की यथा आवश्यक जांच करा कर अपने अभिमत सहित 07 दिवस के अन्दर जनपद पंचायत को अग्रेषित करेगी। शहरी क्षेत्र की दशा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत में प्राप्त आवेदन-पत्रों के परीक्षण उपरांत शहरी क्षेत्र में संबंधित निकाय के अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें अपनी टीप के साथ जनपद पंचायत अथवा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे। शहरी क्षेत्र की दशा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में जनपद पंचायत को प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार है। स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को पंजीकृत आवेदन-पत्र पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के अधिकतम 60 दिन के भीतर निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करना आवश्यक होगा। पेंशन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में शिविरों के माध्यम से प्रचार-प्रसार, जन जागरूकता अभियान, पंचायत भवनों के दीवाल में पात्रता एवं दर की जानकारी अंकित करवाने जैसे मुहिम चलायी गई है। पेंशन के लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की सर्वे नहीं करायी गयी है।

पंजीकृत/गठित महिला स्व-सहायता समूहों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

4. (क्र. 395) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** प्रदेश में कितने महिला स्व-सहायता समूह पंजीकृत/गठित हैं तथा उनके अंतर्गत कितनी-कितनी महिलायें जुड़ी हुयी हैं? **(ख)** उक्त स्व-सहायता समूहों द्वारा रोजगार हेतु सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं के माध्यम से क्या-क्या कार्य प्रदाय किये गये है और उसके अंतर्गत क्या-क्या सुविधायें दी जा रही है? उससे प्रति महिला/माह कितनी आय होती है? **(ग)** उक्त पंजीकृत समूहों को किन-किन संस्थाओं से कितना-कितना ऋण दिया गया है और प्रश्नावधि तक कुल कितना ऋण है? क्या इनके ऋणमाफी के लिये सरकार द्वारा कोई विचार किया गया है? यदि हां तो क्या कार्ययोजना बनाई गयी है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कुल 52668 महिला स्व-सहायता समूह गठित है, जिनमें से 38489 समूह एनआरएलएम तथा फर्म एवं सोसायटी से पंजीकृत है। इन समूहों के अंतर्गत 552666 महिलायें जुड़ी हुई है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के समूहों को रोजगार/आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के माध्यम से 3 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रथम बार अधिकतम रू. 2.00 लाख तथा द्वितीय बार में अधिकतम रू. 6.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विभाग के अधीन महिला स्व-सहायता समूहों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत नाश्ता व गर्म भोजन के लिए खाद्य सामग्री प्रदाय का कार्य एवं छ.ग. बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा चिन्हाकित महिला समूहों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों तक रेडी टू ईट का परिवहन कार्य दिया गया है। समूहों के द्वारा कोष से प्रदाय किए गए ऋण के माध्यम से लघु व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, लघु एवं कुटीर अद्योग, दोना पत्तल, वनोपज संग्रहण, कपडा व्यवसाय, मुरकू पापड उद्योग, मध्यान्ह भोजन, आंगनवाड़ी केन्द्रों में गरम भोजन बकरी पालन, अगरबत्ती निर्माण, मशरूम उत्पादन, मनिहारी दुकान, साप्ताहिक हार्ट बाजार में व्यवसाय, मशाला उद्योग, ईट भट्टा संचालन, कैटीन संचालन, कैटरिंग कार्य संचालन, पी.डी.एस. संचालन बास से वस्तु निर्माण आदि जैसे कार्य किए जा रहे है। चयनित महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य प्रदेशों में अच्छे कार्य करने वाले स्व-सहायता समूह का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाता है। समूहों की

गतिविधियां एवं लाभ की प्रकृति अलग-अलग है, अतः प्रति महिला प्रतिमाह कितनी आय हो रही है, यह जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा अब तक 42336 आवेदन करने वाले समूहों को कुल राशि रू. 1,11,65,33,897/- का ऋण प्रदाय किया गया है। प्रश्न में कोई अवधि उल्लेखित नहीं है, अतः अद्यतन स्थिति में समूहों के उपर राशि रू. 33,49,60,169/- का ऋण शेष है। वर्तमान में ऋण माफी के लिए विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

प्रदेश में समाज कल्याणकारी योजनायें एवं प्रदत्त लाभ

[समाज कल्याण]

5. (क्र. 413) श्री उमेश पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं ? योजना के लाभार्थियों के क्या मापदण्ड हैं ? वर्तमान में रायगढ़ जिला के लाभार्थियों को किस-किस योजना के तहत क्या-क्या लाभ दिया जा रहा है। जानकारी देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

जिला-रायगढ़ में धान खरीदी की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (क्र. 414) श्री उमेश पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चालू वर्ष के धान खरीदी में दिनांक 10 जनवरी, 2025 तक रायगढ़ में कितना धान खरीद लिया गया है ? क्या कहीं टोकन नहीं कटने तथा पर्याप्त जगह नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? (ख) क्या मौसम खराब होने या पानी में भीगने से धान में नमी या खराब होने के कितने मामले आये हैं यदि हां तो और कहां-कहां कितनी मात्रा में धान खराब हुआ है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) चालू वर्ष के धान खरीदी में दिनांक 10 जनवरी, 2025 तक रायगढ़ में 370493.64 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। जी हां, की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा कार्यकर्ताओं के लिये की गई खरीदी

[महिला एवं बाल विकास]

7. (क्र. 421) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2025 तक जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीदी की गई है? यदि हां तो कौन-कौन से उपकरण की कितनी-कितनी मात्रा में खरीदी की गई? उपकरणवार, मूल्यवार, वर्षवार जानकारी देवें? खरीदे गये उपकरणों का वर्तमान में क्या प्रयोग किया जा रहा है? उपकरणों हेतु गारंटी-वारंटी कितने दिनों के लिये दी गई थी? (ख) कौन-कौन से उपकरणों के लिये कब-कब निविदा आमंत्रित की गई? चयनित फर्म द्वारा किस माध्यम से उपकरणों को स्थान तक पहुंचाया गया? ट्रांसपोर्टिंग के समय उपकरणों किसी प्रकार का नुकसान या हानि की शिकायत प्राप्त हुई हो तो जानकारी

उपलब्ध करायें? (ग) प्रदायकर्ता फर्म/एजेंसी का नाम, भुगतान राशि की जानकारी उपकरणवार, जीएसटी भुगतान राशि सहित विकासखंडवार देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :(क) प्रश्नांश 'क' अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीदी नहीं की गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश 'क' के प्रकाश में जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश 'क' के प्रकाश में जानकारी निरंक है।

कुपोषण को रोकने हेतु पौष्टिक आहार संबंधित योजनायें

[महिला एवं बाल विकास]

8. (क्र. 422) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विभाग द्वारा छोटे शिशुओं में कुपोषण को रोकने के लिए, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पौष्टिक आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये क्या-क्या योजनाएँ संचालित की जा रही हैं? पौष्टिक आहार में क्या-क्या प्रदान किया जा रहा है? संचालित हो रही योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच रहा है या नहीं,की निगरानी करने के लिए क्या किसी प्रकार की कमेटी का गठन किया गया है? यदि नहीं तो क्या शासन द्वारा गठन किया जाना प्रस्तावित है ? **(ख)** ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन में पौष्टिक भोजन, सुरक्षित और शुद्ध पेयजल आदि सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गये हैं? जानकारी देवे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :(क) विभाग द्वारा 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को पौष्टिक आहार की पूर्ति पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन कार्यक्रम एवं कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम (मुख्यमंत्री सुपोषण योजना) के तहत की जाती है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत टेक होम राशन के तहत रेडी टू ईट फूड एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में नाश्ते में पोहा/रेडी टू ईट का हलवा एवं गर्म पका हुआ भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल व हरी सब्जी का प्रदाय किया जाता है। कतिपय जिलों में स्थानीय निधि से कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम अंतर्गत गर्म पका हुआ भोजन व अतिरिक्त पौष्टिक आहार जैसे मल्टीग्रेन दलिया, सत्तु, चना, अण्डा, रागी प्रोटीन बार/ चिक्की व मूंगदाल आदि प्रदाय एवं कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन कार्यक्रम के तहत संवर्धित टीएचआर प्रदाय किया जा रहा है। जी हां। प्रश्नांश की शेष जानकारी निरंक है। **(ख)** स्वच्छता के साथ नाश्ता व गर्म पका हुआ भोजन के लिए शुद्ध पेयजल एवं अनाज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की गई है।

बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन राशन कार्ड एवं खाद्यान्न के प्राप्त आवेदन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (क्र. 473) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 1 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक खाद्य सुरक्षा के अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत कितने हितग्राहियों के नवीन राशन कार्ड एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं? **(ख)** कितने आवेदनों के विरुद्ध में कितने हितग्राहियों को किस-किस प्रकार के राशन कार्ड प्रदत्त किये गए हैं? विकासखंड वार जानकारी देवे?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) बसना विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में नवीन राशनकार्ड

जारी करने एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 15,719 आवेदन प्राप्त हुए। **(ख)** जानकारी संलग्न - प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस" \]](#)

बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र एवं भवन

[महिला एवं बाल विकास]

10. (क्र. 474) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, कितने आंगनबाड़ी केंद्र भवन-विहीन या किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं, केन्द्रवार जानकारी देवें? **(ख)** वित्तीय वर्ष 1 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक कितने नए आंगनबाड़ी भवन बनाये गए हैं? केंद्र का नाम, कार्य पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 476 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 12 आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन, 12 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं। केन्द्रवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

प्रदेश में कार्यरत एन.जी.ओ. तथा निजी एन.जी.ओ.

[समाज कल्याण]

11. (क्र. 542) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश में जनवरी, 2025 तक समाज कल्याण विभाग में कितने एन.जी.ओ. तथा निजी एन.जी.ओ. कार्यरत हैं ? वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में पंजीकृत को कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? विवरण प्रदान करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : प्रदेश में जनवरी, 2025 तक समाज कल्याण विभाग अंतर्गत 220 विभागीय मान्यता प्राप्त निजी एन.जी.ओ. कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में विभागीय मान्यता प्राप्त अनुदानित स्वैच्छिक संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

12. (क्र. 543) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? कितने भवनविहीन या किराये के भवन में संचालित हैं ? ब्लॉकवार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या उक्त भवन-विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये नये आंगनबाड़ी भवन बनाने की कोई कार्य योजना है ? कृपया अवगत करावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 482 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। 157 भवनविहीन हैं, 09 किराये के भवन में संचालित हैं। **ब्लॉकवार जानकारी संलग्न**

प्रपत्र अनुसार है। (ख) उक्त भवन-विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 41 निर्माणाधीन है। 90 जर्जर भवन निष्प्रयोजन हेतु प्रक्रियाधीन है। 26 जर्जर भवन निष्प्रयोजित किये गये है। निष्प्रयोजित भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

पथलगांव विधानसभा क्षेत्र में खाद्यान्न गोदाम निर्माण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

13. (क्र. 550) श्रीमती गोमती साय : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र पथलगांव में कितने गांव में खाद्यान्न गोदाम हैं तथा कितने में नहीं हैं? जिन-जिन गांवों में खाद्यान्न गोदाम नहीं हैं या जर्जर अवस्था में हैं तो वहां कब तक बना लिया जावेगा? (ख) खाद्यान्न गोदाम केन्द्र निर्माण हेतु आबंटन कहां से मिलता है एवं प्रशासन द्वारा जहां खाद्यान्न गोदाम नहीं है, वहां पर निर्माण कार्य अब तक क्यों नहीं कराया गया? (ग) विधानसभा पथलगांव अंतर्गत खाद्य विभाग में कितने कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? पदवार विवरण देवें? क्या उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है? विवरण देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) पथलगांव विधानसभा क्षेत्र में 115 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम है। 41 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम नहीं है। 37 दुकान सह गोदाम जर्जर अवस्था में है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। (ख) उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु राशि विभागीय बजट में प्राप्त होता है। विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने पर दुकान सह गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा। (ग) पथलगांव विधानसभा क्षेत्र में खाद्य विभाग के 03 खाद्य निरीक्षक श्री अजय प्रधान, श्री अनूप कुजूर एवं श्री पुष्पेन्द्र पटेल पदस्थ है। जी हां, खाद्य निरीक्षकों द्वारा उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया जाता है। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक श्री अजय प्रधान, खाद्य निरीक्षक पथलगांव द्वारा 138 उचित मूल्य दुकान, श्री अनूप कुजूर, खाद्य निरीक्षक कांसाबेल द्वारा 65 उचित मूल्य दुकान तथा श्री पुष्पेन्द्र पटेल, खाद्य निरीक्षक बगीचा द्वारा 16 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया है।

विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

14. (क्र. 766) श्री संदीप साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अन्तर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? इनमें से कितने भवन किराये से संचालित हैं? भवनों में क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) दिनांक 31-01-2025 की स्थिति में शासकीय एवं किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी है? बतावें? यदि नहीं, तो इसकी पूर्ति कब तक होगी? (ग) दिनांक 31-01-2025 की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के स्वीकृत पद कितने हैं? कितने भरे जा चुके हैं? कितने पद खाली हैं? आंगनबाड़ीवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) कसडोल विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 666 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। संचालित कुल 666 केन्द्रों में कुल 72 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित है। किराये का भवन पक्का हो, इसके साथ ही पेयजल, बिजली, शौचालय, किचन एवं बच्चों के शारीरिक गतिविधि के लिए स्थान उपलब्ध होना चाहिये। विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख)** किराये के भवनों में से 57 केन्द्र में पक्के भवन एवं किचन, 65 केन्द्र में पेयजल,

40 केन्द्र में बिजली, 39 केन्द्र में शौचालय इत्यादि आधारभूत सुविधा उपलब्ध है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्ड बनाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

15. (क्र. 778) श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन प्रदाय करने की योजनांतर्गत बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने प्रकार के व कुल कितने राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये थे ? कितने बनाये गए, कितने अपात्र पाये गए और कितने के कार्ड बनाये जाने शेष हैं? बनाये गए राशन कार्डों में से कितने कार्ड जीवित/क्रियाशील हैं और कितने निरस्त/अक्रियाशील हैं? कार्डवार, विकास खण्डवार जानकारी देवें? (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारियों को क्या-क्या सामग्री किस-किस प्रकार के राशन कार्ड पर निःशुल्क व नियत दरों पर उपलब्ध कराई जाती है? कार्डवार, सामग्रीवार जानकारी देवें? (ग) जनवरी, 2024 की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? कितनी नवीन दुकानें खोले जाने के प्रस्ताव/आवेदन लंबित हैं व क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में नवीन राशनकार्ड जारी करने हेतु 6,723 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर 6,682 नवीन राशनकार्ड जारी किये गये तथा 41 आवेदन अपात्र पाए गये। जारी किये गये नवीन राशनकार्डों में से सभी 6,682 राशनकार्ड क्रियाशील है। राशनकार्ड के प्रकार एवं विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) जनवरी 2024 की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कुल 94 उचित मूल्य दुकाने संचालित है। प्रश्नांकित अवधि में नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने हेतु आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैतालीस"]

विभाग अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न आयोग एवं उनमें आरक्षित पदों के संबंध में

[महिला एवं बाल विकास]

16. (क्र. 779) श्री धरमलाल कौशिक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत कुल कितने व कौन-कौन से आयोग स्वीकृत हैं और इन आयोग में वर्ष 2021 से नवम्बर, 2023 तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के कुल कितने पद स्वीकृत, रिक्त व भरे थे? इन पदों में कितने पद एसटी, एससी, ओबीसी व सामान्य महिला के लिये आरक्षित थे और आरक्षित संवर्ग के पदों में आयोगवार कौन-कौन व्यक्ति व महिला पदस्थ रहे थे तथा आरक्षित संवर्ग के नियमों का पालन नहीं करने पर दोषी कौन है व दोषी पर क्या कार्यवाही की गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों

[महिला एवं बाल विकास]

17. (क्र. 800) श्री इंद्र साव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में कितने आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? जनवरी, 2025 की स्थिति में विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने कार्यरत है एवं कितने पद रिक्त हैं ? (ग) जिले के कितने ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जहां पर पूरक पोषण आहार प्रदाय करने एवं वितरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं व आंगनबाड़ी संचालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? विकासखंडवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में जनवरी 2025 की स्थिति में 1587 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र निरंक है। विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में 1587 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 1587 सहायिका के पद स्वीकृत है। स्वीकृत पद के विरुद्ध 1586 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है तथा 01 पद रिक्त है तथा 1570 आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत हैं तथा 17 पद रिक्त है। (ग) प्रश्नांश-ग' अनुसार कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उच्चास" \]](#)

विधानसभा भाटापारा क्षेत्र में सर्वसुविधा युक्त नवीन आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति एवं निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

18. (क्र. 801) श्री इंद्र साव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र भाटापारा अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं और कितने किराये के भवन में संचालित किए जा रहे हैं ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्र जर्जर हैं तथा भवन उपयोग करने के लायक नहीं हैं ? विकासखंडवार तथा स्थान सहित जानकारी दें ? (ख) विधानसभा क्षेत्र की कितनी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर सर्वसुविधा युक्त आंगनबाड़ी भवन है एवं नया सर्वसुविधायुक्त आंगनबाड़ी भवन की आवश्यकता है ? इन स्थानों पर कब तक नये आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति प्रदान एवं निर्माण करा दी जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विधानसभा क्षेत्र भाटापारा अंतर्गत 90 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं, 62 किराये के भवन में संचालित किए जा रहे हैं। 02 आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमशः रोहरा क्रमांक-1 एवं कुलीपोटा जर्जर हैं तथा भवन उपयोग करने के लायक नहीं हैं। विकासखंडवार तथा स्थान सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** (ख) विधानसभा क्षेत्र में 142 ग्राम पंचायतें हैं जहां 295 सर्वसुविधायुक्त भवन है इसमें से 02 जर्जर भवनों के निष्प्रयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 11 भवन पूर्ण है परन्तु अहस्तांतरित है। 90 सर्वसुविधायुक्त आंगनबाड़ी भवन की आवश्यकता है, इस हेतु निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अंत्योदय अन्न योजना के तहत अपात्र लोगों को जारी किये गये राशन कार्ड

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

19. (क्र. 824) श्री ललित चंद्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या छत्तीसगढ़ राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के तहत जारी किए जाने वाले राशनकार्ड धारकों की पात्रता को

सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किए हैं ? **(ख)** यदि हाँ तो आदेश के परिपालन में कार्यवाही प्रक्रिया की सुनिश्चितता हेतु जिला दुर्ग, जिला रायपुर, जिला रायगढ़ एवं जिला बिलासपुर में क्या विभागीय कार्यवाहियों की गई ? जानकारी दें? **(ग)** यदि हाँ तो इस कार्यवाही से अपात्र लोगों द्वारा बनाए गए अंत्योदय राशन कार्ड की पकड़ में आने पर आरोपियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाहियों की जिलावार ब्यौरा दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड हेतु पात्रता के मापदण्ड छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 तथा छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 में निर्धारित है। अंत्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड की पात्रता निर्धारण के लिए पृथक से आदेश जारी नहीं किये गये है। **(ख)** जिला दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ एवं बिलासपुर में अंत्योदय राशनकार्ड हेतु निर्धारित पात्रता एवं मापदण्ड अनुसार अंत्योदय राशनकार्ड जारी किये जा रहे है। जिला दुर्ग में अपात्र अंत्योदय राशनकार्ड की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच कार्यवाही की गयी है। **(ग)** जिला दुर्ग में अपात्र अंत्योदय राशनकार्ड की शिकायत की जांच में 12 अंत्योदय राशनकार्ड अपात्र व्यक्तियों को जारी पाए जाने पर अंत्योदय राशनकार्ड निरस्त किया गया है।

वरिष्ठता क्रम में प्रभार देने सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

20. (क्र. 831) श्री बालेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** किन-किन जिलों में सहायक खाद्य अधिकारियों की प्रभारी खाद्य अधिकारी के रूप में पदस्थापना की गई है? अथवा प्रभार सौंपा गया है? क्या इन जिलों में सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी निर्देश क्रमांक 9-2/2011/1-3 रायपुर दिनांक 04 अगस्त 2011 के विपरीत, राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में ऊपर के अधिकारियों को बाईपास कर, कनिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारियों को खाद्य अधिकारी/नियंत्रक के पद का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ तो ऐसा करने का प्रशासकीय कारण क्या है? **(ख)** क्या वरिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारियों को उक्त जिलों में प्रभार देकर पदस्थापना करने की कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** एवं **(ख)** सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी खाद्य अधिकारी के रूप में जिला जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, कांकेर, बलौदाबाजार- भाटापारा, मोहला-मानपुर-चौकी, सुकमा, सरगुजा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सारंगढ़ – बिलाईगढ़, बेमेतरा, कोंडागांव, मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर तथा नारायणपुर में पदस्थापना अथवा प्रभार प्रशासकीय आधार पर सौंपा गया है। जी हाँ, खाद्य अधिकारियों/वरिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारियों की जिलों में पदस्थापना कर प्रभार देने के इन निर्देशों का पालन यथाशीघ्र किया जाएगा।

बिलासपुर जिले में निराश्रित निधि के तहत प्राप्त राशि

[समाज कल्याण]

21. (क्र. 860) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलासपुर जिले में वर्ष 2020 से 2024 तक निराश्रित निधि अंतर्गत कितनी राशि की प्राप्ति हुई है? वर्षवार जानकारी दे ? **(ख)** उक्त प्राप्त निराश्रित निधि का प्रयोग किस-किस कार्य के लिए किया गया है? कार्य स्थान राशि एवं वर्ष की जानकारी क्या है ? **(ग)** क्या निराश्रित निधि के उपयोग के लिये समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी स्वतंत्र हैं? अगर नहीं तो उक्त निराश्रित निधि के कार्य हेतु अनुमति प्रदानकर्ता अधिकारी कौन है? अनुमतिकर्ता अधिकारी से कौन-कौन से कार्य के लिये कब-कब अनुमति ली गयी है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) बिलासपुर जिले में वर्ष 2020 से 2024 तक जिला निराश्रित निधि अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि
1.	2020-21	1,66,70,793/-
2.	2021-22	2,37,69,123/-
3.	2022-23	1,11,78,411/-
4.	2023-24	38,70,498/-
योग		5,54,88,825/-

(ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। प्रतिवर्ष राशि रुपये 25 लाख तक सीमा में कलेक्टर, राशि रुपये 50 लाख की सीमा में संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय एवं राशि रुपये 50 लाख से अधिक के लिए स्वीकृति प्राधिकारी, समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अनुमति प्रदानकर्ता अधिकारी है। अनुमतिकर्ता अधिकारी से **संलग्न प्रपत्र** के स्तम्भ 6 में उल्लेखित तिथि अनुसार अनुमति ली गयी थी।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचास " \]](#)

आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण एवं रिक्त पदों की पूर्ति

[महिला एवं बाल विकास]

22. (क्र. 865) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में आँगनबाड़ी एवं मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी है? इनमें से कितने के पास स्वयं का भवन है एवं कितने निजी या किराये के भवनों में संचालित हैं? जिलेवार बतावें? **(ख)** कण्डिका 'क' के भवनविहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए नवीन भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ख)** कण्डिका 'क' के आँगनबाड़ी केन्द्रों में कितने आँगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका कार्यरत हैं एवं इनके कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** उपलब्ध संसाधन के आधार पर प्रतिवर्ष आँगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति दी जा रही है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की भर्ती नियमित प्रक्रिया है। भर्ती की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इन्व्यावन" \]](#)

दिव्यांगजनों हेतु संचालित योजनाएं

[समाज कल्याण]

23. (क्र. 866) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र संजारी-बालोद में पंजीकृत महिला एवं पुरुष दिव्यांगजनों की संख्या कितनी है? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? जानकारी देवें? **(ग)** वर्ष 2023-24 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र की कितनी महिला एवं पुरुष दिव्यांगजनों को कण्डिका 'ख' में संचालित किन-किन योजनाओं का लाभ दिया गया है? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र संजारी-बालोद के

विकासखण्ड बालोद में पंजीकृत 577 महिला एवं 733 पुरुष तथा विकासखण्ड गुरूर में 607 महिला एवं 702 पुरुष दिव्यांगजन हैं। **(ख)** समाज कल्याण विभाग द्वारा पंजीकृत दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना, सामर्थ्य विकास योजना, दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांगजन छात्रगृह योजना, शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना, उत्थान सॉल्यूशंस योजना, कुष्ठ कल्याण योजना, तीरथ बरत योजना, घरौंदा योजना, हॉफ-वे-होम, अपराजिता, मोटराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय योजना संचालित की जा रही है। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बावन" \]](#)

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत पी.डी.एस. भवन का निर्माण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

24. (क्र. 890) श्री रामकुमार टोप्यो : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कितनी दुकानें संचालित हैं ? विकासखंडवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** कंडिका (क) अनुसार कितनी ग्राम पंचायतों में स्वयं का पी.डी.एस. भवन न होकर किसी अन्य घरों में या व्यवस्था के तहत राशन वितरण किया जा रहा है? **(ग)** जिन ग्राम पंचायतों में पी.डी.एस. भवन नहीं है वहां कब तक बनाया जा सकेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 158 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। विकासखण्डवार/ग्राम पंचायतवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के उचित मूल्य दुकानों में से 60 उचित मूल्य दुकान में स्वयं के दुकान सह गोदाम नहीं होने के कारण अन्य शासकीय भवनों में अथवा निजी/किराये के भवन में संचालित है। **(ग)** जिन ग्राम पंचायतों में दुकान सह गोदाम नहीं है, वहां विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने पर दुकान सह गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

जिला जांजगीर-चाम्पा के आंगनबाड़ी केन्द्रों के रखरखाव में व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

25. (क्र. 900) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में स्थापित कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन पर एवं कितने किराए अथवा अन्य स्थानों पर संचालित हैं ? किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रति माह किराए के रूप में कितने रू. प्रदाय किए जाते हैं ? **(ख)** स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्रों के रख-रखाव, मरम्मत एवं रंगाई-पोताई में वर्ष 2023-24, 2024-25 में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? उक्त कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी किसे बनाया गया था? कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन-किन फर्म/एजेंसियों को किया गया ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में पूछी गई अवधि में अनियमितता के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में स्थापित 960 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन पर एवं 297 किराए अथवा 111 अन्य स्थानों पर संचालित हैं। किराए के भवन

में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रति माह किराए के रूप में शहरी क्षेत्र के लिए राशि रूपये 6000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए राशि रूपये 2000/- निर्धारित है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अवधि में अनियमितता के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में की गई अनियमितता पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

26. (क्र. 901) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य की दुकानों का 01 जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक स्टॉक सत्यापन कब-कब किया गया? किन-किन दुकानों में सामग्रियां की कितनी-कितनी मात्रा में कमी पाई गई? उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य दुकानों का स्टॉक सत्यापन प्रश्नांकित अवधि में 06 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक किया गया। स्टॉक सत्यापन में 04 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न में कमी पायी गयी। उपरोक्त उचित मूल्य दुकानों में कम पायी गयी खाद्यान्न की मात्रा एवं की गयी कार्यवाही की प्रकरणवार, विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

प्रदेश में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

27. (क्र. 902) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में धान खरीदी वर्ष 2024-25 में धान बेचने हेतु कुल कितने किसान एवं क्षेत्रफल का पंजीयन हुआ है? कुल कितने पंजीकृत किसानों द्वारा कितनी मात्रा में धान बेचा गया है ? **(ख)** निर्धारित अवधि तक कुल कितने पंजीकृत किसानों की धान खरीदी किन कारणों से नहीं हुई है ? जिलेवार जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** राज्य में धान खरीदी वर्ष 2024-25 में धान बेचने हेतु कुल 27,79,098 किसान द्वारा 33,89,982.98 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पंजीयन कराया गया था। कुल पंजीकृत किसानों में से 25,49,592 किसानों के द्वारा 149.24 लाख मे. टन धान बेचा गया है। **(ख)** निर्धारित अवधि तक 2,29,506 पंजीकृत कृषको के द्वारा धान विक्रय हेतु उपार्जन केन्द्रों में नहीं लाने के कारण धान खरीदी नहीं किया गया है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

28. (क्र. 962) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खैरागढ़ विधानसभा अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान खरीदी की गई? विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी

देवें? **(ख)** उपार्जित धान कितने राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए दिया गया? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ग)** कस्टम मिलिंग में मिलर्स को प्रदाय धान के विरुद्ध में (अनुपात में) कितना चावल राईस मिलर्स ने जमा कराया? दिसम्बर, 2024 की स्थिति में राईस मिलर्स से कितना चावल लेना शेष है? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** खैरागढ़ विधानसभा अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	विकासखंड	धान खरीदी की वर्षवार जानकारी			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	खैरागढ़	73183.64	80291.84	114300.08	118758.12
2	छुईखदान	108494.92	119590.68	162284.52	172418.36
	योग	181678.56	199882.52	276584.60	291176.48

(ख) उपार्जित धान को राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	विकासखंड का नाम जहां का धान उठाया गया है	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
		मिल संख्या	मिल संख्या	मिल संख्या	मिल संख्या
1	खैरागढ़	172	260	350	32
2	छुईखदान	181	297	328	26

(ग) कस्टम मिलिंग में मिलर्स को प्रदाय धान के विरुद्ध जमा चावल एवं दिसम्बर, 2024 की स्थिति में राईस मिलर्स से जमा हेतु शेष चावल की विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में चावल जमा का कार्य प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन" \]](#)

दुर्ग संभाग में कुपोषण की स्थिति

[महिला एवं बाल विकास]

29. (क्र. 964) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दुर्ग संभागान्तर्गत जिलों के विकासखण्डों में कुपोषण की स्थिति क्या है ? संख्यात्मक जानकारी देवें? **(ख)** क्या विभाग के द्वारा जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगाँव, मोहला-मानपुर-चौकी बेमेतरा,कवर्धा क्षेत्र में कुपोषण होने के कारणों को चिन्हित किया गया है ? यदि हां तो वे क्या-क्या है? **(ग)** इन चिन्हित कारणों तथा साथ ही कुपोषण की स्थिति को कम करने के लिये विभाग के द्वारा क्या- क्या प्रयास किये जा रहे हैं तथा आगे की कार्ययोजना क्या है ? कृपया बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :**(क)** उम्र के अनुसार वजन की स्थिति में विकासखण्डवार संख्यात्मक **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगाँव, मोहला-मानपुर-चौकी, बेमेतरा, कवर्धा क्षेत्र में बच्चों में कुपोषण के चिन्हांकन में संभावित कारण निम्नानुसार पाये गये हैं -

- अशिक्षा और जागरूकता की कमी
- अशुद्ध और असंतुलित आहार

- गंभीर रोग
- गरीबी और आर्थिक कठिनाइयाँ
- मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की कमी
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट

(ग) कुपोषण की रोकथाम के लिये शासन द्वारा किये जा रहे प्रयास निम्नानुसार हैं - कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं तथा संबंधित विभागीय योजनाओं के माध्यम से विविध प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें पूरक पोषण आहार का प्रदाय, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, सामुदायिक जनजागरण से संबंधित गतिविधियों का आयोजन, सुपोषण चौपाल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आगमेन्ट टीएचआर का वितरण, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन एवं जिला स्तर पर स्थानीय प्रयास प्रमुख हैं। कुपोषण में कमी लाने हेतु निरंतर प्रयास जारी है अतः नवीन योजना प्रारंभ करने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन" \]](#)

जिला रायगढ़ में निःशक्त दिव्यांग जन हेतु संचालित योजनाएं

[समाज कल्याण]

30. (क्र. 1000) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ जिला में कुल कितने निःशक्त दिव्यांग जन हैं? विकासखंडवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? **(ख)** निःशक्त दिव्यांगजनों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? संचालित योजनाओं के लिए पात्रता सहित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** रायगढ़ जिला में जनगणना 2011 अनुसार कुल दिव्यांगजनों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	दिव्यांगजनों की संख्या
1	2	3
1	घरघोड़ा	1244
2	खरसिया	3227
3	लैलूंगा	2829
4	पुसौर	4080
5	रायगढ़	5190
6	तमनार	1761
7	धरमजयगढ़	4088
	योग	22419

(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ" \]](#)

महतारी वंदन योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही

[महिला एवं बाल विकास]

31. (क्र. 1002) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में महतारी वंदन योजना अंतर्गत कितने पात्र हितग्राही हैं? पात्र हितग्राहियों में

कितने पेंशनधारी हैं? कितने गैर पेंशनधारी हितग्राही हैं? जिलावार जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) महतारी वंदन योजना की राशि तथा पेंशन राशि कितनी-कितनी रहती है? (ग) जनवरी, 2025 की स्थिति में कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में महतारी वंदन योजना अंतर्गत माह फरवरी 2025 की स्थिति में कुल 69,63,621 पात्र हितग्राही है। पोर्टल पर दर्ज जानकारी के अनुसार पात्र हितग्राहियों में से 9,00,633 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे है तथा 60,62,988 हितग्राही ऐसे है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं होती है। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) महतारी वंदन योजना अंतर्गत सहायता राशि रू. 1000/- मासिक निर्धारित है तथा महिलाएं, जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं में प्रतिमाह रू. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, ऐसी पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, जिससे उन्हें कुल रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त हो सके। समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पेंशन की राशि क्रमशः रू. 500/- एवं रू. 650/- है। (ग) वर्तमान में जनवरी 2025 की स्थिति में कुल राशि रू. 7170.11 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

विभाग के द्वारा संचालित जनकल्याणकारी, हितग्राहीमूलक योजनाएं/कार्यक्रम

[समाज कल्याण]

32. (क्र. 1006) श्री बघेल लखेश्वर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में विभाग के द्वारा संचालित जनकल्याणकारी, हितग्राहीमूलक योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त आबंटन, व्यय एवं सामग्रियों के संबंध में जानकारी देवें ? **(ख)** इन योजनाओं में कितने हितग्राही लाभान्वित हुये ? जिलेवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में विभाग के द्वारा संचालित जनकल्याणकारी, हितग्राहीमूलक योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्राप्त आबंटन, व्यय एवं सामग्रियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	(राशि लाख में)		सामग्री
		आबंटन	व्यय	
1.	बस्तर	4006.138	3403.282	व्हील चेयर, बैसाखी, सामान्य ट्राईसायकल, वाकर, श्रवण यंत्र, छड़ी, वाकलिंग स्टीक, एम.आर.कीट, रोलेटर, स्मार्ट फोन, ब्रेल किट
2.	दंतेवाड़ा	1566.31	1391.254	
3.	कांकेर	3551.49	2764.795	
4.	बीजापुर	881.10	629.45	
5.	नारायणपुर	881.96	703.95	
6.	कोण्डागांव	3048.15	2638.66	
7.	सुकमा	1604.50	1376.39	

(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कुपोषण की स्थिति

[महिला एवं बाल विकास]

33. (क्र. 1007) श्री बघेल लखेश्वर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में दिसंबर, 2024 की स्थिति में एवं जनवरी, 2025 कुपोषण की स्थिति बतावें ? **(ख)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वर्ष 2022 से जनवरी, 2025 तक कुपोषण से बचाव के लिए किये गये कार्यों, के लिए स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि वर्षवार बतावें ? **(ग)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कुपोषण से बचाव के लिए वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्रावधानित, आबंटित एवं व्यय की गई राशि बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" \]](#)

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के खाद्यान्न गोदाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

34. (क्र. 1009) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के कितने गांवों में खाद्यान्न गोदाम हैं? क्या खाद्यान्न गोदाम स्वयं के भवन में संचालित हैं ? यदि नहीं तो कहां-कहां पर किस भवन में संचालित हैं? क्या सभी भवन मानक अनुसार पर्याप्त हैं ? कितने जर्जर स्थिति में हैं ? जर्जर गोदामों के जीर्णोद्धार अथवा नये गोदाम के निर्माण हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी ? समयावधि बतावें? **(ख)** खाद्यान्न गोदाम केन्द्र हेतु आबंटन कहां से मिलता है ? विधानसभा क्षेत्र मुंगेली अंतर्गत खाद्य विभाग में कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं? पदवार विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार विधानसभा मुंगेली में एफ.एसी.आई., नागरिक आपूर्ति निगम एवं राज्य भंडार गृह के कितनी क्षमता के कुल कितने गोदाम हैं?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में 63 उचित मूल्य दुकान में स्वयं के दुकान सह गोदाम है। 80 उचित मूल्य दुकान अन्य शासकीय भवन तथा 24 उचित मूल्य दुकान किराये के भवन में संचालित है। भवनविहीन उचित मूल्य दुकान की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। अन्य शासकीय भवन तथा किराये के भवन में संचालित उचित मूल्य दुकान मानक स्तर अनुसार पर्याप्त नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में जर्जर उचित मूल्य दुकान नहीं है। नवीन दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था के उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ख)** उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु विभागीय बजट में राशि प्राप्त होती है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में खाद्य विभाग के 03 अधिकारी श्री हुलेश कुमार डडसेना, खाद्य अधिकारी, सुश्री ज्योति मिश्रा, सहायक खाद्य अधिकारी एवं श्री दलेश्वर साहू, खाद्य निरीक्षक पदस्थ है। **(ग)** मुंगेली विधानसभा में भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के स्वयं के गोदाम नहीं है। राज्य भण्डार गृह निगम के 60,784 मेट्रिक टन क्षमता के कुल 31 गोदाम है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ" \]](#)

विधानसभा क्षेत्र धरसीवा में राशन कार्ड के लंबित प्रकरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

35. (क्र. 1010) श्री अनुज शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2025 तक नवीन राशन कार्ड निर्माण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं?प्राप्त आवेदनों में कितनों का निराकरण कर लिया गया है तथा

कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा? विकासखंड एवं राशन कार्ड के प्रकार अनुसार जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीन राशनकार्ड बनाने हेतु 5,640 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर 5,640 नवीन राशनकार्ड जारी किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनवरी 2025 तक नवीन राशनकार्ड बनाने हेतु 6,477 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर 6,477 नवीन राशनकार्ड जारी किये गये हैं। नवीन राशनकार्ड जारी करने हेतु आवेदन लंबित नहीं है। विकासखण्ड एवं राशनकार्ड के प्रकार अनुसार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदत्त सामग्री

[महिला एवं बाल विकास]

36. (क्र. 1011) श्री अनुज शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक क्षेत्र के कुल कितने जोड़ों की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत शादी करायी गई है? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार शादी में शासन की ओर से क्या-क्या सामग्री एवं राशि दी गई है? इस कार्यक्रम में कौन-कौन से वेंडरों से टेन्ट एवं खाने की व्यवस्था की गई? उनको प्रत्येक कार्यक्रम में कितनी राशि प्रदान की गई है? **(ग)** प्रश्नांक "ख" अनुसार क्या कार्यक्रम में सामग्रियों के वितरण एवं व्यवस्था के संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस-किस तरह की तथा क्या कार्यवाही की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक क्षेत्र के कुल 499 जोड़ों की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत शादी करायी गई है। **(ख)** सामूहिक विवाह उपरान्त जोड़ों को प्रदायित सामग्री एवं राशि का **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" अनुसार है।** इस कार्यक्रम हेतु टेन्ट एवं खाने की व्यय करने वाले वेंडरों का नाम एवं उनको भुगतान राशि की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग)** नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ"]

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के जिलों में सामग्री क्रय

[महिला एवं बाल विकास]

37. (क्र. 1012) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सरायपाली वि.स. क्षेत्र के जिलों में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2025 तक सामग्री क्रय हेतु किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि से किस-किस प्रकार की सामग्रियों का क्रय किस दर पर किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** सामग्री क्रय हेतु क्या मापदंड है ? क्या नियम विरुद्ध खरीदी की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ? विकासखंडवार जानकारी बताएं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित) के अनुसार क्रय की कार्यवाही की गई है। क्रय के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ"]**

धान खरीदी केन्द्रों में कुल धान खरीदी एवं उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

38. (क्र. 1013) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) महासमुंद जिले में वर्ष 2024-25 में जनवरी, 2025 तक कुल कितनी धान खरीदी हुई है? धान खरीदी के एवज में कितने किसानों को जनवरी, 2025 तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ? खरीदे गए खुले कितने धान का उठाव अब तक किया गया है ? क्या धान के उठाव में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं? यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है ? (ख) इस वर्ष किन-किन धान खरीदी केन्द्रों में गड़बड़ी और अनियमितता की शिकायत पाई गई है ? उपरोक्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2024-25 में जनवरी, 2025 तक कुल 11.04 लाख मे.टन धान की खरीदी की गई है। 31 जनवरी, 2025 तक महासमुंद जिले के 1.37 लाख किसानों को राशि 2292.07 करोड़ रुपये भुगतान किया गया है। जिले में खरीदे गए धान में से दिनांक 20.02.2025 की स्थिति में कुल 8.03 लाख मे.टन धान का उठाव किया गया है। जी नहीं, धान उठाव में गड़बड़ी के मामले प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (ख) इस वर्ष धान खरीदी केन्द्रों में गड़बड़ी एवं अनियमितता की शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

जांजगीर चांपा व सक्ती जिले में आंगनबाड़ी भवनों की रंगाई-पुताई हेतु प्रदत्त राशि

[महिला एवं बाल विकास]

39. (क्र. 1014) श्री बालेश्वर साह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन हैं? प्रत्येक भवन में रंगाई - पुताई करने हेतु शासन की ओर से कितनी राशि प्रदान की जाती है? (ख) वित्तीय वर्ष 2022 - 23 से जनवरी, 2025 तक कितने आंगनबाड़ी भवनों की रंगाई - पुताई की गई है? क्या रंगाई एवं पुताई के लिए निविदा एवं कोटेशन आमंत्रित की गई थी? नहीं तो क्यों? आंगनबाड़ी भवनों की संख्या, स्थान का नाम, व्यय राशि, भुगतान किए गए फर्म के नाम की जानकारी दें? (ग) क्या वित्तीय नियमों को दरकिनार करते हुए, आंगनबाड़ी भवन की रंगाई एवं पुताई का पैसा पर्यवेक्षकों के खाते में बिना कार्य पूर्ण किए बगैर स्थानांतरित किया गया है? यदि, हाँ तो क्यों जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला जांजगीर चांपा व सक्ती में कुल 1612 केन्द्र के लिए स्वयं का भवन है। आंगनबाड़ी भवनों के अनुरक्षण के लिए भारत शासन द्वारा प्रति केन्द्र 3000 रूपये निर्धारित है। (ख) प्रश्नांश अवधि में जांजगीर जिले में 580 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा सक्ती जिले में 265 आंगनबाड़ी केन्द्र इस प्रकार कुल 845 आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनुरक्षण का कार्य कराया गया है जिस पर 2533310 रूपये व्यय किया गया है। यह कार्य सीमित निविदा पद्धति से कराये गये। इस कार्य के लिए मेसर्स महादेव इंटरप्राइजेस चांपा को राशि का भुगतान किया गया है। (ग) जी नहीं। वित्तीय नियमों का पालन किया गया है। संबंधित फर्म को राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाईन किया गया है। पर्यवेक्षकों को राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र

[महिला एवं बाल विकास]

40. (क्र. 1020) श्री सुशांत शुक्ला : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बेलतरा विधानसभा अंतर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? इन केन्द्रों में कितने भवनविहीन, कितने मरम्मत योग्य, कितने जर्जर हैं तथा कितने किराये के भवन में संचालित हैं ? केंद्रों के नाम सहित विकासखंडवार जानकारी दे? **(ख)** प्रश्नांश "क" के कितने जर्जर/मरम्मत योग्य भवनों में केन्द्र संचालित हैं? इन भवनों में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो इस पर क्या-क्या उपाय सुनिश्चित किये गये हैं ? **(ग)** प्रश्नांश "क" के जर्जर भवनों को डिसमेंटल कर कब तक नवीन भवन बना लिया जावेगा तथा मरम्मत योग्य भवनों की रिपेयरिंग कब तक की जावेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** बेलतरा विधानसभा अंतर्गत कुल 303 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में से 85 भवनविहीन, 130 मरम्मत योग्य, 23 जर्जर हैं तथा 64 किराये के भवन में संचालित हैं। केंद्रों के नाम सहित **विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" के 23 जर्जर भवनों में केन्द्र का संचालन नहीं किया जा रहा है। लघु मरम्मत वाले 130 भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मरम्मत कार्य स्वीकृति के प्रयास किये जा रहे हैं। **(ग)** प्रश्नांश "क" के जर्जर भवनों को डिसमेंटल करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन भवन एवं मरम्मत हेतु निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अडसठ" \]](#)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में

[महिला एवं बाल विकास]

41. (क्र. 1021) श्री सुशांत शुक्ला : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की सेवा नियम/शर्तें क्या हैं ? उनके वेतन/ मानदेय के निर्धारण का मापदंड क्या है? वर्तमान में उन्हें कितनी मासिक राशि प्रदान की जाती है? राज्यांश तथा केंद्रांश सहित बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** पोषण ट्रेकर के अनुसार दिनांक 31.01.2025 की स्थिति में प्रदेश में कुल 51860 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 49877 आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत है। जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मानसेवी पद है अतः इनकी सेवा शर्तें नहीं बनाई गई है तथा उनकी नियुक्ति शासन द्वारा जारी नियुक्ति निर्देश क्रमांक 728/1098/2008/मबावि/50 दिनांक 02.04.2008 द्वारा की जाती है। नियुक्ति निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** उनके वेतन/मानदेय के निर्धारण भारत सरकार द्वारा भारत सरकार एवं राज्य शासन के 60:40 के अनुपात में किया गया है। तथापि राज्य शासन द्वारा राज्य की ओर से अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाता है, विवरण निम्नानुसार है-

	केंद्रांश राशि (आईसीडीएस प्रावधान अनुसार)	राज्यांश राशि (आईसीडीएस प्रावधान अनुसार)	राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त मानदेय	कुल मानदेय
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	2700/-	1800/-	5500/-	10,000/-
आंगनबाड़ी सहायिका	1350/-	900/-	2750/-	5000/-

धान के अवैध भण्डारण एवं परिवहन पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

42. (क्र. 1070) श्री धर्मजीत सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिसंबर, 2023 से जनवरी, 2025 तक धान के अवैध भण्डारण एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? विवरण दें? **(ख)** कंडिका "क" प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** अन्य राज्यों से अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में धान परिवहन कर बेचने वाले को रोकने के लिए शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं? विवरण दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** दिसंबर 2023 से जनवरी 2025 तक धान के अवैध भण्डारण एवं परिवहन के 2132 प्रकरण दर्ज किए गये है। **(ख)** कंडिका 'क' में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के तहत कार्यवाही की गयी है। **(ग)** अन्य राज्यों से अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में धान परिवहन कर बेचने वालों को रोकने हेतु अंतर्राज्य चेकपोस्ट बनाया गया है साथ ही राज्य स्तर एवं जिले स्तर पर संयुक्त जांच दल गठित किया गया है।

जिला बिलासपुर में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के दर्ज प्रकरण

[समाज कल्याण]

43. (क्र. 1071) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विगत 02 वर्षों में बिलासपुर जिला अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के कुल कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? विकासखण्डवार एवं वर्षवार विवरण दें? **(ख)** कंडिका "क" के योजनांतर्गत कितने प्रकरण स्वीकृत, अस्वीकृत एवं लंबित हैं एवं लंबित प्रकरणों को कब तक स्वीकृत कर लिया जाएगा ? विवरण दें? **(ग)** विगत 02 वर्षों में कंडिका "क" की योजना के तहत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? वर्षवार विवरण दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विगत दो वर्षों में बिलासपुर जिला अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के कुल दर्ज प्रकरणों की विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	दर्ज प्रकरणों की संख्या	
		2022-23	2023-24
1.	बिल्हा	260	259
2.	तखतपुर	44	29
3.	कोटा	290	437
4.	मस्तुरी	91	86
योग		685	811

(ख) बिलासपुर जिला अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में 1,415 स्वीकृत, 81 अस्वीकृत किये गये है, कोई भी प्रकरण लंबित नहीं हैं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** विगत 2 वर्षों में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के लाभान्वित हितग्राही की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	
	2022-23	2023-24
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	30	24

जिला बिलासपुर अंतर्गत ट्राईसिकल बैटरी चलित / सामान्य ट्राईसिकल के पात्र हितग्राही

[समाज कल्याण]

44. (क्र. 1072) श्री दिलीप लहरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बिलासपुर अंतर्गत कितने पात्र विकलांग हितग्राही हैं? विगत 03 वर्षों में जनवरी, 2025 तक कितने आवेदकों से ट्राईसिकल बैटरी चलित/सामान्य ट्राईसिकल के लिए मांग/आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं कितने हितग्राहियों को कब-कब ट्राईसिकल बैटरी चलित / सामान्य ट्राईसिकल उपलब्ध करायी गयी है? विकासखंड वार जानकारी देवें? **(ख)** जिला बिलासपुर अंतर्गत श्रवणबाधित हितग्राहियों की विकासखंडवार एवं ग्रामवार संख्या की जानकारी प्रदान करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला बिलासपुर अंतर्गत 19,744 पात्र दिव्यांग हितग्राही हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ख)** जिला बिलासपुर अंतर्गत श्रवण बाधित हितग्राहियों की विकासखंडवार एवं ग्रामवार संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में हानि

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

45. (क्र. 1076) डॉ. चरण दास महंत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु कितनी-कितनी राशि के दावे प्रस्तुत किये गये ? क्या इन दावों में धान संग्रहण केन्द्रों पर हुई शार्टेज की राशि भी सम्मिलित है ? **(ख)** कितनी-कितनी राशि स्वीकृत और भुगतान की गई ? कितनी राशि के दावे लंबित हैं तथा कितना भुगतान शेष है? वर्षवार बताएं? **(ग)** उपरोक्त वर्षों में धान उपार्जन की वह मात्रा कितनी-कितनी है जिसके मूल्य का भुगतान किसानों को किया गया तथा वह मात्रा कितनी-कितनी है जो उपार्जन केन्द्रों पर हुई शार्टेज को कम करके अंतिम रूप से मान्य किया गया है ? वर्षवार बताएं? **(घ)** क्या धान उपार्जन केन्द्रों तथा संग्रहण केन्द्रों पर शार्टेज मान्य किया जाता है ? यदि हां, तो किस दर से तथा केंद्र सरकार किस दर से सूखत के कारण शार्टेज मान्य करती है? इसका लाभ किसे दिया जाता है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा हानि प्रतिपूर्ति हेतु 8380.08 करोड़ राशि के प्रावधिक दावे राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं। जी हाँ, इन दावों में विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों पर हुई शार्टेज की राशि भी सम्मिलित है।**(ख)** खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक वर्षवार स्वीकृत राशि, भुगतान राशि, लंबित दावे राशि तथा भुगतान शेष राशि की जानकारी निम्नानुसार है-

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रस्तुत प्रावधिक दावे की राशि	स्वीकृत/भुगतान की गई राशि	लंबित भुगतान की राशि
2020-21	2323.88	326.32	1997.56
2021-22	2891.19	1422.07	1469.12
2022-23	3165.01	1561.52	1603.49

(ग) खरीफ विपणन 2020-21 से 2022-23 तक धान उपार्जन की वह मात्रा, जिसके मूल्य का भुगतान किसानों को किया गया तथा उपार्जन केन्द्रों पर हुई शार्टेज को कम कर के शेष मात्रा की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

खरीफ विपणन वर्ष	धान उपार्जन की वह मात्रा, जिसके मूल्य का भुगतान किसानों को किया गया (मे.टन में)	समिति में शार्टेज को कम कर के शेष मात्रा (मे.टन में)
2020-21	9202392.24	9025818.97
2021-22	9799367.24	9794384.86
2022-23	10753576.66	10753005.19

(घ) धान उपार्जन केन्द्रों में किसी प्रकार का शार्टेज मान्य नहीं है। संग्रहण केन्द्रों पर ड्रायज (सूखत) मान्य है। केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य का 1 प्रतिशत तथा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए समर्थन मूल्य का 0.5 प्रतिशत ड्रायज (सूखत) मान्य किया गया है।

धान खरीदी के लिए जूट बारदाने का वजन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

46. (क्र. 1077) डॉ. चरण दास महंत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले जूट के नये बारदानों की गुणवत्ता के संबंध में क्या मापदण्ड हैं? उसकी प्रति भी उपलब्ध कराएं? (ख) अधिकतम नमी सहित तथा न्यूनतम नमी सहित नये जूट बारदाने (मानक) का औसत वजन कितना-कितना होना चाहिए ? क्या इस न्यूनतम वजन से कम या अधिकतम वजन से अधिक होने पर बारदाना अमानक की श्रेणी में आता है? (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए कितने नये जूट बारदाने क्रय किये गये थे? इनमें से कितने अमानक पाए गए? कारणों सहित बताएं? गुणवत्ता परीक्षण/जांच हेतु क्या-क्या व्यवस्था किस-किस स्तर पर की गई थी ? कितने परीक्षण/जांच किस-किस स्तर पर किये गये और परिणाम क्या रहे? (घ) क्या उपार्जन केन्द्रों पर मानक सीमा से कम या अधिक वजन के बारदाने पाए गए? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कितने-कितने?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले जूट के नये बारदानों की गुणवत्ता के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्य मापदंड निम्नानुसार है:-

1. बारदाने का आकार:- लंबाई 94 से.मी. एवं चौड़ाई 57 से.मी. (+4-0 से.मी.) । 2. बारदाने का वजन:- एक नग बारदाने का औसत वजन 580 ग्राम (+8% अर्थात 626 ग्राम से - 6% अर्थात 545 ग्राम)। 3. बारदाने में नमी प्रतिशत:- अधिकतम 22 प्रतिशत। जिसकी प्रतिपुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है ।(ख) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जूट बारदाने के संबंध में जारी मापदण्ड अनुसार अधिकतम नमी के साथ जूट बारदाना का औसत वजन 580 ग्राम +8% = 626 ग्राम से 580 ग्राम - 6% = 545 ग्राम के मध्य होना चाहिये। जी हाँ (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए कुल 4.32 लाख गठान नये जूट बारदाने क्रय किये गये है। दिनांक 20.02.2025 की स्थिति में जिला एवं समिति स्तर पर कुल 617 गठान नये जूट बारदाने अमानक पाये गये है। अमानक बारदानो की मात्रा एवं अमानक होने का कारण सहित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अमानक बारदाने की मात्रा गठान में	कारण
1	159	फंगसयुक्त
2	238	एसिडयुक्त
3	18	डैमेज
4	47	अन्यमार्का
5	155	गीला, फंगस, एसिडयुक्त
योग	617	

नये जूट बारदाने की गुणवत्ता परीक्षण/जांच दो स्तर पर किया जाता है:-1.जूट मिल में प्रथम चरण की गुणवत्ता परीक्षण/जांच जूट कमिश्नर की एजेंसी द्वारा किया जाता है। 2 द्वितीय चरण की गुणवत्ता परीक्षण/जांच जिलो के गोदामों में बारदाने प्राप्त होने के पश्चात् जिलास्तरीय समिति के द्वारा की जाती है। जूट मिलो द्वारा बारदाना उत्पादन के पश्चात् जूट कमिश्नर कोलकाता की एजेंसी के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारिक मानको के अनुरूप बारदानों की प्रथम चरण पर गुणवत्ता परीक्षण/जांच के पश्चात् ही बारदाना राज्य को भेजा जाता है। गुणवत्ता परीक्षण/जांच की जिला स्तरीय समिति द्वारा 44394 गठान बारदाने सैम्पल जांच में 617 गठान अमानक पाया गया है। (घ) जी नहीं।शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में उपभोक्ता के न्यायालयीन प्रकरणों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

47. (क्र. 1082) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2025 की अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या जिलावार बतायें? (ख) प्रश्नांश 'क' के मामलों में की गई कार्यवाही की जानकारी जिलावार, बतायें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश के राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 906 तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में 2407 प्रकरण दर्ज हुए है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" में दर्ज प्रकरणों में से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 384 तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 389 प्रकरण निराकृत किये गये है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएं

[समाज कल्याण]

48. (क्र. 1083) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुंद जिले में समाज कल्याण विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी योजनावार , मदवार एवं लाभान्वितों की संख्या बताये? **(ख)** जिला महासमुन्द में विभाग की योजनाओं में 05/02/25 की स्थिति में लंबित आवेदनों की संख्या, योजनावार विकासखंडवार बतायें ? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के लंबित आवेदनों के लंबित रहने का क्या कारण है तथा कब तक निराकृत कर पात्र लोगों को लाभान्वित किया जायेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

चावल उपार्जन का लक्ष्य एवं पूर्ति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

49. (क्र. 1087) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि में राज्य पूल में चावल उपार्जन का लक्ष्य, पूर्ति एवं शेष का विवरण वर्षवार तथा अरवा एवं उसना का पृथक-पृथक बताएं?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि में राज्य पूल में चावल उपार्जन का लक्ष्य, पूर्ति एवं शेष की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्षवार राज्य पूल में चावल उपार्जन की जानकारी										
दिनांक 16.02.2025 की स्थिति में										मात्रा लाख मे.टन में
क्र.	वर्ष	उपार्जन लक्ष्य			पूर्ति			शेष		
		अरवा	उसना	योग	अरवा	उसना	योग	अरवा	उसना	योग
1	2022-23	14.50	0.09	14.59	14.44	0.09	14.52	0.07	0.00	0.07
2	2023-24	15.11	0.06	15.17	14.56	0.06	14.62	0.56	0.00	0.56
3	2024-25	13.16	0.18	13.34	3.90	0.03	3.93	9.26	0.15	9.41

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैटरी चलित ट्राईसिकल/ सामान्य ट्राईसिकल के पात्र हितग्राही [समाज कल्याण]

50. (क्र. 1094) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने पात्र दिव्यांग हितग्राही हैं ? विगत 02 वर्षों से जनवरी, 2025 तक कितने आवेदकों से बैटरी चलित ट्राईसिकल/ सामान्य ट्राईसिकल के लिए मांग /आवेदन प्राप्त हुआ है एवं कितने हितग्राही को कब-कब बैटरी चलित ट्राईसिकल/ सामान्य ट्राईसिकल उपलब्ध करायी गयी है ? **(ख)** क्या विभाग द्वारा दिव्यांगों को व्यवसाय / जीविकोपार्जन हेतु कोई योजना है ? यदि हाँ तो विवरण दें ? **(ग)** ऐसे कितने दिव्यांगजन हैं जिन्हें पूर्व में दिव्यांग पेंशन राशि प्राप्त हो रही थी एवं वर्तमान में बंद है तथा क्यों जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2,026 पात्र दिव्यांग हितग्राही हैं। विगत 02 वर्षों में जनवरी, 2025 तक 115 आवेदकों से बैटरी चलित ट्रायसायकल/सामान्य ट्रायसायकल के लिए मांग/आवेदन प्राप्त हुए हैं। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** जी हाँ। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम रायपुर के माध्यम से आसान ब्याज दर में ऋण उपलब्ध कराए जाने की योजना संचालित है। **(ग)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1069 एवं 2024-25 में 1081 दिव्यांगजनों को पेंशन राशि गतान किया जा रहा है। पेंशन राशि बंद नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाएं [महिला एवं बाल विकास]

51. (क्र. 1095) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी विवाहित महिलाएं हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है और कितनी विवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा क्यों? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार महतारी वंदन योजना के लाभ हेतु क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं? जनवरी, 2025 तक कितनी विवाहित महिलाओं का पंजीयन होना बाकी है? पंजीयन हेतु शेष महिलाओं को योजना में शामिल करने के क्या नियम/योजना बनाये गए हैं ? **(ग)** वर्ष 2024-25 में नवविवाहित महिलाओं का पंजीयन कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में अद्यतन स्थिति में आवेदन करने वाले पात्र 90868 विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है तथा 986 महिलाओं को पात्रता न होने, मृत होने, दो आवेदन होने आदि कारणों से योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार महतारी वंदन योजना के लाभ हेतु पात्रता, अपात्रता की निर्धारित शर्तें **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार हैं**। जनवरी 2025 तक कितनी विवाहित महिलाओं का पंजीयन होना शेष है, यह जानकारी बताया जाना संभव नहीं है। जी, नहीं। ग) वर्ष 2024-25 में नवविवाहित महिलाओं के पंजीयन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर" \]](#)

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड में जिला प्रबंधक के पद पर नियुक्ति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

52. (क्र. 1098) श्री दलेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या प्रश्नावधि तक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड में जिला प्रबंधक का पद सृजित है? यदि हाँ तो उक्त पद पर नियमानुसार किस योग्यता को आधार मानकर पदस्थ किया जाता है? क्या आईटी (इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी) को आधार मानकर जिला प्रबंधक नियुक्त किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत व किन-किन जिलों में किस कर्मचारी/अधिकारी को उक्त पद पर पदस्थ किया गया है? जिलेवार, पदवार, पदस्थापना, योग्यतावार जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश के थर्ड जेंडर समुदाय के सशक्तिकरण हेतु किये कार्य

[समाज कल्याण]

53. (क्र. 1099) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश के थर्ड जेंडर समुदाय के सशक्तिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2025 तक कितना बजट प्रावधानित था ? उक्त प्रावधानित बजट में किन-किन कार्यक्रमों व योजनाओं हेतु कितनी राशि व्यय की गयी है? व्यय की वर्षवार, योजनावार, कार्यक्रम दिनांकवार व किन-किन एजेंसियों को किस कार्य हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया है? जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर" \]](#)

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

54. (क्र. 1103) श्रीमती भावना बोहरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें ? **(ख)** कितने केंद्रों में भवन उपलब्ध हैं एवं कितने भवन किराए में चल रहे हैं? **(ग)** भवनविहीन केंद्रों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 778

आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** 637 केंद्रों में भवन उपलब्ध है एवं 82 केन्द्र किराए में चल रहे हैं। **(ग)** भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति उपलब्ध संसाधनों के आधार पर क्रमिक रूप से की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

55. (क्र. 1104) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? विकासखण्डवार परियोजनावार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका पदस्थ हैं? यदि नहीं तो कितने आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? विकासखण्डवार, परियोजनावार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र खुज्जी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कार्यकर्ता/सहायिका के भरे, रिक्त पदों की विकासखण्डवार, परियोजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** विधानसभा क्षेत्र खुज्जी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कार्यकर्ता/सहायिका के भरे, रिक्त पदों की विकासखण्डवार, परियोजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पदस्थ नहीं है। केवल तीन कार्यकर्ता और एक सहायिका का पद रिक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर"]

हितग्राहियों को ट्राईसिकल बैटरी चलित/सामान्य ट्राईसिकल वितरण

[समाज कल्याण]

56. (क्र. 1105) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों से दिनांक 31.01.2025 तक कितने पात्र हितग्राही द्वारा ट्राईसिकल बैटरी चलित/सामान्य ट्राईसिकल के लिए मांग आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितने हितग्राहियों को कब-कब ट्राईसिकल बैटरी चलित/सामान्य ट्राईसिकल उपलब्ध करायी गई है ? वर्षवार, जनपदवार, जानकारी देवें? **(ख)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रवण बाधित हितग्राहियों की ग्रामवार संख्या की जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों से दिनांक 31.01.2025 तक 131 दिव्यांग हितग्राही बैटरी चलित ट्रायसायकल/सामान्य ट्रायसायकल हेतु पात्र पाए गए। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-‘अ’ अनुसार है।(ख)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रवण बाधित हितग्राहियों की ग्रामवार संख्या की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-‘ब’ अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर"]

अभनपुर वि.स. क्षेत्र में उचित मूल्य की राशन दुकान का संचालन करने वाली समितियां से वसूली

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

57. (क्र. 1111) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की राशन दुकानों में से किन-किन दुकानों में जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 के मध्य भौतिक सत्यापन के दौरान विभाग के ऑनलाइन डाटा तथा दुकान के स्टॉक में अंतर पाया गया है? कृपया ग्रामवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार जिन-जिन राशन दुकानों में इस प्रकार की अंतर पाया गया है वहां वसूली की कितनी राशि संचालनकर्ता समितियों के विरुद्ध तय की गई है? (ग) क्या उक्त अवधि में तकनीकी समस्या के कारण भी विभाग के वेबसाइट के डाटा तथा दुकान के भौतिक सत्यापन में अंतर पाए जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ग) प्रश्नांकित अवधि में तकनीकी समस्या के कारण विभागीय वेबसाइट के डाटा तथा दुकान के भौतिक सत्यापन में अंतर पाए जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर" \]](#)

प्रदेश में कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम में व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

58. (क्र. 1114) श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 में कितना बजट प्रावधान किया गया? क्या इस योजना में केन्द्र सरकार द्वारा भी अनुदान प्राप्त होता है? यदि हां तो इस वित्तीय वर्ष में कितना अनुदान प्राप्त हुआ ? जनवरी, 2025 तक इस योजना में कुल कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार जानकारी दें? (ख) योजना के क्रियान्वयन हेतु कितने कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है? विवरण दें? इस हेतु कितने एन.जी.ओ. को पंजीकृत किया गया है? नाम, पता सहित बतावें? किन-किन एन.जी.ओ.को क्या कार्य दिया गया तथा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) प्रदेश में जनवरी, 2025 की स्थिति में कुपोषण का प्रतिशत क्या है? जिलेवार जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम (योजना शीर्ष7096) वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारंभ किया गया है तथा 82,80,00,000/-का बजट प्रावधान रखा गया है। यह राज्य शासन की योजना है। अतः योजना में केन्द्र सरकार का अंशदान नहीं है। जनवरी2025तक इस योजना में राशि रू.3,45,26,938/-व्यय हुए हैं। जिलेवार व्यय की जानकारी प्रपत्र पर संलग्न है।
(ख) कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम में पूर्व से संचालित तीन योजनाओं/कार्यक्रमों को समाहित किया गया है:-
1.मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना शीर्ष (6359), 2.रेडी टू ईट के लिए प्रयोग शाला की स्थापना/सुदृढीकरण योजना शीर्ष (8985), 3.पोषण आहार योजना (state portion) योजना शीर्ष (9050)इस योजना के क्रियान्वयन में एनजीओ की कोई भूमिका नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश निरंक है।(ग) पोषण ट्रेकर के अनुसार जनवरी 2025 की स्थिति में प्रदेश में उम्र के अनुसार वजन की स्थिति में कुपोषण का प्रतिशत 13.27 पाया गया है। जिलेवार जानकारी प्रपत्र पर संलग्न है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर" \]](#)

वर्ष 2024-25 में चना से वंचित उपभोक्ताओं को चना वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

59. (क्र. 1115) श्री विक्रम मंडावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितनी उचित मूल्य दूकानों से, किस-किस माह में, कितना-कितना चना का वितरण, नहीं किया गया था ? जिलावार बताएं? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? **(ख)** चना वितरण नहीं करने के कारण क्या-क्या थे? क्या वंचित उपभोक्ताओं को बैकलाग चना दिया जाएगा? यदि हां तो कब तक? इसके लिए चना का क्रय किस प्रकार किया जाएगा? चना का क्रय राज्य के किसानों से क्यों नहीं किया जाता है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। चना क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण चने का भण्डारण नहीं हो पाया। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** चना क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने तथा नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों में माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 तथा जनवरी, 2025 के आवंटन अनुसार चना उपलब्ध नहीं होने के कारण उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण एवं वितरण नहीं किया जा सका। जी हां, उपरोक्त माहों के बैकलॉग चना प्रदाय किया जावेगा। माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2024 के बैकलॉग चना का भण्डारण एवं वितरण माह फरवरी एवं मार्च 2025 में किया जा रहा है। चना का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा निविदा के माध्यम से किया गया है। रबी वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर चना का क्रय किया जावेगा।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्यासी" \]](#)

जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जारी राशन कार्ड

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

60. (क्र. 1125) श्री किरण देव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022 से जनवरी, 2025 तक कितने एपीएल राशन कार्डधारियों के राशन कार्ड को बीपीएल में परिवर्तित किया गया है ? परिवर्तित करने का क्या कारण है ? कितने राशन कार्ड किन कारणों से निरस्त किये गये हैं ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिवर्तित किये गये कार्डों के हितग्राहियों से क्या-क्या दस्तावेज/पहचान पत्र लिये गये ? क्या इस हेतु उनसे आवेदन पत्र/शपथ पत्र प्राप्त किया गया था ? **(ग)** क्या उपरोक्त राशन कार्डों के निर्माण/परिवर्तन में किसी प्रकार की अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आयी ? यदि हां तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में एपीएल राशनकार्डधारियों के राशनकार्ड को बीपीएल में परिवर्तित नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांकित अवधि में 1,506 राशनकार्ड निरस्त किये गये हैं। निरस्त करने के कारण सहित विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड में परिवर्तित नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में राशनकार्डों के निर्माण के संबंध में अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी" \]](#)

जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[महिला एवं बाल विकास]

61. (क्र. 1126) श्री किरण देव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2025 तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कितनी परियोजनाएं संचालित हैं ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की परियोजनाओं में कितने पर्यवेक्षक /कार्यकर्ता/मितानिन के पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कार्यरत एवं कितने रिक्त हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? वर्तमान में पर्यवेक्षक/कार्यकर्ता/मितानिन के पदों हेतु कितना-कितना वेतन/मानदेय प्रतिमाह दिया जाता है ? देय वेतन/मानदेय में राज्यांश एवं केन्द्रांश राशि पृथक पृथक बतावें ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का मरम्मत कार्य/नवीन भवन निर्माण हेतु कितनी -कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजनाएं निम्नांकित है:-

क्र.	विकासखण्ड	परियोजना का नाम
1	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण
2		जगदलपुर शहरी
3	दरभा	दरभा (आंशिक)

(ख) प्रश्नांश 'ख' अनुसार विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर में 19 पर्यवेक्षक के तथा 477 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 16 पर्यवेक्षक एवं 477 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है। पर्यवेक्षक के रिक्त पद की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देय मानदेय की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।

- मितानिन के पद की स्वीकृति विभाग द्वारा नहीं दी जाती है। अतः जानकारी निरंक है।
- पर्यवेक्षकों को सातवें वेतनमान के लेबल-6 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

प्रपत्र

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र की जानकारी (वर्तमान स्थिति में)

क्र.	परियोजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम	स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र का नाम	स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र में क्या-क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं
1	2	3	4	5	6	7
1	अभनपुर	अभनपुर	केन्द्री	केन्द्री	केन्द्री-1	टी.वी. फ्रीज, बच्चों के बैठने हेतु चेयर एवं वाल पेंटिंग/चित्रकारी
2	अभनपुर	अभनपुर	केन्द्री	केन्द्री	केन्द्री-2	
3	अभनपुर	अभनपुर	केन्द्री	केन्द्री	केन्द्री-3	
4	अभनपुर	अभनपुर	केन्द्री	केन्द्री	केन्द्री-4	
5	अभनपुर	अभनपुर	केन्द्री	बेन्द्री	बेन्द्री-3	टी.वी., वाल पेंटिंग/चित्रकारी
6	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर	आमनेर	आमनेर-1	
7	अभनपुर	अभनपुर	खोरपा	खोरपा	खोरपा-3	
8	अभनपुर	अभनपुर	खोरपा	कोलर	कोलर-3	
9	अभनपुर	अभनपुर	खोरपा	सारखी	सारखी-1	
10	अभनपुर	अभनपुर	खोरपा	चण्डी	चण्डी-3	
11	अभनपुर	अभनपुर	खिलोरा	परसदा वि.मं.	परसदा-1	
12	अभनपुर	अभनपुर	उपरवारा	उपरवारा	उपरवारा 1	
13	अभनपुर	अभनपुर	उपरवारा	धूसेरा	धूसेरा 2	
14	अभनपुर	अभनपुर	उपरवारा	धूसेरा	धूसेरा 3	
15	अभनपुर	अभनपुर	पारागांव	पारागांव	पारागांव 4	
16	अभनपुर	अभनपुर	पारागांव	नवागांव ल	नवागांव(ल) 1	
17	अभनपुर	अभनपुर	तोरला	तोरला	तोरला 2	
18	अभनपुर	अभनपुर	तोरला	भोथेडीह	भोथेडीह 1	
19	अभनपुर	अभनपुर	भटगांव	भटगांव	भटगांव-2	
20	अभनपुर	अभनपुर	भटगांव	ढोड़रा	ढोड़रा-1	
21	अभनपुर	अभनपुर	भटगांव	भरैगा	भरैगा-3	
22	अभनपुर	अभनपुर	जामगांव	जामगांव	जामगांव 1	
23	अभनपुर	अभनपुर	जामगांव	गिरोला	गिरोला 1	

पारिशेष - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 798) की जानकारी


प्रपत्र-अ

पंजीकृत किसान, धान खरीदी मात्रा, राशि एवं भुगतान की विकासखण्डवार जानकारी

दिनांक 19.02.2025 की स्थिति में

(मात्रा मे.टन में/राशि करोड़ में)

क्रं.	विकासखंड का नाम	पंजीकृत कृषकों की संख्या	धान खरीदी			समर्थन मूल्य का भुगतान	
			कृषक संख्या	मात्रा	राशि	कृषक संख्या	राशि
1	कसडोल	35398	33751	195096.76	448.72	33737	448.62
2	पलारी	39250	37873	199726.96	459.38	37860	459.28
3	बलौदाबाजार	34016	32562	170965.80	393.22	32547	393.11
4	भाटापारा	24588	22920	121580.28	279.66	22907	279.55
5	सिमगा	34562	32917	168026.84	386.48	32906	386.38
योग:-		167814	160023	855396.64	1967.46	159957	1966.94


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीदी में प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	शिकायत प्राप्त		पाई गई अनियमितता / शिकायत का कारण				धान खरीदी		दोषी कर्मचारी		की गई कार्यवाही
				दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	अधिक धान तौल	फर्जी पंजीयन	रकबा में वृद्धि	अन्य कारण	मात्रा (कि.)	राशि (लाख में)	नाम	पद	
1	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	डमरू	20.01.2025	श्री डी.के.नेताम	-	-	-	धान के भौतिक सत्यापन में धान की कमी	900.00	20.70	श्री तिलकराम देवदास	समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति डमरू द्वारा आदेश दिनांक 21.1.25 द्वारा पृथक किया गया
2	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	10.01.2025	जी.एन.साहू	-	-	-	अमानक धान क्रय एवं धान के रखरखाव में लापरवाही			श्री रोहित प्रसाद साहू	समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति बलौदाबाजार द्वारा आदेश दिनांक 21.1.25 द्वारा पृथक किया गया
3	बलौदाबाजार	कसडोल	रिकोकला	30.11.2024	अनुविभागीय अधिकारी कसडोल	-	-	-	धान के रखरखाव में लापरवाही एवं कषको से अधिक धान तौल			श्री चेतन उडसेना	समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति रिकोकला द्वारा आदेश दिनांक 14.1.25 द्वारा पृथक किया गया
4	बलौदाबाजार	पलारी	सैहा	09.01.2025	श्री ए.के.साहू	-	-	-	अमानक धान क्रय एवं धान के रखरखाव में लापरवाही			श्री जगदीश प्रसाद लहरी	समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति सैहा द्वारा आदेश दिनांक 20.1.25 द्वारा पृथक किया गया
5	बलौदाबाजार	पलारी	दतान	14.01.2025	श्री ए.के.साहू	-	-	-	अमानक धान क्रय एवं धान के रखरखाव में लापरवाही			श्री घनश्याम वर्मा	समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति दतान द्वारा आदेश दिनांक 20.1.25 द्वारा पृथक किया गया
6	बलौदाबाजार	पलारी	रोहासी	20.01.2025	श्री ए.के.साहू	-	-	-	अमानक धान क्रय एवं धान के रखरखाव में लापरवाही			श्री धर्मेंद्र कुमार साहू	समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति रोहासी द्वारा आदेश दिनांक 21.1.25 द्वारा पृथक किया गया
7	बलौदाबाजार	भाटापारा	तरेगा	05.12.2024	मान.नेता प्रतिपक्ष श्री डॉ.चरणदास महंत	-	-	-	खाली नये जूट बारदाना का मानक वजन से कम वजन का होना			-	-	जांच में बारदाना मानक स्तर का होना पाया गया।
8	बलौदाबाजार	भाटापारा	बिटकुली	10.01.2025	श्री नितिन दीवान	-	-	-	धान के भौतिक सत्यापन में धान की कमी	467.67	10.76	श्री मनोजकुमार श्रीवास्तव	समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति खैरा द्वारा आदेश दिनांक 21.1.25 द्वारा पृथक किया गया
9	बलौदाबाजार	पलारी	छेरकापुर	29.11.2024	श्री भुनेश्वर	-	-	-	अधिक मात्रा में धान तोलाई			-	-	खाद्य निरीक्षक के द्वारा जांच की गई, शिकायत सही नहीं पाई गई।
10	बलौदाबाजार	पलारी	खरतौरा	10.01.2025	श्री देवेन्द्र वर्मा	-	-	-	अधिक मात्रा में धान तोलाई			-	-	
11	बलौदाबाजार	सिमगा	हिरमी	17.12.2024	श्री संदीप साहू	-	-	-	उपार्जन केन्द्र कर्मचारी द्वारा कमीशन मांग			-	-	
12	बलौदाबाजार	कसडोल	मटिया	06.01.2025	श्री रमेशकुमार साहू	-	-	-	अधिक मात्रा में धान तोलाई			-	-	
13	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	मरदा	20.12.2024	श्री कोमल प्रसाद	अधिक मात्रा में धान तोलाई	-	-				श्री गौरीशंकर साहू	केन्द्र प्रभारी	खाद्य निरीक्षक के द्वारा जांच की गई, शिकायत सही पाई गई। केन्द्र प्रभारी को नोटिस जारी किया गया।

अनुभाग अधिकारी
 पृथक सत्यापन-2
 खाद्य प्रौद्योगिकी आयोग एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 1005) की जानकारी

प्रपत्र

खरीफ वर्ष 2024 -25 बस्तर संभाग में अवैध धान भण्डारण / परिवहन की जानकारी

क्र.	अवैध धान का भण्डारण / परिवहन जप्ति का स्थान तहसील	जब्त धान की मात्रा क्विंटल में	जब्त धान में की गई कार्यवाही की स्थिति	रिपोर्ट
1	श्री तुलसीदास मानिकपुरी, ग्राम महिमागवाड़ी तहसील छोटेंडोंगर	3.60	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 1063 वसूली किया गया।	निराकृत
2	श्री रमेश कुमार सलाम, ग्राम धौड़ाई तहसील छोटेंडोंगर	7.20	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 2527 वसूली किया गया।	निराकृत
3	श्री राजू जुमडे पिता जै. पापैया निवासी ग्राम नैमेड तहसील बीजापुर जिला बीजापुर जप्ती का स्थान. नैमेड तहसील. बीजापुर	40.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
4	श्री अश्विनी ताती पिता श्री रतन ताती निवासी ग्राम नैमेड तहसील बीजापुर जिला बीजापुर जप्ती का स्थान. नैमेड तहसील. बीजापुर	35.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
5	श्री मरपल्ली राजू पिता श्री मरपल्ली अच्चैया निवासी ग्राम तिमेट जिला बीजापुर जप्ती का स्थान तिमेट तहसील. भीपालपटनम्	24	प्रकरण में मरपल्ली राजू वास्तविक कृषक होने के कारण जप्तशुदा धान एवं वाहन मुक्त किया गया	निराकृत
6	श्री शुशांत विश्वास, पिता श्री प्रशांत विश्वास, निवासी पेदाकोडा (उडीसा)	35	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 6599 वसूली किया गया।	निराकृत
7	श्री महिम विश्वास, पिता श्री कृष्णा विश्वास, निवासी पेदाकोडा (उडीसा)	35	मण्डी अधिनियम के राशि 6599 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
8	श्री बालक राम मोर्य पिता श्री मन्नूराम मोर्य निवासी तोंगपाल	35	मण्डी अधिनियम के तहत राशि 6601 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
9	मे0 टावरी टेडिंग कंपनी प्रो0 श्री सुंदरलाल टावरी, निवासी सुकमा	73	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
10	श्री अमीर गुगलहट पिता श्री मारखण्ड गुगलहट, निवासी कोतामेटा (उडीसा)	26	मण्डी अधिनियम के तहत राशि 4904 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
11	श्री ओमप्रकाश चांडक, तोंगपाल	328	मण्डी अधिनियम के तहत राशि 12825 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
12	श्री लखमा पोडियामी निवासी सीमागुडी (उडीसा)	60	मण्डी अधिनियम तहत राशि 12354 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
13	श्री पंकज सिंह पिता श्री मुनेश्वर सिंह निवासी गादीरास	8	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
14	मे0 राहुल सिंह चौहान प्रो. श्री राहुल सिंह चौहान, कूकानार	40	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
15	मे0 रैनी इंटरप्राइजेस प्रो. श्री रूस्तम रैनी, छिन्दगढ़	10.80	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
16	श्री जतिश मंडल पिता श्री नलिनी मंडल, निवासी एम पी वी 11 (उडीसा)	27.50	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 5187 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
17	श्री अनूप घरामी पिता श्री गणेश घरामी, निवासी एम पी वी 11 (उडीसा)	41.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 7730 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
18	श्री अशोक बघेल पिता श्री इंदर बघेल, निवासी कोकराल	24.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
19	श्री भागीरथी पिता श्री कमल सिंह, तालनार	24.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
20	श्री निमाय डाली पिता उपेन डाली, मलकानगिरी	53.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 9994 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
21	श्री पुरनोचन्द्र नायक पिता श्री सोमारू नायक, पदागिरी	60.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 11316 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
22	श्री शिबो भूमिया पिता श्री सोनिया भूमिया, तालपदर (उडीसा)	25.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 4713 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
23	श्री तोरणसिंह ठाकुर निवासी ग्राम हिरापुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	8	मण्डी अधिनियम के तहत राशि 11392 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
24	श्री कोमलचंद सूरज पिता मंगु सूरज निवासी ग्राम लूभा द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12.4	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत

क्र.	अवैध धान का भण्डारण / परिवहन जप्ति का स्थान तहसील	जब्त धान की मात्रा क्विंटल में	जब्त धान में की गई कार्यवाही की स्थिति	रिमार्क
25	श्री देवाराम नाग पिता चंद्रसिंह नाग निवासी ग्राम करंडी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	45	मण्डी अधिनियम के तहत राशि 5521 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
26	श्री कोमल तारम पिता बिसउराम तारम निवासी ग्राम मुण्डापारा द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	22	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
27	श्री रंजनदास पिता धीरनाथ निवासी ग्राम मुनगापदर द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	117.45	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
28	श्री सियाराम पवार पिता जंगलराम पवार निवासी ग्राम घोड़ागांव माकड़ी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	16	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
29	श्री राजेश साहू पिता जगन साहू निवासी ग्राम छोटे अमरावती द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	5.45	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
30	श्री महादेव पोयाम पिता मंगलराम पोयाम निवासी ग्राम सिवनी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	8	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
31	श्री हिमरान खत्री पिता इलीयास खत्री निवासी केशकाल द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	16	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
32	श्री ललेश्वरी पवार पिता धनीराम पवार निवासी कोरगांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	14.4	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
33	श्री सुखराम मरकाम पिता श्री मंगुराम मरकाम निवासी ग्राम बिवला द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	10	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
34	श्री धनाजी नरेटी पिता लखमूराम नरेटी निवासी ग्राम ईरागांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	224	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
35	फर्म मांजिसा एग्रो प्रो. कोण्डागांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	202.5	मण्डी अधिनियम के तहत राशि 45235 रूपये वसूली किया गया	निराकृत
36	श्री सन्ता प्रधान पिता मधुरराम प्रधान निवासी ग्राम बेलौंडी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	18	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
37	श्री मनोज कुमार नाग पिता श्री लगनूराम नाग निवासी ग्राम विश्रामपुरी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
38	श्री प्रधुमन नेताम पिता रामेश्वर नेताम निवासी ग्राम माकड़ी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
39	श्री हितेश मेहता पिता श्री धीरूभाई मेहता निवासी ग्राम ग्राम गारका द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	20	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
40	संतोष कुमार बैध पिता श्री चैतराम बैध निवासी ग्राम कोरगांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
41	धनीराम नेताम पिता घसियाराम नेताम निवासी आमाडीही विश्रामपुरी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	16	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
42	श्रीमती सरोज साहू पति श्री संजय साहू निवासी ग्राम कोसमी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	16	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
43	श्री मंगलराम मरकाम पति श्री बिरसिंह मरकाम निवासी ग्राम बालेंगा द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	11	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
44	फर्म लक्ष्मी ट्रेडर्स पो0 श्री अशोक शर्मा निवासी ग्राम हिरापुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	202.5	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
45	फर्म सृष्टि ट्रेडर्स पो0 श्री निरज साहू ग्राम बेलोण्डी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	275.85	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत


क्र.	अवैध धान का भण्डारण / परिवहन जप्ति का स्थान तहसील	जब्त धान की मात्रा किंटल में	जब्त धान में की गई कार्यवाही की स्थिति	रिमार्क
46	फर्म चंद्रशेखर टेडर्स बिजोली द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	258	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
47	फर्म बाबा राईस मिल फरसगांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	315	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
48	फर्म लखन प्रसाद साहू प्रो. श्री लखन साहू निवासी ग्राम बड़ेडोंगर द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	56	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
49	श्री रंजित मानिकपुरी निवासी ग्राम केरावाही द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	7.2	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
50	श्री अनिल कुमार मरकाम निवासी ग्राम बालोण्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
51	श्री चैनासंह चक्रधारी पिता तातूराम चक्रधारी निवासी ग्राम बनियागांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	11	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
52	श्री सुधीर काराम पिता श्री मानासंह काराम निवासी ग्राम तोड़सी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12.32	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
53	श्री तुलाराम मानिकपुरी पिता कमलोचन मानिकपुरी निवासी ग्राम अमरावती द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	18	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
54	श्री दयाराम बघेल पिता मंगलराम बघेल निवासी ग्राम घोड़ागांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
55	श्री हिमन्द्र बंध पिता श्री फरसूराम बंध निवासी ग्राम तरईबेड़ा द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	6	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
56	श्री राम करण यादव पिता श्री गोकुल राम यादव निवासी ग्राम सोनपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	10	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
57	श्री अनिल मरकाम पिता श्री तैहारूराम मरकाम निवासी ग्राम सोनपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	10	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
58	श्री जयप्रकाश साहू पिता नारायण साहू निवासी ग्राम सोनाबाल द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	16.2	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
59	फर्म मयंक टेडर्स प्रो. श्री मनोज शर्मा निवासी ग्राम माकड़ी द्वारा मंडी अधिनियम 1972 धारा 20 का उल्लंघन किये जाने से	32	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
60	श्री सेवलू दास मानिकपुरी निवासी ग्राम बयानार द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	4	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
61	श्री कांतीलाल सिन्हा पिता केजाराम सिन्हा निवासी ग्राम मस्सूकोकोड़ा द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	217.6	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
62	मेसर्स आर. के. किराना स्टोर्स प्रो. अब्दूल रजाक निवासी ग्राम बहीगांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	150	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
63	श्री सियाराम दीवान पिता कंवलसिंह दीवान निवासी ग्राम गिरोला द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	16	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
64	श्री बलराम भतरा पिता कबोपति भतरा निवासी ग्राम बड़ेघोड़सोड़ा द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
65	श्री मुकेश कुमार मरकाम पिता आशाराम मरकाम निवासी ग्राम लिहागांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	24	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
66	श्री चमरूराम देवांगन पिता रामधर देवांगन निवासी ग्राम मुलमुला द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	50	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
67	श्री घुमेश्वर वैध पिता चैतूराम निवासी ल फरसगांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	10	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत

क्र.	अवैध धान का भण्डारण / परिवहन जप्ति का स्थान तहसील	जब्त धान की मात्रा क्विंटल में	जब्त धान में की गई कार्यवाही की स्थिति	रिमार्क
68	श्री शिवेंद्र पोयाम पिता श्री प्रताप सिंह निवासी माकड़ी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	4.8	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
69	श्री मनोहर पांडे पिता श्री चमरा सिंह पांडे निवासी ग्राम उड़िदगांव द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	9.6	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
70	श्री धरमूराम देवांगन पिता श्री सुकराम निवासी ग्राम शामपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	16	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
71	श्री घड़वाराम मरकाम पिता श्री चैनुराम मरकाम निवासी ग्राम बालोण्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	8	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
72	श्री लखीराम पोयाम पिता चमरूराम पोयाम निवासी ग्राम माकड़ी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
73	श्री विजय सेठिया पिता सुभाष सेठिया निवासी ग्राम गुहाबोरंड द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	6	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
74	श्री रोहित कुमार पिता श्री पुनेश्वर साहू निवासी ग्राम पलना द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	4	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
75	मोहम्मद फैयाज खत्री पिता स्व. अब्दूल खत्री निवासी केशकाल द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	14.8	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
76	श्री आनंद प्रधान पिता श्री चैतुराम प्रधान निवासी ग्राम रांधना द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
77	श्री बलराम पांडे पिता स्व. श्री पतिराम पांडे निवासी बरकई द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	11.2	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
78	श्री शिवचंद जैन पिता रामकुंवर जैन निवासी ग्राम उरंदाबेड़ा द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	12	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
79	श्री सुकलाल मानिकपुरी पिता श्री टेहूराम निवासी ग्राम मर्दापाल द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	13.5	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
80	श्री भागीरथी दिवान पिता श्री लछिन्दर दिवान निवासी ग्राम बड़ेकुरूसनार द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	13.5	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
81	श्री पूरनलाल नाग पिता श्री रामधर नाग निवासी ग्राम मटवाल द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	18	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
82	श्री जगदेव कोराम निवासी ग्राम मर्दापाल द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में क्रय किये जाने से	8.4	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
83	श्री चैतन जैन, पिता श्री महादेव जैन, निवासी - ग्राम-संघकरमरी, विकासखण्ड- बकावण्ड जिला- बस्तर (छ.ग.)	31.50	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 15941.00 वसूली किया गया।	निराकृत
84	श्री चैतन जैन, पिता श्री महादेव जैन, निवासी - ग्राम-संघकरमरी, विकासखण्ड- बकावण्ड जिला- बस्तर (छ.ग.)	27.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 14871.00 वसूली किया गया।	निराकृत
85	श्री जगमन मौर्य, पिता श्री बुदं मौर्य, निवासी - ग्राम-खोरखोसा, तहसील-बस्तर जिला- बस्तर (छ.ग.)	11.70	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 12974.00 वसूली किया गया।	निराकृत

क्र.	अवैध धान का भण्डारण / परिवहन जपति का स्थान तहसील	जब्त धान की मात्रा क्विंटल में	जब्त धान में की गई कार्यवाही की स्थिति	रिमार्क
86	श्री अमित गुप्ता, पिता श्री उपेन्द्र प्रसाद गुप्ता, ग्राम छोटेकवाली पोस्ट- नेतानार तहसील- नानगुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)	4.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 10672.00 वसूली किया गया।	निराकृत
87	श्री फूलमन कश्यप, पिता श्री काडीराम कश्यप, मुर्मा ग्राम- केशलुर तहसील- तोकापाल, जिला- बस्तर (छ.ग.)	15.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 12830.00 वसूली किया गया।	निराकृत
88	श्री सोमारू राम बघेल, पिता श्री सहदेव बघेल, ग्राम- नारायणपाल तहसील- भानपुरी, जिला- बस्तर (छ.ग.)	18.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 13395.00 वसूली किया गया।	निराकृत
89	श्री पकऊराम नाग, पिता श्री पीलू नाग, ग्राम- बोदरा तहसील- बस्तर, जिला- बस्तर (छ.ग.)	14.40	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 12716.00 वसूली किया गया।	निराकृत
90	श्री पीलाराम नाग, पिता श्री पीलू नाग, ग्राम- बोदरा तहसील- बस्तर, जिला- बस्तर (छ.ग.)	10.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 11886.00 वसूली किया गया।	निराकृत
91	श्री तुलसीराम निषाद, पिता श्री परमानंद निषाद, ग्राम- बालेंगा तहसील- बस्तर, जिला- बस्तर (छ.ग.)	32.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 16035.00 वसूली किया गया।	निराकृत
92	श्री मोहन कश्यप, पिता श्री रामचंद्र कश्यप, तलपारा, ग्राम- पाथरी तहसील- करपावण्ड जिला- बस्तर (छ.ग.)	24.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 14526.00 वसूली किया गया।	निराकृत
93	श्री उदंबा गडबा, पिता श्री जेदू निवासी- ग्राम- बोरीगुमा तहसील-कोटपाड जिला कोरापुट (ओडिशा)	84.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 25842.00 वसूली किया गया।	निराकृत
94	श्री शंकरलाल नाग, पिता स्व. बुटिराम नाग, ग्राम- देवड़ा तहसील-भानपुरी, जिला- बस्तर (छ.ग.)	8.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 11509.00 वसूली किया गया।	निराकृत
95	श्री गुडडूराम मौर्य पिता श्री जगबंधु मौर्य, ग्राम- देवडा तहसील-भानपुरी, जिला- बस्तर (छ.ग.)	26.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 14904.00 वसूली किया गया।	निराकृत
96	श्री बोधनदास मानिकपुरी पिता श्री गुरुबंधु, ग्राम- बडेकनेरा तहसील- कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव (छ.ग.)	5.20	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 10981.00 वसूली किया गया।	निराकृत
97	श्री सुखपाल बघेल पिता स्व. गोविन्द बघेल, ग्राम- जोबा तहसील- कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव (छ.ग.)	14.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 12640.00 वसूली किया गया।	निराकृत
98	श्री निरंजन बिसाई, पिता श्री रामलाल बिसाई निवासी- ग्राम- धनपुंजी तहसील-जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)	36.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 16790.00 वसूली किया गया।	निराकृत
99	श्री शंकर गुप्ता, पिता श्री भुनेश्वर गुप्ता, निवासी- ग्राम- धनपुंजी तहसील-जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)	98.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 28483.00 वसूली किया गया।	निराकृत
100	श्री प्रेमराज यादव, पिता श्री एम.आर. यादव, निवासी-खासपारा ग्राम-तुरपुरा तहसील-भानपुरी जिला बस्तर (छ.ग.)	52.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 19807.00 वसूली किया गया।	निराकृत
101	श्री सत्यनारायण बिसाई, पिता श्री रामला बिसाई, निवासी- सुंडीपारा ग्राम-धनपुंजी तहसील-जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)	18.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 13395.00 वसूली किया गया।	निराकृत
102	श्री विजय कुमार बिसाई, निवासी- सुंडीपारा ग्राम- धनपुंजी तहसील-जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)	15.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 12830.00 वसूली किया गया।	निराकृत
103	श्री प्रेमनाथ बघेल पिता श्री मंगल बघेल, महारा पारा, ग्राम- बनियागांव तहसील- बकावण्ड, जिला- बस्तर (छ.ग.)	31.20	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
104	श्री चेतो बघेल पिता श्री चेतन बघेल, महारा पारा, ग्राम- बनियागांव तहसील- बकावण्ड, जिला- बस्तर (छ.ग.)	11.20	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
105	श्री जगरनाथ सूर्यवंशी पिता स्व. फोटकूराम सूर्यवंशी, कलार पारा, ग्राम- छोटेजीराखाल तहसील- करपावण्ड, जिला- बस्तर (छ.ग.)	960.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
106	श्री रविशंकर बघेल पिता श्री गोविंद बघेल, स्कूलपारा, ग्राम- सरगीपाल तहसील- बकावण्ड, जिला- बस्तर (छ.ग.)	80.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
107	श्री मेघनाथ बघेल पिता श्री खगपाते बघेल, मावलीपारा ग्राम- बकावण्ड तहसील- बकावण्ड, जिला- बस्तर (छ.ग.)	30.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत

क्र.	अवैध धान का भण्डारण / परिवहन जप्ति का स्थान तहसील	जब्त धान की मात्रा किटल में	जब्त धान में की गई कार्यवाही की स्थिति	रिमार्क
108	श्री लेदाराम पिता श्री सोनसिंह, पटेलपारा ग्राम-भरनी तहसील- बस्तर, जिला- बस्तर (छ.ग.)	6.40	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
109	श्री सोलाराम मोय, पिता श्री गणेश मोय, निवासी-साहूपारा ग्राम- गुफनी तहसील-बस्तर जिला बस्तर (छ.ग.)	64.40	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
110	श्री चन्द्रभान यादव पिता श्री झितरूराम यादव निवासी- पुजारीपारा ग्राम -जैतगिरी तहसील- करपावण्ड जिला बस्तर (छ.ग.)	28.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
111	में. भगवान सिंह पटेल/मैलावाड़ा	21.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 4031 वसूली किया गया।	निराकृत
112	मों. ईशहाक/मैलावाड़ा	50.00	प्रकरण में मण्डी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये राशि रूपये 9400 जमा कराया गया।	निराकृत
113	में. विवेक सिंह/नकुलनार	11.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
114	में. चन्दपाल सिंह/नकुलनार	10.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 2178 वसूली किया गया।	निराकृत
115	में. भरत कुमार सिंह/नकुलनार	16.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 3188 वसूली किया गया।	निराकृत
116	में. पासवान टेडर्स/नकुलनार	39.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
117	में. सुराना टेडींग कं०/ प्रो० श्री अनिल सुराना गीदम	30.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
118	में. गणेश टेडर्स/श्री गणेश दूबे गीदम	74.40	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
119	में. एन.एस.बी. कलेक्शन/ प्रो० नरेश बुरड़ गीदम	72.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
120	में. शिवहरे बदर्स/प्रो० अविनाश शिवहरे गीदम	12.50	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 2596 वसूली किया गया।	निराकृत
121	श्री सोमेश गुप्ता/प्रो० स्वयं गीदम	11.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
122	में. चन्दन टेडींग कं०/प्रो० श्री चन्दन शिवहरे गीदम	26.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 4868 वसूली किया गया।	निराकृत
123	श्री सुशिल कुमार/प्रो० स्वयं गीदम	32.00	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 5876 वसूली किया गया।	निराकृत
124	में. सुभम बुरड़/प्रो० स्वयं गीदम	47.20	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 6616 वसूली किया गया।	निराकृत
125	श्री संतुराम कश्यप/समेली के पास पालनार	4.00	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
126	श्री ईश्वर लाल जैन ग्राम जिनवानी	22.8	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 4927 वसूली किया गया।	निराकृत
127	श्री प्रदीप साहू ग्राम - पुसवाडा	72.8	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 13589 वसूली किया गया।	निराकृत
128	श्री रोमन साहू ग्राम अंडी	23.2	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 4995 वसूली किया गया।	निराकृत
129	श्री मानक मंडावी ग्राम किशनपुरी	15	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
130	श्री लखन लाल सिन्हा ग्राम जवरतरा	40	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
131	श्री जागेश्वर सिन्हा /रामलाल ग्राम कोकानपुर	8.8	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत

क्र.	अवैध धान का भण्डारण / परिवहन जप्ति का स्थान तहसील	जब्त धान की मात्रा क्विंटल में	जब्त धान में की गई कार्यवाही की स्थिति	रिमार्क
132	श्री रोहित नेताम /रजनू नेताम ग्राम भनसुली	15	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 2960 वसूली किया गया।	निराकृत
133	श्री लुमेंद्र कुंजाम /रामकिशन कुंजाम ग्राम कोटला	8	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 3312 वसूली किया गया।	निराकृत
134	श्रीमती विमला बाई चोपड़ा बेलगाल	22.8	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 4927 वसूली किया गया।	निराकृत


 अनुभाग अधिकारी
 कक्षा क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

क्र.	अवैध धान का भण्डारण / परिवहन जप्ति का स्थान तहसील	जब्त धान की मात्रा क्विंटल में	जब्त धान में की गई कार्यवाही की स्थिति	रिमार्क
135	श्री ईश्वर धुव / बंशीलाल धुव , ग्राम -सुरही	11	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 2304 वसूली किया गया।	निराकृत
136	श्री मंजूराम नेताम /किसुन राम नेताम , ग्राम बादल	15.2	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 2960 वसूली किया गया।	निराकृत
137	श्री राधेश्याम जैन ग्राम रिशेवाडा	12	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 3066 वसूली किया गया।	निराकृत
138	श्री भीखम चंद नहाटा ग्राम अमोड़ा	86.8	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
139	श्री जितेन्द्र साहू ग्राम खल्लारीपारा अमोड़ा	75.2	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 13950 वसूली किया गया।	निराकृत
140	श्री हलधर/कृष्ण हलधर पता पखांजूर	8.8	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 2242 वसूली किया गया।	निराकृत
141	श्री दीपाकर हलधर /धीरेन्द्र हलधर पता- पखांजूर	30	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 6161 वसूली किया गया।	निराकृत
142	श्री देवजीत हलधर / रविन्द्र हलधर पता पखांजूर	26	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 5796 वसूली किया गया।	निराकृत
143	श्री विधान मंडल ग्राम बेचाघाट	36	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
144	श्री रिपन मृधा ग्राम कुरेनार	40	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
145	श्री नीतिश सरकार ग्राम इरपानार	20	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
146	श्री भीष्म देवनाथ ग्राम पी वी 87	240	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
147	श्री प्रशांत सरदार ग्राम - पी वी 61	40	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
148	श्री विकास पांजा ग्राम -पी वी 57 (कापसी)	32	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
149	श्री राजू मंडल / रामप्रसाद मंडल पता -पी वी 125 पखांजूर	28.8	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 6365 वसूली किया गया।	निराकृत
150	श्री मानकलाल/कुशल संचेती पता संबलपुर	110	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
151	श्री जागेश्वर कुलदीप /स्व भागवत पता डूमरकोट	4	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
152	श्री राजकुमार कोरेटी/ सदेराम पता भानबेडा	44	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
153	श्री पवन राठी पता- संबलपुर	27.2	मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनिराकृत
154	श्री रमेश पटेल/श्री दशरथ पटेल ग्राम- करप	26.4	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 5548 वसूली किया गया।	निराकृत
155	श्री विमल सुरोजिया ग्राम देवडोंगर (दुधावा)	16	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 3756 वसूली किया गया।	निराकृत
156	श्री रमेश कुमार वट्टी ग्राम मुडपार	14	मण्डी अधिनियम के तहत राशि रूपये 3411 वसूली किया गया।	निराकृत
कुल		7117.67		

अनुभाग अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
स्वाध नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-अ

महतारी वंदन योजना अंतर्गत विकासखण्डवार प्रथम पंजीयन के समय हितग्राहियों की संख्या

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	ग्रामीण हितग्राही	शहरी हितग्राही	कुल योग
1	बालोद	बालोद	32003	5559	37562
		डोंडी	30013	11905	41918
		डोंडीलोहारा	61315	1429	62744
		गुंडरदेही	62004	3772	65776
		गूरुर	44607	985	45592
2	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	68941	7975	76916
		भाटापारा	45674	12433	58107
		कसडोल	64363	10274	74637
		पलारी	60917	1960	62877
3	बलरामपुर	सिमगा	58745	0	58745
		बलरामपुर	33288	1050	34338
		कूसमी	28036	1615	29651
		राजापुर	30358	1004	31362
		रामाचन्द्रपुर	48408	2993	51401
		शंकरागढ़	21094	0	21094
4	बस्तर	वाड्डफनगर	46801	1225	48026
		बकावड	41021	0	41021
		बास्तानार	10165	0	10165
		बस्तर	38265	2100	40365
		दरभा	14225	0	14225
		जगदलपुर	29566	20958	50524
		लोहांडीगूडा	18579	0	18579
5	बेमेतरा	तोकापाल	19632	0	19632
		बेमेतरा	60620	7243	67863
		बेरला	58254	1427	59681
		नवागढ़	59088	4688	63776
6	बिजापुर	साजा	57282	6450	63732
		भैरंगगढ़	11712	971	12683
		भोपालपट्टनम	8720	446	9166
		बीजापुर	8206	1950	10156
7	बिलासपुर	उसूर	6904	0	6904
		बिल्हा	83851	8165	92016
		बिलासपुर	0	93409	93409
		कोटा	52789	10710	63499
		मस्तूरी	92006	2392	94398
8	दंतेवाड़ा	तखतपुर	73203	10712	83915
		दंतेवाड़ा	14207	4666	18873
		गीदम	14292	2852	17144
		कटेकल्याण	8187	0	8187
		किरंदूल	8096	2636	10732

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	ग्रामीण हितग्राही	शहरी हितग्राही	कुल योग
9	धमतरी	धमतरी	56300	22698	78998
		कुरुद	63639	5550	69189
		मगरलोड	36554	1803	38357
		नगरी	47411	2765	50176
10	दुर्ग	धमंधा	64797	8177	72974
		दुर्ग	59020	193946	252966
		पाटन	63744	15641	79385
11	गरियाबंद	छुरा	35246	1454	36700
		देवभोग	29935	0	29935
		गरियाबंद	25622	2226	27848
		मैनापुर	37626	0	37626
		फिंगेश्वर	45865	6269	52134
12	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	गौरैला	29621	3773	33394
		मरवाही	38454	0	38454
		पेण्ड्रा	21075	3366	24441
13	जाँजगीर-चाँपा	अकलतरा	46539	5303	51842
		बालौदा	44291	3675	47966
		बम्हनीडीह	38381	12665	51046
		नवागढ़	70466	16994	87460
		पामगढ़	51420	1835	53255
14	जशपुर	बागीचा	46318	2354	48672
		दुलदुला	14312	0	14312
		जशपुर	18026	3894	21920
		कांसाबेल	22336	0	22336
		कुनकरी	22847	2489	25336
		मनोरा	15820	0	15820
		पत्थलगांव	48075	5051	53126
		फरसाबहार	31898	0	31898
15	कबीरधाम	बोड़ला	56991	1451	58442
		कवर्धा	56522	11956	68478
		पंडरीया	72401	5910	78311
		सहसपुर लोहारा	48799	1890	50689
16	कांकेर	अंतागढ़	14942	1209	16151
		भानुप्रतापपुर	22073	1278	23351
		चारामा	26250	2385	28635
		दुर्गकोन्दल	15884	0	15884
		कांकेर	23504	4908	28412
		कोयलीबेडा	42091	2212	44303
		नरहरपुर	27889	863	28752
17	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	छुईखदान	51066	1851	52917
		गण्डई	0	3781	3781
		खैरागढ़	55068	5639	60707

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	ग्रामीण हितग्राही	शहरी हितग्राही	कुल योग
18	कोण्डागांव	बडेराजपुर	21395	0	21395
		केशकाल	20594	2057	22651
		कोण्डागांव	43286	5912	49198
		माकड़ी	24921	0	24921
		फरसगांव	22822	1102	23924
19	कोरबा	करतला	41486	0	41486
		कटघोरा	27020	10316	37336
		कोरबा	38751	71865	110616
		पाली	53737	1131	54868
		पोडीउपरोड़ा	51400	0	51400
20	कोरिया	बैकंठपुर	40765	5194	45959
		सोनहत	14146	0	14146
21	महासमुंद	बागबहरा	58636	4573	63209
		बसना	54637	2263	56900
		महासमुंद	64200	13045	77245
		पिथौरा	67746	1944	69690
		सरायपाली	54711	4608	59319
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	भरतपुर	26714	0	26714
		खडगवां 1	29366	11159	40525
		मनेन्द्रगढ़	23431	11160	34591
23	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	चौकी	31527	2105	33632
		मानपुर	23867	0	23867
		मोहला	25095	0	25095
24	मुगेली	लोरमी	79284	3810	83094
		मुगेली	69329	7828	77157
		पथरीया	50898	4002	54900
25	नारायणपुर	नारायणपुर	18847	4196	23043
		ओरझा	4900	0	4900
26	रायगढ़	धरमजयगढ़	55730	3418	59148
		घरघोडा	21238	2099	23337
		खरसिया	39295	4401	43696
		लैलूंगा	35928	1751	37679
		पूसौर	40039	2439	42478
		रायगढ़	37649	36090	73739
		तमनार	27444	0	27444
27	रायपुर	अभनपुर	60611	11133	71744
		आरंग	84963	9833	94796
		धरसीवा	58352	241755	300107
		तिल्दा	61757	7446	69203
28	राजनांदगांव	छुरिया	56322	1137	57459
		डोंगरगड	53720	7677	61397
		डोंगरगांव	38645	3516	42161
		राजनांदगांव	61683	36332	98015

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	ग्रामीण हितग्राही	शहरी हितग्राही	कुल योग
29	सक्ती	दभरा	46232	4145	50377
		जैजैपुर	51443	2232	53675
		मालखरौदा	45944	2146	48090
		सक्ती	41071	6995	48066
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बरमाकेला	43413	3308	46721
		बिलाईगढ़	68230	4153	72383
		सारंगढ़	67248	4840	72088
31	सुकमा	छिंदगढ़	23005	0	23005
		कोटा	13950	1834	15784
		सुकमा	11516	2184	13700
32	सूरजपुर	भैयाथान	34470	1610	36080
		ओडगी	25855	0	25855
		प्रतापपुर	40287	2070	42357
		प्रेमनगर	17694	1139	18833
		रामानुजनगर	35767	0	35767
		सूरजपुर	53425	5562	58987
33	सरगुजा	बतौली	19957	0	19957
		लखनपुर	33194	1688	34882
		लुङ्गा	33396	0	33396
		मैनपाट	20800	0	20800
		अंबिकापुर	48040	26626	74666
		सीतापुर	25071	1931	27002
		उदयपुर	22729	0	22729
कुल			5804179	1222975	7027154

प्रपत्र-ब

महतारी वंदन योजना अंतर्गत विकासखण्डवार अद्यतन स्थिति में हितग्राहियों की संख्या

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	ग्रामीण हितग्राही	शहरी हितग्राही	कुल योग
1	बालोद	बालोद	31654	5519	37173
		डोंडी	29748	11890	41638
		डोंडीलोहारा	60492	1415	61907
		गुंडरदेही	61355	3777	65132
		गुरुर	43979	1033	45012
2	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	68361	7897	76258
		भाटापारा	45246	12343	57589
		कसडोल	63862	10196	74058
		पलारी	60422	1943	62365
		सिमगा	58182	0	58182
3	बलरामपुर	बलरामपुर	32830	1034	33864
		कसमी	27685	1580	29265
		राजापुर	30044	993	31037
		रामाचन्द्रपुर	47981	2968	50949
		शंकरागढ़	20784	0	20784
		वाडफनगर	46329	1221	47550
4	बस्तर	बकावड	40554	0	40554
		बास्तानार	10065	0	10065
		बस्तर	37776	2062	39838
		दरभा	14114	0	14114
		जगदलपुर	29176	20816	49992
		लोहांडीगुडा	18409	0	18409
		तोकापाल	19372	0	19372
5	बेमेतरा	बेमेतरा	60259	7198	67457
		बेरला	57770	1419	59189
		नवागढ	58638	4647	63285
		साजा	56892	6423	63315
6	बिजापुर	भैरमगढ	2831	9667	12498
		भोपालपट्टनम	156	8926	9082
		बीजापुर	2485	7390	9875
		उसूर	6848	0	6848
7	बिलासपुर	बिल्हा	83130	19086	102216
		बिलासपुर	0	80221	80221
		कोटा	52357	10597	62954
		मस्तूरी	91148	2368	93516
		तखतपुर	72420	12035	84455
8	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	14027	4726	18753
		गीदम	14217	2826	17043
		कटेकल्याण	8135	0	8135
		किरंदूल	8070	2632	10702

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	ग्रामीण हितग्राही	शहरी हितग्राही	कुल योग
9	धमतरी	धमतरी	55668	22491	78159
		करूद	63173	5494	68667
		मगरलोड	36088	1768	37856
		नगरी	46878	2731	49609
10	दुर्ग	धमधा	64300	7618	71918
		दुर्ग	58485	193006	251491
		पाटन	63093	16018	79111
11	गरियाबंद	छुरा	34827	1433	36260
		देवभोग	29703	0	29703
		गरियाबंद	25372	2210	27582
		मैनापूर	37320	0	37320
		फिंगेश्वर	45373	6211	51584
12	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	गौरैला	29352	3754	33106
		मरवाही	38089	0	38089
		पेण्ड्रा	20946	3353	24299
13	जॉजगीर-चौपा	अकलतरा	46092	5254	51346
		बालौदा	43905	3649	47554
		बम्हनीडीह	37996	12557	50553
		नवागढ़	69853	16855	86708
		पामगढ़	50928	1818	52746
14	जशपुर	बागीचा	45860	2343	48203
		दुलदुला	14205	0	14205
		जशपुर	17811	3876	21687
		कांसाबेल	22043	0	22043
		कनकरी	22631	2446	25077
		मनोरा	15734	0	15734
		पत्थलगांव	47530	5002	52532
		फरसाबहार	31605	0	31605
15	कबीरधाम	बोड़ला	56477	1439	57916
		कवर्धा	56121	11856	67977
		पंडरीया	71750	5883	77633
		सहसपुर लोहारा	48475	1876	50351
16	कांकेर	अतागढ़	14852	1202	16054
		भानुप्रतापपुर	21841	1260	23101
		चारामा	25998	2361	28359
		दुर्गकोन्दल	15750	0	15750
		कांकेर	23191	4869	28060
		कोयलीबेडा	41799	2203	44002
		नरहरपुर	27573	853	28426
17	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	छुईखदान	50657	1819	52476
		गण्डई	0	3743	3743
		खैरागढ़	54715	5595	60310

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	ग्रामीण हितग्राही	शहरी हितग्राही	कुल योग
18	कोण्डागांव	बडेराजपुर	21040	0	21040
		केशकाल	20220	1994	22214
		कोण्डागांव	42927	5835	48762
		माकड़ी	24711	0	24711
		फरसगांव	22238	1076	23314
19	कोरबा	करतला	41060	0	41060
		कटघोरा	26860	10257	37117
		कोरबा	38350	71485	109835
		पाली	53374	1124	54498
		पोडीउपरोड़ा	50988	0	50988
20	कोरिया	बैकुंठपुर	40499	5169	45668
		सोनहत	14013	0	14013
21	महासमुंद	बागबहरा	58148	4533	62681
		बसना	54091	2248	56339
		महासमुंद	63640	12931	76571
		पिथौरा	67002	1926	68928
		सरायपाली	54245	4567	58812
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	भरतपुर	26585	0	26585
		खडगवां 1	29046	11077	40123
		मनेन्द्रगढ़	23196	11091	34287
23	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	चौकी	34054	2090	36144
		मानपुर	23696	0	23696
		मोहला	22119	0	22119
24	मुंगेली	लोरमी	78321	3737	82058
		मुंगेली	68648	7752	76400
		पथरीया	50291	3967	54258
25	नारायणपुर	नारायणपुर	18540	4026	22566
		ओरझा	4859	0	4859
26	रायगढ़	धरमजयगढ़	55083	3384	58467
		घरघोडा	20987	2069	23056
		खरसिया	38816	4361	43177
		लैलंगा	35515	1732	37247
		पूसौर	40862	1093	41955
		रायगढ़	37189	35755	72944
		तमनार	27176	0	27176
27	रायपुर	अभनपुर	60169	11035	71204
		आरंग	84390	9744	94134
		धरसीवा	58047	239409	297456
		तिल्दा	61245	7757	69002
28	राजनांदगांव	छुरिया	55789	1114	56903
		डोंगरगड	53342	7614	60956
		डोंगरगांव	39407	2411	41818
		राजनांदगांव	61167	36054	97221

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	ग्रामीण हितग्राही	शहरी हितग्राही	कुल योग
29	सक्ती	दभरा	45696	4117	49813
		जैजैपुर	51172	2216	53388
		मालखरौदा	45625	2132	47757
		सक्ती	40882	6961	47843
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बरमाकेला	42877	3238	46115
		बिलाईगढ़	67665	4123	71788
		सारंगढ़	69468	2076	71544
31	सुकमा	छिदगढ़	22830	0	22830
		कोटा	13619	2040	15659
		सुकमा	10680	2940	13620
32	सूरजपुर	भैयाथान	34064	1587	35651
		ओडगी	25735	0	25735
		प्रतापपुर	39820	2048	41868
		प्रेमनगर	17508	1151	18659
		रामानुजनगर	35376	0	35376
		सूरजपुर	52839	5541	58380
33	सरगुजा	बतौली	19789	0	19789
		लखनपुर	32940	1679	34619
		लुड़ा	33175	0	33175
		मैनपाट	20612	0	20612
		अंबिकापुर	47680	26483	74163
		सीतापुर	24844	1918	26762
		उदयपुर	22557	0	22557
कुल					6963621

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़

(क) वर्ष 2024 से जनवरी, 2025 तक बांट माप तथा तौल उपकरणों के निर्माता- 0, विक्रेता- 17, एवं सुधारक- 3 को अनुज्ञप्तियों प्रदान की गई है, जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विक्रेता	अनुज्ञप्ति क्रमांक	जिला
1	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	DRAI545N24	रायपुर
2	माँ भगवती इलेक्ट्रॉनिक	DBSP552N24	बिलासपुर
3	आर. बी. इंटरप्राइजेज	DBST547N24	जगदलपुर
4	आरएसयू ए टू जेड हेल्थ प्लस प्राइवेट	DRAI538N24	रायपुर
5	साहू जी कांटावाला	DDHM549N24	धमतरी
6	एनालोगिक वेईंग ऑटोमेशन	DRAI539N24	रायपुर
7	ग्रीन अर्थ इंटरप्राइजेस	DRAI541N24	रायपुर
8	एच आर ए फायर इंजीनियरिंग ऐसोसिएट	DRAI551N24	रायपुर
9	जितेन्द्र इंजीनियरिंग एवं वेल्डिंग वर्क्स	DKRB537N24	कोरबा
10	जूही स्विचगियर्स एवं सेल्स कॉर्पोरेशन	DRAI548N24	रायपुर
11	जयमहाकाल साहिब इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रोवेट मशीन	DRAI550N24	रायपुर
12	जे.के. इलेक्ट्रानिक्स स्केल	DBSP540N24	बिलासपुर
13	डी. के. इलेक्ट्रानिक वेट मशीन	DMGL553N24	मुंगेली
14	रोहिणी इंटरप्राइजेस	DRAI543N24	रायपुर
15	साहेब इंटरप्राइजेस	DRAI536N24	रायपुर
16	मां भगवती टेक्नो साल्यूशन	DBSP555N25	बिलासपुर
17	दीपक कांटावाला	DJAN554N25	जांजगीर
क्रमांक	नवीन सुधारक	अनुज्ञप्ति क्रमांक	जिला
1	समदु राम बघेल	RBST544N24	जगदलपुर
2	एनालोगिक वेईंग ऑटोमेशन	RRAI542N24	रायपुर
3	ओम साई इलेक्ट्रानिक्स कांटा लक्ष्मी इंटरप्राइजेस	RJAN546N24	जांजगीर

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

जिला रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध क्रमशः 33, 19 तथा 14 कुल 66 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो निम्नानुसार हैं:-					
जिला - रायपुर					
सक्र.	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	व्यापारिक संस्थान	शिकायत का विवरण	प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही
1	11.01.2024	देब्रथ साहू	ब्लैक बक्स, तेलीबांधा, रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा लंबित
2	11.01.2024	शेक शनवाज	गुप्ता टी स्टॉल एंड डेलीनीड्स, न्यू राजेन्द्र नगर, अमलीडीह	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
3	18.03.2024	प्रिया झा	मैगी पोइंट, जंगल सफारी केन्टीन नवा रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
4	25.04.2024	मुकेश कुमार साहू	जागृति किराना स्टोर्स तरपोर्गी	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत आधारहीन एवं गलत पाया गया

5	25.04.2024	अरकटरावा राय	शुक्ला बनारसी पान भंडार, शंकर नगर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
6	25.04.2024	कबीर सिंह	मोहन ढाबा वैज, अभनपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
7	16.05.2024	आदित्य सिंह ठाकुर	मिश्रा भोजनालय कमल विहार	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
8	20.05.2024	बिकास चट्टर्जी	इंदोर स्वीट्स, शिवानंद नगर, रायपुर	वजन से संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान 2009 की धारा 12/30 उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 6000 रुपये जमा करायी गई।
9	25.04.2024	मुन्ना	जादुगर कैंटीन रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
10	31.05.2024	अविनाश शर्मा	गुप्ता स्वीट्स बीरगांव	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
11	25.04.2024	विकाश	अरिहंत सेल्स एंड जनरल स्टोर्स रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
12	07.06.2024	नरेन्द्र	श्रीराम मिष्ठान भंडार वीआईपी रोड रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया

13	12.06.2024	राकेश	साहू किराना स्टोर्स संजय नगर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
14	14.06.2024	मुकेश यादव	सार्थक स्वीट्स अटल नगर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
15	14.06.2024	सागर मंडल	वी आर डेली निडस सड्डू रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
16	03.07.2024	अभय	सिमरन हॉटल, सिलतरा	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
17	05.07.2024	असिफ कुमार दास	डॉली जनरल, चंगोराभाठा	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
18	05.07.2024	गोपाल वर्मा	अनिल किराना पुरानी बस्ती तिल्दा	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
19	25.07.2024	शबिना	बाबा किराना स्टोर्स रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
20	25.07.2024	रौनक नाहर	लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स देवेन्द्र नगर रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया

21	04.09.2024	शिजीज देवांगन	जैन बुक डिपो सदर बाजार	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
22	07.10.2024	सुभाषिश शतपथी	स्टैंड अलोन स्टोर मौलश्री विहार के पास रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
23	25.11.2024	करण	सूरज प्राविजन टिकरापारा रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
24	25.11.2024	कृष्ण कुमार	अशोका बिरयानी लाभांडी रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
25	25.11.2024	देवानंद कुमार सिंह	लोकल शॉप उरला रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	शिकायत का पता प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण जांच करना संभव नहीं हो पाया
26	25.11.2024	अभिनव गौरव	जलाराम डेली नीड्स भनपुरी	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
27	28.10.2024	स्वदेश प्रधान	गणपति कम्यूनिकेशन नहरपारा रायपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
28	28.10.2024	ओम तिवारी	बिट्टू भाई डेली नीड्स तिरैया	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	शिकायत का पता प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण जांच करना संभव नहीं हो पाया
29	23.09.2024	ओम तिवारी	तिरैया चौक धरसीवा	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	शिकायत का पता प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण जांच करना संभव नहीं हो पाया
30	10.12.2024	आकाश निषाद	शुभम के मार्ट के मार्ट देवेन्द्र नगर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया


31	16.12.2024	अमरजीत सिंह	हाई ब्रॉन न्यूट्रिशन, शंकर नगर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
32	30.12.2024	मनोज	नेहा किराना स्टोर्स कमल विहार	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
33	03.01.2025	रेखा	एन एस एम रायपुरा चौक	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
जिला - बिलासपुर					
1	28.12.2024	अंकित	प्रिया नमकीन सरकण्डा मुक्तिधाम बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
2	14.12.2024	अखिल	अमूल मिल्क ऑपोजिट ऑफ महर्षि विद्या मंदिर मंगला बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
3	10.06.2024	अजय पटेल	पूजा पान मसाला गतौरा	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच के आधार पर शिकायत निराधार पाया गया
4	05.06.2024	पंकज ठाकुर	किशोर ट्रेडर्स जॉन-2 डी-3 व्यापार बिहार	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
5	01.06.2024	दीपक नारंग	गुप्ता किराना स्टोर तिलक नगर सदरबाजार बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 2500 रुपये जमा करायी गई।
6	26.05.2024	अंकित तिवारी	पालघर पोस्ट ऑफिस के सामने बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।

				संबंधी शिकायत	
7	26.03.2024	धरमवीर सतनामी	डी कॉफी सेंटर न्यू बस स्टैण्ड बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।
8	03.04.2024	चंदनकुमार	राजबुक डीपो	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।
9	13.04.2024	आलोक कुमार दास	अंजली किराना स्टोर अन्न पूर्णा कॉलोनी बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 2500 रुपये जमा करायी गई।
10	21.04.2024	दीपक अग्रवाल	बिलासपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म न.05 स्टॉल 17 बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।
11	01.05.2024	दिव्यांश	रामा मेग्नेटो बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।
12	15.11.2024	विवेक	बिलासपुर जंक्शन, बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।
13	10.09.2024	अंकित सोनी	गणेश पान भण्डार बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।
14	19.06.2024	अफजन हसन खान	फरीद नगर ईद मोहल्ला बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।

15	16.06.2024	ओवसीस बिलासपुर	सरगम पान सेंटर महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।
16	14.06.2024	हिमांशु शिवानी	बिलासपुर रेलवे स्टेशन बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।
17	28.10.2024	सालिक राम यादव	सुनिल इंटर प्राइजेज प्लेट फार्म न.04 बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।
18	10.07.2024	दीपक गुप्ता	ताज हॉटल रेलवे स्टेशन बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
19	21.10.2024	रत्नेश यादव	मौसाजी स्वीट्स बिलासपुर	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
जिला - दुर्ग					
1	11.02.2024	अमित मिश्रा	मेसर्स मैत्रीबाग कैंटिन	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
2	13.03.2024	सुरेन्द्र	मेसर्स धनीराम किराना स्टोर्स	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 2000 रुपये जमा करायी गई।
3	06.03.2024	देव चंद	मेसर्स सतनाम गैरेज	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण शिकायत निराधार

4	23.03.2024	रंजीत गुप्ता	मेसर्स रबिया किराना स्टोर्स	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 2000 रुपये जमा करायी गई।
5	28.03.2024	जितेन्द्र	मेसर्स अमित पाल इंटरनेशनल	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	शिकायत निराधार शिकायत वापसी संबंधी पत्र प्रेषित।
6	14.08.2024	रुचिका शर्मा	मेसर्स संगम डेरी	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
7	19.08.2024	अर्जून राजपूत नायक	मेसर्स संतोष किराना स्टोर्स	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
8	02.09.2024	दयास कुमार	मेसर्स वर्मा किराना स्टोर्स	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।
9	20.10.2024	विशाल यादव	मेसर्स तरुण किराना स्टोर्स	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	दुकान अस्तित्व में नहीं पाया गया। शिकायत निराधार
10	22.10.2024	निवेश विजियन	मेसर्स बेसील स्ट्रीट झरोखा	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
11	03.11.2024	शिवम	आवेदन में संस्थान का नाम व पता स्पष्ट नहीं होने तथा शिकायतकर्ता का नाम उपलब्ध नहीं।	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	शिकायत बेनामी होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

12	23.12.2024	प्रिंस	मेसर्स आकाश हाऊस ऑफ टेक्टर्स	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, विधिक मापविज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 का नियम 18(2) का उल्लंघन पाया गया एवं राजीनामा राशि 5000 रुपये जमा करायी गई।
13	02.01.2025	अनंत उपाध्याय	मेसर्स जैनम डेली निड्स सेक्टर 01 भिलाई	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	प्रकरण पंजीबद्ध, प्रकरण लंबित, राजीनामा हेतु पत्र जारी
14	07.12.2024	अमित कुमार	एडी एस इलेक्ट्रानिक, पंचशील नगर चौरादा भिलाई	एम आर पी से अधिक विक्रय संबंधी शिकायत	जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई।


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-अ

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत आ. बा. केन्द्र	संचालित आ.बा. केन्द्रों की संख्या	असंचालित आ.बा. केन्द्र	संचालित केन्द्रों में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या	रिक्त पद	संचालित केन्द्रों में पदस्थ आ.बा. सहायिकाओं की संख्या	रिक्त पद	स्वीकृत भवन	स्वयं के भवन में संचालित	भवन विहीन संख्या	जर्जर भवन संख्या	किराये भवन संख्या	अन्य शासकीय भवन में संचालित आंगनबाड़ी भवनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	234	234	0	234	0	233	1	210	160	74	9	71	3
2		उसूर	उसूर	227	227	0	221	6	223	4	166	118	109	40	100	9
3			बासागुड़ा	115	115	0	114	1	110	5	89	28	87	3	84	3
4		भोपालपटनम	भोपालपटनम	238	237	1	236	1	234	3	195	160	77	36	56	21
5		भैरमगढ़	कुटूरु	130	130	0	129	1	128	2	99	77	53	14	47	6
6			भैरमगढ़	244	244	0	243	1	239	5	200	149	95	37	85	10
योग				1188	1187	1	1177	10	1167	20	959	692	495	139	443	52

प्रपत्र-ब

वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति आंगनबाड़ी केंद्र भवन की जानकारी

क्र.	वि.ख.	वित्तीय वर्ष (2024-25)	आं.बा. केन्द्र का नाम	मद/योजना का नाम	प्रशासकीय		निर्माण की वर्तमान	रिमार्क
					स्वीकृति दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बीजापुर	2024-25	तालाबपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
2	बीजापुर	2024-25	भोगामगुडा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
3	बीजापुर	2024-25	इसलनार	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
4	बीजापुर	2024-25	गोरना	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
5	बीजापुर	2024-25	कोरसापारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
6	बीजापुर	2024-25	पेदाकोरमा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	अप्रारंभ	
7	बीजापुर	2024-25	काकेकोरमा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
8	बीजापुर	2024-25	बोडलापूसनार	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	अप्रारंभ	
9	बीजापुर	2024-25	मूनगा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	अप्रारंभ	
10	बीजापुर	2024-25	सागवाही	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
11	बीजापुर	2024-25	तोमोडी	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	अप्रारंभ	
12	बीजापुर	2024-25	बंदेपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
13	बीजापुर	2024-25	पोंदियापारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
14	बीजापुर	2024-25	गमपुर	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	अप्रारंभ	
15	बीजापुर	2024-25	मुच्चापारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	अप्रारंभ	
16	बीजापुर	2024-25	हिरोलीपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	अप्रारंभ	
17	बीजापुर	2024-25	करपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	अप्रारंभ	
18	बीजापुर	2024-25	पटेलपारा, चोखनपाल	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
19	बीजापुर	2024-25	सावनार, स्कूलपारा	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
20	बीजापुर	2024-25	बुरजी	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
21	बीजापुर	2024-25	चिन्नाजोजेर, गायतापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
22	बीजापुर	2024-25	कमकानार, स्कूलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
23	बीजापुर	2024-25	कमकानार, तराईपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
24	बीजापुर	2024-25	दूरधा, स्कूलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
25	बीजापुर	2024-25	मोसला, स्कूलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
26	बीजापुर	2024-25	मोसला, कोमलीपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
27	बीजापुर	2024-25	कचिलवार	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
28	बीजापुर	2024-25	नयापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
29	बीजापुर	2024-25	आदेड	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
30	बीजापुर	2024-25	मनकेली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
31	बीजापुर	2024-25	पेदाकवाली, स्कूलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
32	बीजापुर	2024-25	पेदाकवाली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
33	बीजापुर	2024-25	स्कूलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
34	बीजापुर	2024-25	स्कूलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
35	बीजापुर	2024-25	नदीपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
36	बीजापुर	2024-25	नयापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
37	बीजापुर	2024-25	चिलनार	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
38	बीजापुर	2024-25	मिरगानघोटल	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
39	बीजापुर	2024-25	तामोडी	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
40	बीजापुर	2024-25	नेण्डा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
41	बीजापुर	2024-25	तोड़का, कोरचोली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
42	बीजापुर	2024-25	डवालीपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
43	बीजापुर	2024-25	बुरजी कैम्प	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
44	बीजापुर	2024-25	पाटमपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
45	बीजापुर	2024-25	गमपुर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
46	बीजापुर	2024-25	गोंगला	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
47	बीजापुर	2024-25	पटेलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
48	बीजापुर	2024-25	गोंगला, नयापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति

क्र.	वि.ख.	वित्तीय वर्ष (2024-25)	आं.बा. केन्द्र का नाम	मद/योजना का नाम	प्रशासकीय		निर्माण की वर्तमान	रिमार्क
					स्वीकृति दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	भोपालपटनम	2024-25	हरिजनपारा	ICDS+15 FIN.	784/14.06.2024	10.30	दरवाजा स्तर	प्रगति
50	भोपालपटनम	2024-25	नयापारा	ICDS+15 FIN.	784/14.06.2024	10.30	नींव	प्रगति
51	भोपालपटनम	2024-25	बोरगुडा	ICDS+15 FIN.	784/14.06.2024	10.30	प्लिंथ	प्रगति
52	भोपालपटनम	2024-25	स्कूलपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	खिडकी स्तर	प्रगति
53	भोपालपटनम	2024-25	कादलापती	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
54	भोपालपटनम	2024-25	पीलूर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
55	भोपालपटनम	2024-25	पीलूर, सरपंचपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
56	भोपालपटनम	2024-25	अन्नारम	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
57	भोपालपटनम	2024-25	कोतागुडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
58	भोपालपटनम	2024-25	रेगुडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
59	भोपालपटनम	2024-25	नयापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
60	भोपालपटनम	2024-25	यापला आवासपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
61	भोपालपटनम	2024-25	सण्ड्रापल्ली स्कूलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
62	भोपालपटनम	2024-25	सण्ड्रापल्ली पटेलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
63	भोपालपटनम	2024-25	मामिडगुडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	ढलाई पूर्ण	प्रगति
64	भोपालपटनम	2024-25	वरदली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
65	भोपालपटनम	2024-25	कच्चीपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
66	भोपालपटनम	2024-25	दुधेडा, मडेपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
67	भोपालपटनम	2024-25	सीतानगरम	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
68	भोपालपटनम	2024-25	पटेलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
69	भोपालपटनम	2024-25	वासमपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
70	भोपालपटनम	2024-25	बंदेपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
71	भोपालपटनम	2024-25	नयापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
72	भोपालपटनम	2024-25	आवासपारा अर्जुनल्ली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
73	भोपालपटनम	2024-25	मीनूर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
74	भैरमगढ़	2024-25	मरकापाल, मुरियापारा	ICDS+15 FIN.	784/14.06.2024	10.30	स्लैब स्तर	प्रगति
75	भैरमगढ़	2024-25	पूसनार	ICDS+15 FIN.	784/14.06.2024	10.30	प्लास्टर पूर्ण	प्रगति
76	भैरमगढ़	2024-25	नयापारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
77	भैरमगढ़	2024-25	कोरलापल्ली, अन्दीपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
78	भैरमगढ़	2024-25	गुमनेर, मुखियापारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
79	भैरमगढ़	2024-25	मुचलेर, रिमनपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
80	भैरमगढ़	2024-25	नयापारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
81	भैरमगढ़	2024-25	टुंगेली, कुंजामपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
82	भैरमगढ़	2024-25	कुम्भापारा, आकलका	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
83	भैरमगढ़	2024-25	ताड़मेर, कडियमपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
84	भैरमगढ़	2024-25	पिटेतगाली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
85	भैरमगढ़	2024-25	बडे तगाली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	खिडकी स्तर	प्रगति
86	भैरमगढ़	2024-25	कथोली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
87	भैरमगढ़	2024-25	सेठिया पारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
88	भैरमगढ़	2024-25	बेदरे 1	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
89	भैरमगढ़	2024-25	बेदरे 2	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
90	भैरमगढ़	2024-25	बेदरे, जुड़मपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
91	भैरमगढ़	2024-25	तिम्मेनार	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
92	भैरमगढ़	2024-25	जब्बे	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
93	भैरमगढ़	2024-25	हरपाल	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
94	भैरमगढ़	2024-25	पटेलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति

क्र.	वि.ख.	वित्तीय वर्ष (2024-25)	आं.बा. केन्द्र का नाम	मद/योजना का नाम	प्रशासकीय		निर्माण की वर्तमान	रिमार्क
					स्वीकृति दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	भैरमगढ़	2024-25	बेलनार गूडेगाडीरा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
96	भैरमगढ़	2024-25	बडेपारा, कोमपल्ली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
97	भैरमगढ़	2024-25	एरांमगी	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
98	भैरमगढ़	2024-25	पेरमापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
99	भैरमगढ़	2024-25	नाकापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
100	भैरमगढ़	2024-25	दुगापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
101	भैरमगढ़	2024-25	अस्पतालपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
102	भैरमगढ़	2024-25	केशामण्डा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
103	भैरमगढ़	2024-25	केशकतल 2	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
104	भैरमगढ़	2024-25	चूचकोटा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
105	भैरमगढ़	2024-25	कुपरेल	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
106	भैरमगढ़	2024-25	मंगापेठा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
107	भैरमगढ़	2024-25	ओडागण्डा पारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
108	भैरमगढ़	2024-25	कुडमेर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
109	भैरमगढ़	2024-25	मदपाल	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
110	भैरमगढ़	2024-25	फुलादी	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
111	भैरमगढ़	2024-25	स्कूलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
112	भैरमगढ़	2024-25	पिटेपार	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
113	भैरमगढ़	2024-25	कोण्डापाल	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
114	भैरमगढ़	2024-25	हकवा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
115	भैरमगढ़	2024-25	पातरपारा 1	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
116	भैरमगढ़	2024-25	पल्लेवाया	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	स्लैब स्तर	प्रगति
117	भैरमगढ़	2024-25	पेठा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
118	भैरमगढ़	2024-25	चिंगेर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
119	भैरमगढ़	2024-25	बैचरम	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
120	भैरमगढ़	2024-25	दरभा (कुजामपारा)	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	छज्जा स्तर	प्रगति
121	भैरमगढ़	2024-25	दरभा गढ़मिरीपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	छज्जा स्तर	प्रगति
122	भैरमगढ़	2024-25	स्कूलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	छज्जा स्तर	प्रगति
123	भैरमगढ़	2024-25	फरसेगढ़	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
124	भैरमगढ़	2024-25	राउतपारा ताकिलोड	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
125	भैरमगढ़	2024-25	तोयनार (स्कूलपार)	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
126	भैरमगढ़	2024-25	कोरसापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
127	भैरमगढ़	2024-25	सरपंच पारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
128	भैरमगढ़	2024-25	स्कूलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
129	भैरमगढ़	2024-25	ताडमेर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
130	भैरमगढ़	2024-25	अडावली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
131	भैरमगढ़	2024-25	पटेलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
132	भैरमगढ़	2024-25	आश्रम पारा, भटवाडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
133	भैरमगढ़	2024-25	चिहका 1	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
134	भैरमगढ़	2024-25	उस्परी	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
135	भैरमगढ़	2024-25	पटेलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
136	भैरमगढ़	2024-25	तमला	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	खिडकी स्तर	प्रगति
137	भैरमगढ़	2024-25	स्कूलपारा क्रं. 1	ICDS	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
138	भैरमगढ़	2024-25	पटेलपारा	ICDS	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
139	उसूर	2024-25	पोडियमपारा	ICDS+15 FIN.	784/14.06.2024	10.30	स्लैब स्तर	प्रगति
140	उसूर	2024-25	कूरसमपारा	ICDS+15 FIN.	784/14.06.2024	10.30	स्लैब स्तर	प्रगति
141	उसूर	2024-25	कोमटगुडा	ICDS+15 FIN.	784/14.06.2024	10.30	स्लैब स्तर	प्रगति
142	उसूर	2024-25	बोडकेपारा	ICDS+15 FIN.	784/14.06.2024	10.30	प्लास्टर पूर्ण	प्रगति
143	उसूर	2024-25	जीडपल्ली	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
144	उसूर	2024-25	दामारम	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	नींव	प्रगति
145	उसूर	2024-25	कंचाल	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	अप्रारंभ	

क्र.	वि.ख.	वित्तीय वर्ष (2024-25)	आं.बा. केन्द्र का नाम	मद/योजना का नाम	प्रशासकीय		निर्माण की वर्तमान	रिमार्क
					स्वीकृति दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	उसूर	2024-25	राजपेटा, तेलगुपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	छज्जा स्तर	प्रगति
147	उसूर	2024-25	मेट्टापारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
148	उसूर	2024-25	बोदुपारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
149	उसूर	2024-25	पेददागेलूर, मेट्टापारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
150	उसूर	2024-25	उडतामल्ला -1	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
151	उसूर	2024-25	नयापारा, उडतामल्ला	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
152	उसूर	2024-25	बोटेतोंग	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
153	उसूर	2024-25	मारेनगुडा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
154	उसूर	2024-25	पीनाचंदा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
155	उसूर	2024-25	येकापारा	ICDS+CSR/NMDC	3662/27.12.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
156	उसूर	2024-25	धरमारम, एंकापारा	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
157	उसूर	2024-25	धरमारम, कासपारा	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
158	उसूर	2024-25	पुसकोटा, पटेलपारा	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	प्लास्टर पूर्ण	प्रगति
159	उसूर	2024-25	रैलीपारा, पूतकल	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
160	उसूर	2024-25	चिल्कापल्ली, बंडापारा	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
161	उसूर	2024-25	यमपुर, सण्ड्रम बोरपारा	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
162	उसूर	2024-25	गगनपल्ली	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
163	उसूर	2024-25	नरसापुर	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
164	उसूर	2024-25	मुरकीपाड	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
165	उसूर	2024-25	टेकलगुडा	ICDS	3220/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
166	उसूर	2024-25	मेदीपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
167	उसूर	2024-25	गुबलगुडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
168	उसूर	2024-25	पटेलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
169	उसूर	2024-25	आवास पारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
170	उसूर	2024-25	कासाराम पारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	दरवाजा स्तर	प्रगति
171	उसूर	2024-25	शिवीरपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
172	उसूर	2024-25	शिविरपारा 1	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
173	उसूर	2024-25	शिविरपारा 2	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
174	उसूर	2024-25	कोण्डापल्ली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
175	उसूर	2024-25	कोमटपल्ली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
176	उसूर	2024-25	तुमिरगुडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
177	उसूर	2024-25	भट्टीगुडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
178	उसूर	2024-25	गौंडपारा भट्टीगुडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
179	उसूर	2024-25	बकनागुलगुडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
180	उसूर	2024-25	सारकेगुडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
181	उसूर	2024-25	आउटपल्ली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	खिडकी स्तर	प्रगति
182	उसूर	2024-25	मारुढबाका	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
183	उसूर	2024-25	लिगापुर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
184	उसूर	2024-25	लिगापुर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
185	उसूर	2024-25	भूषापुर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
186	उसूर	2024-25	भूषापुर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
187	उसूर	2024-25	गुडीरगुडा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
188	उसूर	2024-25	नाईकपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
189	उसूर	2024-25	पुजारीपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
190	उसूर	2024-25	भट्टीपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	स्लैब स्तर	प्रगति
191	उसूर	2024-25	मलेपल्ली क्र. 1	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
192	उसूर	2024-25	मलेपल्ली 1	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	खिडकी स्तर	प्रगति
193	उसूर	2024-25	मलेपल्ली 2	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	खिडकी स्तर	प्रगति
194	उसूर	2024-25	बुडगीचेरु	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति

क्र.	वि.ख.	वित्तीय वर्ष (2024-25)	आं.बा. केन्द्र का नाम	मद/योजना का नाम	प्रशासकीय		निर्माण की वर्तमान	रिमार्क
					स्वीकृति दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	उसूर	2024-25	बायगुड़ा न0 6	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
196	उसूर	2024-25	बजारापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
197	उसूर	2024-25	बन्डागुड़ा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
198	उसूर	2024-25	सेमलापारा तिम्मापुर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
199	उसूर	2024-25	रेगानार	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
200	उसूर	2024-25	गोटूम	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
201	उसूर	2024-25	गमपड़	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
202	उसूर	2024-25	पोलमपल्ली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
203	उसूर	2024-25	जोन्नागुड़ा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
204	उसूर	2024-25	नयापारा पोलमपल्ली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
205	उसूर	2024-25	सरपंचपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
206	उसूर	2024-25	कस्त्रपाढ़	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
207	उसूर	2024-25	मुरियापारा उटलापल्ली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
208	उसूर	2024-25	पुजारी कांकेर 1	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
209	उसूर	2024-25	पुजारी कांकेर 2	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
210	उसूर	2024-25	सुन्दरकालोनी	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
211	उसूर	2024-25	पेरमापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	स्लैब स्तर	प्रगति
212	उसूर	2024-25	मुरियापारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	स्लैब स्तर	प्रगति
213	उसूर	2024-25	पुरानापारा 2	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
214	उसूर	2024-25	कोमलमपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	खिडकी स्तर	प्रगति
215	उसूर	2024-25	पुन्नूर पुजारीपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
216	उसूर	2024-25	पुन्नूर पटेलपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
217	उसूर	2024-25	कमलापुर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
218	उसूर	2024-25	मोड़ियमपारा कमलापुर	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
219	उसूर	2024-25	तुमिरगुड़ा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
220	उसूर	2024-25	जान्नागुड़ा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
221	उसूर	2024-25	कौजेड	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	अप्रारंभ	
222	उसूर	2024-25	इतागुड़ा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
223	उसूर	2024-25	बंगालपारा नम्बी	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
224	उसूर	2024-25	पूटापल्ली नं. 2	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
225	उसूर	2024-25	पुजारीपारा नडपल्ली	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
226	उसूर	2024-25	नम्बी	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
227	उसूर	2024-25	आवासपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	प्लिंथ	प्रगति
228	उसूर	2024-25	पुनेमपारा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
229	उसूर	2024-25	पगलवाय	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	नींव	प्रगति
230	उसूर	2024-25	सरपंचपारा आईपेन्टा	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
231	उसूर	2024-25	लकापल्ली 3	ICDS	3219/14.11.2024	11.69	लेआउट	प्रगति
232	उसूर	2024-25	काउरगुटा	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	लेआउट	प्रगति
233	उसूर	2024-25	पुजारीपारा, कंचाल	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
234	उसूर	2024-25	एरैपल्ली, कंचाल	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
235	उसूर	2024-25	मुरियापारा, कंचाल	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
236	उसूर	2024-25	छोटेतोंग, कंचाल	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
237	उसूर	2024-25	खासपारा, कंचाल	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
238	उसूर	2024-25	कोण्डापल्ली, नदीपारा	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
239	उसूर	2024-25	कडतीपारा	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
240	उसूर	2024-25	पुनेमपारा	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
241	उसूर	2024-25	बजारापारा	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
242	उसूर	2024-25	गादीगुड़ा	ICDS	3814/16.01.2025	11.69	लेआउट	प्रगति
243	उसूर	2024-25	बजारापारा	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	नींव	प्रगति

क्र.	वि.ख.	वित्तीय वर्ष (2024-25)	आं.बा. केन्द्र का नाम	मद/योजना का नाम	प्रशासकीय		निर्माण की वर्तमान	रिमार्क
					स्वीकृति दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	उसूर	2024-25	पूजारीपारा	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	नींव	प्रगति
245	उसूर	2024-25	बामेड़	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
246	उसूर	2024-25	पालागुड़ा	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
247	उसूर	2024-25	खासपारा, पालागुड़ा	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
248	उसूर	2024-25	मेट्टागुड़ा	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
249	उसूर	2024-25	दारेली	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
250	उसूर	2024-25	राउतपारा, दारेली	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
251	उसूर	2024-25	मेट्टापारा, दारेली	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
252	उसूर	2024-25	खासपारा, दारेली	ICDS+DMF	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
253	उसूर	2024-25	स्कूलपारा	ICDS	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
254	उसूर	2024-25	स्कूलपारा, पेंकरम	ICDS	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
255	उसूर	2024-25	जिनेलपारा	ICDS	3814/16.01.2025	11.69	अप्रारंभ	
						2968.44		

परिशिष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1078) की जानकारी

प्रपत्र

महतारी वंदन योजना के पात्र, अपात्र तथा भुगतान सफल न हो सके हितग्राहियों की जानकारी

क्रं.	माह	माह में पात्र हितग्राहियों की संख्या	माह में अपात्र हितग्राहियों की संख्या	कुल पात्र में से मृत हितग्राहियों की संख्या	पात्र हितग्राहियों की संख्या, जिन्हें भुगतान प्राप्त नहीं हो सका
1	2	3	4	5	6
1	मार्च 2024	7009578	17353	223	6878
2	अप्रैल 2024	7009453	17416	285	8486
3	मई 2024	7007388	18465	1301	9337
4	जून 2024	7002886	22389	1879	12518
5	जुलाई 2024	7000585	22520	4049	15749
6	अगस्त 2024	6987734	32546	6872	18713
7	सितंबर 2024	6985849	32831	8474	21868
8	अक्टूबर 2024	6982320	32936	11898	25253
9	नवंबर 2024	6978566	33032	15556	27377
10	दिसंबर 2024	6974830	33164	19160	25501
11	जनवरी 2024	6969399	33561	24194	26812

प्रपत्र**सखी वन स्टॉप सेंटर में पीड़िता हेतु भोजन व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी**

क्र.	उपलब्ध सुविधा	विवरण
1	आपातकालीन आश्रय सुविधा	आश्रय की आवश्यकता वाली पीड़िताओं को अधिकतम 05 दिवस का आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु प्रत्येक सखी वन स्टॉप सेंटर में 05 बेड की व्यवस्था है।
2	चिकित्सकीय सुविधा/सहायता	हिंसा से पीड़ित महिला को निकट के चिकित्सालय में भेजकर उसकी चिकित्सकीय जांच तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक सखी केन्द्र हेतु 01 पैरा मेडिकल कार्मिक का प्रावधान किया गया है।
3	विधिक सलाह/सहायता/विधिक परामर्श	पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर विधिक परामर्श, प्रकरण दायर करने में मदद तथा प्रकरण की जानकारी प्रदाय की जाती है। प्रत्येक सखी केन्द्र में 01 पैरा लीगल कार्मिक/वकील का प्रावधान किया गया है।
4	मनोवैज्ञानिक/सामाजिक/परामर्श/सलाह व सहायता	महिलाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दक्ष परामर्शदाता की सेवायें वन स्टॉप सेंटर में आवश्यकतानुसार प्रदाय की जाती हैं।
5	पुलिस सुविधा/सहायता	पीड़िता को पुलिस से समन्वय करते हुए आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जाती है।
6	दैनिक वस्तुओं की सुविधा	आश्रय प्राप्त पीड़िता को भोजन, वस्त्र, मेडिकल किट दैनिक उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करायी जाती हैं।
7	भोजन व्यवस्था	सखी वन स्टॉप सेंटर में आश्रय प्राप्त पीड़ित महिला को आश्रय अवधि के दौरान सखी वन स्टॉप सेंटर में आश्रय के साथ-साथ निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है।


पारिशेष - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1015) की जानकारी

प्रपत्र

जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती में जनवरी 2023 से जनवरी 2025 तक जारी एपीएल राशनकार्ड एवं बीपीएल राशनकार्ड की जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	जनवरी 2023 से जनवरी 2025 तक जारी राशनकार्डों की संख्या				
		एपीएल राशनकार्ड	अंत्योदय राशनकार्ड	प्राथमिकता राशनकार्ड	एकल निराश्रित राशनकार्ड	निःशक्तजन राशनकार्ड
जिला जांजगीर-चांपा						
1	नवागढ़	609	1477	15610	49	37
2	पामगढ़	266	795	10060	15	28
3	अकलतरा	331	891	7152	9	1
4	बलौदा	227	1069	7117	20	10
5	बम्हनीडीह	338	680	7452	22	25
	योग	1771	4912	47391	115	101
जिला सक्ती						
1	जैजैपुर	202	897	10469	11	58
2	सक्ती	452	837	8602	39	23
3	मालखरौदा	189	1030	6782	12	27
4	डभरा	197	2008	7427	10	9
	योग	1040	4772	33280	72	117


 अजुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 966) की जानकारी

प्रपत्र - अ

विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी 25 तक स.वि.प्र. के तहत संचालित उचित मूल्य दुकान, संचालनकर्ता एजेंसी का नाम एवं संचालन का स्थान की जानकारी

क्र	शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	विकासखण्ड/नगरीय निकाय
1	442001020	जय महाकाल खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित	71 - आमासिवनी	रायपुर
2	442001026	महामाया खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उप सेवा सह समिति मर्या पं.क्र. 702	75 - जोरा	रायपुर
3	442001078	जयशंकर प्राथ.सह.उप.भंडार, कचना	72 - कचना	रायपुर
4	441012011	औद्योगिक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, मांढर	12 - विनोबा भावे	कुंरा
5	442001010	सेवा सहकारी समिति कुंरा	1 - नेताजी सुभाष चंद्र बोस	कुंरा
6	442001001	अग्रसेन प्रा सह उप भंडार	कुरूद सिलियारी	धरसीवा
7	442001002	महामाया खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति	धरसीवा	धरसीवा
8	442001003	सेवा सहकारी समिति, धरसीवा, पं.क्र.-164	परसतराई	धरसीवा
9	442001004	सेवा सहकारी समिति, सिलियारी, पं.क्र.-1077	बरबंदा	धरसीवा
10	442001005	सेवा सहकारी समिति, कचना, पं.क्र.-940 ग्राम पंचायत-बरौदा	बरौदा	धरसीवा
11	442001007	सेवा सहकारी समिति, मलौद, पं.क्र.-196 ग्राम पंचायत-कुकेरा	कुकेरा	धरसीवा
12	442001008	ग्रामीण सेवा समिति मर्यादित कुम्हारी	कुम्हारी	धरसीवा
13	442001009	ग्रामीण सेवा समिति मर्यादित कुम्हारी	चिखली	धरसीवा
14	442001011	ग्राम पंचायत काठाडीह	मोहदी	धरसीवा
15	442001012	सेवा सहकारी समिति, धरसीवा, पं.क्र.-164	गोढ़ी	धरसीवा
16	442001013	जय महाकाल खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी	बरतनारा	धरसीवा
17	442001014	अग्रसेन प्रा सह उप भंडार	कुथरेल	धरसीवा
18	442001015	अग्रसेन प्रा सह उप भंडार	मोहागांव	धरसीवा
19	442001016	सेवा सहकारी समिति, गिरौद, पं.क्र.-206	गिरौद	धरसीवा
20	442001017	सेवा सहकारी समिति, सारागांव पं.क्र.-1505	पवनी	धरसीवा
21	442001018	जय शंकर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	सांकरा	धरसीवा
22	442001019	सेवा सहकारी समिति, सारागांव पं.क्र.-1505	सारागांव	धरसीवा

क्र	शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	विकासखण्ड/नगरीय निकाय
23	442001022	सेवा सहकारी समिति, दोंदेकला, पं.क्र.-599	दोंदेकला	धरसीवा
24	442001023	सेवा सहकारी समिति, देवरी, पं.क्र.-665 ग्राम पंचायत-देवरी	देवरी	धरसीवा
25	442001024	अन्यदायिनी महिला स्व सहायता समूह	चरौदा	धरसीवा
26	442001025	मां मनसा देवी खाद्य पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति	तुलसी	धरसीवा
27	442001027	सेवा सहकारी समिति, सिलयारी, पं.क्र.-1077	नगरगांव	धरसीवा
28	442001028	सेवा सहकारी समिति, टेकारी, पं.क्र.-303 ग्राम पंचायत-टेकारी	टेकारी - 2	धरसीवा
29	442001030	चहुंमुखी महिला स्व सहायता समूह पंजीयन क्रमांक 27865	गुमा	धरसीवा
30	442001031	सेवा सहकारी समिति, बरतनारा ग्राम पंचायत मुर्दा	मुर्दा	धरसीवा
31	442001032	सेवा सहकारी समिति, धरसीवा, पं.क्र.-164	तिवरैया	धरसीवा
32	442001033	ग्राम पंचायत, बेंदरी	बेंदरी	धरसीवा
33	442001034	वतिका खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति	जरौदा	धरसीवा
34	442001035	ग्राम पंचायत कपसदा	कपसदा	धरसीवा
35	442001036	ग्राम पंचायत गोमची	गोमची	धरसीवा
36	442001037	ग्रामीण सेवा समिति मर्यादित कुम्हारी	कन्हेरा	धरसीवा
37	442001038	ग्राम पंचायत पठारीडीह	पठारीडीह	धरसीवा
38	442001039	श्री राधा मोहन महिला स्व सहायता समूह	दोंदेखुर्द	धरसीवा
39	442001040	अग्रसेन प्रा सह उप भंडार	टोर	धरसीवा
40	442001041	ग्राम पंचायत बहेसर	बहेसर	धरसीवा
41	442001043	ग्राम पंचायत भेसमुडा	भेसमुडा	धरसीवा
42	442001044	श्री राधा मोहन महिला स्व सहायता समूह	सेरीखेड़ी	धरसीवा
43	442001047	चहुंमुखी महिला स्व सहायता समूह पंजीयन क्रमांक 27865	तेन्दुआ	धरसीवा
44	442001050	सेवा सहकारी समिति, सारागांव पं.क्र.-1505	मंगसा	धरसीवा
45	442001051	सेवा सहकारी समिति, सोण्डरा, पं.क्र.-117	निमोरा	धरसीवा
46	442001054	सेवा सहकारी समिति, धरमपुरा, पं.क्र.-16	पिरदा	धरसीवा
47	442001057	सेवा सहकारी समिति, गिरौद, पं.क्र.-206	धनेली (सांकरा)	धरसीवा
48	442001059	लोकांचल महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत गोमची	कारा	धरसीवा
49	442001060	मां कर्मा प्रार्थामिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	मनोहरा	धरसीवा

क्र	शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	विकासखण्ड/नगरीय निकाय
50	442001061	जय बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, चंदनीडीह, ग्राम सोण्डरा	सोण्डरा	धरसीवा
51	442001062	प्रज्ञा बहिन महिला स्व.सहा.समूह, ग्राम निलजा	निलजा	धरसीवा
52	442001063	सेवा सहकारी समिति, सिलयारी, पं.क्र.-1077	तरेसर	धरसीवा
53	442001067	हर हर महादेव प्राथ. सह उप. भंडार, मलौद	मलौद	धरसीवा
54	442001068	ग्राम पंचायत कपसदा	पंडरभट्टा	धरसीवा
55	442001069	ग्राम पंचायत, रैता	रैता	धरसीवा
56	442001070	सेवा सहकारी समिति, तुलसी, पं.क्र.-529	संकरी	धरसीवा
57	442001071	ग्राम पंचायत, मुरेठी	मुरेठी	धरसीवा
58	442001072	जय शंकर प्राथ. सह. उप भंडार, सिलतरा	सिलतरा	धरसीवा
59	442001073	अम्बेडकर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	तर्रा	धरसीवा
60	442001074	सेवा सहकारी समिति, गिरौद, पं.क्र.-206	टांडा	धरसीवा
61	442001077	जय भारत माता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, बाना	बाना	धरसीवा
62	442001079	जयवीर हनुमान प्राथ.सह.उप.भंडार, छपोरा	छपोरा	धरसीवा
63	442001080	ग्राम पंचायत बेन्द्री	अकोली	धरसीवा
64	442001081	ग्राम पंचायत, मंटिया	मंटिया	धरसीवा
65	442001083	सेवा सहकारी समिति, धरमपुरा, पं.क्र.-16	नकटी	धरसीवा
66	442001084	औद्योगिक विकास प्राथ.सह.उप.भंडार	मांढर	धरसीवा
67	442001085	कृषक सेवा सहकारी समिति सिलयारी	पथरी (खुडमुडी)	धरसीवा
68	442001086	ग्राम पंचायत, नेउरडीह	नेउरडीह	धरसीवा
69	442001087	सेवा सहकारी समिति, दौदेकला, पं.क्र.-599	लालपुर	धरसीवा
70	442001088	अग्रसेन प्रा सह उप भंडार	कुरूद सिलियारी	धरसीवा
71	441011001	माँ महामाया महिला स्व सहायत समूह	बाबा घसीदास वार्ड -02	खरोरा
72	441011002	सेवा सहकारी समिति बेलटुकरी नवागांव	छत्रपति शिवाजी वार्ड -10	खरोरा
73	441011003	सेवा सहकारी समिति बेलटुकरी नवागांव	नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड - 09	खरोरा
74	442004001	कठिया सेवा सहकारी समिति	कठिया	तिल्दा
75	442004013	ग्रामिण सेवा सहकारी समिति, मोहरेंगा	मोहरेंगा	तिल्दा
76	442004014	ग्रामिण सेवा सहकारी समिति, मूरा	मूरा	तिल्दा
77	442004029	सेवा सहकारी समिति मढी	मढी	तिल्दा

क्र	शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	विकासखण्ड/नगरीय निकाय
78	442004030	सेवा सहकारी समिति बरतोरी कोदवा	बरतोरी	तिल्दा
79	442004031	सेवा सहकारी समिति खौना	खौना	तिल्दा
80	442004032	सेवा सहकारी समिति रायखेड़ा	रायखेड़ा	तिल्दा
81	442004033	सेवा सहकारी समिति बेलटुकरा नवागांव	नवागांव	तिल्दा
82	442004034	ग्राम पंचायत धिवरा	धिवरा	तिल्दा
83	442004035	सेवा सहकारी समिति कुम्हारी	कुम्हारी	तिल्दा
84	442004036	सेवा सहकारी समिति बंगोली	बंगोली	तिल्दा
85	442004037	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति पचरी	पचरी	तिल्दा
86	442004038	सेवा सहकारी समिति बुडेनी	बुडेनी	तिल्दा
87	442004039	सेवा सहकारी समिति, कनकी केन्द्र कनकी	कनकी	तिल्दा
88	442004040	सेवा सहकारी समिति फरहदा	फरहदा	तिल्दा
89	442004041	ग्राम पंचायत, केसला	केसला	तिल्दा
90	442004042	ग्राम पंचायत, मुड़पार	माठ	तिल्दा
91	442004043	सेवा सहकारी समिति असौदा	असौदा	तिल्दा
92	442004044	सेवा सहकारी समिति असौदा	गनियारी	तिल्दा
93	442004054	ग्राम पंचायत बुडगहन	भडुहा	तिल्दा
94	442004055	ग्राम पंचायत बुडगहन	बुडगहन	तिल्दा
95	442004056	ग्राम पंचायत कोदवा	कोदवा	तिल्दा
96	442004057	ग्राम पंचायत खपरीडीहखुद	खपरीडीहखुद	तिल्दा
97	442004058	ग्राम पंचायत मोतिमपुरकला	मोतिमपुर कला	तिल्दा
98	442004059	ग्राम पंचायत परसदा	परसदा	तिल्दा
99	442004060	सेवा सहकारी समिति मोहदी	मोहदी	तिल्दा
100	442004061	सेवा सहकारी समिति खौना	देवगांव	तिल्दा
101	442004062	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति पचरी	छडिया	तिल्दा
102	442004063	ग्राम पंचायत भरूवाडीह कला	भरूवाडीह कला	तिल्दा
103	442004064	ग्राम पंचायत धिवरा	बुडेरा	तिल्दा
104	442004065	ग्राम पंचायत आलेसूर	आलेसूर	तिल्दा
105	442004066	सेवा सहकारी समिति, मढी केन्द्र जंजगीरा	जंजगीरा	तिल्दा
106	442004067	सेवा सहकारी, समिति, फरहदा, केन्द्र ईल्दा	ईल्दा	तिल्दा
107	442004068	ग्राम पंचायत बिठिया	बिठिया	तिल्दा
108	442004069	ग्राम पंचायत सोनतरा	सोनतरा	तिल्दा
109	442004070	ग्राम पंचायत पाड़ाभाट	पाड़ाभाट	तिल्दा
110	442004071	सेवा सहकारी समिति असौदा	अडसेना	तिल्दा
111	442004072	ग्राम पंचायत, चिचोली	चिचोली	तिल्दा
112	442004073	तुलसी सेवा सहकारी समिति असौदा केन्द्र तुलसी	तुलसी	तिल्दा
113	442004075	ग्रामीण सहकारी समिति नकटी कुम्हारी	नकटी कुम्हारी	तिल्दा
114	442004082	ग्रामीण सहकारी समिति बेलदार सिवनी	बेलदार सिवनी	तिल्दा
115	442004083	ग्रामीण सहकारी समिति बरोण्डा	बरोण्डा	तिल्दा
116	442004084	सेवा सहकारी समिति बंगोली	कुरा	तिल्दा

क्र	शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	विकासखण्ड/न गरीय निकाय
117	442004088	ग्राम पंचायत, मुड़पार	मुड़पार	तिल्दा
118	442004090	ग्राम पंचायत, सिरि	सिरि	तिल्दा
119	442004092	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति नवागांव	नवागांव	तिल्दा
120	442004093	सेवा सहकारी समिति बंगोली	धनसुली	तिल्दा
121	442004094	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति पचरी	नहरडीह	तिल्दा
122	442004095	सेवा सहकारी समिति खोना	गेतरा	तिल्दा
123	442004096	ग्राम पंचायत मुड़पार	पिकरीडीह	तिल्दा
124	442004098	ग्रामीण सहकारी समिती बेलदार सिवनी	तिल्दाडीह	तिल्दा

Deppal

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.

nl

अनुभाग अधिकारी

वर्ग क्रमांक-2

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 966

संचालित दुकानों के विरुद्ध संचालन एवं अनियमितता से संबंधित प्राप्त शिकायतें

क्र	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	जिला-रायपुर, नगरीय निकाय/विकासखंड-धरसीवा, ग्राम पंचायत/वार्ड-मुरा, से शिकायत दर्ज करवाई गई है की राशनदुकान क्रमांक- 442001031 (सेवा सहकारी समिति, बरतनारा ग्राम पंचायत मुरा) हैं राशन दुकानदार भण्डारण नहीं हुआ है कहकर 03 माह का राशन पुरे पंचायत में वितरण नहीं किये है। कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा संबंधित विक्रेता एवं संचालक संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी कर आरआरसी जारी किया गया है।
2	जिला-रायपुर, विकासखंड-धरसीवा, ग्राम-पंचायत-धरसीवा, से यह शिकायत दर्ज करवाई है की दुकान क्र. 442001002 का दुकानदार मशीन में अंगूठा लगाव लेता है और चावल नहीं देता है और माह निकल जाने के बाद तुम्हारा चावल लेप्स हो गया बोल देता है। माह में 15 तारिक के बाद ही दुकान खोलता है और उसमे भी मनमानी समय में खोलता है। कृपया उचित तथा शीघ्र कारवाही करेंगे।	प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा संबंधित विक्रेता एवं संचालक संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, आरआरसी जारी कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है।
3	दिनांक 23.11.2022, को जिला- रायपुर, विकासखंड- धरसीवा, पंचायत- धरसीवा, दुकान क्रमांक :442001002(सेवा सहकारी समिति, धरसीवा, पं.क्र.-164 ग्राम पंचायत-धरसीवा) के लिए शिकायत किया गया है, कि यहां का राशन दुकान माह अक्टूबर में पूरे माह बंद था, इस कारण से यहां के किसी भी हितग्राहीयों को माह अक्टूबर का राशन नहीं दिया गया है, और यहां का दुकान हर माह सही समय में नहीं खुलता है, और जब भी राशन लेने के लिए जाते हैं तो राशन दुकान बंद रहता है, और यहां का सैल्समैन राशन बहुत चोरी करता है, और ब्लैक में भी बेचता है, इस कारण से यहां के लोगों को राशन नहीं मिल पाता है, कृपया करके इस संबंध में जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे।	प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा संबंधित विक्रेता एवं संचालक संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, आरआरसी जारी कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है।
4	ग्राम पंचायत-तेन्दुआ, विकासखंड-धरसीवा, जिला-रायपुर, दिनांक- 21.04.2022, शिकायत की है कि इस ग्राम पंचायत की सोसायटी के द्वारा फरवरी माह की शक्कर किसी भी हितग्राहीयों को प्रदाय नहीं की गई है एवं राशनकार्ड एवं टेबलेट में प्रविष्टी कर दी गई है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा संबंधित विक्रेता एवं संचालक संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी कर आरआरसी जारी किया गया है।
5	दिनांक- 05.10.2023, को जिला- रायपुर, विकासखंड- तिल्दा, पंचायत- बुडेरा, दुकान क्रमांक - :442004064(सेवा सहकारी समिति, खरोरा संलग्न बुडेरा), के लिए शिकायत किया गया है, कि यहां का सैल्समैन- श्री रमेश वर्मा, द्वारा राशन का सही ढंग से वितरण नहीं किया जाता है, और राशन के बारे में कुछ भी बोलने या पूछने पर राशन नहीं दूंगा यह बोलकर यहां के हितग्राहीयों को धमकी देता है, और इसके साथ यह भी बोलता है, कि आपको मेरा जहा भी कम्प्लेन करना है, कर दो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा यहां के लोगों को धमकी भी देता है, इस कारण से इनको राशन नहीं मिल रहा है, कृपया करके इस संबंध में जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे।	प्राप्त शिकायत के आधार पर खादय निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उ मू दुकान की शॉप आई डी क्रमांक 42004064 है एवं जिसके विक्रेता रमेश शर्मा थे विक्रेता रमेश शर्मा की लगातार शिकायत मिलने के कारण उसे विक्रेता पद से हटाकर कार्यवाही दिनांक 21-02-2024 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तिल्दा द्वारा की जा चुकी है।
6	जिला-रायपुर, विकासखंड/नगरीयनिकाय-तिल्दा, ग्रामपंचायत/वार्ड-भडहा से दिनांक-29.03.2023, अज्ञात व्यक्ति, के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है की दुकान क्रमांक- 42004054(ग्राम पंचायत भडडा) हैं, दुकानदार सभी हितग्राहीयों के फिंगरप्रिंट लेकर फरवरी/मार्च का राशन ऑनलाइन जारी कर किसी भी हितग्राहीयों	काल सेंटर से प्राप्त शिकायत के संबंध में खादय निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में भडहा निवासी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान संचालक की शिकायत की थी कि उनके द्वारा फिंगर प्रिंट लेकर खादयान्न वितरण नहीं किया गया इसकी
7	शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 442001031 ग्राम पंचायत मुरा से शिकायत प्राप्त हुई कि विक्रेता द्वारा दो माह का अंगूठा लगवाया गया किन्तु एक माह के खादयान्न का ही वितरण किया गया	प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा संबंधित विक्रेता एवं संचालक संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी कर आरआरसी जारी किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
व्यक्ति क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत के विरुद्ध की गई कार्यवाही
8	शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 442001070 ग्राम पंचायत सकारी से शिकायत प्राप्त हुई कि विक्रेता द्वारा अंगूठा पहले ही दर्ज कर लिये जाने के पश्चात खादयान्न प्रदाय नहीं किया जाता है	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
9	जिला-रायपुर, नगरीय निकाय/विकासखंड-धरसीवा, ग्रामपंचायत/वार्ड-देवरी अकोली, से शिकायत दर्ज करवाई गई है की राशनदुकान क्रमांक- 442001023 (सेवा सहकारी समिति, देवरी, पं.क्र.-665 ग्राम पंचायत-देवरी) हैं दुकानदार शक्कर 800 ग्राम वजन देते हैं मूल्य 20 रु कि.ग्रा. की दर से विक्रय करते हैं व राशनदुकान माह में केवल 06 दिन ही दुकान खोलते हैं। कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	प्राप्त शिकायत के संबंध में मौके पर पहुंचकर जांच किया गया तथा शिकायत के बिन्दुओं के संबंध में उपस्थित हितग्राहियों से पूछताछ की गई जिसमें शिकायत निराधार पाई गई।
10	जिला-रायपुर, विकासखण्ड-धरसीवा, पंचायत-कारा से शिकायत किया गया है कि दुकान क्र-442001059 है जहां शक्कर अधिक कीमत पर दिया जाता है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	प्राप्त शिकायत के संबंध में मौके पर पहुंचकर जांच किया गया तथा शिकायत के बिन्दुओं के संबंध में उपस्थित हितग्राहियों से पूछताछ की गई जिसमें शिकायत निराधार पाई गई।
11	जिला-रायपुर, विकासखंड-धरसीवा, ग्राम-पंचायत-दोदेकुर्द्र से शिकायत दर्ज करवाई है की दुकान क्र.-442001039 का दूकानदार दो माह से शक्कर वितरण नहीं कर रहा है और खाद्यान्न भी पूरा नहीं देता है और बोलता है सरकार की तरफ से ही पूरा खाद्यान्न नहीं आ रहा है। कृपया उचित तथा शीघ्र कारवाही करेंगे।	प्राप्त शिकायत के संबंध में मौके पर पहुंचकर जांच किया गया तथा शिकायत के बिन्दुओं के संबंध में उपस्थित हितग्राहियों से पूछताछ की गई शिकायत निराधार पाई गई।
12	जिला- रायपुर, विकासखंड- धरसीवा, पंचायत- चरौदा, दुकान- 442001024(अन्युदायिनी महिला स्वन सहायता समूह) के लिए शिकायतक किया गया है, कि राशनकार्ड APL, यहा का सैल्समैन इनसे 35 किलो चावल का 500 रूपये की मांक करता है, और इनको ज्यादा पैसा नहीं देने पर यहा का सैल्समैन इनको राशन नहीं देता है, कृपया करके इस संबंध में जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे।	प्राप्त शिकायत के संबंध में मौके पर पहुंचकर जांच किया गया तथा शिकायत के बिन्दुओं के संबंध में उपस्थित हितग्राहियों से पूछताछ की गई। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
13	जिला - रायपुर, विकासखंड - धरसीवा, पंचायत बरौदा, दुकान क्रमांक 442001005, माह अगस्त 2024 में कई हितग्राहियों को राशन प्राप्त नहीं हुआ।	माह अगस्त 2024 में ग्राम पंचायत बरौदा में विलंब से भंडारण की वजह से 200-250 हितग्राही खाद्यान्न लेने से वंचित हो गए थे। जिसको माह दिसंबर 2024 एवं जनवरी 2025 में शेष बचे हितग्राहियों को वितरण कर शिकायत का निराकरण किया गया।
14	जिला-रायपुर, विकासखण्ड-धरसीवा, पंचायत-परसतराई से दिनांक- 23.01.2025 शिकायत किया गया है कि दुकान क्र- 442001003 है जहां विक्रेता राशन कार्ड जमा करने के बाद राशन के लिये घुमाया जाता है व क्रमवार राशन वितरण नहीं किया जाता है जिससे हितग्राही को परेशानी होती है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच में भीड़-भाड़ होने कि शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके लिए पंचायत में वार्ड-वार दिनांक निर्धारित कर वितरण हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
15	जिला-रायपुर, नगरीय निकाय/विकासखंड- धरसीवा, ग्रामपंचायत/वार्ड-छपोरा, से दिनांक-26.12.2024 को शिकायत है की दुकान क्रमांक- : 442001079(जयवीर हनुमान प्राथ.सह.उप.भंडार, छपोरा) हैं राशन दूकानदार हल्दी मिर्च मसाला नहीं लेने पर हितग्राही को राशन प्रदाय नहीं करते हैं। कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर आवेदक को राशन प्राप्त होना पाया गया। साथ ही विक्रेता को निर्देशित किया गया कि जिन हितग्राहियों के द्वारा स्वेच्छा से हल्दी मिर्च मसाला कि मांग किए जाने पर ही प्रदाय किया जाए। शिकायत निराधार पाई गई।
16	ग्राम पंचायत-अडसेना, विकासखंड-तिल्दा, जिला-रायपुर, दिनांक- 10.12.2024, शिकायत है कि इस ग्राम पंचायत की सोसायटी विक्रेता के द्वारा सभी हितग्राहियों को हल्दी-मिर्च-धनिया पाउडर जबरदस्ती प्रदाय किया जा रहा है, नहीं लेने पर शक्कर नहीं दिया जा रहा है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	काल सेंटर से प्राप्त शिकायत के संबंध में खाद्य निरीक्षक के द्वारा प्रसतुत प्रतिवेदन अनुसार शासकमूदुकान ४४२००४०७९ का संचालन सेवा सहकारी समिति अडसेना द्वारा संचालित किया जा रहा है विक्रेता के माध्यम से राशन वितरण किया जाता है जिन्होंने नॉन पीडीएस सामग्री का वितरण पीडीएस से कर रहे थे। विक्रेता को निर्देशित किया गया कि जिन हितग्राहियों के द्वारा स्वेच्छा से हल्दी मिर्च धनिया कि मांग किए जाने पर ही प्रदाय किया जाए। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।

क्र	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत के विरुद्ध की गई कार्यवाही
17	सोसायटी क्रमांक-441012011, विनोबा भावे वार्ड क्रमांक-12, नगर पंचायत-कुंरा, जिला-रायपुर, दिनांक-29.11.2024, शिकायत है कि उक्त सोसायटी में नोटिस बोर्ड नहीं लगा है, सोसायटी निर्धारित समय एवं दिनों में नहीं खोली जाती है, विक्रेतस हितग्राहियों से उचित व्यवहार नहीं करता है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर नोटिस बोर्ड लगा पाया गया तथा विक्रेता को निर्धारित समय पर दुकान को खोलने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
18	जिला-रायपुर, विकासखण्ड-धरसीवा, पंचायत-तेन्दुआ से दिनांक-21.11.2024 शिकायत है कि दुकान क्र-442001047 है जहां चावल दो किलो व शक्कर में साठ ग्राम तक वजन में कम तौल कर दिया जाता है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
19	जिला-रायपुर, विकासखण्ड-धरसीवा, पंचायत-पिरदा से दिनांक-11.09.2024 शिकायत है कि दुकान क्र- 442001054 है जो समय पर नहीं खुलता है व अधिकतम बंद रहता है जिससे राशन के लिये परेशानी होती है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
20	ग्राम पंचायत-दोदेखुर्द, विकासखंड-धरसीवा, जिला-रायपुर, दिनांक-15.07.2024, शिकायत है कि इस ग्राम पंचायत की सोसायटी माह में केवल 8-10 दिन खुलती है (2) फरवरी माह में किसी भी हितग्राही को शक्कर प्रदाय नहीं की है एवं (3) हितग्राहियों को खादयान्न समय पर नहीं मिलता है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	काल सेंटर से प्राप्त शिकायत के संबंध में खाद्य निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार राजेश मानिकपुरी को दिए गए संपर्क करने पर उपस्थित थे एवं उन्होंने बताया कि प्रतिमाह शक्कर प्राप्त हो रहा है मौके पर उपस्थित अन्य राशनकार्ड धारियों से पूछताछ किया गया जिसमें हितग्राही द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रतिमाह शक्कर प्राप्त होना बताया गया एवं दुकान नियमित रूप से खोला जाना बताया गया एवं उन्हें प्रतिमाह नियमानुसार खादयान्न सही माप तौल एवं सही समय पर प्राप्त हो रहा है। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
21	ग्राम पंचायत-सेरीखेडी, विकासखंड-धरसीवा, जिला-रायपुर, दिनांक-20.09.2024, शिकायत है कि उन्हें 3-4 माह से चवाल प्रदाय नहीं किया जा रहा है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर आवेदक द्वारा कि गई शिकायत सही पाई गई। दुकान संचालक निर्लंबित कर अन्य संस्था संलग्न किया गया।
22	दिनांक-31.01.2025, को जिला-रायपुर, विकासखंड-धरसीवा, पंचायत-पथरी खुडमुडी/, दुकान क्रमांक-442001085, (ग्राम पंचायत दोदेखुर्द संलग्न, पथरी(खुडमुडी) शिकायत है कि यहा के राशन दुकान में सेल्समैन के द्वारा किसी को भी माह-जनवरी, का राशन वितरण नहीं किया गया है, और आज माह का लास्ट दिन है, सभी हितग्राहियों को राशन के लिये बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसा ही हर माह करता है, कृपया करके इस संबंध में जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर आवेदक को राशन प्राप्त होना पाया गया। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
23	ग्राम पंचायत-कारा, विकासखंड-धरसीवा, जिला-रायपुर, दिनांक-29.01.2025, शिकायत है उन्हें सोसायटी विक्रेता के द्वारा बायोमेट्रिक लेकर चावल, शक्कर एवं नमक ई.पॉज़ मशीन में चढा दिया है परंतु हितग्राही को प्रदाय नहीं किया है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर सभी राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न प्राप्त होना पाया गया। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
24	ग्राम पंचायत-गिरौद, विकासखंड-धरसीवा, जिला-रायपुर, दिनांक-24.01.2025, शिकायत है कि उन्हें विक्रेता के द्वारा इस माह का खादयान्न प्रदाय करने से मना किया जा रहा है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर आवेदक को राशन प्राप्त होना पाया गया। प्राप्त शिकायत निराधारपाई गई।
25	दिनांक-09.01.2025, को जिला-रायपुर, नगरा निकाय- खरारा, वार्ड- /8-पंडित दीन दयाल वार्ड, दुकान क्रमांक :441011002(शीतला महिला स्व सहायता समूह), और दुकान क्रमांक-441011003, शिकायत किया गया है कि यहां का सेल्समैन इनको लगातार 3 दिनों से राशन के लिये घुमा रहा है, कल आना परसो आना ऐसा बोलकर इनको राशन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हर माह करता है, कृपया करके इस संबंध में जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।

क्र	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत के विरुद्ध की गई कार्यवाही
26	ग्राम पंचायत-बरतनारा, विकासखंड-धरसीवा, जिला-रायपुर, दिनांक-02.01.2025, शिकायत है कि इस ग्राम पंचायत की सोसायटी विक्रेता के द्वारा बहुत से हितग्राहीयों का बायोमेट्रिक लेकर खादयान ई-पॉज मशीन में चढा दिया है एवं राशनकार्ड जमा की लिये है परंतु हितग्राहीयों को दो माह से राशन प्रदाय नहीं किया है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा संबंधित विक्रेता एवं संचालक संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी कर दुकान निलंबित किया गया।
27	ग्राम पंचायत-नकटी, विकासखंड-धरसीवा, जिला-रायपुर, दिनांक-13.12.2024, शिकायत है कि उन्हें इस माह का खादयान प्रदाय नहीं किया जा रहा है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर आवेदक को राशन प्राप्त होना पाया गया। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
28	दिनांक-11.12.2024, को जिला-रायपुर, विकासखंड- तिल्दा, पंचायत- भिलौनी, दुकान क्रमांक- :442004074(ग्राम पंचायत, भिलौनी), शिकायत है कि यह राशन दुकान कभी भी सही समय से नहीं खुलती है, और जब भी राशन लेने के लिये जाते हैं, तो यहा का राशन दुकान ही बंद रहती है, और जब कभी राशन दुकान खुलती भी है, तो राशन नहीं देता है, बाद में आना बोलकर राशन दुकान से भी भगा दिया गया है, और ऐसा सभी हितग्राहि के साथ किया जाता है, और इनको जो भी दारू पीने के लिये पैसा देता है, उन्हीं के लिये बस राशन दुकान खोलकर उनको राशन देता है, और कुछ भी बोलने पर यहा के हितग्राहियों से दुर्व्यवाहार करता है, कृपया करके इस संबंध में जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे।	काल सेंटर से प्राप्त शिकायत के संबंध में खादय निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दुकान आईडी ४४२००४०७४ का संचालन ग्रामिध सेवा सहकारी समिति मिलाेनी द्वारा किया जा रहा है जहां तकनीकी त्रुटि के कारण खाद्यान्न सामग्री स्व कटौती होकर भण्डारण होने के कारण विक्रेता द्वारा उस माह विलंब से खादयान वितरण किया गया। त्रुटि सुधार कर लिया गया है व नियमनुसार सामग्री वितरण किया जा रहा है। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
29	ग्राम पंचायत-पथरा(खुरमुडी), विकासखंड-धरसीवा, जिला-रायपुर, दिनांक-09.12.2024, शिकायत है कि इस ग्राम पंचायत की सोसायटी विक्रेता के द्वारा नवंबर माह में आधे से अधिक हितग्राहीयों को चावल एवं शक्कर प्रदाय नहीं किया गया है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर आवेदक को राशन प्राप्त होना पाया गया। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
30	जिला-रायपुर, विकासखंड-धरसीवा, पंचायत-सिलतरा से दिनांक-20.11.2024 शिकायत है कि बेमेतरा जिला का राशन कार्ड है जो वर्तमान में रायपुर के सिलतरा पंचायत के दुकान क्र-442001072 लेना चाहते है लेकिन विक्रेता द्वारा वितरण से मना किया जा रहा है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	मौके पर पहुंच कर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच किया गया। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक द्वारा पूर्व में ही उक्त माह का खाद्यान्न उठाव किया जा चुका था। प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई।
31	ग्राम पंचायत-नकटी, विकासखंड-धरसीवा, जिला-रायपुर, दिनांक-13.08.2024, द्वारा शिकायत है कि आवेदक को इस माह का खादयान प्रदाय नहीं किया जा रहा है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाह करेंगे।	काल सेंटर शिकायत के सम्बंध में खाद्य निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत नकटी का epos मशीन खराब होने के कारण हितग्राही को चावल उक्त 13 अगस्त 2024 को नहीं मिल पाया था परंतु 20 अगस्त को अगस्त माह का खाद्यान्न प्रदाय किया गया। प्राप्त शिकायत निराधार पाया गया।

अनुभाग अधिकारी
 वरुदा क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


 सहायक संचालक
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.

परोशेष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 605) की जानकारी

प्रपत्र

राज्य के राईस मिलरो को मार्कफेड द्वारा जनवरी, 2023 से जून 2024 तक मिलिंग चार्जेस (प्रोत्साहन राशि सहित) के भुगतान की माहवार जानकारी

(करोड़ रू. में)

क्रमांक	माह का नाम	मिलर को भुगतान राशि की मिलिंग चार्जेस (प्रोत्साहन राशि सहित)
1	जनवरी 2023	27.20
2	फरवरी 2023	158.25
3	मार्च 2023	117.53
5	अप्रैल 2023	154.49
6	मई 2023	68.59
6	जून 2023	28.87
7	जुलाई 2023	19.21
8	अगस्त 2023	31.41
9	सितम्बर 2023	35.76
10	अक्टूबर 2023	14.98
11	नवम्बर 2023	15.07
12	दिसम्बर 2023	23.72
13	जनवरी 2024	69.72
14	फरवरी 2024	86.17
15	मार्च 2024	639.55
16	अप्रैल 2024	377.33
17	मई 2024	49.20
18	जून 2024	19.89
योग		1936.93

अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

क्र	वर्ष	योजना/मद का नाम	योजनांतर्गत प्राप्त आबंटन राशि रूपये में	योजनांतर्गत आबंटन राशि का उपयोग किये गये कार्यों का नाम
1	2	3	4	5
1	2022-23	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	1743140	गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाई का वितरण एवं स्वास्थ्य जांच
2		पूरक पोषण आहार योजना	117308348	आंगनबाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों को गरम भोजन वितरण
3		मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	60872244	गरम भोजन एवं अण्डा/पौष्टिक लड्डू वितरण
4		पोषण अभियान	1281000	सामुदायिक आधारित गतिविधियां
1	2023-24	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	1659520	गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाई का वितरण एवं स्वास्थ्य जांच
2		पूरक पोषण आहार योजना	82625000	आंगनबाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों को गरम भोजन वितरण
3		मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	20572871	गरम भोजन एवं अण्डा/पौष्टिक लड्डू वितरण
4		पोषण अभियान	20001500	सामुदायिक आधारित गतिविधियां

प्रपत्र-ब

क्र	वर्ष	योजना का नाम	योजनांतर्गत प्रदाय किये जा रहे पोषण पदार्थ का नाम	हितग्राही संख्या	सुपोषित बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	2022-23	पूरक पोषण आहार योजना	नाश्ता व गरम भोजन एवं रेडी टू ईट फूड	142864	8535
2		मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	गरम भोजन एवं अण्डा/पौष्टिक लड्डू	13723	
1	2023-24	पूरक पोषण आहार योजना	नाश्ता व गरम भोजन एवं रेडी टू ईट फूड	158216	4537
2		मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	गरम भोजन एवं अण्डा/पौष्टिक लड्डू	12296	

01 जनवरी 2023 से जनवरी 2025 तक कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के भरे पदों का
विकासखण्डवार/पंचायतवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2023		2024		जनवरी 2025	
			कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या	कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या	कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या
1	मैनपाट	नर्मदापुर	निरंक	निरंक	5	6	निरंक	निरंक
2	-"-	सरभंजा	-"-	-"-	0	1	-"-	-"-
3	-"-	कुनिया	-"-	-"-	1	2	-"-	-"-
4	-"-	कुनकुरी खुर्द	-"-	-"-	0	0	-"-	-"-
5	-"-	पिडिया	-"-	-"-	1	5	-"-	-"-
6	-"-	केसरा	-"-	-"-	0	2	-"-	-"-
7	-"-	बरिमा	-"-	-"-	1	0	-"-	-"-
8	-"-	बंदना	-"-	-"-	3	4	-"-	-"-
9	-"-	डांगबुडा	-"-	-"-	4	5	-"-	-"-
10	-"-	राजापुर	-"-	-"-	1	1	-"-	-"-
11	-"-	कतकालो	-"-	-"-	2	5	-"-	-"-
12	-"-	उडूमकेला	-"-	-"-	1	5	-"-	-"-
13	-"-	समनिया	-"-	-"-	1	2	-"-	-"-
14	-"-	सपनादर	-"-	-"-	0	1	-"-	-"-
15	-"-	जजगा	-"-	-"-	3	8	-"-	-"-
16	-"-	लुरैना	-"-	-"-	0	3	-"-	-"-
17	-"-	चैनपुर	-"-	-"-	0	4	-"-	-"-
18	-"-	कदनई	-"-	-"-	0	3	-"-	-"-
19	-"-	अमगांव	-"-	-"-	0	1	-"-	-"-
20	-"-	खडगाँव	-"-	-"-	0	3	-"-	-"-
21	-"-	पथरई	-"-	-"-	1	1	-"-	-"-
22	-"-	काराबेल	-"-	-"-	1	3	-"-	-"-
23	-"-	परपटिया	-"-	-"-	2	2	-"-	-"-
24	-"-	सुपलगा	-"-	-"-	2	4	-"-	-"-
25	-"-	पैगा	-"-	-"-	2	5	-"-	-"-

26	-“-	हरामार	-“-	-“-	3	5	-“-	-“-
27	-“-	करम्हा	-“-	-“-	1	4	-“-	-“-
28	-“-	रजखेता	-“-	-“-	1	1	-“-	-“-
29	-“-	कुदारीडीह	-“-	-“-	1	1	-“-	-“-
30	-“-	उरंगा	-“-	-“-	0	3	-“-	-“-
31	-“-	रोपाखार	-“-	-“-	0	2	-“-	-“-
32	-“-	बिसरपानी	-“-	-“-	0	4	-“-	-“-
33	-“-	असगंवा	-“-	-“-	0	5	-“-	-“-
34	-“-	कोट	-“-	-“-	0	4	-“-	-“-
35	-“-	कोटछाल	-“-	-“-	0	2	-“-	-“-
36	-“-	असकरा	-“-	-“-	0	1	-“-	-“-
37	-“-	कलजीवा	-“-	-“-	0	1	-“-	-“-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2023		2024		जनवारी 2025	
			कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या	कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या	कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या
1	बतौली	मानपुर	1	0	0	0	निरंक	निरंक
2	-“-	बोदा	1	0	0	0	-“-	-“-
3	-“-	टीरंग	1	0	0	1	-“-	-“-
4	-“-	करदना	1	0	0	1	-“-	-“-
5	-“-	बिरीमकेला	1	0	0	3	-“-	-“-
6	-“-	सरमना	1	0	0	0	-“-	-“-
7	-“-	बतौली	1	0	0	0	-“-	-“-
8	-“-	भटको	1	0	0	1	-“-	-“-
9	-“-	घोघरा	1	0	0	1	-“-	-“-
10	-“-	तरागी	1	0	0	1	-“-	-“-
11	-“-	पोकसरी	0	0	1	0	-“-	-“-
12	-“-	महेशपुर	0	0	1	1	-“-	-“-
13	-“-	घुटरापारा	0	0	1	3	-“-	-“-
14	-“-	कपाटबहरी	0	0	1	2	-“-	-“-
15	-“-	चिपरकाया	0	0	1	1	-“-	-“-
16	-“-	चिरंगा	0	0	1	4	-“-	-“-

17	-“-	शिवपुर	0	0	0	1	-“-	-“-
18	-“-	बिलासपुर	-“-	0	0	1	-“-	-“-
19	-“-	गहिला	-“-	0	0	1	-“-	-“-
20	-“-	देवरी	-“-	0	0	1	-“-	-“-
21	-“-	बासेन	-“-	0	0	1	-“-	-“-
22	-“-	सिलमा	-“-	0	0	1	-“-	-“-
23	-“-	मंगारी	-“-	0	0	1	-“-	-“-
24	-“-	बालमपुर	-“-	0	0	1	-“-	-“-
25	-“-	गोविन्दपुर	-“-	0	0	1	-“-	-“-
26	-“-	सुवारपारा	-“-	0	0	3	-“-	-“-
27	-“-	बिशुनपुर	-“-	0	0	1	-“-	-“-
28	-“-	नकना	-“-	0	0	1	-“-	-“-
29	-“-	तेलईधार	-“-	0	0	3	-“-	-“-
30	-“-	बटईकेला	-“-	0	0	4	-“-	-“-
31	-“-	ललाती	-“-	0	0	1	-“-	-“-
32	-“-	सल्याडीह	-“-	0	0	1	-“-	-“-
33	-“-	बांसाझाल	-“-	0	0	2	-“-	-“-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2023		2024		जनवारी 2025	
			कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या	कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या	कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या
1	सीतापुर	कुनमेरा	0	2	0	0	निरंक	निरंक
2	-“-	सूर	0	1	0	2	-“-	-“-
3	-“-	ढोढागांव	1	1	0	1	-“-	-“-
4	-“-	भूसू	0	1	0	0	-“-	-“-
5	-“-	मुरता	1	0	0	2	-“-	-“-
6	-“-	बनेया	1	0	0	0	-“-	-“-
7	-“-	उलकिया	1	0	0	2	-“-	-“-
8	-“-	सीतापुर नगर पंचायत	1	0	0	0	-“-	-“-
9	-“-	ढेलसरा	1	0	0	1	-“-	-“-
10	-“-	आरा	1	0	0	0	-“-	-“-

11	-“-	ललितपुर	1	0	0	0	-“-	-“-
12	-“-	बंशीपुर	1	1	0	1	-“-	-“-
13	-“-	खडादोरना	0	1	0	0	-“-	-“-
14	-“-	देवगढ	0	1	1	2	-“-	-“-
15	-“-	सहनपुर	0	1	0	0	-“-	-“-
16	-“-	केरजू	0	2	0	1	-“-	-“-
17	-“-	नवापारा	0	1	0	0	-“-	-“-
18	-“-	हरदीसांड	0	1	0	1	-“-	-“-
19	-“-	बगडोली	0	1	0	0	-“-	-“-
20	-“-	बमलाया	0	0	0	1	-“-	-“-
21	-“-	भिठुवा	0	0	0	2	-“-	-“-
22	-“-	प्रतापगढ़	0	0	0	1	-“-	-“-
23	-“-	सोनतराई	0	0	0	1	-“-	-“-
24	-“-	बेलगांव	0	0	0	1	-“-	-“-
25	-“-	गिरहुलडीह	0	0	0	1	-“-	-“-
26	-“-	भरतपुर	0	0	0	1	-“-	-“-
27	-“-	ललितपुर	0	0	0	1	-“-	-“-
28	-“-	रजैटी	0	0	0	2	-“-	-“-
29	-“-	पेटला	0	0	0	1	-“-	-“-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	2023		2024		जनवारी 2025	
			कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या	कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या	कार्यकर्ता पद की भर्ती संख्या	सहायिका पद की भर्ती संख्या
1	अंबिकापुर	नावापारा खुर्द	0	0	0	0	निरंक	निरंक
2	-“-	भालूकछार	0	1	0	0	-“-	-“-
3	-“-	मोतीपुर	0	0	0	0	-“-	-“-
4	-“-	बरगई	0	0	0	0	-“-	-“-
5	-“-	बरगवां	0	0	0	0	-“-	-“-
6	-“-	पंपापुर	0	0	0	0	-“-	-“-
7	-“-	नानदमाली	0	0	0	1	-“-	-“-
8	-“-	बड़ादमाली	1	1	0	0	-“-	-“-
9	-“-	कुनीयाकला	0	2	0	1	-“-	-“-

10	-“-	अइची	0	0	0	0	-“-	-“-
11	-“-	करा खास	0	0	0	0	-“-	-“-
12	-“-	रकेली	0	0	0	1	-“-	-“-
13	-“-	पोडीकला	0	2	0	0	-“-	-“-
14	-“-	नवानगर	0	0	0	0	-“-	-“-
15	-“-	नवापारा कला	1	0	0	1	-“-	-“-
16	-“-	खजूरी	0	2	0	0	-“-	-“-
17	-“-	कुम्हरता	0	1	0	0	-“-	-“-

पॉरीशेष्ट - चोदह

तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 867) की जानकारी

प्रपत्र - अ

योजना लाभ दिए जा रही महिलाओं की जानकारी (माह 31 जनवरी 2025 की स्थिति में)

स.क्रं.	जिले का नाम	कुल पात्र हितग्राही
1	बालोद	250862
2	बलौदाबाजार	328452
3	बलरामपुर	213449
4	बस्तर	192344
5	बेमेतरा	253246
6	बीजापुर	38303
7	बिलासपुर	423362
8	दंतेवाड़ा	54634
9	धमतरी	234291
10	दुर्ग	402520
11	गरियाबंद	182449
12	गौरैला-पैण्डा-मरवाही	95494
13	जांजगीर-चांपा	288915
14	जशपुर	231086
15	कबीरधाम	253877
16	कांकेर	183752
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	116529
18	कोण्डागांव	140041
19	कोरबा	293498
20	कोरिया	59681
21	महासमुंद	323330
22	महेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर	100995
23	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	81959
24	मुंगेली	212716
25	नारायणपुर	27425
26	रायगढ़	304023
27	रायपुर	531796
28	राजनांदगांव	256898
29	सक्ती	198791
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	189448
31	सुकमा	52109
32	सूरजपुर	215669
33	सरगुजा	231677
	योग	6963621

योजना अंतर्गत पंजीकृत, पात्र एव हितग्राहियों की जानकारी (माह मार्च 2024 की स्थिति में)

स.क्रं.	जिले का नाम	पंजीकृत हितग्राही	पात्र हितग्राही	अपात्र हितग्राही
1	बालोद	253592	252644	948
2	बलौदाबाजार	331282	330618	664
3	बलरामपुर	215872	214950	922
4	बस्तर	194511	193971	540
5	बेमेतरा	255052	254728	324
6	बीजापुर	38923	38554	369
7	बिलासपुर	427237	426263	974
8	दंतेवाड़ा	54937	54874	62
9	धमतरी	236719	235894	825
10	दुर्ग	405325	404475	850
11	गरियाबंद	184243	183818	425
12	गौरैला-पैण्ड्रा-मरवाही	96289	96158	131
13	जांजगीर-चांपा	291578	291202	368
14	जशपुर	233415	232785	630
15	कबीरधाम	255920	255281	639
16	कांकेर	185488	185001	487
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	117405	117168	237
18	कोण्डागांव	142089	140978	1111
19	कोरबा	295706	295249	457
20	कोरिया	60105	59992	113
21	महासमुंद	326363	325802	562
22	महेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर	101830	101549	281
23	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	82585	82462	123
24	मुंगेली	215151	214212	939
25	नारायणपुर	27943	27615	328
26	रायगढ़	307521	306757	763
27	रायपुर	535850	534676	1174
28	राजनांदगांव	259032	258508	524
29	सक्ती	200199	199935	274
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	191192	190706	485
31	सुकमा	52489	52388	101
32	सूरजपुर	217879	217042	837
33	सरगुजा	233432	233323	109
	योग	7027154	7009578	17576

परोशेष्ट - पन्द्रह

तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 541) की जानकारी

प्रपत्र

धमतरी जिले में कुपोषण मुक्ति हेतु संचालित योजनाओं के तहत प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण

क्र.	संचालित योजना का नाम	वित्तीय वर्षवार 2022-23		वित्तीय वर्षवार 2023-24		वित्तीय वर्षवार 2024-25 (माह जनवरी, 2025 की स्थिति में)		(रिमार्क) प्राप्त राशि का व्यय किन-किन कार्यों में किया गया
		योजनांतर्गत प्रदायित बजट	व्यय राशि	योजनांतर्गत प्रदायित बजट	व्यय राशि	योजनांतर्गत प्रदायित बजट	व्यय राशि	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	2385800	2384936	17765000	17169041	0	0	6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं एनीमिक महिलाओं को अतिरिक्त पौष्टिक आहार के रूप में गरम भोजन, रागी प्रोटीनबार चिक्की आदि
	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	4398888	4398572	0	0	0	0	बच्चों एवं एनीमिक महिलाओं को अतिरिक्त पौष्टिक आहार के रूप में गरम भोजन,
	(सुपोषण निधि अंतर्गत प्रदायित आबंटन)	0	0	13000297	12274775	0	0	6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं एनीमिक महिलाओं को अतिरिक्त पौष्टिक आहार के रूप में गरम भोजन, सोयापिनट चिक्की आदि
2	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	71648824	63053449	36957000	35946478	34690000	29209257	3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम भोजन पर व्यय
3	(डी.एम.एफ. से प्राप्त राशि)	2666000	1688949	0	0	0	0	योजनांतर्गत गर्भवती महिलाओं को आकर्षित थाली गरम भोजन से लाभान्वित। वर्तमान में योजना असंचालित।
4	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	1103750	1086167	12212250	12195000	12005000	9925000	पोषण अभियान अंतर्गत प्राप्त राशि का व्यय आ.बा. कार्यकर्ता सहायिका मोबाईल रिचार्ज, सुपोषण चौपाल आयोजन, आ.बा. कार्यकर्ता इसेन्टिव, पोषण पखवाड़ा आयोजन एवं विभिन्न सामुदायिक गतिविधि आयोजन पर किया गया।


क्र.	संचालित योजना का नाम	वित्तीय वर्षवार 2022-23		वित्तीय वर्षवार 2023-24		वित्तीय वर्षवार 2024-25 (माह जनवरी, 2025 की स्थिति में)		(रिमार्क) प्राप्त राशि का व्यय किन-किन कार्यों में किया गया
		योजनांतर्गत प्रदायित बजट	व्यय राशि	योजनांतर्गत प्रदायित बजट	व्यय राशि	योजनांतर्गत प्रदायित बजट	व्यय राशि	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
5	महतारी जतन योजना	1311200	870106	1064100	930504	1259300	618603	योजनांतर्गत प्राप्त आर्बंटन का उपयोग, गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाई वितरण, स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन, निजी चिकित्सा परामर्श सुविधा, एन.आर.सी. भर्ती परिवहन व्यय अन्य आकास्मिक, लेखन सामग्री आदि पर किया गया।
6	पोषण अभियान	124200	90300	0	0	115600	110600	योजनांतर्गत प्राप्त आर्बंटन का उपयोग, वजन त्थोहार कार्यशाला/सम्मेलन, प्रचार-प्रसार, लेखन/फार्मछपाई आदि पर व्यय किया गया।
7	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	0	0	0	0	100000	0	कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम अंतर्गत लेखन/फार्म छपाई एवं अन्य आकास्मिक मद के व्यय हेतु प्राप्त हुआ है।
कुल योग		83638662	73572479	80998647	78515798	48169900	39863460	


क्र०	उचित मूल्य दुकान का स्थान	विकासखण्ड का नाम	शिकायत का विवरण	जांच का निष्कर्ष/की गई कार्यवाही
1	लोकमान्य तिलक - भानुप्रतापपुर, वार्ड-15	भानुप्रतापपुर	जिला-कांकेर, नगरीयनिकाय-भानुप्रतापपुर, वार्ड-15 - लोकमान्य तिलक से दिनांक-08.01.2025 को श्री हिरामनी सिन्हा मोबाइल न- 7724051898 द्वारा शिकायत किया गया है कि दुकान क्र- 601002002 है जो समय पर नहीं खुलता है अधिकतम बंद रहता है जिससे राशन लेने में परेशानी होती है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	खाद्य निरीक्षक भानुप्रतापपुर द्वारा मौके पर जा कर जांच किया गया जांच में पाया की उक्त दुकान नियमित रूप से खुलना पाया गया तथा अन्य राशन कार्डधारियों को दुकान संचालक से कोई भी शिकायत नहीं है तथा शिकायत कर्ता से मोबाइल से संपर्क किये जाने पर संपर्क नहीं हो पाया। शिकायत निराधार पाई गई।
2	हराडुला	चारामा	जिला-कांकेर, विकासखण्ड-चारामा, पंचायत-हराडुला से दिनांक- 11.09.2024 को श्री दौलत राम निषाद मोबाइल न- 6260127003 द्वारा शिकायत किया गया है कि दुकान क्र- 602003058 है जो अधिकतम बंद रहता है जिससे राशन लेने में परेशानी होती है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	जांच खाद्य निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार जांच के दौरान पाया गया की शिकायतकर्ता के कथन अनुसार दौलत राम निषाद के द्वारा बताया गया की राशन लेने में अभी कोई परेशानी नहीं है एवं दुकान खुली रहती है शिकायतकर्ता के द्वारा अपना शिकायत वापस लिया गया इस तरह से शिकायत निराधार पाया गया।
3	हाटकोगेरा	कांकेर	ग्राम पंचायत-हाटकोगेरा, विकासखंड एवं जिला-कांकेर, दिनांक- 03.07.2024, श्री लिलेश्वर, फोन नम्बर-9691345133 द्वारा शिकायत की है कि इस ग्राम पंचायत की सोसायटी विगत एक सप्ताह से बंद है इस कारण खादयान लेने में परेशानी हो रही है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे	खादय निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत आंशिक रूप से सही पाया गया दुकान खोली गई थी परन्तु सर्वर में तकनीकी समस्या एवं धीमी गति से ई-पॉस मशीन के चलने के कारण राशन वितरण में विलंब हुआ जिसके कारण हितग्राही को खादयान दिनांक 06-07-24 को प्रदाय किया गया। इसके बाद से जुलाई माह में सर्वर ठिक होने के उपरांत आसानी से सभी हितग्राहियों को नियमानुसार राशन वितरण किया जाना पाया गया। शिकायत निराधार पाई गई।

क्र०	उचित मूल्य दुकान का स्थान	विकासखण्ड का नाम	शिकायत का विवरण	जांच का निष्कर्ष/की गई कार्यवाही
4	पं.जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक-01	चारामा	सोसायटी क्रमांक-601003001, पं.जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक-01, नगरीय निकाय-चारामा, जिला-कांकेर, दिनांक-24.05.2024, श्री मनीष कोटवानी, फोन नम्बर-8602171582 द्वारा शिकायत की है कि उक्त सोसायटी सप्ताह में केवल 03 दिन खुलती है, खुलने का समय निश्चित नहीं रहता है इस कारण खादयान्न लेने में परेशानी होती है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे	आनलाईन रिकार्ड अनुसार दुकान से 10 दिन मई माह में वितरण हुआ है एवं खादय निरीक्षक के रिपोर्ट अनुसार चावल उत्सव तिथि से दुकान नियमित रूप से खुल रही है। शिकायत निराधार पाई गई।
5	लाल बहादुर शास्त्री भानुप्रतापु, वार्ड-9	भानुप्रतापपुर	जिला-कांकेर, नगरनिकाय-भानुप्रतापु, वार्ड-9 - लाल बहादुर शास्त्री से दिनांक-23.01.2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायत किया गया है कि दुकान क्र-601002003 है जो 12-15दिनों से बिना किसी सूचना के दुकान बंद है जिससे राशन लेने में परेशानी हो रही है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	खादय निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाई गई, दुकान का नियमित रूप से खोला जाना पाया गया।
6	हाटकोगेरा	कांकेर	जिला व विकासखण्ड-कांकेर, पंचायत-हाटकोगेरा से दिनांक-03.01.2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायत किया गया है कि दुकान क्र-602001020 है जो कभी भी समय पर नहीं खुलता व बंद होता है व किस किस दिन बंद रहेगा यह सूचना भी नहीं दिया जाता है जिससे हर माह राशन लेने में परेशानी होती है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	खादय निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाई गई, दुकान का नियमित रूप से खोला जाना पाया गया दुकान खुलने एवं अवकाश दिवस के संबंध में सूचना प्रदर्शित होना पाया गया।
7	श्रीपुर	कोयलीबेडा	ग्राम पंचायत-श्रीपुर, विकासखंड-कोयलीबेडा, जिला-कांकेर, दिनांक-15.09.2023, श्री सुदीप ढाली, फोन नम्बर-6265534324 द्वारा शिकायत की है कि इस ग्राम पंचायत की सोसायटी निर्धारित दिनों में एवं निश्चित समय से नहीं नहीं खोली जा रही है इस कारण खादयान्न लेने में परेशानी हो रही है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे	खादय निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाई गई, दुकान से हितग्राही को नियमानुसार राशन का वितरित किया जाना पाया गया।

क्र०	उचित मूल्य दुकान का स्थान	विकासखण्ड का नाम	शिकायत का विवरण	जांच का निष्कर्ष/की गई कार्यवाही
8	पलेवा	चारामा	जिला-कांकेर, विकासखण्ड-चारामा, पंचायत-पलेवा से दिनांक- 22.06.2023 को श्री विजय सिंह कुंजाम मोबाइल न-9752971190 द्वारा शिकायत किया गया है कि दुकान क्र-602003048 है जो समय पर नहीं खुलता है व कभी खुलता है तो केवल आधा घंटा खुलकर बंद कर दिया जाता है जिससे हर माह राशन लेने में परेशानी होती है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	जांच खादय निरीक्षक चारामा से कराई गयी जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत शाहवाडा के सरपंच, विक्रेता, सचिव एवं ग्रामवासी उपस्थित थे ग्रामवासी अनुसार विक्रेता के द्वारा प्रतिमाह कोटवार से मुनादी कर वितरण किया जा रहा है । शिकायत निराधार पाई गई
9	मुल्ला	भानुप्रतापुर	जिला-कांकेर, विकासखंड-भानुप्रतापुर, ग्राम-पंचायत-मुल्ला, से दिनांक- 18.04.02023 को श्री सुनील भूआर्य मो.न.-7879022866 राशन कार्ड न.-223818299967 ने यह शिकायत दर्ज करवाई है दुकान क्र.- 602004018 का दुकानदार दुकान नहीं खोलता है और जब खोलता है तो उसका भी कोई समय निर्धारित नहीं होता है जब मन करता है खोलता है और बंद करता है। कृपया उचित तथा शीघ्र कारवाही करेंगे ।	जांच खादय निरीक्षक भानुप्रतापुर से कराई गयी विक्रेता एवं ग्रामिणों द्वारा जानकारी दी गई की दुकान नियमित खुलती है, तथा शिकायतकर्ता का एपीएल राशनकार्ड मार्च 2023 में बना है जिस दिन वह शिकायत किया था शिकायत करने के बाद राशन दुकान संबंधित माह में राशन लेने नहीं गया । जिसके कारण से खादयान नहीं प्रदाय किया गया । अतः शिकायत निराधार पाई गई ।
10	सिंगारभाट	कांकेर	ग्राम पंचायत-सिंगारभाट, विकासखंड एवं जिला-कांकेर, दिनांक - 13.04.2023, श्री विनय नाग, फोन नम्बर-7089880233 द्वारा शिकायत की है कि यह सोसायटी नियमित समयानुसार खोली नहीं जाती है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे ।	खादय निरीक्षक कांकेर के जांच प्रतिवेदन अनुसार माह अप्रैल 2023 में यह दुकान पूरे 19 दिन खुली थी इस प्रकार शिकायत गलत पाई गई ।
11	व्यासकौंगेरा	कांकेर	जिला व विकासखण्ड- कांकेर, पंचायत-व्यासकौंगेरा से दिनांक- 22.01.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायत किया गया है की दुकान क्र-602001059 है जो पिछले दस दिन से दुकान बंद है जिससे राशन लेने में परेशानी हो रही है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे ।	खादय निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाई गई , दुकान नियमित खोला जाना पाया गया ।

क्र०	उचित मूल्य दुकान का स्थान	विकासखण्ड का नाम	शिकायत का विवरण	जांच का निष्कर्ष/की गई कार्यवाही
12	कोडेजुंगा	कांकेर	ग्राम पंचायत-कोडेजुंगा, विकासखंड एवं जिला-कांकेर, दिनांक-03.01.2025, श्री शिवनारायण मरकाम, फोन नम्बर-7879399720 द्वारा शिकायत की है कि इस ग्राम पंचायत की सोसायटी सप्ताह में केवल दो दिन खुलती है इस कारण सभी हितग्राहियों को खादयान्न लेने में परेशानी होती है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	खादय निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाई गई, दुकान नियमित खोला जाना पाया गया।
13	अमोडा	नरहरपुर	ग्राम पंचायत-अमोडा, विकासखंड-नरहरपुर, जिला-कांकेर, दिनांक-23.12.2024, श्री रहीम कुमार सुर्यवंशी, फोन नम्बर-6264905160 द्वारा शिकायत की है कि इस ग्राम पंचायत की सोसायटी का विक्रेता सभी हितग्राहियों का बायोमेट्रिक लेकर खादयान्न चढा देता है एवं खादयान्न बाद में आकर ले लेना कहता है उसके बाद सोसायटी बंद रहती है, इस प्रकार बहुत से हितग्राही खादयान्न लेने से वंचित हो जाते हैं, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	खादय निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाया गया, प्रतिवेदन अनुसार सभी हितग्राहियों को राशन वितरण किया जाना पाया गया और दुकान नियमित खोला जाना पाया गया।
14	आतुरगांव	कांकेर	जिला व विकासखण्ड-कांकेर, पंचायत-आतुरगांव से दिनांक-31.05.2023 को श्री नरेन्द्र नाथ मोबाइल न-9406359796 द्वारा शिकायत किया गया है कि दुकान क्र-602001058 है जो पिछले सात दिनों से बिना किसी सूचना के बंद है जिससे राशन लेने में परेशानी हो रही है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	खादय निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत सही पाई गई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दुकान निलंबित की गई।


अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मन्त्रालय, रायपुर


सहायक संचालक
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परोशेष्ट

परोशेष्ट - सत्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 55) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	एनीमिक महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
1	बालोद	बालोद	2939
		गुरुर	2051
		गुण्डरदेही	5130
		डौण्डी	1766
		डौण्डीलोहारा	7218
2	बस्तर	बस्तर	3421
		बकावण्ड	3563
		बास्तानार	4431
		दरभा	868
		जगदलपुर	9832
		लोहण्डीगुडा	3154
		तोकापाल	4592
3	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	2882
		पलारी	8692
		सिमगा	4559
		भाटापारा	7328
		कसडोल	3716
4	बलरामपुर	वाड्डफनगर	6102
		बलरामपुर	3796
		कुसमी	1627
		शंकरगढ़	1757
		राजपुर	2439
		रामचंद्रपुर	3694
5	बिलासपुर	मस्तूरी	2289
		बिल्हा	13102
		तखतपुर	3332
		कोटा	9439
6	गौरैला, पेण्ड्रा व मरवाही	गौरैला	2192
		पेण्ड्रा	2716
		मरवाही	2148
7	बीजापुर	उसूर	5847
		बीजापुर	2662
		भोपालपटनम	985
		भैरमगढ़	8986
8	बेमेतरा	बेरला	6402
		बेमेतरा	4846
		नवागढ़	5338
		साजा	6529

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	एनीमिक महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
9	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	4318
		गीदम	4684
		कटेकल्याण	1512
		कूआकोण्डा	1155
10	दुर्ग	दुर्ग	24492
		धमधा	6672
		पाटन	7941
11	धमतरी	धमतरी	3660
		कूरुद	2001
		मगरलोड	1446
		नगरी	2561
12	गरियाबंद	फिंगेश्वर	2133
		छुरा	6365
		गरियाबंद	3414
		मैनपुर	8333
		देवभोग	2696
13	जांजगीर	बम्हनीडीह	7907
		अकलतरा	3039
		बलौदा	3369
		पामगढ़	2069
		नवागढ़	5310
14	सक्ती	सक्ती	2816
		जैजैपुर	3136
		मालखरौदा	2848
		डभरा	1344
15	जशपुर	कनकरी	2287
		दूलदूला	1225
		पत्थलगांव	1619
		जशपुर	3804
		बगीचा	4029
		फरसाबहार	4059
		मनोरा	2258
		कांसाबेल	1811
16	कोण्डागांव	कोण्डागांव	20376
		केशकाल	19462
		माकड़ी	14472
		बडेराजपुर	11654
		फरसगांव	9048

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	एनीमिक महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
17	कांकेर	कांकेर	4838
		चारामा	3874
		नरहरपुर	2851
		भानुप्रतापपुर	2574
		अंतागढ़	1716
		दुर्गाकौदल	1504
		कोयलीबेड़ा	30352
18	कबीरधाम	कवर्धा	4010
		बोडला	4969
		पंडरिया	7054
		स लोहारा	2533
19	कोरबा	कोरबा	20166
		कटघोरा	26100
		करतला	6826
		पाली	20712
		पोड़ीउपरोड़ा	6097
20	कोरिया	बैकुण्ठपुर	10047
		सोनहत	3660
21	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	6655
		भरतपुर	4731
		खड़गवां	1732
22	महासमुंद	महासमुंद	23324
		बागबाहरा	11059
		पिथौरा	3586
		बसना	17271
		सरायपाली	4867
23	मुंगेली	मुंगेली	21774
		लोरमी	13557
		पथरिया	4064
24	नारायणपुर	नारायणपुर	1291
		ओरछा	319
25	राजनांदगांव	राजनांदगांव	7909
		छुरिया	3068
		डोंगरगांव	6627
		डोंगरगढ़	4367
26	खैरागढ़ छुईखदान	खैरागढ़	13946
		छुईखदान	8623
27	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	मोहला	2985
		मानपुर	5019
		अं. चौकी	2371

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	एनीमिक महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
28	रायगढ़	रायगढ़	18784
		पूसौर	9445
		खरसिया	2934
		तमनार	3367
		घरघोड़ा	5086
		लैलंगा	4116
		धरमजयगढ़	7154
29	सारंगढ़	सारंगढ़	14434
		बरमकेला	3688
		बिलाईगढ़	10746
30	रायपुर	धरसीवा	8281
		आरंग	3004
		अभनपुर	1856
		तिल्दा	3847
31	सरगुजा	सीतापुर	5426
		मैनपाट	2053
		बतौली	1890
		लखनपुर	5436
		लुण्डा	4497
		उदयपुर	3389
		अम्बिकापुर	7348
32	सूरजपुर	सूरजपुर	5840
		प्रतापपुर	12969
		प्रेमनगर	2177
		ओड़गी	2240
		भैयाथान	3607
		रामानुजनगर	3453
33	सुकमा	सुकमा	12100
		छिन्दगढ़	15968
		कोटा	16719

पारोशेष्ट - अद्वारह

पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 56) की जानकारी

प्रपत्र-अ

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024-25 में संचालित धान उपार्जन केन्द्रों की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम
1	डौण्डीलोहारा	डौंडी	आमाडुला
2		डौंडी	कुआगोंदी
3		डौंडी	सुरडोंगर
4		डौंडी	कोटागांव
5		डौंडी	गुजरा
6		डौंडी	गुदुम
7		डौंडी	घोटिया
8		डौंडी	पटेली
9		डौंडी	चिखलाकसा
10		डौंडी	डौंडी
11		डौंडी	भरींटीला
12		डौंडी	बेलोदा
13		डौंडी	मंगलतराई
14		डौंडी	साल्हे
15		डौंडी	कुसुमकसा
16		डौंडीलोहारा	कमकापार
17		डौंडीलोहारा	करेगांव
18		डौंडीलोहारा	कोचेरा
19		डौंडीलोहारा	कोडेकसा
20		डौंडीलोहारा	कोबा
21		डौंडीलोहारा	खैरकटटा
22		डौंडीलोहारा	खेरथा
23		डौंडीलोहारा	गैन्जी
24		डौंडीलोहारा	चिल्हाटी
25		डौंडीलोहारा	डौंडीलोहारा
26		डौंडीलोहारा	दुधली
27		डौंडीलोहारा	खरधुली
28		डौंडीलोहारा	बडुगांव
29		डौंडीलोहारा	भंवरमरा
30		डौंडीलोहारा	भीमकन्हार
31		डौंडीलोहारा	मंगचुवा
32		डौंडीलोहारा	रेंगाडबरी
33		डौंडीलोहारा	रानाखुज्जी
34		डौंडीलोहारा	संजारी
35		डौंडीलोहारा	सम्बलपुर

अनुभावा अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Ep

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024-25 में धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी, उठाव एवं शेष धान की अद्यतन जानकारी (दिनांक 17.02.2025 की स्थिति में)

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.	विकासखंड का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	कुल उपार्जित धान की मात्रा	धान उठाव की मात्रा	उपार्जन केन्द्र में शेष धान की मात्रा
1	डौंडी	आमाडुला	41,286.40	26,922.08	14,364.32
2	डौंडी	कुआगोदी	41,170.00	30,568.12	10,601.88
3	डौंडी	सुरडोंगर	34,672.80	31,623.57	3,049.23
4	डौंडी	कोटागांव	43,399.60	30,950.15	12,449.45
5	डौंडी	गुजरा	80,318.80	65,170.41	15,148.39
6	डौंडी	गुदुम	50,648.40	34,343.66	16,304.74
7	डौंडी	घोटिया	32,966.00	16,564.82	16,401.18
8	डौंडी	पटेली	26,774.40	17,776.12	8,998.28
9	डौंडी	चिखलाकसा	50,960.40	45,357.50	5,602.90
10	डौंडी	डौंडी	85,879.60	70,173.73	15,705.87
11	डौंडी	भर्रीटोला	59,086.00	45,543.68	13,542.32
12	डौंडी	बेलोदा	16,408.40	10,680.50	5,727.90
13	डौंडी	मंगलतराई	29,850.40	23,270.76	6,579.64
14	डौंडी	साल्हे	83,936.00	63,783.65	20,152.35
15	डौंडी	कुसुमकसा	109,356.00	93,099.48	16,256.52
16	डौंडीलोहारा	कमकापार	38,302.40	32,691.85	5,610.55
17	डौंडीलोहारा	करेंगांव	26,298.00	22,548.64	3,749.36
18	डौंडीलोहारा	कोचेरा	48,270.80	32,045.12	16,225.68
19	डौंडीलोहारा	कोडेकसा	44,004.00	40,799.65	3,204.35
20	डौंडीलोहारा	कोबा	36,110.80	22,693.26	13,417.54
21	डौंडीलोहारा	खैरकटटा	30,543.20	24,394.37	6,148.83
22	डौंडीलोहारा	खेरथा	53,654.00	38,484.67	15,169.33
23	डौंडीलोहारा	गैन्जी	90,164.40	82,690.46	7,473.94
24	डौंडीलोहारा	चिल्हाटी	51,163.60	42,236.63	8,926.97
25	डौंडीलोहारा	डौंडीलोहारा	87,041.60	84,876.87	2,164.73
26	डौंडीलोहारा	दुधली	43,584.00	32,743.98	10,840.02
27	डौंडीलोहारा	खरथुली	22,789.60	17,212.94	5,576.66
28	डौंडीलोहारा	बड़गांव	54,514.40	45,589.67	8,924.73
29	डौंडीलोहारा	भंवरमरा	80,747.60	62,118.12	18,629.48
30	डौंडीलोहारा	भीमकन्हार	48,509.20	37,924.89	10,584.31
31	डौंडीलोहारा	मंगचुवा	58,429.60	47,991.43	10,438.17
32	डौंडीलोहारा	रेगाडबरी	59,487.20	53,969.72	5,517.48
33	डौंडीलोहारा	रानाखुज्जी	33,836.80	27,905.41	5,931.39
34	डौंडीलोहारा	संजारी	32,029.60	24,106.68	7,922.92
35	डौंडीलोहारा	सम्बलपुर	64,427.20	49,931.81	14,495.39

अनुभाग अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
स्वायत्त नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र मोहला मानपुर अंतर्गत खरीदी केन्द्र में प्राप्त शिकायत की जानकारी

क्र.	खरीदी केन्द्र का नाम	शिकायत का विवरण	दोषियों का नाम	पद	दोषियों पर कार्यवाही
1	औधी	कृषक श्री कन्हैया फरदिया पिता श्री धनराज फरदिया द्वारा धान विक्रय हेतु 220 कटटा धान (88.00 कि.) का टोकन जारी किया, लेकिन किसान द्वारा 84 कटटा (33.60 कि.) धान विक्रय हेतु लाया गया। किन्तु हुमन राणा पिता कनक राणा के द्वारा पूरा 220 कटटा (88.00 कि) का धान आनलाईन प्रविष्टि हेतु पर्ची बनाकर चढ़ाया गया। किसान द्वारा विक्रय धान की राशि आहरण करने बैंक शाखा जाने के पश्चात पता चला की उसके बैंक खाते में ज्यादा राशि जमा हुई है। तब किसान द्वारा लिखित शिकायत समिति में किया गया तथा बैंक द्वारा उसके बचत खाते में होल्ड लगा दिया गया है।	हुमन राणा पिता कनक	बोरा गिनती (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रखा गया है।)	धान खरीदी कार्य से पृथक एवं एफआईआर प्रक्रियाधीन
			कनक राणा पिता धिराजी	कृषक	एफआईआर प्रक्रियाधीन
			जागेश्वर देहारी पिता मेहरसिंह	दैनिक भोगी	विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन
			अशोक पिता गौकरण	दैनिक भोगी	विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन
			अमित नायक पिता नीलकंठ	दैनिक भोगी	विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन
			टीकम पिता सोमनाथ	दैनिक भोगी	विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	गोटाटोला	श्री रोशनलाल साहू पिता धनूराम साहू निवासी गोटाटोला द्वारा अपने दादा बिसाहराम पिता भूखू राम ग्राम गोटाटोला के ऋण पुस्तिका में 300 कटटा (120 किटल), इसी प्रकार अन्य कृषक कंवल सिंह पिता तिजउराम के नाम पर दर्ज कृषि भूमि के आधार पर 139 कटटा (55.60 किटल) धान उपार्जन केन्द्र गोटाटोला में भौतिक रूप से बिना धान लाये उक्त दोनो के खाते में अवैध रूप से धान विक्रय किया जाना पाया गया।	रोशनलाल पिता धनूराम	कृषक	एफआईआर प्रक्रियाधीन
			राजेन्द्र मंडावी	हमाल	धान खरीदी कार्य से पृथक
			डोमनलाल	हमाल	धान खरीदी कार्य से पृथक
			दिलेश्वर वर्मा	नोडल अधिकारी (RAEO)	विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिचालित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 165) की जानकारी

परिशेष - उत्तर

71

14 मार्च 2025

पारिशेष्ट - बीस

पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 349) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र मोहला मानपुर अंतर्गत खरीदी केन्द्र में प्राप्त शिकायत की जानकारी

क्र.	खरीदी केन्द्र	शिकायत का विवरण
1	औंधी	कृषक श्री कन्हैया फरदिया पिता श्री धनराज फरदिया द्वारा धान विक्रय हेतु 220 कट्टा धान (88.00 कि.) का टोकन जारी किया, लेकिन किसान द्वारा 84 कट्टा (33.60 कि.) धान विक्रय हेतु लाया गया। किन्तु हुमन राणा पिता कनक राणा के द्वारा पूरा 220 कट्टा (88.00 कि.) का धान आनलाईन प्रविष्टि हेतु पर्ची बनाकर चढ़ाया गया। किसान द्वारा विक्रय धान की राशि आहरण करने बैंक शाखा जाने के पश्चात पता चला की उसके बैंक खाते में ज्यादा राशि जमा हुई है। तब किसान द्वारा लिखित शिकायत समिति में किया गया तथा बैंक द्वारा उसके बचत खाते में होल्ड लगा दिया गया है।
2	गोटाटोला	श्री रोशनलाल साहू पिता धनूराम साहू निवासी गोटाटोला द्वारा अपने दादा बिसाहराम पिता भूख राम ग्राम गोटाटोला के ऋण पुस्तिका में 300 कट्टा (120 किटल), इसी प्रकार अन्य कृषक कंवल सिंह पिता तिजउराम के नाम पर दर्ज कृषि भूमि के आधार पर 139 कट्टा (55.60 किटल) धान उपार्जन केन्द्र गोटाटोला में भौतिक रूप से बिना धान लाये उक्त दोनों के खातों में अवैध रूप से धान विक्रय किया जाना पाया गया।
3	आमाटोला	धान खरीदी केन्द्र-आमाटोला, तहसील-अंबागढ चौकी, जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ चौकी, दिनांक-01.12.2023. श्री कुलदीप. फोन नम्बर-7697614389 द्वारा शिकायत की है कि इस धान खरीदी केन्द्र में किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है किसानों का धान पलटी करने, कांटा करने, धान भरने की व्यवस्था नहीं है. शाम 05 बजे तक किसानों का धान खरीदी नहीं हो पा रहा है. कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे 1
4	आडेझर	उपार्जन केन्द्र-आडेझर समिती-आतरगांव, तहसील-चौकी, जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ चौकी. दिनांक-12.12.2023. श्री ज्योती कुमार नायक, फोन नम्बर-6265822577 द्वारा शिकायत की है कि किसान रविकुवर, किसान क्रमांक- टीएफ6830092304245 का धान नहीं लिया जा रहा है परंतु जो किसान पैसा दे रहे हैं उनका धान तुरंत कांटा कर लिया जा रहा है. कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में ई-निविदा के माध्यम से विक्रय चावल की मात्रा, स्वीकृत दर एवं हानि की जानकारी

(राशि रूपये में / मात्रा मे.टन में)

क्र.	खरीफ विपणन वर्ष	निविदाकारों द्वारा क्रय हेतु दी गई मात्रा	स्वीकृत विक्रय दर	विक्रय मात्रा	प्राप्त उच्चतम दर अनुसार कुल राशि	कास्ट शीट अनुसार चावल की लागत दर	कास्ट शीट अनुसार चावल की कुल राशि	निविदा में प्राप्त उच्चतम दर एवं कास्ट शीट अनुसार कुल अनुमानित हानि
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9=6-8
1	2020-21	10000.00	22520.00	10000.00	225200000.00	33322.20	333222000.00	-108022000.00
2		10000.00	22120.00	3500.00	77420000.00	32980.00	115430000.00	-38010000.00
3		20000.00	22015.00	20000.00	440300000.00	32980.00	659600000.00	-219300000.00
कुल		40000.00		33500.00	742920000.00		1108252000.00	-365332000.00


अनुभाग अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
स्वायत्त नगरपालिका आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिचालित अतारणीकृत प्रश्न संख्या 7 (क्र. 392) की जानकारी

परीक्षण - इक्कीस

73

14 मार्च 2025

परिशेष - बाईस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 393) की जानकारी

तारांकित प्रश्न क्रमांक (क्र-393) के प्रकाशक की जानकारी
खरीफ वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक ऋण की जानकारी

प्रश्न

(राशि करोड़ में)

2019-20

स. क्र.	संस्था का नाम जहां से ऋण प्राप्त किया गया है।	पूर्व वर्ष का ऋण	धान उपार्जन हेतु नवीन ऋण	कुल ऋण	दर	ऋण की अवधि	पुनर्भुगतान	भुगतान हेतु शेष राशि	खरीफ वर्ष में कुल भुगतान की गई ब्याज राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आन्ध्रा बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	800.00	0.00	800.00	8.25%	01 वर्ष	800.00	0.00	821.48
2	भारतीय स्टेट बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	2100.00	3350.00	5450.00	7.95%	01 वर्ष	503.00	4947.00	
3	यूनियन बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	1000.00	500.00	1500.00	8.00%	01 वर्ष	1100.00	400.00	
4	यूनियन बैंक	0.00	1000.00	1000.00	8.00%	01 वर्ष	1000.00	0.00	
5	नाबार्ड (शास. प्रत्याभूति पर)	1000.00	2000.00	3000.00	8.00%	01 वर्ष	1500.00	1500.00	
6	कापरेशन बैंक	1000.00	0.00	1000.00	7.95%	01 वर्ष	1000.00	0.00	
7	कापरेशन बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	0.00	500.00	500.00	7.95%	01 वर्ष	0.00	500.00	
8	इलाहाबाद बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	1300.00	0.00	1300.00	8.05%	01 वर्ष	1300.00	0.00	
9	यूको बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	500.00	500.00	1000.00	7.80%	01 वर्ष	200.00	800.00	
10	बैंक ऑफ इंडिया (शास. प्रत्याभूति पर)	0.00	1000.00	1000.00	8.15%	01 वर्ष	300.00	700.00	
11	बैंक ऑफ बड़ोदा (शास. प्रत्याभूति पर)	0.00	500.00	500.00	7.95%	01 वर्ष	0.00	500.00	
12	एन.सी.डी.सी.	0.00	5500.00	5500.00	8.22% & 8.32%	01 वर्ष	5500.00	0.00	
योग		7700.00	14850.00	22550.00			13203.00	9347.00	

2020-21

स. क्र.	संस्था का नाम जहां से ऋण प्राप्त किया गया है।	पूर्व वर्ष का ऋण	धान उपार्जन हेतु नवीन ऋण	कुल ऋण	दर	ऋण की अवधि	पुनर्भुगतान	भुगतान हेतु शेष राशि	खरीफ वर्ष में कुल भुगतान की गई ब्याज राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एन.सी.डी.सी.	0.00	12000	12000.00	6.56% to 6.97%	04 से 06 माह	12000.00	0.00	945.03
2	भारतीय स्टेट बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	4947.00	0	4947.00	6.65%	01 वर्ष	0.00	4947.00	
3	यूनियन बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	400.00	2100	2500.00	6.75%	01 वर्ष	997.00	1503.00	
4	नाबार्ड (शास. प्रत्याभूति पर)	1500.00	2000	3500.00	6.70%	01 वर्ष	1000.00	2500.00	
5	कापरेशन बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	500.00	0	500.00	6.65%	01 वर्ष	0.00	500.00	
6	यूको बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	800.00	0	800.00	6.60%	01 वर्ष	0.00	800.00	
7	बैंक ऑफ इंडिया (शास. प्रत्याभूति पर)	700.00	0	700.00	6.70%	01 वर्ष	300.00	400.00	
8	बैंक ऑफ बड़ोदा (शास. प्रत्याभूति पर)	500.00	1000	1500.00	6.60%	01 वर्ष	1000.00	500.00	
योग		9347.00	17100.00	26447.00			15297.00	11150.00	

2021-22

स. क्र.	संस्था का नाम जहां से ऋण प्राप्त किया गया है।	पूर्व वर्ष का ऋण	धान उपार्जन हेतु नवीन ऋण	कुल ऋण	दर	ऋण की अवधि	पुनर्भुगतान	भुगतान हेतु शेष राशि	खरीफ वर्ष में कुल भुगतान की गई ब्याज राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भारतीय स्टेट बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	4947	100	5047.00	6.65%	01 वर्ष	0.00	5047.00	844.99
2	एन.सी.डी.सी.	0	10500	10500.00	6.37%	06 माह	10500.00	0.00	
3	नाबार्ड (शास. प्रत्याभूति पर)	2500	2500	5000.00	5.00%	01 वर्ष	3000.00	2000.00	
4	इंडियन बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	0	2500	2500.00	5.90%	01 वर्ष	1648.00	852.00	
6	पंजाब नेशनल बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	0	1000	1000.00	5.80%	01 वर्ष	0.00	1000.00	
7	यूको बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	800	500	1300.00	5.00%	01 वर्ष	0.00	1300.00	
8	बैंक ऑफ इंडिया (शास. प्रत्याभूति पर)	400	250	650.00	4.40%	01 वर्ष	0.00	650.00	
9	बैंक ऑफ बड़ोदा (शास. प्रत्याभूति पर)	500	0	500.00	4.70%	01 वर्ष	0.00	500.00	
10	कापरेशन बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	500	0	500.00	6.65%	01 वर्ष	500.00	0.00	
11	यूनियन बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	1503	0	1503.00	6.75%	01 वर्ष	1503.00	0.00	
योग		11150.00	17350.00	28500.00			17151.00	11349.00	

अनुमान आ...
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

तारांकित प्रश्न क्रमांक (क-393) के प्रश्नांक की जानकारी
खरीफ वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक ऋण की जानकारी

(राशि करोड़ में)

2022-23

स. क्र.	संस्था का नाम जहां से ऋण प्राप्त किया गया है।	पूर्व वर्ष का ऋण	धान उपार्जन हेतु नवीन ऋण	कुल ऋण	दर	ऋण की अवधि	पुनर्भुगतान	भुगतान हेतु शेष राशि	खरीफ वर्ष में कुल भुगतान की गई ब्याज राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एन.सी.डी.सी.	0	8500	8500.00	8.43%	01 वर्ष	8500.00	0.00	1383.95
2	भारतीय स्टेट बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	5047	1087	6134.00	7.40%	01 वर्ष	0.00	6134.00	
3	नाबार्ड	2000	3500	5500.00	8.00%	01 वर्ष	5500.00	0.00	
4	नाबार्ड (शास. प्रत्याभूति पर)	0	500	500.00	7.91%	01 वर्ष	500.00	0.00	
5	इंडियन बैंक	852	462	1314.00	7.74%	01 वर्ष	541.00	773.00	
6	यूको बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	1300	700	2000.00	7.64%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
8	बैंक ऑफ इंडिया (शास. प्रत्याभूति पर)	650	1350	2000.00	7.55%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
9	बैंक ऑफ बडौदा (शास. प्रत्याभूति पर)	500	1500	2000.00	7.60%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
10	पंजाब नेशनल बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	1000	1000	2000.00	7.60%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
11	पंजाब नेशनल बैंक	0	610	610.00	8.04%	01 वर्ष	0.00	610.00	
योग		11349.00	19209.00	30558.00			15041.00	15517.00	

2023-24

स. क्र.	संस्था का नाम जहां से ऋण प्राप्त किया गया है।	पूर्व वर्ष का ऋण	धान उपार्जन हेतु नवीन ऋण	कुल ऋण	दर	ऋण की अवधि	पुनर्भुगतान	भुगतान हेतु शेष राशि	खरीफ वर्ष में कुल भुगतान की गई ब्याज राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एन.सी.डी.सी.	0.00	18990.00	18990.00	8.43%	01 वर्ष	18990.00	0.00	2595.73
2	भारतीय स्टेट बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	6134.00	66.00	6200.00	7.40%	01 वर्ष	79.00	6121.00	
3	नाबार्ड	0.00	6000.00	6000.00	8.00%	01 वर्ष	0.00	6000.00	
4	नाबार्ड (शास. प्रत्याभूति पर)	0.00	500.00	500.00	7.91%	01 वर्ष	0.00	500.00	
5	इंडियन बैंक	773.00	1727.00	2500.00	7.74%	01 वर्ष	2436.00	64.00	
6	यूको बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	2000.00	0.00	2000.00	7.64%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
7	यूको बैंक	0.00	1000.00	1000.00	8.30%	01 वर्ष	0.00	1000.00	
8	बैंक ऑफ इंडिया (शास. प्रत्याभूति पर)	2000.00	0.00	2000.00	7.55%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
9	बैंक ऑफ बडौदा (शास. प्रत्याभूति पर)	2000.00	0.00	2000.00	7.60%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
10	पंजाब नेशनल बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	2000.00	0.00	2000.00	7.60%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
11	पंजाब नेशनल बैंक	610.00	787.00	1397.00	8.04%	01 वर्ष	0.00	1397.00	
12	नाबार्ड	0.00	0.00	300.00	8.00%	01 वर्ष	0.00	300.00	
13	पंजाब नेशनल बैंक	0.00	0.00	2103.00	8.04%	01 वर्ष	0.00	2103.00	
योग		15517.00	29070.00	46990.00			21505.00	25485.00	

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाध नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - तेईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 598) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	माह	अनुमोदित हितग्राही	अनुमोदित राशि
1	मार्च 2024	7009578	6551441750
2	अप्रैल 2024	7009453	6552014350
3	मई 2024	7007388	6549235550
4	जून 2024	7002886	6544114850
5	जुलाई 2024	7000585	6542371550
6	अगस्त 2024	6987734	6530385400
7	सितम्बर 2024	6985849	6528959200
8	अक्टूबर 2024	6982320	6526187650
9	नवम्बर 2024	6978566	6523300250
10	दिसम्बर 2024	6974830	6520435700
11	जनवरी 2024	6969399	6516236400
12	फरवरी 2024	6953994	6503282600
	कुल		78387965250

परोशष्ट - चोबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 767) की जानकारी

प्रपत्र

जिला महासमुंद एवं बलौदाबाजार-भाटापारा के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में संचालित 182 धान खरीदी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन में शॉर्टेज पाए गए उपार्जन केन्द्रों की जानकारी


क्र	जिला	उपार्जन केंद्र का नाम	भौतिक सत्यापन में पायी गई कमी का विवरण	की गई कार्यवाही
1	महासमुंद	खटटी / खटटी	भौतिक सत्यापन में मोटा धान 7704 बोरे कम पाया गया।	कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला महासमुंद द्वारा केंद्र प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं बारदाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
2		तुमगांव / मालीडीह	10 क्विंटल वजन में शॉर्टेज पाया गया	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
3		नर्रा / नर्रा	मोटे धान वजन और वरदानों के मिलने पर लगभग 120 क्विंटल की शॉर्टेज है। इसी प्रकार सरना में भी 80 क्विंटल की शॉर्टेज है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
4		बसुलाडबरी / बसुलाडबरी	धान उपार्जन की मात्रा खरीदी किए गए धान की तुलना में 466.37 क्विंटल मोटा धान शॉर्टेज है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
5		सांकरा / सांकरा	स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें सरना धान 608 कट्टा ज्यादा पाया गया एवम् मोटा धान 899 कम पाया गया। कुल 291 कट्टा धान कम पाया गया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
6		कछारडीह / कछारडीह	धान उपार्जन केंद्र कछारडीह में खरीदे गए धान की मात्रा तथा भौतिक रूप से उपलब्ध धान की मात्रा में 515.27 क्विंटल मोटा धान तथा 26.78 क्विंटल सरना धान का शॉर्टेज पाया गया है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
7		सिंगबहाल / सिंगबहाल	187 बोरा धान कम पाया गया	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
8		परसुली / परसुली	लगभग 20 क्विंटल मोटे में शॉर्टेज है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
9		सुखीपाली / सुखीपाली	भौतिक सत्यापन करने पर मोटा धान 759 कट्टा कम तथा सरना धान 149 कट्टा ज्यादा पाया गया। कुल धान 610 कट्टा कम पाया गया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
10		जम्हारी / आंवलाचक्का	सत्यापन में 42 बोरा मोटा धान कम पाया गया	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
11		बेलमुण्डी / बेलमुण्डी	जांच में 54 बोरी धान कम पाया गया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
12		बिरकोनी / बिरकोनी	स्टेकिंग में 95 बोरी की अंतर पाई गई स्टेकिंग अवस्थित।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
13		जाडामुडा / झारमुडा	मौके में 375 क्विंटल 938 बोरी की कमी है जिसमें पूर्व तिथि में कार्यवाही किया जा चुका है	कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला महासमुंद द्वारा धान उपार्जन केंद्र झारमुडा में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही हेतु उपायुक्त सहकारी संस्थाएँ जिला महासमुंद को पत्र प्रेषित किया गया है।
14	बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार/डमरू	धान के भौतिक सत्यापन में 900 क्विंटल धान की कमी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति डमरू द्वारा आदेश दिनांक 21.01.2025 द्वारा पृथक किया गया।
15		कसडोल/रिकोकला	धान के भौतिक सत्यापन में 2388.40 क्विंटल धान की कमी	धान खरीदी समिति प्रभारी एवं फंड प्रभारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु उपभायुक्त सहकारिता द्वारा शाखा प्रबंधक शाखा बया को पत्र क्रमांक 366 दिनांक 19.02.2025 जारी किया गया है।
16		भाटापारा/बिटकुली	धान के भौतिक सत्यापन में 467.67 क्विंटल धान की कमी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति खैरा द्वारा आदेश दिनांक 21.01.2025 द्वारा पृथक किया गया।

अनुभाग आँकड़ा
 कक्षा क्रमांक-2
 खाद्य नैतिक आपूर्ति एवं
 गणतंत्र संरक्षण विभाग

प्रपत्र

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवीन राशनकार्ड बनवाने हेतु प्राप्त आवेदन, एवं प्राप्त आवेदनों से प्रदाय नवीन राशनकार्ड एवं शेष आवेदन की विकासखंड वार जानकारी

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र	वित्तीय वर्ष	विकासखंड का नाम	नवीन राशनकार्ड बनवाने हेतु प्राप्त कुल आवेदन की संख्या	प्राप्त आवेदनों से आवेदकों को प्रदाय नवीन राशनकार्ड की संख्या	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
1	सरायपाली	2023-24 (01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक)	सरायपाली	190	190	0
			बसना	299	299	0
			योग	489	489	0
		2024-25 (01 अप्रैल 2024 से 15 जनवरी 2025 तक)	सरायपाली	3502	3017	485
			बसना	3526	3526	0
			योग	7028	6543	485
महायोग				7517	7032	485


 अनुभाग अधिकारी
 बंध क्रमांक-2
 स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


पारोशेष्ट - छब्बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 965) की जानकारी

प्रपत्र.अ

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भवन विहीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

क्र	विकासखंड का नाम	भवनयुक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान	भवन विहीन शासकीय उचित मूल्य दुकान
1	खैरागढ़	54	5
2	छुईखदान	109	10
	योग	163	15


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


 सहायक संचालक
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.

खैरागढ़ विधानसभा में वर्ष 2022 से दिसम्बर, 2024 तक उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता की शिकायतें एवं की गई कार्यवाही की जानकारी


क्र.	उचित मूल्य दुकान का नाम , जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है	प्राप्त शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गयी कार्यवाही
1	शासकीय उचित मूल्य दुकान विचारपुर आई डी क्र. 422005094	शिकायतकर्ता मीना बाई द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान आई डी क्र. 422005094 के द्वारा चावल नहीं देने के सम्बन्ध में।	उपरोक्त शिकायत गलत पाई गयी। शासकीय उचित मूल्य की दुकान विचारपुर आई डी क्र. 422005094 के विक्रेता संतोष कुमार यादव से पूछताछ की गयी, विक्रेता ने बताया की मीना बाई उस समय अन्यत्र निवास कर रही थी एवं राशन दुकान में खाद्यान्न लेने नहीं आने के कारण चावल वितरण नहीं हुआ।
2	शासकीय उचित मूल्य दुकान कलकसा आई डी क्र. 422005106	शिकायतकर्ता अमर चंदेल द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान आई डी क्र. 422005106 के द्वारा उचित मूल्य की दुकान नियमित नहीं खुलने के सम्बन्ध में।	क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक द्वारा 25/07/2024 को शासकीय उचित मूल्य की दुकान कलकसा आई डी क्र. 422005106 की जाँच की गयी। राशन दुकान नियमित खुल रही है, शिकायत गलत पाई गयी।
3	शासकीय उचित मूल्य दुकान छुईखदानआई डी क्र. 421004002	जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गडई, नगरीय निकाय/ विकासखंड - छुईखदान, ग्राम पंचायत/ वार्ड- 2 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड, से दिनांक- 20.10.2023 को श्री देवेन्द्र महोबिया, मोबाइल क्रमांक-7874250428, राशनकार्ड क्रमांक-223888149836 के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है की राशनदुकान क्रमांक- 421004002 (माँ अन्नपूर्णा देवी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, छुईखदान) हैं राशन दुकानदार चावल वजन के समय 05 कि.ग्रा. कांटा सेट करके रखे हैं हर बार राशन लेने के बाद 05 किग्रा वजन कम मिलता है। कृपया जाँच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक सुश्री गरिमा सोरी के द्वारा 25/10/2023 को शासकीय उचित मूल्य की दुकान छुईखदान आई डी क्र. 421004002 की जाँच की गयी। तौल मशीन नापतौल विभाग राजनांदगांव के द्वारा सत्यापित होना पाया गया है जाँच करने पर मशीन में 5 कि.ग्रा. वजन कम होना नहीं पाया गया। श्री देवेन्द्र महोबिया निवासी छुईखदान के द्वारा की गयी शिकायत गलत पाई गयी।
4	शासकीय उचित मूल्य दुकान नगर निकाय खैरागढ़ आई डी क्र. 422005075	जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गडई, नगर निकाय खैरागढ़, वार्ड-1-महात्मा गाँधी से दिनांक-02.08.2023 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायत किया गया है कि दुकान क्र- 422005075 है जो बिना किसी सूचना के अधिकतम बंद रहता है व दुकान के बाहर सूचना या निर्देश संबंधी कोई बोर्ड नहीं है जिससे हर माह राशन लेने में परेशानी होती है कृपया जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।	क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक विनोद सागर के द्वारा 14/01/2024 को शासकीय उचित मूल्य की दुकान खैरागढ़ आई डी क्र. 422005075 की जाँच की गयी। शासकीय उचित मूल्य दुकान खैरागढ़ के विक्रेता के द्वारा नियमित राशन दुकान खोले जाना निरीक्षण में पाया गया है, उपरोक्त शिकायत गलत है।


क्र.	उचित मूल्य दुकान का नाम , जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है	प्राप्त शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गयी कार्यवाही
5	शासकीय उचित मूल्य दुकान बुढानभाठ आई डी क्र. 422006045	दिनांक-26.07.2023, को जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, विकासखंड - छुईखदान, पंचायत:- बुढानभाठ, दुकान 422006045 (तहसील विपणन संघ मर्या बुढानभाठ) के लिए, श्री विनय चंदेल, मो 8236044426, राशनकार्ड क्र.-223884774336 के द्वारा शिकायत किया गया है, कि यहां का राशन दुकान माह में केवल 2 से 3 दिन बस खुलता है, और बाकी पूरे माह में यहां का राशन दुकान बंद ही रहता है, और जब भी दुकान खुलती है, तो भीड़ बहुत ही बढ़ जाती है, इस कारण से बहुत लोगों को राशन भी नहीं मिल पाता है, यहां के हितग्राहीयों का कहना है, की माह में दुकान रोज खुले ताकि सभी को राशन समय पर मिल सके, कृपया करके इस संबंध में जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे।	कॉल सेंटर / A28402 में दर्ज शिकायत की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक सुश्री गरिमा सोरी के द्वारा 14/01/2024 को शासकीय उचित मूल्य की दुकान बुढानभाठ आई डी क्र. 422006045 की जाँच की गयी। जाँच में, श्री विनय चंदेल के द्वारा की गयी शिकायत गलत पाई गयी। राशन दुकान निर्धारित तिथि व समय को खोली जा रही है, जाँच में सभी राशनकार्ड धारियों को समय पर खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। खाद्यान्न वितरण एवं राशन दुकान खोलने से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की आपत्ति ग्राम पंचायत:- बुढानभाठ के ग्रामीणों को नहीं है कॉल सेंटर में दर्ज उपरोक्त शिकायत निरीक्षण में गलत पाई गयी।
6	शासकीय उचित मूल्य दुकान हनईबन आई डी क्र. 422006059	ग्राम पंचायत-हनईबन, विकासखंड-छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान गंडई, दिनांक-20.01.2023, श्री उत्तम कुमार साहू, फोन नम्बर-8120408809 द्वारा शिकायत की है कि यहां की सोसायटी निर्धारित समय से नहीं खुलती है इस कारण खाद्यान्न लेने में परेशानी हो रही है. कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	कॉल सेंटर / A27281 में दर्ज शिकायत की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक सुश्री गरिमा सोरी के द्वारा 05/02/2023 को शासकीय उचित मूल्य की दुकान हनईबन आई डी क्र. 422006059 की जाँच की गयी। जाँच में, श्री उत्तम कुमार साहू के द्वारा की गयी शिकायत गलत पाई गयी। राशन दुकान निर्धारित तिथि व समय को खोली जा रही है, जाँच में सभी राशनकार्ड धारियों को समय पर खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। खाद्यान्न वितरण एवं राशन दुकान खोलने से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की आपत्ति ग्राम पंचायत:- हनईबन के ग्रामीणों को नहीं है कॉल सेंटर में दर्ज उपरोक्त शिकायत निरीक्षण में गलत पाई गयी।।
7	शासकीय उचित मूल्य दुकान पांडादाह आई डी क्र. 422005094	ग्राम पंचायत-पाण्डादाह, विकासखंड-खैरागढ़, जिला -खैरागढ़-छुईखदान- गंडई, दिनांक-12.01.2023, श्री आदिल बेग, फोन नम्बर-96177 11006 द्वारा शिकायत की है कि यहां की सोसायटी माह की 15 तारीख के बाद खोली जाती है इस कारण बहुत भीड़ हो जाने से सभी लोगों को परेशानी होती है, कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।	ग्राम पंचायत पांडादाह में प्रत्येक राशनकार्ड धारी को समय पर खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है जाँच में राशनकार्डधारियों से किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतकर्ता के द्वारा की गयी शिकायत गलत पाई गयी। शासकीय उचित मूल्य दुकान माह के प्रथम सप्ताह से खुलती है।

क्र.	उचित मूल्य दुकान का नाम , जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है	प्राप्त शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गयी कार्यवाही
8	शासकीय उचित मूल्य दुकान भीमपुरी आई डी क्र. 422005049	शासकीय उचित मूल्य दुकान भीमपुरी, दुकान क्रमांक : 422005049 (सेवा सहकारी समिति बाजार अतरिया, भीमपुरी) के लिए, श्री मुन्ना वर्मा, मॉ-6268134845, राशनकार्ड -223881835698, के द्वारा शिकायत किया गया है, कि इनके सोसाईटी- भीमपुरी, दुकान बिना कोई नोटिस के लगातार पूरे माह दिसम्बर 09 में राशन दुकान को बंद रखा गया था, इस कारण से यहाँ के पूरे गांव में किसी भी हितग्राही को राशन प्राप्ति नहीं हुआ है, ऐसे में इनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है. कृपया करके इस संबंध में जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे।	ग्राम पंचायत भीमपुरी के शासकीय उचित मूल्य दुकान के दिसम्बर एवं जनवरी महीने में राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किये जाने के कारण निलंबित किया गया है। उपरोक्त शिकायत सही पाई गयी। उपरोक्त शिकायत की जांच 28/02/2023 को की गयी।
9	शासकीय उचित मूल्य दुकान भीमपुरी आई डी क्र. 422005049	राशन दुकान नियमित नहीं खुलने तथा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में।	शासकीय उचित मूल्य दुकान भीमपुरी आई डी क्र. 422005049 की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गयी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान भीमपुरी को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़ के द्वारा 07/02/2023 को निलम्बित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान सोनपुरी में संलग्न किया गया।
10	शासकीय उचित मूल्य दुकान झुरानदी आई डी क्र. 422006073	राशन दुकान नियमित नहीं खुलने तथा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में।	शासकीय उचित मूल्य दुकान झुरानदी आई डी क्र. 422006073 की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गयी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान झुरानदी को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गंडई - छुईखदान के द्वारा 20/05/2024 को निलम्बित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान शाखा में संलग्न किया गया।
11	शासकीय उचित मूल्य दुकान भोरमपुर आई डी क्र. 422006072	राशन दुकान नियमित नहीं खुलने तथा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में।	शासकीय उचित मूल्य दुकान भोरमपुर आई डी क्र. 422006072 की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गयी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान भोरमपुर को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गंडई - छुईखदान के द्वारा 20/05/2024 को निलम्बित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान खैरी में संलग्न किया गया।

क्र.	उचित मूल्य दुकान का नाम , जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है	प्राप्त शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गयी कार्यवाही
12	शासकीय उचित मूल्य दुकान अचानकपुर आई डी क्र. 422006033	राशन दुकान नियमित नहीं खुलने तथा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में	शासकीय उचित मूल्य दुकान अचानकपुर आई डी क्र. 422006033 की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गयी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान अचानकपुर को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गंडई - छुईखदान के द्वारा 05/07/2023 को निलम्बित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान जीराटोला में संलग्न किया गया
13	शासकीय उचित मूल्य दुकान जंगलपुरघाट आई डी क्र. 422006090	राशन दुकान नियमित नहीं खुलने तथा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में	शासकीय उचित मूल्य दुकान जंगलपुरघाट आई डी क्र. 422006090 की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गयी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान जंगलपुरघाट को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गंडई - छुईखदान के द्वारा 27/02/2023 को निलम्बित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान मानपुर पहाड़ी में संलग्न किया गया
14	शासकीय उचित मूल्य दुकान गर्रा आई डी क्र. 422006013	राशन दुकान नियमित नहीं खुलने तथा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में	शासकीय उचित मूल्य दुकान गर्रा आई डी क्र. 422006013 की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गयी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान गर्रा को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गंडई - छुईखदान के द्वारा 21/05/2024 को निलम्बित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान मानपुर पहाड़ी में संलग्न किया गया
15	शासकीय उचित मूल्य दुकान ठाकुरटोला आई डी क्र. 422006054	राशन दुकान नियमित नहीं खुलने तथा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में	शासकीय उचित मूल्य दुकान ठाकुरटोला आई डी क्र. 422006054 की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गयी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान ठाकुरटोला को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गंडई - छुईखदान के द्वारा 21/05/2024 को निलम्बित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान काशीटोला में संलग्न किया गया

क्र.	उचित मूल्य दुकान का नाम , जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है	प्राप्त शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गयी कार्यवाही
16	शासकीय उचित मूल्य दुकान गंडई आई डी क्र. 421005001	राशन दुकान नियमित नहीं खुलने तथा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में।	शासकीय उचित मूल्य दुकान गंडई आई डी क्र. 421005001 की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गयी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान गंडई को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गंडई - छुईखदान के द्वारा 04/10/2023 को निलम्बित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान जीराटोला में संलग्न किया गया।
17	शासकीय उचित मूल्य दुकान उदयपुर आई डी क्र. 422006082	राशन दुकान नियमित नहीं खुलने तथा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में।	शासकीय उचित मूल्य दुकान उदयपुर आई डी क्र. 422006082 की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गयी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान उदयपुर को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गंडई - छुईखदान के द्वारा 07/06/2023 को निलम्बित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान आमाघाट कांदा में संलग्न किया गया।
18	शासकीय उचित मूल्य दुकान देवपुरा (गंडई) आई डी क्र. 422006035	राशन दुकान नियमित नहीं खुलने तथा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में।	शासकीय उचित मूल्य दुकान देवपुरा (गंडई) आई डी क्र. 422006035 की जाँच क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गयी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान देवपुरा (गंडई) को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गंडई - छुईखदान के द्वारा 08/07/2024 को निलम्बित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान खोडा में संलग्न किया गया।


 अनुभाग अधिकारी
 कक्षा क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


 सहायक संचालक
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
 संचालनालय, नवा रायपुर

परिशेष - सप्ताह

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1001) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत नवीन भवन	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	धरमजयगढ़	12	0	12	0
2	घरघोडा	6	0	6	0
3	खरसिया	7	0	7	0
4	लैलूंगा	12	0	11	1
5	पुसौर	9	0	8	1
योग		46	0	44	2

पारोशिए - अट्टाईस

पारिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1019) की जानकारी

प्रपत्र-

बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय राशि

क्र	वर्ष	विकासखंड का नाम	सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि	सामूहिक विवाह आयोजन स्थल का पूर्ण पता	विवाह संपन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	प्रयोजनवार व्यय राशि का विवरण	
						प्रयोजना का नाम	व्यय राशि (रूपये में)
1	2	3	5	6	7	8	9
1	2022-23	बिल्हा	30.03.2023	सांस्कृतिक भवन बिल्हा	20	विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय	100000
						चांदी की मंगलसूत्र, वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी साफा इत्यादि पर व्यय	100000
						वधु को ड्रॉफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से भुगतान पर व्यय	20000
						अन्य उपहार सामग्री प्रदाय पर व्यय	278492
योग:-					20		498492
2	2022-23	बिल्हा	31.03.2023	लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर खैरा डगनिया	30	विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय	150000
						चांदी की मंगलसूत्र, वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी साफा इत्यादि पर व्यय	150000
						वधु को ड्रॉफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से भुगतान पर व्यय	30000
						अन्य उपहार सामग्री प्रदाय पर व्यय	417738
योग:-					30		747738
3	2022-23	कोटा	31.03.2023	मां माहामाया मंदिर प्रांगण भागवत मंच रतनपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	30	विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय	150000
						चांदी की मंगलसूत्र, वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी साफा इत्यादि पर व्यय	150000
						वधु को ड्रॉफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से भुगतान पर व्यय	30000
						अन्य उपहार सामग्री प्रदाय पर व्यय	417738
योग:-					30		747738
4	2022-23	तखतपुर	27.03.2023	शिव मंदिर परिसर बेलपान तखतपुर	20	विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय	100000
						चांदी की मंगलसूत्र, वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी साफा इत्यादि पर व्यय	100000
						वधु को ड्रॉफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से भुगतान पर व्यय	20000
						अन्य उपहार सामग्री प्रदाय पर व्यय	278492
योग:-					20		498492
5	2022-23	तखतपुर	27.03.2023	ग्राम बेलपान विकासखण्ड तखतपुर	25	विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय	125000
						चांदी की मंगलसूत्र, वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी साफा इत्यादि पर व्यय	125000
						वधु को ड्रॉफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से भुगतान पर व्यय	25000
						अन्य उपहार सामग्री प्रदाय पर व्यय	348115
योग:-					25		623115
6	2022-23	मस्तूरी	22.03.2023 एवं 31.03.2023	लिटिल लर्नर पब्लिक स्कूल परिसर सीपत एवं देवी मंदिर परिसर ईटवा (मस्तूरी)	25	विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय	125000
						चांदी की मंगलसूत्र, वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी साफा इत्यादि पर व्यय	125000
						वधु को ड्रॉफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से भुगतान पर व्यय	25000
						अन्य उपहार सामग्री प्रदाय पर व्यय	348115
योग:-					25		623115
7	2022-23	मस्तूरी	22.03.2023	लिटिल लर्नर पब्लिक स्कूल परिसर सीपत	20	विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय	100000
						चांदी की मंगलसूत्र, वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी साफा इत्यादि पर व्यय	100000
						वधु को ड्रॉफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से भुगतान पर व्यय	20000
						अन्य उपहार सामग्री प्रदाय पर व्यय	278492
योग:-					20		498492
1	2023-24						निरंक
1	2024-25 में जनवरी 2025 तक की स्थिति में						निरंक


पारोशेष्ट - उन्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1069) की जानकारी

प्रपत्र

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित
दिव्यांगजनों की वर्षवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राही	
		वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1	2	3	4
1.	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	5197	5183
2	सामर्थ्य विकास योजना	9793	16920
3	दिन्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	453	410
4	दिन्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	14014	14441
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिन्यांगजन पेंशन योजना	34265	33697
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	134162	136862
7	दिन्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	396	507
8	दिन्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	19	22
9	दिन्यांगजन छात्रगृह योजना	0	1
10	शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम (शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं की जानकारी)	3894	4296
11	स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	4	1
12	उत्थान सब्सिडी योजना	19	4
13	घरौंदा (आश्रय गृह)	282	303
14	हॉफ-वे-होम	330	364
15	अपराजिता (मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र)	50	74
16	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	0	0
17	मोटराईज्ड ट्राईसायकल प्रदाय योजना	1844	1225
	योग	204722	214310


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 समाज कल्याण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - तीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1074) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	एन.जी.ओ. का नाम	एन.जी.ओ. को दिया गया कार्य/देश का क्रमांक/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी 2025 तक एन.जी.ओ. को गतिविधियों के लिये सौंपे गये कार्य					
			2022-23		2023-24		2024-25 (31 जनवरी 2025)	
			सौंपे गये कार्य	अनुदान या भुगतान राशि (रूपये में)	सौंपे गये कार्य	अनुदान या भुगतान राशि (रूपये में)	सौंपे गये कार्य	अनुदान या भुगतान राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	संस्कार ज्ञानपीठ शिक्षण समिति बिलासपुर छ.ग.	मिशन शक्ति अंतर्गत पूर्व में संचालित स्वाधार एवं उज्ज्वला गृह को समाहित कर शक्ति सदन किया गया है। भारत शासन के पत्र दिनांक 21.12.2022 के अनुसार शक्ति सदन संचालन की स्वीकृति प्राप्त है।	कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना एवं महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षण, प्रशिक्षण और कानूनी सहायता दिये जाने हेतु शक्ति सदन का संचालन करना।	2372943	कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना एवं महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षण, प्रशिक्षण और कानूनी सहायता दिये जाने हेतु शक्ति सदन का संचालन	0	कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना एवं महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षण, प्रशिक्षण और कानूनी सहायता दिये जाने हेतु शक्ति सदन का संचालन	1401030
2	अभियान संस्था बिलासपुर छ.ग.	मिशन शक्ति अंतर्गत पूर्व में संचालित कामकाजी महिला हॉस्टल का नाम परिवर्तित कर सखी निवास किया गया है। भारत शासन के पत्र दिनांक 21.12.2022 के अनुसार सखी निवास संचालन की स्वीकृति प्राप्त है।	शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने हेतु सखी निवास योजना का संचालन करना।	0	सखी निवास योजना के अंतर्गत शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। जहाँ रोजगार के अवसर मौजूद है।	0	सखी निवास योजना के अंतर्गत शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। जहाँ रोजगार के अवसर मौजूद है।	799300
3	समर्पित गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक अनुसंधान केन्द्र, बिलासपुर छ.ग.	कार्यदेश- पत्र क्र. 3119 दिनांक 31.07.2013 पंजीयन नवीनीकरण- अधिसूचना क्र. 11-01/2023/मबावि/50(पार्ट) दिनांक 11.03.2024	खुला आश्रय गृह बालक का संचालन	2013819.00	खुला आश्रय गृह बालक का संचालन	3278822.00	खुला आश्रय गृह बालक का संचालन	1020193.00

क्रं	एन.जी.ओ. का नाम	एन.जी.ओ. को दिया गया कार्यादेश का क्रमांक/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2022-23 से जनवरी 2025 तक एन.जी.ओ. को गतिविधियों के लिये सौंपे गये कार्य					
			2022-23		2023-24		2024-25 (31 जनवरी 2025)	
			सौंपे गये कार्य	अनुदान या भुगतान राशि (रूपये में)	सौंपे गये कार्य	अनुदान या भुगतान राशि (रूपये में)	सौंपे गये कार्य	अनुदान या भुगतान राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	सेवा भारती बिलासपुर, मां बिलासपुर छ.गं.	कार्यादेश- पत्र क्र. 759, दिनांक 29.04.2013 पंजीयन नवीनीकरण- अधिसूचना क्र. 11-01/2023, दिनांक 21.04.2023	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का संचालन	2315808.00	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण	3404127.00	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण	796923.00

संग्रहण केंद्रों में भंडारित धान की मात्रा (खरीफ विपणन वर्ष 2024-25)

दिनांक : 16/02/2025		मात्रा मे टन में				
क्र.	जिला	संग्रहण केंद्र	भंडारित धान की मात्रा			
			मोटा	पतला	सरना	योग
1	बस्तर	छोटेदेवड़ा (4503)	46391	0	0	46391
2	बस्तर	जगदलपुर (4501)	776	0	0	776
3	बस्तर	नियानार (4506)	41914	0	0	41914
4	बस्तर	सिवनी (4507)	21104	0	0	21104
5	दन्तेवाड़ा	गौदम (6101)	6967	0	0	6967
6	कांकेर	कांकेर (6001)	15815	0	0	15815
7	कांकेर	कांकेर 2 (6004)	38647	0	0	38647
8	कांकेर	लखनपुरी (6002)	30276	0	0	30276
9	कांडागांव	कांडागांव (4502)	8526	0	0	8526
10	कांडागांव	जोबा (4803)	48560	0	0	48560
11	नारायणपुर	बाकुलवाही (4601)	5976	0	0	5976
12	सुकमा	शासकीय भूमि सुकमा (4702)	18255	0	0	18255
13	बिलासपुर	करगीकला (4010)	2573	0	0	2573
14	बिलासपुर	बिल्हा (4006)	19740	0	13152	32892
15	बिलासपुर	भरनीभाठा (4001)	32030	0	4327	36357
16	बिलासपुर	मोपका (4004)	22978	0	6766	29744
17	बिलासपुर	संमरताल (4005)	0	0	0	0
18	गौरला पेन्डा मरवाही	गुल्लोडांड (6401)	0	0	0	0
19	गौरला पेन्डा मरवाही	पेन्डारोड (4002)	9817	0	0	9817
20	जाजगीर चाम्पा	अमरताल (अकलतरा) (5407)	1182	0	15795	16977
21	जाजगीर चाम्पा	शा.भूमि अकलतरा (5404)	3480	0	62340	65820
22	कोरबा	कटघोरा (5502)	0	0	0	0
23	कोरबा	डांगरीभाठा (उरगा) (5501)	0	0	0	0
24	मुंगली	लारमी (4003)	8420	0	6993	15413
25	मुंगली	हथकेरा (6304)	7872	0	5738	13610
26	रायगढ़	खरसिया (4104)	10548	0	5354	15902
27	रायगढ़	मैडिकल का.प्रा.लोहरसिंग (4103)	49684	0	19521	69205
28	सक्ती	बोडासागर (शेरी) (5406)	16962	0	25315	42277
29	सक्ती	मंडी प्रांगण सक्ती (5401)	29344	0	14339	43683
30	सक्ती	शा.भूमि डभरा (5405)	18536	0	17096	35632
31	सारंगढ़ बिलाईगढ़	टीसीपीसी सारंगढ़ (7001)	2459	0	25630	28088
32	सारंगढ़ बिलाईगढ़	बरमकला (4106)	5533	0	8811	14344
33	सारंगढ़ बिलाईगढ़	हरदा (4107)	16051	0	44547	60598
34	बालोद	जगतारा फड (4304)	26992	20776	18794	66561
35	बालोद	धीबनपुरी (4307)	17528	8110	36001	61640
36	बालोद	फुण्डाभाठा (4306)	11634	8160	24649	44443
37	बालोद	मालीघोरी (4305)	13487	7262	20533	41282
38	बेमेतरा	नेवनारा (5002)	0	0	0	0
39	बेमेतरा	लेंजवारा (सरदा) (5001)	9410	0	103676	113086
40	दुर्ग	अरसनारा (4312)	4926	2709	18485	26121
41	दुर्ग	कौडिया (4309)	7098	1925	56477	65499
42	दुर्ग	जवरा सिरसा (4302)	926	2685	16906	20517
43	दुर्ग	बासीन (4311)	0	0	0	0
44	दुर्ग	सेलूद फड (4303)	2211	2495	53062	57768
45	कवर्धा	बघरा (5704)	214	290	1556	2060
46	कवर्धा	बाजार चारभाठा (5702)	16966	12521	32606	62093
47	राजनांदगांव	कलकसा (4208)	9632	5959	14017	29607
48	राजनांदगांव	बांधाबाजार (सेवताटोला) (4210)	13526	13542	9528	36595

49	राजनांदगांव	नाभाटा (लक्ष्मीनगरघुघवा साल्हे) (42)	11491	19323	10577	41391
50	राजनांदगांव	सिंघोला (4202)	6300	2750	19661	28711
51	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	घोटिया (4209)	2488	15460	53128	71077
52	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	ठेलकाडीह (4207)	1933	2929	22270	27132
53	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	भीथी (6702)	0	0	0	0
54	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	मदुराकुही (4204)	299	4968	21798	27064
55	मोहला मानपुर अ.चौकी	तेलीटोला (6801)	0	0	0	0
56	बलोदाबाजार	कसडोल (4408)	0	0	12054	12054
57	बलोदाबाजार	दुलदुला (5202)	0	0	18029	18029
58	बलोदाबाजार	भाटापारा (4401)	0	0	29141	29141
59	बलोदाबाजार	हथबंध (5201)	0	0	78717	78717
60	धमतरी	चितौद (5901)	49970	1681	9583	61235
61	धमतरी	भाठागांव (कुरुद) (5903)	33559	10248	11030	54837
62	धमतरी	भोयना (5906)	41825	7753	1337	50915
63	धमतरी	भोयना (जंवरगांव) (5907)	21559	2735	14058	38352
64	गरियाबंद	कुन्देलभाटा (5101)	143193	0	20521	163714
65	महासमुंद	पिथौरा (5803)	14309	0	196	14505
66	महासमुंद	बसना (5802)	19601	0	5098	24698
67	महासमुंद	बागबाहरा (5805)	28766	0	3062	31827
68	महासमुंद	महासमुंद (5804)	11311	0	31478	42788
69	महासमुंद	सरायपाली (5801)	36233	0	3393	39626
70	रायपुर	कुरुदभाटा (लाखौली) (4411)	0	0	0	0
71	रायपुर	जौदा (राजिम) (4405)	27873	1226	119363	148462
72	रायपुर	तिल्दा (4404)	46166	22309	125818	194292
73	रायपुर	बकतरा (मंदिरहसौद) (4412)	0	0	0	0
74	बलरामपुर	गम्हरिया (3804)	19868	0	0	19868
75	बलरामपुर	डकवा (3801)	29115	0	0	29115
76	जशपुर	पत्यलगांव (5601)	4239	0	0	4239
77	कोरिया	बड़गांव (5302)	11975	0	0	11975
78	सरगुजा	अम्बिकापुर (चिखौलीडिह) (3901)	50748	0	0	50748
79	सरगुजा	सीतापुर (3903)	34772	0	0	34772
80	सुरजपुर	रामनगर (कुम्दा बीट) (3703)	66723	0	0	66723
81	सुरजपुर	सुरजपुर (देवनगर) (3904)	20553	0	0	20553
82	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	पाटपानी (घुटरा) (7102)	0	0	0	0
83	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	भलौर (7101)	0	0	0	0
Total :			1409832	177817	1292323	2879972

अनुभाग अधिकारी
कक्षा ब्रम्मांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1079 की जानकारी

I/10401/2019

File No.3(20)/2019-Py.I

MOU of Decentralised Procurement(DCP) State and Govt. of India, for procurement of Paddy and delivery of Custom milled rice

1. The Government of Chhattisgarh shall undertake procurement of Paddy/Custom Milled Rice (CMR) on behalf of the Government of India directly and/or through its Agencies, for contribution to the Central Pool during the Kharif Marketing Season 2019-20 onwards. Before commencement of the Kharif Marketing Season, Government of Chhattisgarh must declare the quantity they intend to retain as DCP stock for distribution out of Central Pool.
2. Paddy shall be procured by the Government of Chhattisgarh or its agencies at Minimum Support Price (MSP) declared by Government of India, from time to time. Any bonus/financial incentive in direct or indirect form declared by the Government of Chhattisgarh over and above the MSP declared by Government of India, shall be borne by the State Government.
3. In the situation of State giving any bonus/ financial incentive, in direct or indirect form, over and above MSP, if the overall procurement of the State is in excess of the total allocation of the State made by the Government of India under TPDS/ OWS, such excess quantity shall be treated to be outside the Central Pool.
4. The stocks of Paddy/ Rice to be procured/ delivered to the Central Pool shall strictly conform to the uniform specification (FAQ norms), as decided by Government of India from time to time and at the out-turn ratio declared by the Government of India from time to time subject to any relaxation approved by Government of India. Any stock not conforming to the uniform specifications and found to be non-issuable shall be treated to be outside the Central Pool.
5. The payment of MSP and bonus, if any, is to be made directly to farmers' bank accounts online only through online procurement system by the State Govt./its agencies preferably within 48 hours of purchase of paddy. The State agencies shall ensure the use of EAT module of PFMS while making the payment, as mandated by the Ministry of Finance, Government of India. The State Government may take action to integrate their online payment system with PFMS, wherever applicable. The Online Procurement System shall necessarily have the features of online registration of farmers and online payment to them: and all other features as mandated by the Government of India.

WAL

[Signature]

[Signature]

अनुभाग अधिकारी

कक्ष क्रमांक-2

स्वाध नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

I/10401/2019

File No.3(20)/2019-Py.I

6. The CMR shall be packed/filled in new Type A or Type B (preferably Type A) B-twill gunny bags as per BIS standard and shall be appropriately stenciled and machine stitched as per prescribed norms.
7. The State Government shall hold with itself the stocks of CMR thus procured under proper scientific Storage for distribution under TPDS and other Welfare Schemes as per allocations made by the Central Government at prices notified and effective on the date of issue of Release Orders. Government of the State shall not utilize stocks procured for Central Pool under the decentralized procurement scheme of Government of India for any other State level schemes.
8. State Government shall restrict availing credit facility from RBI for the estimated stocks of paddy to be procured for the Central Pool only.
9. The State Government shall verify the quantities distributed under TPDS and other Welfare Schemes against allocations made by the Government of India, and report the details of distribution on the Annavitran Portal; and raise the bills for subsidy on the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India on the basis of the figures reported on the Annavitran Portal, and as per the guidelines of Government of India. The payment shall be released directly through e-mode in favour of the Government of Chhattisgarh.
10. The FCI or State Government will be duty bound to share the data relating to procurement operations on the National Procurement Portal for Foodgrains (NPPF) in the manner prescribed by the Government of India. All the claims of the payment against the procurement and delivery of foodgrains to FCI shall be based on the figures reported on the NPPF in respect of the stock procured and Depot Online System in respect of the stock delivered to FCI.
11. Details of foodgrains procured at procurement centre and the quantum of foodgrains moved from the procurement centres to the millers/ storage depots and from mills to storage depots shall be captured through the Online Procurement System and shared on the NPPF on daily basis, as mandated by the Government of India. Field verification of the reported figures should be done by the State Government from time to time.
12. At least two months ahead of the onset of the marketing season, the State Food Secretary shall convene a joint meeting with the concerned General Manager, FCI to discuss and finalise the plan of action for procurement. Minutes of the meeting should be shared with this Department and the FCI Headquarters.
13. The FCI will make joint teams with the State Government to oversee the conduct of procurement operations and to attend to specific complaints, problems, etc.



I/10401/2019

File No.3(20)/2019-Py.I

14. The State Government shall share the data on distribution of foodgrains under PDS and Other Welfare Schemes (OWS) for which subsidy is given by this Department on Annavitran Portal on daily basis, as mandated by the Govt. of India. The system generated monthly certificate, digitally signed or e-signed by the State Food Secretary, shall be taken as the official report on distribution and form the basis for the consideration of the food subsidy claims of the State. In case, a Fair Price Shop of the State is not provided with e-POS or e-POS device is not functional in that Fair Price shop, distribution figures for that shall be reported on Annavitran Portal on monthly basis, as mandated by the Govt. of India.
15. The State Government shall ensure that the total offtake/distribution of rice is within the total allocations made by the Central Government and within norms.
16. The State Government will facilitate periodical inspections planned by FCI Officials of the concerned Region to assess the effectiveness of procurement operations, Quality Control measures, milling arrangements, process of stock verification, etc. so that the Government of India could closely monitor the implementation of the DCP Scheme in the State.
17. Issue of rice shall be made only from such base godowns/designated depots as are approved by the Central Government.
18. If the stocks of the Rice procured by the State Government exceeds its allocation under TPDS and other Welfare Schemes, such excess stocks shall be handed over to the FCI by the State Government. However, the FCI shall have the option to specify whether such excess rice that would be handed over to FCI for Central Pool by the State shall be in the form of raw rice or parboiled rice to meet the overall consumption requirement of the country under TPDS, OWS and type of rice milled in the State. In the event of the total quantity of CMR falling short of the total allocation made by the Central Government for meeting the requirement of TPDS and other welfare schemes, the Central Government through FCI will meet deficit as per the existing arrangements.
19. The cost of conversion of paddy into rice through custom milling operation, as well as the conversion ratio for the State for both raw and parboiled rice, shall be as per norms laid down by the Government of India from time to time.
20. FCI shall receive and process all the claims/ Bills for payment relating to Central pool operations through online payment module of the DOS and ensure that all the payments are made in online mode through the payment module of DOS. Payment module of DOS of FCI shall share the data relating to claims and settlement of bills on the DOS dashboard as per the instructions of the Government of India.



I/10401/2019

File No.3(20)/2019-Py.I

21. The State Government will make special efforts to extend procurement operations to poor, remote and backward districts of the State. If the State Government is not in a position to extend procurement operations in all the poor, remote and backward districts of the State, the FCI or agencies engaged by FCI, shall on the specific request of the State Government intervene and open procurement centres in poor, remote and backward districts of the State after mutual consultation, However, the State Government would take necessary measures to take over full responsibility of procurement in the State within a time bound period.

22. The economic cost of CMR will be fixed by the Central Government on provisional basis subject to final adjustment on the submission of audited annual accounts by the State Government. Claims for final settlement shall be submitted to Government of India, within twelve months of the closure of the financial year in which the concerned Kharif Marketing Season ends.

23. The State Government/designated agencies shall be paid quarterly provisional subsidy for decentralized procurement and distribution after adjusting the sale realization at CIP on 100% basis for fixed incidentals such as MSP, Central Bonus, taxes including VAT, Milling Charges, Driage (for raw rice only) etc. and at the rate of 95% on balance incidentals, which are variable, if the bill is raised on the basis of actual distribution and is accompanied by utilization certificates. Utilization certificates will be submitted by the State Government after ensuring that the rice meant for the AAY/BPL/APL population and Welfare Schemes have actually reached the beneficiaries. Advance subsidy will be released at the rate of 90% of the admissible claim on a quarterly basis in the first month of every quarter. This advance will be based on the anticipated level of distribution of foodgrains in that quarter. The advance will be released only on production of the utilization certificates for the previous quarter. For example, advance subsidy for the quarter ending June will be released only when utilization certificate for the quarter ending March is furnished.

24. After end of respective financial year, State Govt./designated agencies shall submit provisional subsidy bill for the whole year. The Department of Food & PD will examine the proposal and release the balance provisional subsidy, which, on adding the sales realization at CIP, will not exceed 100% of fixed incidentals such as MSP, Central Bonus, taxes including VAT, Milling Charges, Driage (for raw rice only) and 95% of balance incidentals which are variable of the admissible subsidy claim for the year. 5% of balance incidentals will be released based on the final audited accounts and other Supporting documents and determination of the final economic cost. The State



2020/50(PY-I)

I/10401/2019

File No.3(20)/2019-Py.I

Government will ensure, without fail, that the information as at para 4 is submitted to the Central Government within stipulated time.

25. If any stock procured for distribution under TPDS remains undistributed after end of any particular year, then stock will be valued at the rates applicable for the year and added to the stocks procured during the next year. In case of balance stock of previous years distributed during the subsequent years, the economic cost of the Marketing Season in which stock was procured will be taken into account for the same while calculating the economic cost of the balance stock.

26. In case of any dispute arising out of the operation of the scheme or interpretation of the terms of the MOU, the decision of the Central Government taken, shall be final.

27. The MOU will be applicable for the Kharif Marketing Season 2019-20 onwards for procurement operations of paddy/Rice.

(Signature)

[Signature]
Principal Secretary,
Secretary,
Food & Civil Supplies Deptt.
Government of Chhattisgarh
Government Supplies
Consumers Department
Mantralaya, Atal Nagar, Distt. Raipur

(Signature)

[Signature]
ADDITIONAL Joint Secretary (P&FCI)
DFPD, Govt. of India

इ. के. माझी / E. K. MAJHI
अपर सचिव / Additional Secretary
भारत सरकार / Government of India
आय एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
Deptt. of Food & Public Distribution
एन. एन. नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

[Signature]
अनुपम दुबे
महाप्रबंधक (क्षेत्र)
Anupam Dubey
General Manager (R)
Central Manager (R)
Food Corporation of India
Regional Office, Kapa, Raipur (C.G.)

[Signature]
अनुभाग अधिकारी
वक्ता इकाया-2
खाद्य नगरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परीशेष - बत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1093) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	विकासखण्ड का नाम	संचालित आं.बा. केन्द्र	भवन विहीन केन्द्रों की संख्या	जर्जर भवनों की संख्या	अहता विहीन आं.बा. केन्द्रों की संख्या	मुख्य आवागमन मार्ग के समीप आंगनबाड़ी भवनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	गुण्डरदेही	325	55	51	84	91
2	डौण्डीलोहारा	6	0	0	0	1
3		152	10	10	30	39
योग		483	65	61	114	131

परिशेष - तैतीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 1097) की जानकारी

प्रपत्र


नशामुक्ति केन्द्र संचालित करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं एवं जिले की जानकारी

स.क.	जिला	स्वैच्छिक संस्था का नाम
1	2	3
1	रायपुर	स्वैच्छिक संस्था संकल्प सांस्कृतिक समिति, राजनांदगांव, द्वारा संचालित संकल्प व्यसन मुक्ति केन्द्र, कैलाश रेसीडेन्सी, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
2	भिलाई, दुर्ग	स्वैच्छिक संस्था कल्याणी सोशल वेलफेयर एण्ड रिसर्च आर्गेनाईजेशन, सुपेला थाना के पास, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
3	धमतरी	स्वैच्छिक संस्था शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान, एम.आई.जी.93-ए हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, हटकेश्वर-रत्नाबाधा, धमतरी (छ.ग.)
4	सरगुजा	स्वैच्छिक संस्था छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान, पहुना दुकान के पास, केदारपुर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)
5	दुर्ग	स्वैच्छिक संस्था कल्याणी सोशल वेलफेयर एण्ड रिसर्च आर्गेनाईजेशन, 414 भिलाई नगर जिला-दुर्ग (छ.ग.)
6	रायपुर	स्वैच्छिक संस्था संगी मितान सेवा संस्थान, उदया सोसायटी, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)
7	बालोद	स्वैच्छिक संस्था समता जन कल्याण समिति, राजनांदगांव द्वारा संचालित पारसास पारा, बालोद (छ.ग.)
8	बलरामपुर	स्वैच्छिक संस्था ग्राम विकास समिति, ग्राम भाला, पो.-विजयनगर, जिला - बलरामपुर - रामानुजगंज (छ.ग.)
9	कांकेर	स्वैच्छिक संस्था कल्याणी सोशल वेलफेयर एण्ड रिसर्च आर्गेनाईजेशन, मकान न. -62 पो. ऑफिस गोविन्दपुर, वार्ड न. 07 जिला- कांकेर (छ.ग.)
10	रायगढ़	स्वैच्छिक संस्था उन्नायक सेवा समिति, सूर्या विहार कॉलोनी, पहाड़ मंदिर रोड, रायगढ़ (छ.ग.)
11	कोण्डागांव	स्वैच्छिक संस्था बस्तर रिवाइवल सोसायटी, म.न. 11, मोहल्ला नहर पारा, कोण्डागांव तहसील व जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)
12	सूरजपुर	स्वैच्छिक संस्था छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान, एकीकृत पुनर्वास केन्द्र, मण्डी रोड जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
13	राजनांदगांव	स्वैच्छिक संस्था समता जन कल्याण समिति, वार्ड क्र. 43, बसंतपुर-राजनांदगांव (छ.ग.)
14	मुंगेली	स्वैच्छिक संस्था छ.ग. शबरी सेवा संस्थान, लोरमी रोड खसुरीघाट -मुंगेली (छ.ग.)
15	दंतेवाड़ा	स्वैच्छिक संस्था गुण्डाधुर सेवा शिक्षण संस्था, हासम वि.ख.-गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)
16	कबीरधाम	स्वैच्छिक संस्था शिवमंगल महिला समिति, ग्राम सैगोना, वि.ख. कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

स.क.	जिला	संस्था का नाम
1	2	3
17	महासमुन्द	स्वैच्छिक संस्था महासमुन्द सृजन वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित मानस उत्कृष्ट नशामुक्ति केन्द्र जिला-महासमुन्द (छ.ग.)
18	बलौदाबाजार	स्वैच्छिक संस्था संगी मितान सेवा संस्थान, रायपुर द्वारा संचालित जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.)
19	सक्ती	स्वैच्छिक संस्था उन्नायक सेवा समिति रायगढ़ द्वारा संचालित नवजीवन सक्ती (नशामुक्ति केन्द्र) जिला-सक्ति (छ.ग.)
20	जांजगीर-चांपा	स्वैच्छिक संस्था उन्नायक सेवा समिति रायगढ़ द्वारा संचालित नवजीवन जांजगीर (नशामुक्ति केन्द्र) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
21	गरियाबंद	स्वैच्छिक संस्था शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान, धमतरी द्वारा संचालित मेन रोड पेट्रोल पंप के सामने जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
22	कोरिया	स्वैच्छिक संस्था ग्राम विकास समिति, बलरामपुर द्वारा संचालित धौराटीकरा वार्ड न 7 बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)
23	जशपुर	स्वैच्छिक संस्था ग्राम विकास सेवा समिति, बलरामपुर द्वारा संचालित बागलपुर रोड, रणजीता स्टेडियम के पीछे (जिला जेल के पास) जिला-जशपुर (छ.ग.)
24	मने.चिर.भरतपुर	स्वैच्छिक संस्था ग्राम विकास समिति, बलरामपुर द्वारा संचालित वार्ड नं.3 खोपा महुआ तह. रामानुजगंज, जिला- मने.चिर.भरतपुर (छ.ग.)
25	सुकमा	स्वैच्छिक संस्था संगी मितान सेवा संस्थान, रायपुर द्वारा संचालित म.न. 121 महेश्वरी पारा, वार्ड न. 13, जिला-सुकमा (छ.ग.)

1. कण्डिका 01 से 16 तक नशामुक्ति केन्द्र संचालन हेतु नियमानुसार राज्य अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
2. कण्डिका 17 से 25 तक नशामुक्ति केन्द्र संचालन हेतु नियमानुसार राज्य अनुदान स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 समाज कल्याण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पृष्ठ

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री खाद्यन्न योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रचलित राशन कार्ड की विकासखण्डवार जानकारी

सं.क्र	ब्लॉक	अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	एपीएल	निराश्रित	योग
1	पंडरिया	17200	67653	141	4282	294	89570
2	कवर्धा	3514	14296	24	984	76	18894
3	स. लोहरा	6469	26525	44	1692	54	34784
कुलयोग		27183	108474	209	6958	424	143248

अनुमान अधिकारी
वर्क क्रमांक-2
खाद्य न्यायिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

खुज्जी विधानसभा अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी (वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.01.2025 की स्थिति में)

क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	पद रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपति करने की अंतिम तिथि	दावा आपति में कितने आवेदकों द्वारा आपति की गई	कितने दावा आपतियों का निराकरण किया गया	दावा आपति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित करने की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है (हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	राजनांदगांव	छुरिया 01	महराजपुर 01	कार्यकर्ता	7/26/2023	30	9/11/2023	9/20/2023	4	4	9/26/2023	लेखनी चन्द्रवंशी	1/15/2024	नहीं	-	-	-
2	राजनांदगांव	छुरिया 01	शिकारीटोला 02	कार्यकर्ता	8/21/2023	19	7/8/2024	7/17/2024	1	1	7/22/2024	कुसुम नवरंगे	9/2/2024	नहीं	-	-	-
3	राजनांदगांव	छुरिया 01	मंगियाटोला	कार्यकर्ता	8/21/2023	21	7/8/2024	7/17/2024	3	3	9/30/2024	प्रेमबती	10/10/2024	हां	आवेदिका प्रेमबती ग्राम की निवासी नहीं होने के संबंध में दूसरी आवेदिका आरती द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी।	हां	मुल्यांकन समिति द्वारा दस्तावेज अवलोकन में प्रेमबती का निवास प्रमाण पत्र मंगियाटोला का होना पाया गया एवं शिकायत निराधार पाया गया।
4	राजनांदगांव	छुरिया 01	किडकाडीटोला	कार्यकर्ता	8/21/2023	9	7/8/2024	7/17/2024	4	4	7/29/2024	जमुना	9/5/2024	नहीं	-	-	-
5	राजनांदगांव	छुरिया 01	पंडरापानीटोला	कार्यकर्ता	8/21/2023	5	7/8/2024	7/17/2024	2	2	7/22/2024	लाकेश्वरी	8/8/2024	नहीं	-	-	-
6	राजनांदगांव	छुरिया 01	मोरकुटुम्बटोलापारा	कार्यकर्ता	8/21/2023	19	7/8/2024	7/17/2024	1	1	7/22/2024	भगवती	8/8/2024	नहीं	-	-	-
7	राजनांदगांव	छुरिया 01	बजरंगपुर 01	कार्यकर्ता	6/23/2024	6	सहायिका पद से कार्यकर्ता पद पर पदोन्नत					सरस्वती	8/16/2023	नहीं	-	-	-
8	राजनांदगांव	छुरिया 01	बजरंगपुर 01	सहायिका	8/21/2023	8	7/8/2024	7/17/2024	0	0	9/19/2024	अमृता लाउत्रे	10/7/2024	नहीं	-	-	-
9	राजनांदगांव	छुरिया 01	शिकारीटोला 02	सहायिका	8/21/2023	10	7/8/2024	7/17/2024	0	0	7/22/2024	पूजा	9/4/2024	नहीं	-	-	-
10	राजनांदगांव	छुरिया 01	मंगियाटोला	सहायिका	8/21/2023	7	7/8/2024	7/17/2024	3	3	7/22/2024	रोशनी बाई	9/2/2024	नहीं	-	-	-
11	राजनांदगांव	छुरिया 01	किडकाडीटोला	सहायिका	8/21/2023	7	7/8/2024	7/17/2024	1	1	7/29/2024	राजबती	9/5/2024	नहीं	-	-	-
12	राजनांदगांव	छुरिया 01	पंडरापानीटोला	सहायिका	8/21/2023	5	7/8/2024	7/17/2024	0	0	7/22/2024	अनिता	8/8/2024	नहीं	-	-	-
13	राजनांदगांव	छुरिया 01	मोरकुटुम्बटोलापारा	सहायिका	8/21/2023	12	7/8/2024	7/17/2024	0	0	7/22/2024	माधुरी	8/8/2024	नहीं	-	-	-
14	राजनांदगांव	छुरिया 01	बजरंगपुर 02	सहायिका	8/21/2023	9	7/8/2024	7/17/2024	2	2	7/22/2024	भोलेश्वरी	9/2/2024	नहीं	-	-	-

क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	पद रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपति करने की अंतिम तिथि	दावा आपति में कितने आवेदकों द्वारा आपति की गई	कितने दावा आपतियों का निराकरण किया गया	दावा आपति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित करने की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है (हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
15	राजनांदगांव	छुरिया 01	बागनदी	सहायिका	1/18/2024	3	7/15/2024	7/24/2024	1	1	7/29/2024	रीना बाई	9/4/2024	हां	आवेदिका शिल्पा साखरे के विरुद्ध रिना बाई द्वारा मार्कशीट एवं आवेदन में नाम भिन्न होने एवं महाराष्ट्र के जाति प्रमाण होने के संबंध में शिकायत किया गया था।	हां	मुल्यांकन समिति द्वारा पुनः आवेदन का जांच की गई जिसमें शिल्पा साखरे का जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होना पाया गया। शिकायत सही पाई गई तथा तत् संबंध में मुल्यांकन समिति द्वारा द्वितीय वरीयता क्रम में आवेदिका रिना बाई का चयन किया गया।
16	राजनांदगांव	छुरिया 01	गोटाटोला	सहायिका	1/18/2024	5	9/2/2024	9/11/2024	0	0	9/19/2024	महेश्वरी मंडावी	9/23/2024	नहीं	-	-	-
17	राजनांदगांव	छुरिया 01	तेलिनबांधा 03	सहायिका	1/18/2024	7	9/2/2024	9/11/2024	0	0	9/19/2024	युवमती	10/7/2024	नहीं	-	-	-
18	राजनांदगांव	छुरिया 01	झाडीखेरी 02	सहायिका	1/18/2024	4	9/2/2024	9/11/2024	0	0	9/30/2024	तोमिन बाई	11/8/2024	नहीं	-	-	-
19	राजनांदगांव	छुरिया 01	बेदाडी 02	सहायिका	1/18/2024	9	9/2/2024	9/11/2024	0	0	9/19/2024	युनिषा	9/23/2024	नहीं	-	-	-
20	राजनांदगांव	छुरिया 01	किडकाडी	सहायिका	1/18/2024	6	9/2/2024	9/11/2024	0	0	9/19/2024	तुक्श्वरी	10/7/2024	नहीं	-	-	-
21	राजनांदगांव	छुरिया 01	बरेठटोला	सहायिका	1/18/2024	4	7/15/2024	7/24/2024	0	0	7/29/2024	रीतू	9/2/2024	नहीं	-	-	-
22	राजनांदगांव	छुरिया 01	कल्लुबजारी 03	सहायिका	1/18/2024	15	9/2/2024	9/11/2024	0	0	9/19/2024	सरिता	9/23/2024	नहीं	-	-	-
23	राजनांदगांव	छुरिया 01	महराजपुर 03	कार्यकर्ता	1/18/2024	15	7/15/2024	7/24/2024	1	1	7/29/2024	ज्योति नंदी	9/2/2024	नहीं	-	-	-
24	राजनांदगांव	छुरिया 01	महराजपुर 03	सहायिका	1/18/2024	16	9/2/2024	9/11/2024	0	0	9/19/2024	चंद्रिका	9/23/2024	नहीं	-	-	-
25	राजनांदगांव	छुरिया 01	लालटोला 02	सहायिका	1/18/2024	9	9/2/2024	9/11/2024	0	0	9/19/2024	सोनिया सेन	9/23/2024	नहीं	-	-	-
26	राजनांदगांव	छुरिया 01	छुरिया 04	सहायिका	8/31/2023	8	2/2/2024	2/11/2024	0	0	3/15/2024	मनिषा गंधर्व	7/19/2024	नहीं	-	-	-
27	राजनांदगांव	छुरिया 02	मासूलकसा नयापारा	कार्यकर्ता	ऑ0बा0 सहायिका से कार्यकर्ता पद पर पदोन्नत किया गया ।							श्रीमती ठगिया बाई	25-08-2023	नहीं	-	-	-
28	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	तरियापारा कौडूटोला	मिनी ऑ. बा. कार्यकर्ता	27.06.2022	15	20.09.2022	30.09.2022	7	7	05.06.2023	श्रीमती नमता नंदेश्वर	06.06.2023	नहीं			
29	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	तरियापारा मुंजाल	मिनी ऑ. बा. कार्यकर्ता	27.06.2022	4	20.09.2022	30.09.2022	0	0	05.06.2023	कुमारी माधुरी	06.06.2023	नहीं			
30	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	ढाटूटोला 01	ऑ. बा. सहायिका	27.06.2022	6	20.09.2022	30.09.2022	3	3	05.06.2023	श्रीमती दीक्षा सहू	06.06.2023	नहीं			
31	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	तोयागाँदी	ऑ. बा. सहायिका	27.06.2022	6	20.09.2022	30.09.2022	2	2	05.06.2023	भुनेश्वरी श्याम	06.06.2023	नहीं			

क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	पद रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपति करने की अंतिम तिथि	दावा आपति में कितने आवेदकों द्वारा आपति की गई	कितने दावा आपतियों का निराकरण किया गया	दावा आपति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित करने की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है (हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
32	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	आवासपारा हालमकोड़ो	आं.बा.सहायिका	27.06.2022	4	20.09.2022	30.09.2022	0	0	05.06.2023	प्रतिक्षा	06.06.2023	नहीं			
33	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	मुख्यबस्ती रेगाकठेरा	आं.बा.सहायिका	27.06.2022	9	20.09.2022	30.09.2022	1	1	05.06.2023	श्रीमती नेमबाई चन्द्रवंशी	06.06.2023	नहीं			
34	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	छछानपाहरी 01	आं.बा.सहायिका	27.06.2022	18	20.09.2022	30.09.2022	3	3	05.06.2023	ममता कोमरे	06.06.2023	नहीं			
35	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	जोरातराई 01	आं.बा.सहायिका	27.06.2022	3	20.09.2022	30.09.2022	1	1	05.06.2023	संगीताबाई सिन्हा	06.06.2023	नहीं			
36	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	सिंघाभेड़ी 01	आं.बा.सहायिका	27.06.2022	12	20.09.2022	30.09.2022	2	2	05.06.2023	प्रिति कोमरे	06.06.2023	नहीं			
37	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	चिल्हाटी 01	आं.बा.सहायिका	27.06.2022	11	20.09.2022	30.09.2022	5	5	05.06.2023	बिनोका	06.06.2023	नहीं			
38	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	चौकी 116	कार्यकर्ता	01.01.2023	20	01.01.2023	11.03.2023	2	2	11.08.2024	श्रीमती हीना परवीन	12.08.2024	नहीं			
39	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	अं. चौकी 111	सहायिका	01.01.2023	6	01.01.2023	11.03.2023	0	0	11.08.2024	श्रीमती ललीता भट्ट	12.08.2024	नहीं			
40	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	अं. चौकी 112	सहायिका	01.01.2023	2	01.01.2023	11.03.2023	0	0	11.08.2024	श्रीमती उमेश्वरी बाई	12.08.2024	नहीं			
41	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	अं. चौकी 114	सहायिका	01.01.2023	7	01.01.2023	11.03.2023	1	1	11.08.2024	श्रीमती प्रतिमा यादव	12.08.2024	नहीं			
42	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	अं. चौकी 07	सहायिका	01.01.2023	10	01.01.2023	11.03.2023	0	0	11.08.2024	श्रीमती सत्यवती धुर्वे	12.08.2024	नहीं			
43	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	स्कूलपारा ब्रा. लड़िया	सहायिका	28.06.2024	14	05.08.2024	16.08.2024	3	3	22.08.2024	जीवनी मंडावी	23.08.2024	नहीं			
44	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	संजयनगर तोयागाँदी	सहायिका	28.06.2024	4	05.08.2024	16.08.2024	0	0	22.08.2024	करुणा	23.08.2024	नहीं			
45	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	आवासपारा चिल्हाटी	सहायिका	28.06.2024	7	05.08.2024	16.08.2024	0	0	22.08.2024	सोनिया चौरें	23.08.2024	नहीं			
46	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	आदि. पारा सा. कुसुमकसा	सहायिका	28.06.2024	5	05.08.2024	16.08.2024	2	2	22.08.2024	नेमीनबाइ	23.08.2024	नहीं			

क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	पद रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि	दावा आपत्ति में कितने आवेदकों द्वारा आपत्ति की गई	कितने दावा आपत्तियों का निराकरण किया गया	दावा आपत्ति उपरोक्त अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित करने की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है (हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
47	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	नांगपथरा	सहायिका	28.06.2024	5	05.08.2024	16.08.2024	0	0	22.08.2024	सुनिता कुमेटो	23.08.2024	नहीं			
48	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	रेंगाकठेरा मिनी	सहायिका	28.06.2024	12	05.08.2024	16.08.2024	1	1	22.08.2024	टाकेश्वरी	23.08.2024	नहीं			
49	राजनांदगांव	छुरिया 01	टिपानगढ़ 02	सहायिका	6/27/2024	8	9/2/2024	9/11/2024	0	0	9/19/2024	जानकी	9/23/2024	नहीं	-	-	-
50	राजनांदगांव	छुरिया 01	नांदियाखुर्द 01	कार्यकर्ता	6/26/2024	2	सहायिका पद से कार्यकर्ता पद पर पदोन्नत				कुलवंतीन	7/24/2024	नहीं	-	-	-	
51	राजनांदगांव	छुरिया 01	लालटोला 02	कार्यकर्ता	7/31/2024	14	9/16/2024	9/28/2024	0	0	9/30/2024	दिशा बघेल	10/10/2024	नहीं	-	-	-
52	राजनांदगांव	छुरिया 01	मगरधोखरा 02	कार्यकर्ता	7/31/2024	12	9/16/2024	9/28/2024	0	0	9/30/2024	भूमिका	10/7/2024	नहीं	-	-	-
53	राजनांदगांव	छुरिया 01	नांदियाखुर्द 02	सहायिका	7/31/2024	8	9/16/2024	9/28/2024	0	0	9/30/2024	पुष्पा फरकुंडे	10/10/2024	हां	हिना डोंगरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र गायब होने के संबंध में शिकायत की गई थी।	हां	मूल्यांकन समिति द्वारा शिकायत की जांच की गई जिसमें हिना डोंगरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ ग्राम पंचायत नांदियाखुर्द द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका नियुक्ति निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी का ना होने के कारण अमान्य है जिसके कारण जाति प्रमाण पत्र का अंक प्रदान नहीं किया गया है। जाति प्रमाण पत्र को गायब नहीं किया गया है।
54	राजनांदगांव	छुरिया 01	खेडेपार	सहायिका	8/20/2024	5	10/22/2024	10/31/2024	1	1	11/4/2024	सिलोचना	11/8/2024	नहीं	-	-	-
55	राजनांदगांव	छुरिया 01	ग्वालदंड	सहायिका	8/20/2024	3	10/22/2024	10/31/2024	0	0	11/4/2024	शामकला	11/8/2024	नहीं	-	-	-
56	राजनांदगांव	छुरिया 01	कल्लटोला 02	सहायिका	8/20/2024	15	10/22/2024	10/31/2024	0	0	11/4/2024	केमिन धुर्वे	11/8/2024	नहीं	-	-	-
57	राजनांदगांव	छुरिया 01	भंडारपुर 01	कार्यकर्ता	10/14/2024	16	11/6/2024	11/15/2024			11/18/2024	चांदनी	11/21/2024	नहीं	-	-	-
58	राजनांदगांव	छुरिया 01	लालटोला 01	सहायिका	10/14/2024	5	11/6/2024	11/15/2024	0	0	11/18/2024	हेमलता बाई	11/21/2024	नहीं	-	-	-
59	राजनांदगांव	छुरिया 01	भोलापुर 01	सहायिका	11/22/2024	23	12/13/2024	12/22/2024	1	1	12/23/2024	लीला साह	1/17/2025	नहीं	-	-	-
60	राजनांदगांव	छुरिया 01	गुजरातीपारा वाई 10	सहायिका	8/29/2024	8	10/22/2024	10/31/2024	1	1	11/4/2024	ओमकुमारी	11/8/2024	नहीं	-	-	-

क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	पद रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपति करने की अंतिम तिथि	दावा आपति में कितने आवेदकों द्वारा आपति की गई	कितने दावा आपतियों का निराकरण किया गया	दावा आपति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित करने की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है (हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
61	राजनांदगांव	छुरिया 02	पांगरीकला 02	सहायिका	2/23/2024	6	8/2/2024	8/16/2024	1	1	8/29/2024	किरण बाई	8/30/2024	नहीं	-	-	-
62	राजनांदगांव	छुरिया 02	पथरी 02	सहायिका	2/23/2024	7	8/2/2024	8/16/2024	1	1	9/19/2024	सीमा	9/20/2024	नहीं	-	-	-
63	राजनांदगांव	छुरिया 02	दानीटोला 02	सहायिका	2/23/2024	7	8/2/2024	8/16/2024	0	0	8/29/2024	मजू दलेन्द्र	8/30/2024	नहीं	-	-	-
64	राजनांदगांव	छुरिया 02	तुरंगढ़ 03	सहायिका	2/23/2024	8	8/2/2024	8/16/2024	0	0	8/29/2024	क. करीना	8/30/2024	नहीं	-	-	-
65	राजनांदगांव	छुरिया 02	अरजकण्ड 02	सहायिका	2/23/2024	8	8/2/2024	8/16/2024	0	0	9/19/2024	सीता	9/20/2024	नहीं	-	-	-
66	राजनांदगांव	छुरिया 02	चिरचारीकला 04	सहायिका	2/23/2024	12	8/2/2024	8/16/2024	0	0	8/29/2024	रलिका	8/30/2024	नहीं	-	-	-
67	राजनांदगांव	छुरिया 02	मासूलकसा 01	सहायिका	2/23/2024	10	8/2/2024	8/16/2024	3	3	8/29/2024	टोमिन कोसमा	8/30/2024	नहीं	-	-	-
68	राजनांदगांव	छुरिया 02	मासूलकसा 02	सहायिका	2/23/2024	9	8/2/2024	8/16/2024	0	0	8/29/2024	थनिता	8/30/2024	नहीं	-	-	-
69	राजनांदगांव	छुरिया 02	दतरंगाटोला 02	सहायिका	7/12/2024	14	8/14/2024	8/28/2024	0	0	10/4/2024	नागेश्वरी पटेल	10/7/2024	नहीं	-	-	-
70	राजनांदगांव	छुरिया 02	बेलरगाँदी 01	सहायिका	7/1/2024	21	8/14/2024	8/28/2024	2	2	9/19/2024	परमेश्वरी	9/20/2024	नहीं	-	-	-
71	राजनांदगांव	छुरिया 02	चिरचारीकला 01	सहायिका	2/16/2023	14	6/11/2023	6/12/2023	1	1	7/22/2024	किरण मण्डले	7/25/2024	नहीं	-	-	-
72	राजनांदगांव	छुरिया 02	सालहे 01	सहायिका	7/14/2023	17	8/2/2024	8/16/2024	3	3	8/29/2024	फुल्ल	8/30/2024	नहीं	-	-	-
73	राजनांदगांव	छुरिया 02	छिंदराव	सहायिका	8/7/2024	3	9/14/2024	9/28/2024	0	0	11/4/2024	किरण	11/6/2024	नहीं	-	-	-
74	राजनांदगांव	छुरिया 02	पतारा 03	सहायिका	8/7/2024	15	9/14/2024	9/28/2024	0	0	10/14/2024	मिथलेश्वरी	10/14/2024	नहीं	-	-	-
75	राजनांदगांव	छुरिया 02	पांगरीकला 02	कार्यकर्ता	2/23/2024	9	7/5/2024	7/18/2024	4	4	8/29/2024	भारती साहू	8/30/2024	नहीं	-	-	-
76	राजनांदगांव	छुरिया 02	पथरी 02	कार्यकर्ता	2/23/2024	16	7/5/2024	7/18/2024	7	7	8/5/2024	देविका	8/6/2024	नहीं	-	-	-
77	राजनांदगांव	छुरिया 02	दानीटोला 02	कार्यकर्ता	2/23/2024	14	7/5/2024	7/18/2024	2	2	8/5/2024	सुमित्रा मलगाम	8/6/2024	नहीं	-	-	-
78	राजनांदगांव	छुरिया 02	तुरंगढ़ 03	कार्यकर्ता	2/23/2024	17	7/5/2024	7/18/2024	2	2	8/5/2024	भूमिका कुंजाम	8/6/2024	नहीं	-	-	-
79	राजनांदगांव	छुरिया 02	अरजकण्ड 02	कार्यकर्ता	2/23/2024	17	7/5/2024	7/18/2024	3	3	8/29/2024	क. धनेश्वरी	8/30/2024	नहीं	-	-	-
80	राजनांदगांव	छुरिया 02	चिरचारीकला 04	कार्यकर्ता	2/23/2024	16	7/5/2024	7/18/2024	1	1	8/5/2024	नेहा	8/6/2024	नहीं	-	-	-
81	राजनांदगांव	छुरिया 02	दतरंगाटोला 02	कार्यकर्ता	7/12/2024	20	8/14/2024	8/28/2024	0	0	9/19/2024	केवरा	9/20/2024	नहीं	-	-	-
82	राजनांदगांव	छुरिया 02	नरेटीटोला 02	कार्यकर्ता	10/7/2024	19	11/27/2024	12/7/2024	3	3	12/9/2024	पुष्पा	12/16/2024	हां	आवेदिका प्रीति चंद्रवंशी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए प्राथमिकता दिया जाने हेतु आवेदन किया गया।	हां	आवेदिका द्वारा दिव्यांगता श्रेणी पर चयन में अतिरिक्त अंक की मांग गई थी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका नियुक्ति निर्देशों के अनुसार न होने के कारण नियमानुसार प्रथम वरीयता में श्रीमती पुष्पा का चयन किया गया है।
83	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	इन्दिरा आवास सिंघाभेड़ी	सहायिका	09.09.2024	12	04.11.2024	14.11.2024	0	0	19.01.2025	ओमबाई	26.11.2024	नहीं			
84	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	आवासपारा हेमलकोड़ा	सहायिका	09.09.2024	7	04.11.2024	14.11.2024	1	1	19.01.2025	सुरतिया बाई	26.11.2024	नहीं			

क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम	पद रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम	रिक्त पद (कार्यकर्ता/सहायिका)	विज्ञापन जारी करने की तिथि	जारी विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदन (अभ्यर्थियों) की संख्या	योग्यता सूची जारी करने की तिथि	दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि	दावा आपत्ति में कितने आवेदकों द्वारा आपत्ति की गई	कितने दावा आपत्तियों का निराकरण किया गया	दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित करने की तिथि	किसकी नियुक्ति की गई उसका नाम	रिक्त पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि	क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है (हां/नहीं)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	क्या उक्त शिकायत की जांच की गई है (हां/नहीं)	जांच के बिंदु तथा कार्यवाही का विवरण
85	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	आवासपारा दाढ़टोला	सहायिका	09.09.2024	8	04.11.2024	14.11.2024	4	4	19.01.2025	मनीषा	26.11.2024	नहीं			
86	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	भेड़ीटोला ब्रा.भेड़ी	सहायिका	09.09.2024	9	04.11.2024	14.11.2024	2	2	19.01.2025	किरण	26.11.2024	नहीं			
87	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	तरियापारा कौड़टोला	सहायिका	09.09.2024	14	04.11.2024	14.11.2024	1	1	19.01.2025	मोनिका	26.11.2024	हां	सत्यापित अंकसूची मांगी गयी	नहीं	
88	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	सिराभाटा	सहायिका	09.09.2024	10	04.11.2024	14.11.2024	0	0	19.01.2025	सुखन्तीन	26.11.2024	नहीं			
89	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	तरियापारा मुंजाल	सहायिका	09.09.2024	8	04.11.2024	14.11.2024	0	0	19.01.2025	मधु	26.11.2024	नहीं			
90	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	निगनचुवा 2	सहायिका	09.09.2024	8	04.11.2024	14.11.2024	0	0	19.01.2025	मेनिका	26.11.2024	नहीं			
91	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	खोराटोला	सहायिका	09.09.2024	5	04.11.2024	14.11.2024	1	1	19.01.2025	शुषेवरी	26.11.2024	नहीं			
92	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	नीचेपारा मक्के	सहायिका	09.09.2024	10	04.11.2024	14.11.2024	2	2	19.01.2025	नंदनी	26.11.2024	नहीं			
93	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	नयापारा जरहाटोला	सहायिका	09.09.2024	7	04.11.2024	14.11.2024	0	0	19.01.2025	सिलोचना	26.11.2024	नहीं			
94	मोहला मानपुर अं. चौकी	अं. चौकी	हरिजनपारा रंगाकठेरा	सहायिका	09.09.2024	15	04.11.2024	14.11.2024	0	0	19.01.2025	भेनुकाबाई	26.11.2024	नहीं			

परोशेष्ट - छत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 1107) की जानकारी

प्रपत्र-अ

खुज्जी विधानसभा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

क्रमांक	जिला	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभावार संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	स्वयं के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	जर्जर भवनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़-चौकी	राजनांदगांव	336	266	46	0
		डोंगरगढ़	304	274	15	0
		डोंगरगांव	474	417	18	0
		खुज्जी	542	453	24	27
2		मोहला-मानपुर	737	638	42	90
योग			2393	2048	145	117

प्रपत्र-ब

खुज्जी विधानसभा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 से 31 जनवरी 2025 तक वर्षवार	स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों की संख्या	निर्माणाधीन/अपूर्ण भवन	पूर्ण भवन	भवन पूर्ण किये जाने की समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1	छुरिया	2023-24 में स्वीकृत	15	11	4	निर्माणाधीन/अपूर्ण भवन पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
		31 जनवरी 2025 तक स्वीकृत	12	12	0	
		योग	27	23	4	
2	अम्बागढ़ चौकी	2023-24 में स्वीकृत	0	0	0	
		31 जनवरी 2025 तक स्वीकृत	10	10	0	
		योग	10	10	0	
		महायोग	37	33	4	

परोशेष्ट - सैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1113) की जानकारी

प्रपत्र

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र

क्र.	परियोजना का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम
1	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-1 (वार्ड क्र. 08)
2	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-2 (वार्ड क्र. 10)
3	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-3 (वार्ड क्र. 06)
4	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-4 (वार्ड क्र. 03)
5	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-5 (वार्ड क्र. 01)
6	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-6 (वार्ड क्र. 04)
7	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-7 (वार्ड क्र. 07)
8	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-8 (वार्ड क्र. 09)
9	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-9 (वार्ड क्र. 02)
10	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-10 (वार्ड क्र. 10)
11	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-11 (वार्ड क्र. 05)
12	अभनपुर	अभनपुर	अभनपुर-12 (वार्ड क्र. 01)
13	अभनपुर	नायकबांधा	नायकबांधा-1
14	अभनपुर	नायकबांधा	नायकबांधा-2
15	अभनपुर	नायकबांधा	नायकबांधा-3
16	अभनपुर	नायकबांधा	नायकबांधा-4
17	अभनपुर	सातपारा	सातपारा-1
18	अभनपुर	सातपारा	सातपारा-2
19	अभनपुर	सातपारा	सातपारा-3
20	अभनपुर	गोतियारडीह	गोतियारडीह-1
21	अभनपुर	गोतियारडीह	गोतियारडीह-2
22	अभनपुर	आमनेर	आमनेर-1
23	अभनपुर	आमनेर	आमनेर-2
24	अभनपुर	गातापार	गातापार 1
25	अभनपुर	गातापार	गातापार 2
26	अभनपुर	गातापार	गातापार 3
27	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 2-1 (वार्ड 04)
28	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 2-2 (वार्ड 03)
29	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 3-1 (वार्ड 05)
30	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 3-2 (वार्ड 05)
31	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 4-1 (वार्ड 06)
32	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 4-2 (वार्ड 06)
33	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 5-1 (वार्ड 07)
34	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 5-2 (वार्ड 07)
35	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 6-1 (वार्ड 08)
36	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 6-2 (वार्ड 08)
37	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 7-1 (वार्ड 09)
38	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 7-2 (वाड 09)
39	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 8-1 (वार्ड 10)
40	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 8-2 (वार्ड 10)
41	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 9-1 (वार्ड 11)
42	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 9-2 (वार्ड 11)
43	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 10-1 (वार्ड 12)
44	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 10-2 (वार्ड 12)
45	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 11-1 (वार्ड 13)
46	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 11-2 (वार्ड 13)

क्र.	परियोजना का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम
47	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्रं. 12-1 (वार्ड 14)
48	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्रं. 12-2 (वार्ड 14)
49	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्रं. 13-1 (वार्ड 15)
50	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्रं. 13-2 (वार्ड 15)
51	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्रं. 14-1 (वार्ड 16)
52	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्रं. 14-2 (वार्ड 16)
53	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्रं. 15-1 (वार्ड 17)
54	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्रं. 15-2 (वार्ड 17)
55	अभनपुर	खोरपा	खोरपा-1
56	अभनपुर	खोरपा	खोरपा-2
57	अभनपुर	खोरपा	खोरपा-3
58	अभनपुर	खोरपा	खोरपा-4
59	अभनपुर	कोलर	कोलर-1
60	अभनपुर	कोलर	कोलर-2
61	अभनपुर	कोलर	कोलर-3
62	अभनपुर	कोलर	कोलर-4
63	अभनपुर	सारखी	सारखी-1
64	अभनपुर	सारखी	सारखी-2
65	अभनपुर	सारखी	सारखी-3
66	अभनपुर	सारखी	सारखी-4
67	अभनपुर	सलौनी	सलौनी-1
68	अभनपुर	सलौनी	सलौनी-2
69	अभनपुर	सिंगारभाठा	सिंगारभाठा-1
70	अभनपुर	सिंगारभाठा	सिंगारभाठा-2
71	अभनपुर	छछानपैरी	छछानपैरी-1
72	अभनपुर	छछानपैरी	छछानपैरी-2
73	अभनपुर	छछानपैरी	छछानपैरी-3
74	अभनपुर	चण्डी	चण्डी-1
75	अभनपुर	चण्डी	चण्डी-2
76	अभनपुर	चण्डी	चण्डी-3
77	अभनपुर	बिरोदा	बिरोदा-1
78	अभनपुर	बिरोदा	बिरोदा-2
79	अभनपुर	बिरोदा	बिरोदा-3
80	अभनपुर	खिलोरा	खिलोरा-1
81	अभनपुर	खिलोरा	खिलोरा-2
82	अभनपुर	खिलोरा	खिलोरा-3
83	अभनपुर	सोनपैरी	सोनपैरी-1
84	अभनपुर	सोनपैरी	सोनपैरी-2
85	अभनपुर	सोनपैरी	सोनपैरी-3
86	अभनपुर	टेकारी	टेकारी -1
87	अभनपुर	टेकारी	टेकारी -2
88	अभनपुर	टेकारी	टेकारी -3
89	अभनपुर	टेकारी	टेकारी-4
90	अभनपुर	परसदा वि.मं.	परसदा-1
91	अभनपुर	परसदा वि.मं.	परसदा-2
92	अभनपुर	परसदा वि.मं.	परसदा-3
93	अभनपुर	जूल्म	जूल्म-1
94	अभनपुर	जूल्म	जूल्म-2

क्र.	परियोजना का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम
95	अभनपुर	जुलूम	जुलूम-3
96	अभनपुर	जुलूम	जुलूम-4
97	अभनपुर	कन्हेरा	कन्हेरा-1
98	अभनपुर	कन्हेरा	कन्हेरा-2
99	अभनपुर	पलौद	पलौद-1
100	अभनपुर	पलौद	पलौद-2
101	अभनपुर	पलौद	पलौद-3
102	अभनपुर	रवेली	रवेली-1
103	अभनपुर	रवेली	रवेली-2
104	अभनपुर	रवेली	रवेली-3
105	अभनपुर	रवेली	रवेली-4
106	अभनपुर	भुरकनी	भुरकनी
107	अभनपुर	आमदी	आमदी-1
108	अभनपुर	आमदी	आमदी-2
109	अभनपुर	मूण्डरा	मूण्डरा-1
110	अभनपुर	मूण्डरा	मूण्डरा-2
111	अभनपुर	मूण्डरा	मूण्डरा-3
112	अभनपुर	केन्द्री	केन्द्री-1
113	अभनपुर	केन्द्री	केन्द्री-2
114	अभनपुर	केन्द्री	केन्द्री-3
115	अभनपुर	केन्द्री	केन्द्री-4
116	अभनपुर	झांकी	झांकी 1
117	अभनपुर	झांकी	झांकी 2
118	अभनपुर	बकतरा	बकतरा-1
119	अभनपुर	बकतरा	बकतरा-2
120	अभनपुर	बकतरा	बकतरा-3
121	अभनपुर	अभनपुर	उरला-1 (अभनपुर वार्ड क्र. 12)
122	अभनपुर	अभनपुर	उरला-2 (अभनपुर वार्ड क्र. 13)
123	अभनपुर	अभनपुर	उरला-3 (अभनपुर वार्ड क्र. 11)
124	अभनपुर	अभनपुर	उरला-4 (अभनपुर वार्ड क्र. 15)
125	अभनपुर	अभनपुर	उरला-5 (अभनपुर वार्ड क्र. 11)
126	अभनपुर	अभनपुर	उरला-6 (अभनपुर वार्ड क्र. 14)
127	अभनपुर	बेन्द्री	बेन्द्री-1
128	अभनपुर	बेन्द्री	बेन्द्री-2
129	अभनपुर	बेन्द्री	बेन्द्री-3
130	अभनपुर	परसठ्ठी	परसठ्ठी
131	अभनपुर	भेलवाडीह	भेलवाडीह-1
132	अभनपुर	भेलवाडीह	भेलवाडीह-2
133	अभनपुर	पचेड़ा	पचेड़ा 1
134	अभनपुर	पचेड़ा	पचेड़ा 2
135	अभनपुर	पचेड़ा	पचेड़ा 3
136	अभनपुर	उपरवारा	उपरवारा 1
137	अभनपुर	उपरवारा	उपरवारा 2
138	अभनपुर	उपरवारा	उपरवारा 3
139	अभनपुर	उपरवारा	उपरवारा 4
140	अभनपुर	उपरवारा	उपरवारा 5
141	अभनपुर	उपरवारा	उपरवारा 6
142	अभनपुर	निमोरा	निमोरा 1

क्र.	परियोजना का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम
143	अभनपूर	निमोरा	निमोरा 2
144	अभनपूर	निमोरा	निमोरा 3
145	अभनपूर	निमोरा	निमोरा-4
146	अभनपूर	तूता	तूता 1
147	अभनपूर	तूता	तूता 2
148	अभनपूर	तूता	तूता 3
149	अभनपूर	खण्डवा	खण्डवा 1
150	अभनपूर	खण्डवा	खण्डवा 2
151	अभनपूर	कूरू	कूरू 1
152	अभनपूर	कूरू	कूरू 2
153	अभनपूर	बजारी	बजारी
154	अभनपूर	चेरिया	चेरिया
155	अभनपूर	तेंदुआ	तेंदुआ-1
156	अभनपूर	तेंदुआ	तेंदुआ-2
157	अभनपूर	सिवनी	सिवनी 1
158	अभनपूर	सिवनी	सिवनी 2
159	अभनपूर	सिवनी	सिवनी 3
160	अभनपूर	सिवनी	सिवनी 4
161	अभनपूर	धुसेरा	धुसेरा 1
162	अभनपूर	धुसेरा	धुसेरा 2
163	अभनपूर	धुसेरा	धुसेरा 3
164	अभनपूर	पारागांव	पारागांव 1
165	अभनपूर	पारागांव	पारागांव 2
166	अभनपूर	पारागांव	पारागांव 3
167	अभनपूर	पारागांव	पारागांव 4
168	अभनपूर	पारागांव	पारागांव 5
169	अभनपूर	पारागांव	पारागांव 6
170	अभनपूर	घोंट	घोंट 1
171	अभनपूर	घोंट	घोंट 2
172	अभनपूर	सोठ	सोठ
173	अभनपूर	छांटा	छांटा 1
174	अभनपूर	छांटा	छांटा 2
175	अभनपूर	सेमरा	सेमरा 1
176	अभनपूर	सेमरा	सेमरा 2
177	अभनपूर	चम्पारण	चम्पारण 1
178	अभनपूर	चम्पारण	चम्पारण 2
179	अभनपूर	चम्पारण	चम्पारण 3
180	अभनपूर	चम्पारण	चम्पारण 4
181	अभनपूर	चम्पारण	चम्पारण 5
182	अभनपूर	डंगनिया	डंगनिया
183	अभनपूर	जौंदी	जौंदी 1
184	अभनपूर	जौंदी	जौंदी 2
185	अभनपूर	जौंदी	जौंदी 3
186	अभनपूर	जौंदा	जौंदा 1
187	अभनपूर	जौंदा	जौंदा 2
188	अभनपूर	नवागांव ल	नवागांव(ल) 1
189	अभनपूर	नवागांव ल	नवागांव(ल) 2
190	अभनपूर	कोलियारी	कोलियारी 1

क्र.	परियोजना का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम
191	अभनपुर	कोलियारी	कोलियारी 2
192	अभनपुर	लखना	लखना
193	अभनपुर	तोरला	तोरला 1
194	अभनपुर	तोरला	तोरला 2
195	अभनपुर	तोरला	तोरला 3
196	अभनपुर	तोरला	तोरला 4
197	अभनपुर	पोंड़	पोंड़ 1
198	अभनपुर	पोंड़	पोंड़ 2
199	अभनपुर	पोंड़	पोंड़ 3
200	अभनपुर	पोंड़	पोंड़ 4
201	अभनपुर	तामासिवनी	तामासिवनी 1
202	अभनपुर	तामासिवनी	तामासिवनी 2
203	अभनपुर	तामासिवनी	तामासिवनी 3
204	अभनपुर	तामासिवनी	तामासिवनी 4
205	अभनपुर	मोखेतरा	मोखेतरा 1
206	अभनपुर	मोखेतरा	मोखेतरा 2
207	अभनपुर	डोमा	डोमा 1
208	अभनपुर	डोमा	डोमा 2
209	अभनपुर	भुरका	भुरका 1
210	अभनपुर	भुरका	भुरका 2
211	अभनपुर	भोथेडीह	भोथेडीह 1
212	अभनपुर	भोथेडीह	भोथेडीह 2
213	अभनपुर	टीला	टीला 1
214	अभनपुर	टीला	टीला 2
215	अभनपुर	टीला	टीला 3
216	अभनपुर	टीला	टीला 4
217	अभनपुर	घोरभट्ठी	घोरभट्ठी 1
218	अभनपुर	घोरभट्ठी	घोरभट्ठी 2
219	अभनपुर	उगेतरा	उगेतरा 1
220	अभनपुर	उगेतरा	उगेतरा 2
221	अभनपुर	पिपरौद	पिपरौद 1
222	अभनपुर	पिपरौद	पिपरौद 2
223	अभनपुर	पिपरौद	पिपरौद 3
224	अभनपुर	पिपरौद	पिपरौद 4
225	अभनपुर	पिपरौद	पिपरौद 5
226	अभनपुर	पिपरौद	पिपरौद 6
227	अभनपुर	हसदा	हसदा 1
228	अभनपुर	हसदा	हसदा 2
229	अभनपुर	हसदा	हसदा 3
230	अभनपुर	हसदा	हसदा 4
231	अभनपुर	सोनेसिल्ली	सोनेसिल्ली 1
232	अभनपुर	सोनेसिल्ली	सोनेसिल्ली 2
233	अभनपुर	टोकरो	टोकरो 1
234	अभनपुर	टोकरो	टोकरो 2
235	अभनपुर	टोकरो	टोकरो 3
236	अभनपुर	मानिकचौरी	मानिकचौरी 1
237	अभनपुर	मानिकचौरी	मानिकचौरी 2
238	अभनपुर	मानिकचौरी	मानिकचौरी 3

क्र.	परियोजना का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम
239	अभनपुर	डोंगितराई	डोंगीतरई 1
240	अभनपुर	डोंगितराई	डोंगीतरई 2
241	अभनपुर	दादरझोरी	दादरझोरी-1
242	अभनपुर	दादरझोरी	दादरझोरी-2
243	अभनपुर	ठेलकाबांधा	ठेलकाबांधा 1
244	अभनपुर	ठेलकाबांधा	ठेलकाबांधा 2
245	अभनपुर	खोला	खोला 1
246	अभनपुर	खोला	खोला 2
247	अभनपुर	खोला	खोला 3
248	अभनपुर	भटगांव	भटगांव-1
249	अभनपुर	भटगांव	भटगांव-2
250	अभनपुर	भटगांव	भटगांव-3
251	अभनपुर	ढोडरा	ढोडरा-1
252	अभनपुर	ढोडरा	ढोडरा-2
253	अभनपुर	परसुलीडीह	परसुलीडीह 1
254	अभनपुर	परसुलीडीह	परसुलीडीह 2
255	अभनपुर	खट्टी	खट्टी-1
256	अभनपुर	खट्टी	खट्टी-2
257	अभनपुर	भाठापारा बेलर	भाठापारा बेलर
258	अभनपुर	उल्बा	उल्बा 1
259	अभनपुर	उल्बा	उल्बा 2
260	अभनपुर	राखी	राखी
261	अभनपुर	भरेंगा	भरेंगा-1
262	अभनपुर	भरेंगा	भरेंगा-2
263	अभनपुर	भरेंगा	भरेंगा-3
264	अभनपुर	भरेंगा	भरेंगा-4
265	अभनपुर	लमकेनी	लमकेनी 1
266	अभनपुर	लमकेनी	लमकेनी 2
267	अभनपुर	लमकेनी	लमकेनी 3
268	अभनपुर	सकरी	सकरी-1
269	अभनपुर	सकरी	सकरी-2
270	अभनपुर	सकरी	सकरी-3
271	अभनपुर	बेलर	बेलर-1
272	अभनपुर	बेलर	बेलर-2
273	अभनपुर	कोपेडीह	कोपेडीह
274	अभनपुर	मोहंदी	मोहंदी-1
275	अभनपुर	मोहंदी	मोहंदी-2
276	अभनपुर	कुरी	कुरी 1
277	अभनपुर	कुरी	कुरी 2
278	अभनपुर	कुरी	कुरी-3
279	अभनपुर	तर्री	तर्री 1
280	अभनपुर	तर्री	तर्री 2
281	अभनपुर	तर्री	तर्री 3
282	अभनपुर	तर्री	तर्री 4
283	अभनपुर	दलना	दलना 1
284	अभनपुर	दलना	दलना 2
285	अभनपुर	दलना	दलना 3
286	अभनपुर	पटेवा	पटेवा 1

क्र.	परियोजना का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम
287	अभनपुर	पटेवा	पटेवा 2
288	अभनपुर	पटेवा	पटेवा 3
289	अभनपुर	पटेवा	पटेवा 4
290	अभनपुर	चिपरीडीह	चिपरीडीह 1
291	अभनपुर	चिपरीडीह	चिपरीडीह 2
292	अभनपुर	परसदा	परसदा-1
293	अभनपुर	परसदा	परसदा-2
294	अभनपुर	परसदा	परसदा 3
295	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 1-1 (वार्ड 02)
296	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 1-2 (वार्ड 01)
297	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 16-1 (वार्ड 19)
298	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 16-2 (वार्ड 18)
299	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 16-3 (वार्ड 18)
300	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 16-4 (वार्ड 19)
301	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 17-1 (वार्ड 20)
302	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 17-2 (वार्ड 20)
303	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 18-1 (वार्ड 21)
304	अभनपुर	नवापारा	नवापारा केन्द्र क्र. 18-2 (वार्ड 21)
305	अभनपुर	जामगांव	जामगांव 1
306	अभनपुर	जामगांव	जामगांव 2
307	अभनपुर	जामगांव	जामगांव 3
308	अभनपुर	थनौद	थनौद 1
309	अभनपुर	थनौद	थनौद 2
310	अभनपुर	तर्रा	तर्रा 01
311	अभनपुर	तर्रा	तर्रा 02
312	अभनपुर	गिरोला	गिरोला 1
313	अभनपुर	गिरोला	गिरोला 2
314	अभनपुर	गिरोला	गिरोला-3
315	अभनपुर	मंदलोर	मंदलोर 1
316	अभनपुर	मंदलोर	मंदलोर 2
317	अभनपुर	बेलभाठा	बेलभाठा
318	अभनपुर	सुन्दरकेरा	सुन्दरकेरा 1
319	अभनपुर	सुन्दरकेरा	सुन्दरकेरा 2
320	अभनपुर	सुन्दरकेरा	सुन्दरकेरा 3
321	अभनपुर	सुन्दरकेरा	सुन्दरकेरा 4
322	अभनपुर	कठिया	कठिया 1
323	अभनपुर	कठिया	कठिया 2
324	अभनपुर	कठिया	कठिया 3
325	अभनपुर	नवागांव क	नवागांव(क) 1
326	अभनपुर	नवागांव क	नवागांव(क) 2
327	अभनपुर	खरखराडीह	खरखराडीह
328	अभनपुर	जवईबांधा	जवईबांधा 1
329	अभनपुर	जवईबांधा	जवईबांधा 2
330	अभनपुर	आलेखुंटा	आलेखुंटा-1
331	अभनपुर	आलेखुंटा	आलेखुंटा-2
332	अभनपुर	उमरपोटी	उमरपोटी-1
333	अभनपुर	उमरपोटी	उमरपोटी-2
334	आरंग	छटेरा	छटेरा 01

क्र.	परियोजना का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम
335	आरंग	छटेरा	छटेरा 02
336	आरंग	भिलाई	भिलाई 01
337	आरंग	भिलाई	भिलाई 02
338	आरंग	भिलाई	भिलाई 03
339	आरंग	भिलाई	भिलाई 04
340	आरंग	भिलाई	भिलाई 05
341	आरंग	निसदा	निसदा 01
342	आरंग	निसदा	निसदा 02
343	आरंग	निसदा	निसदा 03
344	आरंग	निसदा	निसदा 04
345	आरंग	पंधी	पंधी
346	आरंग	गोईन्दा	गोईन्दा 01
347	आरंग	गोईन्दा	गोईन्दा 02
348	आरंग	गोईन्दा	गोईन्दा 03
349	आरंग	कम्हारी	कम्हारी 01
350	आरंग	कम्हारी	कम्हारी 02
351	आरंग	गौरभाट	गौरभाट 01
352	आरंग	गौरभाट	गौरभाट 02
353	आरंग	गौरभाट	गौरभाट 03
354	आरंग	बनचरौदा	बनचरौदा
355	आरंग	लिगाडीह	लिगाडीह
356	आरंग	अकोलीखुर्द	अकोलीखुर्द 01
357	आरंग	अकोलीखुर्द	अकोलीखुर्द 02
358	आरंग	लिगाडीह	अकोलीकला
359	आरंग	गिधवा	गिधवा
360	आरंग	खपरी	खपरी
361	आरंग	चरौदा	चरौदा 01
362	आरंग	चरौदा	चरौदा 02
363	आरंग	चरौदा	चरौदा 03
364	आरंग	भलेरा	भलेरा 01
365	आरंग	भलेरा	भलेरा 02
366	आरंग	पाहंदा	पाहंदा 01
367	आरंग	पाहंदा	पाहंदा 02
368	आरंग	पाहंदा	पाहंदा 03
369	आरंग	मोखला	मोखला 01
370	आरंग	मोखला	मोखला 02
371	आरंग	मोखला	मोखला 03
372	आरंग	मोखला	मोखला 04
373	मंदिर हसौद	पौता	पौता

पारोशेष्ट - अड़तीस

पारिवारिक अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 1116) की जानकारी

प्रपत्र - अ

जिलेवार कुल उपार्जित धान की जानकारी

क्रं.	जिला	कुल उपार्जित धान (मात्रा में.टन में)
1	बस्तर	276071
2	बीजापुर	119789
3	दन्तेवाड़ा	33432
4	कांकेर	531429
5	कोंडागांव	312481
6	नारायणपुर	38076
7	सुकमा	92939
8	बिलासपुर	691983
9	गौरिलापेन्द्रामरवाही	140580
10	जांजगीरचाम्पा	632793
11	कोरबा	291555
12	मुंगेली	556032
13	रायगढ़	508798
14	सक्ती	513741
15	सारंगढ़बिलाईगढ़	465671
16	बालोद	756560
17	बेमेतरा	937107
18	दुर्ग	576107
19	कवर्धा	649362
20	राजनांदगांव	701488
21	खैरागढ़छुईखदानगण्डई	403764
22	मोहलामानपुरअं. चौकी	222043
23	बलौदाबाजार	855397
24	धमतरी	619814
25	गरियाबंद	535350
26	महासमुंद	1104273
27	रायपुर	699742
28	बलरामपुर	297036
29	जशपुर	373937
30	कोरिया	128475
31	सरगुजा	364690
32	सुरजपूर	397204
33	मनेन्द्रगढ़चिरमिरीभरतपुर	96990
	कुल योग	14924710

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वायत्त नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मन्दाहरा जयपुर

31 जनवरी, 2025 तक उपार्जित धान, मिलिंग हेतु धान उठाव, भण्डारण हेतु धान उठाव एवं धान उपार्जन केन्द्रों में शेष धान की मात्रा की जानकारी (मै.टन में)

क्र.	जिले का नाम	कुल उपार्जित धान	मिलिंग हेतु धान उठाव	भण्डारण हेतु धान उठाव	उपार्जन केन्द्रों में शेष धान
1	बस्तर	2760713	696010	812676	1252026
2	बीजापुर	1197888	66124	263064	868700
3	दन्तेवाड़ा	334316	99450	65916	168950
4	कांकेर	5314290	1983046	992696	2338549
5	कोंडागांव	3124810	526580	754362	1843868
6	नारायणपुर	380758	107200	78046	195513
7	सुकमा	929390	100360	195789	633241
8	बिलासपुर	6919835	5346794	590182	982858
9	गौरैला पेन्द्रा मरवाही	1405798	614270	104100	687428
10	जांजगीर चाम्पा	6327931	4369844	648232	1309856
11	कोरबा	2915549	2401958	0	513591
12	मुंगेली	5560324	2810733	1008767	1740824
13	रायगढ़	5087976	2964941	693874	1429162
14	सक्ती	5137412	2650340	986942	1500130
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	4656713	2219822	838266	1598625
16	बालोद	7565599	3607233	1966151	1992215
17	बेमेतरा	9371070	3125799	1843288	4401983
18	दुर्ग	5761071	4399252	405701	956118
19	कवर्धा	6493622	2714646	1515344	2263633
20	राजनांदगांव	7014884	3477137	938996	2598751
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	4037641	1203128	1178818	1655695
22	मोहला मानपुर अं.चौकी	2220426	624168	412206	1184052
23	बलौदाबाजार	8553966	3219849	2634344	2699773
24	धमतरी	6198136	4403090	1162341	632706
25	गरियाबंद	5353500	1825696	1527444	2000360
26	महासमुंद	11042732	4919579	1382316	4740837
27	रायपुर	6997417	4962294	240098	1795025
28	बलरामपुर	2970361	1271597	191123	1507642
29	जशपुर	3739372	1827514	21938	1889919
30	कोरिया	1284751	843440	117215	324096
31	सरगुजा	3646904	2128590	864616	653698
32	सुरजपुर	3972045	2058760	805994	1107290
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	969896	704932	0	264964
योग:-		149247095	74274174	25240845	49732076

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रपत्र - स

वर्ष 2024-25 में भुगतान हेतु शेष की जिलेवार जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	किसानों को राशि भुगतान शेष
1	बस्तर	220.67
2	बीजापुर	100.14
3	दन्तेवाड़ा	51.68
4	कांकेर	258.08
5	कोंडागांव	134.96
6	नारायणपुर	21.84
7	सुकमा	73.42
8	बिलासपुर	70.45
9	गौरिला पेन्द्रा मरवाही	17.06
10	जांजगीर चाम्पा	46.69
11	कोरबा	35.40
12	मुंगेली	53.84
13	रायगढ़	70.64
14	सक्ती	91.27
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	28.48
16	बालोद	76.43
17	बेमेतरा	150.03
18	दुर्ग	47.61
19	कवर्धा	354.84
20	राजनांदगांव	70.99
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	138.95
22	मोहला मानपुर अं. चौकी	110.12
23	बलौदाबाजार	52.15
24	धमतरी	4.57
25	गरियाबंद	20.27
26	महासमुंद	53.79
27	रायपुर	22.06
28	बलरामपुर	131.53
29	जशपुर	77.80
30	कोरिया	51.51
31	सरगुजा	282.88
32	सुरजपूर	147.61
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	51.42
योग:-		3119.18

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों हेतु मापदंड**पात्रता के मापदण्ड:-**

योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो -

- विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
- आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

अपात्रता के मापदण्ड:-

योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला अपात्र होंगी -

- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में स्थायी/अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारोशिष्ट - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 92) की जानकारी

प्रपत्र-अ

(मात्रा मे. टन मे)

क्रं.	संभाग	जिला	कुल उपाजित धान
1	बस्तर	बस्तर	276071.28
2		बीजापुर	119788.8
3		दन्तेवाड़ा	33431.56
4		कांकेर	531429.04
5		कोंडागांव	312481
6		नारायणपुर	38075.84
7		सुकमा	92938.96
8	बिलासपुर	बिलासपुर	691983.48
9		गौरलापेन्द्रामरवाही	140579.76
10		जांजगीरचाम्पा	632793.08
11		कोरबा	291554.88
12		मुंगेली	556032.4
13		रायगढ़	508797.64
14		सक्की	513741.16
15	सारंगढ़बिलाईगढ़	465671.32	
16	दुर्ग	बालोद	756559.88
17		बेमेतरा	937107.04
18		दुर्ग	576107.12
19		कवर्धा	649362.24
20		राजनांदगांव	701488.36
21		खैरागढ़छुईखदानगण्डई	403764.12
22		मोहलामानपुरअं.चौकी	222042.6
23	रायपुर	बलौदाबाजार	855396.64
24		धमतरी	619813.6
25		गरियाबंद	535349.96
26		महासमुंद	1104273.24
27	रायपुर	699741.72	
28	सरगुजा	बलरामपुर	297036.12
29		जशपुर	373937.16
30		कोरिया	128475.12
31		सरगुजा	364690.36
32		सुरजपुर	397204.48
33		मनेन्द्रगढ़चिरमिरीभरतपुर	96989.56
कुल योग			14924709.52

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

५

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उठाव में गबन या खरीदी प्रभारी की अनियमितता के संबंध में दोषी पाये गये अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	जिले का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	बस्तर	छोटेदेवड़ा	छोटेदेवड़ा	धान की खरीदी केन्द्र में 29.02 किंटल धान की कमी, स्टेक के बारदाने कटे-फटे, चुबूतरे में धान बिखरा होना तथा सीसीटीवी कैमरा खराब होना पाया गया।	समिति प्रबंधक छोटेदेवड़ा, खरीदी प्रभारी उपार्जन केन्द्र छोटेदेवड़ा	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला बस्तर के द्वारा प्रभारी समिति प्रबंधक छोटेदेवड़ा एवं खरीदी प्रभारी छोटेदेवड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
2	कोरबा	अखरापाली	अखरापाली	भौतिक सत्यापन में धान 1952.80 कि. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 60.54 लाख है।	श्री रामेश्वर प्रसाद अनंत, प्रा. समिति प्रबंधक श्री हितेन्द्र कुमार, खरीदी प्रभारी	दि. 04.02.2025 को नोटिस जारी दि. 07.02.2025 को उपार्जन कार्य से पृथक प्रकरण क्र. 0015 दि. 07.02.2025 को हरदीबाजार धाने में एफआईआर
		उतरदा	उतरदा	भौतिक सत्यापन में धान 3684.00 कि. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 114.20 लाख है।	लता सिदार, प्रा. स. प्र. एवं खरीदी प्रभारी	दि. 23.01.2025 को नोटिस जारी दि. 24.01.2025 को उपार्जन कार्य से पृथक प्रकरण क्र. 0009 दि. 24.01.2025 को हरदीबाजार धाने में एफआईआर
		कुल्हरिया	कुल्हरिया	भौतिक सत्यापन में धान 811.20 कि. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 18.66 लाख है।	श्री सुधीर प्रसाद धुर्वे प्रा. स. प्र. एवं खरीदी प्रभारी श्री अरूण कुमार ईजवा, खरीदी प्रभारी	दि. 23.01.2025 को नोटिस जारी दि. 24.01.2025 को उपार्जन कार्य से पृथक प्रकरण क्र. 00/2025 दि. 24.01.2025 को हरदीबाजार धाने में एफआईआर
3	रायगढ़	तमनार	तमनार	बोगस धान खरीदी 2611.60 कि. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 80.96 लाख है।	श्री निलाद्री पदनायक, सहा. समिति प्रबंधक श्रीमती गंधुबाला पदनायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री भरत राठिया, फंड प्रभारी श्री शिवशंकर भगत, बारदाना प्रभारी	दि. 16.01.2025 को नोटिस जारी दि. 16.01.2025 को निलंबित प्रकरण क्र. 0016 दि. 22.01.2025 को तमनार धाने में एफआईआर
4	कवर्धा	-	बिडौरा	बोगस खरीदी की शिकायत	प्रबंधक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	संबंधितों के विरुद्ध उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-कबीरधाम में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
5	महासमुंद	बेमचा	बेमचा	धान में अधिक वजन की तौलाई	श्री पुरानिक लाल साहू, समिति प्रभारी	प्रथम दृष्टया प्रकरण संज्ञान में आने पर संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धान खरीदी के प्रभार से पृथक कर निलंबित किया।
		रिसीकेला	रिसीकेला	उपार्जित धान का स्टेक तैयार करने में लापरवाही बरती गई	श्री टिकेश्वर पटेल, लिपिक	प्रथम दृष्टया प्रकरण संज्ञान में आने पर संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धान खरीदी के प्रभार से पृथक कर निलंबित किया।
		जंगलबेडा	जंगलबेडा	उपार्जित धान का स्टेक तैयार करने में लापरवाही बरती गई	श्री भोजराम प्रधान, कम्प्यूटर ऑपरेटर	प्रथम दृष्टया प्रकरण संज्ञान में आने पर शाखा प्रबंधक द्वारा धान खरीदी के प्रभार से पृथक किया।
		खट्टी	परसदा (ख)	किसानों से बगैर ऋण पुस्तिका से धान खरीदी किया जाना, स्टेक में किस्मवार प्रदर्शन नहीं किया जाना	श्री कृष्ण कुमार साहू, केन्द्र प्रभारी	कलेक्टर खाद्य शाखा जिला महासमुंद द्वारा श्री कृष्ण कुमार साहू केन्द्र प्रभारी परसदा (ख) समिति खट्टी को कारण बताओ नोटिस 423 दिनांक 14.02.2025 को जारी किया गया है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		जाड़ामुड़ा	झारमुड़ा	जांच में धान 375.20 किंटल की कमी पायी गयी।	श्री मोतीम प्रधान, केन्द्र प्रभारी	कलेक्टर खाद्य शाखा जिला महासमुंद द्वारा धान उपार्जन केन्द्र झारमुड़ा में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुयायनार्थक एवं कानूनी कार्यवाही हेतु उपायुक्त सहकारी संस्थाएँ जिला महासमुंद को पत्र प्रेषित किया गया है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	गरियाबंद	पीपरछेडी	पीपरछेडी	किसान से रिश्वत लेने के संबंध में	श्री पुरानिक लाल निर्मलकर, समिति प्रभारी	संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2024 को निलंबित
7	बलौदाबाजार	डमरू	डमरू	धान के भौतिक सत्यापन में धान 900 कि. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 20.70 लाख है।	श्री तिलकराम देवदास, समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति डमरू द्वारा आदेश दिनांक 21.01.25 द्वारा पृथक किया गया
		बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	अमानक धान क्रय एवं धान के रखरखाव में लापरवाही	श्री रोहित प्रसाद साहू, समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति बलौदाबाजार द्वारा आदेश दिनांक 21.01.25 द्वारा पृथक किया गया

अनुभाग अधिवक्त्री

कक्षा क्रमांक-2

स्वायत्त नगरपालिका समिति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र	जिले का नाम	समिति का नाम	उपायुक्त केन्द्र का नाम	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
7	बलौदाबाजार	कसडोल	रिकोकला	धान के रखरखाव में लापरवाही एवं कृषकों से अधिक धान तोल	श्री चैतन उडसेना, समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति रिकोकला द्वारा आदेश दिनांक 14.1.25 द्वारा पृथक किया गया
		पलारी	रोहा	अमानक धान क्रय एवं धान के रखरखाव में लापरवाही	श्री जगदीश प्रसाद लहरी, समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति रोहा द्वारा आदेश दिनांक 20.1.25 द्वारा पृथक किया गया
		पलारी	दतान	अमानक धान क्रय एवं धान के रखरखाव में लापरवाही	श्री घनश्याम वर्मा, समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति दतान द्वारा आदेश दिनांक 20.1.25 द्वारा पृथक किया गया
		पलारी	रोहासी	अमानक धान क्रय एवं धान के रखरखाव में लापरवाही	श्री धर्मेश कुमार साहू, समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति रोहासी द्वारा आदेश दिनांक 21.1.25 द्वारा पृथक किया गया
		भाटापारा	बिटकुली	धान के भौतिक सत्यापन में धान 467.67 कि. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 10.76 लाख है।	श्री मनोजकुमार श्रीवास्तव, समिति प्रभारी	धान खरीदी कार्य प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति खैरा द्वारा आदेश दिनांक 21.1.25 द्वारा पृथक किया गया
		बलौदाबाजार	मरदा	अधिक मात्रा में धान तोलाई	श्री गौरीशंकर साहू, केन्द्र प्रभारी	खाद्य निरीक्षक के द्वारा जांच की गई, भिकायत सही पाई गई। केन्द्र प्रभारी को नोटिस जारी किया गया।
8	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सलौनीकला	सलौनीकला	धान के भौतिक सत्यापन में धान 1894.00 कि. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 43.56 लाख है।	श्री संजय साहू, पूर्व समिति प्रबंधक श्री देवनारायण चन्द्रा, पूर्व फंड प्रभारी श्री भरत चन्द्रा, वर्तमान समिति प्रभारी श्री रामेश्वर चन्द्रा, वर्तमान फंड प्रभारी श्री गीमाप्रसाद साहू, कम्प्यूटर ऑपरेटर	धान खरीदी कार्य से पृथक प्रकरण क्र. 0024 दिनांक 07.02.2025, धाना भटगांव में एफआईआर
9	मोहला मानपुर	औंधी	औंधी	फर्जी धान खरीदी	1 श्री हुमन राणा, बोरा गिनती 2 श्री कनक राणा, कृषक 3 श्री जागेश्वर देहरी, दैनिकभोगी 4 श्री अशोक, दैनिकभोगी 5 श्री अमित नायक, दैनिकभोगी 6 श्री टीकम, दैनिकभोगी	दि. 06.01.2025 को नोटिस जारी क्र 1 को दि. 12.12.2024 को धान खरीदी कार्य से पृथक
		औंधी	औंधी	फर्जी धान खरीदी	1 श्री रोशनलाल, कृषक, कृषक 2 श्री राजेन्द्र मंडावी, हमाल 3 श्रीमनलाल, हमाल 4 दिलेश्वर वर्मा, नोडल अधिकारी	दि. 06.01.2025 को नोटिस जारी क्र 2 से 4 तक दि. 23.12.2024 को धान खरीदी कार्य से पृथक
10	सारंगढ़ बिलाईगढ़	कोसीर	रवसा	बोगस धान खरीदी 36.40 कि. शार्टेज पाई गई जिसकी राशि 0.83 लाख है।	1 श्री खगेश जंगडे, प्रभारी प्रबंधक 2 श्री पुकराम मनहर, फंड प्रभारी 3 श्री अमन लहरे, कम्प्यूटर ऑपरेटर 4 श्री सुरेश भारद्वाज, धान आवक प्रभारी 5 श्री पंकज विष्णु भारद्वाज, बारदाना प्रभारी	क्र 2 व 3 को दि. 03.12.2024 को सेवा से पृथक क्र 1, 4 व 5 को दि. 03.12.2024 को कार्य से पृथक क्र 1 से 5 को प्रकरण क्र. 0303 दि. 03.12.2024 को कोसीर थाने में एफआईआर
11	जयपुर	दुलदुला	करसुरा	भौतिक सत्यापन में 1481 किटल धान कम पाया गया।	फंड प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर	सहायक पंजीयक जयपुर द्वारा संबंधितों के विरुद्ध छ.म. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (ख) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर


प्रपत्र

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, उनके मापदण्ड एवं वर्तमान में रायगढ़ जिले के हितग्राहियों को दी जाने वाली लाभ की जानकारी।

क्रमांक	विभाग द्वारा संचालित योजनाएं	लामार्थियों हेतु मापदण्ड	वर्तमान में जिला रायगढ़ के लामार्थियों को दिये जा रहे लाभ
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन।	योजनांतर्गत प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जा रहा है।
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के विधवा महिलाएं।	योजनांतर्गत प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जा रहा है।
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना	1 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के बहु निश्चिंत व्यक्ति।	योजनांतर्गत प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जा रहा है।
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2. 6-17 वर्ष आयुवर्ग के दिव्यांग बच्चे। जिसमें 6-14 आयुवर्ग के दिव्यांग बच्चे जो अध्ययनरत नहीं हैं उन्हें पात्रता नहीं होगी। 3. 18 वर्ष या अधिक के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति 4. बौने व्यक्ति।	योजनांतर्गत प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जा रहा है।
5	सुखद सहारा योजना	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2 18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा। 3. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें।	योजनांतर्गत प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जा रहा है।
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	1 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा एवं विवाह उपरान्त परित्यक्त महिलायें।	योजनांतर्गत प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जा रहा है।
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता दी जाती है। 3. मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो।	योजनांतर्गत एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है।

क्रमांक	विभाग द्वारा संचालित योजनाएं	लाभार्थियों हेतु मापदण्ड	वर्तमान में जिला रायगढ़ के लाभार्थियों को दिये जा रहे लाभ
8	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2. किसी भी प्रकार की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 3. माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 8,000 रु. प्रतिमाह से कम हो।	योजनांतर्गत दिव्यांगता को शिथिल करने के उद्देश्य से सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग प्रदाय किया जाता है।
9	सामर्थ्य विकास योजना	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2. दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 3. माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 8,000 रु. प्रतिमाह से कम हो। 4. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु शिविरो का आयोजन।	योजनांतर्गत दिव्यांगता को शिथिल करने के उद्देश्य से सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग प्रदाय, शिविर एवं मेलो का आयोजन किया जाता है।
10	दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2. दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 3. आयु 18 वर्ष या अधिक तथा 45 वर्ष से कम हो।	योजनांतर्गत एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
11	दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2. दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 4. माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय रु. 8000 प्रतिमाह से कम हो।	छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
12	शिक्षा प्रोत्साहन योजना	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, 2. दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 3. जिला अन्तर्गत माध्यमिक/उच्चत माध्यमिक परीक्षा में दिव्यांगजनों की श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो। 4. आई.टी.आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में नियमित विद्यार्थी। चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी	योजनांतर्गत पात्र हितग्राही को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
13	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, 2. संघ/छ.ग.लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो, 3. दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।	योजनांतर्गत पात्र हितग्राही को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

क्रमांक	विभाग द्वारा संचालित योजनाएं	लाभार्थियों हेतु मापदण्ड	वर्तमान में जिला रायगढ़ के लाभार्थियों को दिये जा रहे लाभ
14	छात्रगृह योजना।	1 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, 2 दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 3 छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। 4 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो 5 महाविद्यालय/पालिटेक्निक/आई.टी.आई. में नियमित छात्र के रूप में 6 प्रवेशित (शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण छात्र को पात्रता नहीं होगी। शिक्षण संस्थान से आवेदक के मूल निवासी की दूरी 20 कि.मी. से अधिक हो। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किराया 1.A श्रेणी के शहर हेतु 10,000 2. B श्रेणी के शहर हेतु 7,000 3. C श्रेणी के शहर हेतु 5,000	योजनांतर्गत पात्र हितग्राही को सहायता प्रदान की जा रही है।
15	दिव्यांग स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2. दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 3. आयु 18 से 60 वर्ष।	दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय किया जा रहा है।
16	शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम (विशेष विद्यालय का संचालन)	1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 2. दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।	निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण-प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है।
17	घरौंदा (आश्रय गृह)	18 वर्ष से अधिक आयु के बौद्धिक, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात एवं बहुदिव्यांगजन।	निःशुल्क देखरेख एवं आजीवन आश्रय गृह संचालित है।
18	हाफ वे होम	मानसिक व्यवहार (मानसिक रुग्णता) से उपचारित व्यक्ति	संचालित नहीं है।
19	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ एवं निराश्रित नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम संचालन	निःशुल्क आवासीय, सुविधा, भोजन, चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जा रही है।
20	प्रशामक देखरेख गृह	60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी एवं बिस्तर में रहकर अपनी सम्पूर्ण दिनचर्या का निर्वहन करने हेतु बाध्य हेतु प्रशामक देख-रेख गृह का संचालन।	निःशुल्क आवासीय, सुविधा, भोजन, चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जा रही है।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रं.	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	श्री विजय कुमार आत्मज श्री टीकाराम, ग्राम त्रिभौना तह. पुसौर	श्री विजय कुमार आत्मज श्री टीकाराम, ग्राम त्रिभौना तह. पुसौर, सेवा सहकारी समिति पडिगांव में पंजीकृत किसान कोड FC4100120101207 द्वारा स्वयं टोकन तुहर हाथ के माध्यम से टोकन काटते समय त्रुटिवश धान की मात्रा कम भरे जाने के सुधार हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार पुसौर को प्रस्तुत किया गया। 1- TK41001201242500337 दिनांक 26-12-2024 धान की मात्रा 30.00 क्विंटल 2- TK41001201242500338 दिनांक 01-01-2025 धान की मात्रा 26.00 क्विंटल 3- TK41001201242500339 दिनांक 01-01-2025 धान की मात्रा 70.00 क्विंटल उक्त तीन टोकन निरस्त होने के कारण अतिरिक्त टोकन की मांग की गई।	श्री विजय कुमार आत्मज श्री टीकाराम किसान को अतिरिक्त टोकन TK41001201242501314 समिति से जारी किया गया जिसमें धान की मात्रा 440.00 क्विंटल धान का विक्रय किया गया।	निराकृत
2	श्री अम्बिका प्रसाद पिता श्री अमर सिंह ग्राम नवापारा, तह. खरसिया	श्री अम्बिका प्रसाद पिता श्री अमर सिंह ग्राम नवापारा, तह. खरसिया, सेवा सहकारी समिति मूरा-भूपदेवपुर में पंजीकृत किसान कोड FC4100440101864 द्वारा टोकन जारी होने के उपरांत समिति प्रबंधक द्वारा धान नहीं लिए जाने क्योंकि तहसीलदार खरसिया के द्वारा इनका धान नहीं लेने के निर्देश है कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु कॉल सेन्टर में शिकायत क्रमांक A31480	कृषक अंबिका प्रसाद/अमर सिंह का दिनांक 05.12.2024 को 110.00 क्विंटल धान एवं दिनांक 24.12.2024 को 90 क्विंटल धान की खरीदी की गई।	निराकृत
3	श्रीमती अमृत बाई / अमरसिंह ग्राम नवापारा, तह. खरसिया	श्रीमती अमृत बाई / अमरसिंह ग्राम नवापारा, तह. खरसिया, सेवा सहकारी समिति मूरा-भूपदेवपुर में पंजीकृत किसान कोड FC4100440100353 द्वारा टोकन जारी होने के उपरांत समिति प्रबंधक द्वारा धान नहीं लिए जाने क्योंकि तहसीलदार खरसिया के द्वारा इनका धान नहीं लेने के निर्देश है कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु कॉल सेन्टर में शिकायत क्रमांक A31480	दिनांक 23.12.2024 को समिति प्रबंधक, टी एस एस मूरा को विधिवत धान क्रय किये जाने निर्देश दिया गया है। कृषक श्रीमती अमृत बाई / अमरसिंह का दिनांक 26.12.2024 को किसान से 180 क्विंटल एवं दिनांक 31.01.2025 को 169.20 क्विंटल धान खरीदा गया।	निराकृत


क्रं.	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही	रिमार्क
4	श्री मुकुल कुमार पटेल, ग्राम भैनापारा, तह. खरसिया	दिनांक-03.12.2024, को जिला- रायगढ़, विकासखंड- खरसिया, पंचायत-भैनापारा, सोसाईटी-खरसिया, उपार्जन केन्द्र-भैनापारा, के लिए, श्री मुकुल कुमार पटेल, मो-9617963646, किसान कोर्ड-FC4100470101086, के द्वारा शिकायत किया गया है, यहा के सोसाईटी में इनका टोकन जारी नहीं किया जा रहा है, यहा पर किसी भी किसान का टोकन जारी नहीं हो पा रहा है, और ऑनलाईन एप- टोकन तुहर हाथ, में कम मात्रा का टोकन जारी होता है, इस कारण से इनका टोकन जारी नहीं हो पाता है, यहा के सोसाईटी के ऑपरेटर के द्वारा इन्हेंसे 1000रु की मांग की गई है, कि आप पैसा दोगे तो में आपका टोकन का लिमिट यहा से बढ़ा दिया जायेगा, यहा पर सभी ऑपरेटरों के द्वारा पैसा की मांग की जाती है, कृपया करके इस संबंध में जांच करके उचित कार्यवाही करने हेतु कॉल सेन्टर में शिकायत क्रमांक A31400	किसान से दिनांक 04.12.2024 में 238.40 क्विंटल दिनांक 01.01.2025 में 220.00 क्विंटल एवं दिनांक 06.01.2025 में 72.00 क्विंटल की धान बिक्री किया गया है। मुकुल कुमार पटेल ने बताया कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खरसिया उपार्जन केन्द्र भैनापारा के किसी कम्प्यूटर ऑपरेटर ने टोकन जारी करने के एवज में पैसो की मांग नहीं की है।	निराकृत

अनुभाग अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
स्वायत्त जागरण आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर



बसना विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2025 तक नवीन राशनकार्ड बनाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं जारी नवीन राशनकार्ड की जानकारी

क्रमांक	विवरण	विकासखण्ड का नाम		योग
		बसना	पिथौरा	
1	नवीन राशनकार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	6247	9472	15719
2	जारी किये गये नवीन राशनकार्ड			
	अंत्योदय राशनकार्ड	188	416	604
	प्राथमिकता राशनकार्ड	5833	8699	14532
	एकल निराश्रित राशनकार्ड	2	9	11
	निःशक्तजन राशनकार्ड	39	108	147
	सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड	185	240	425


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र

क्र.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	आंगनबाड़ी भवन पूर्ण/अपूर्ण	क्र.	आंगनबाड़ी केन्द्रों का नाम जो किराये के भवन में संचालित हैं
1	बस्तीपारा मुद्दीपार 2	पूर्ण	1	जगदीशपुर नया टुकड़ा 4
2	डीपापारा बरतुंगा मिनी	पूर्ण	2	बेलडीह 1
3	बोईरलामी 2	पूर्ण	3	लोहरिनडोंगरी
4	कमारडेरा सोनासिल्ली मिनी	पूर्ण	4	पारा नं. 10 गोपालपुर
5	बड़ेमरी नकटीनाला मिनी	पूर्ण	5	नरसैयापल्लम
6	सागुनढाप राजा कटेल मिनी	पूर्ण	6	जमड़ी 02
7	नायकटांडापारा रेमड़ा	पूर्ण	7	बसना वार्ड क्र0 05
8	कुम्हारडीपा पिरदा 4	पूर्ण	8	बसना वार्ड क्र0 06
9	राजचौक पिरदा 5	पूर्ण	9	बसना वार्ड क्र0 08
10	विश्वासपुर	पूर्ण	10	सरईपाली 02
11	मढ़वाडीपा जबलपुर मिनी	पूर्ण	11	खरोरा
12	गुलठूडीपा बम्हनी मिनी	पूर्ण	12	बड़ेसाजापाली 01
13	पारा नं. 8 गोपालपुर मिनी	पूर्ण		
14	हरिजनपारा छिबरी 2	अपूर्ण		
15	पड़कीपाली	पूर्ण		
16	दुरूगपाली 01	पूर्ण		
17	नौगड़ी 01	पूर्ण		
18	बरौली	अपूर्ण		
19	मौहका	अपूर्ण		
20	बड़ेडाभा	पूर्ण		
21	कुम्हारी	अपूर्ण		
22	सरायपाली 02	अपूर्ण		
23	बंसुलाडीपा 02	अपूर्ण		
24	परसकोल	अपूर्ण		

पॉरीशेष्ट - पेंतलूस

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 11 (क्र. 542) की जानकारी

प्रपत्र

स्वैच्छिक संस्थाओं को वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्वीकृत अनुदान की जानकारी

क्र.	जिला	संस्था का नाम	प्रयोजन	अनुदान	
				वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1		2	3	4	5
1	सरगुजा	राबर्ट कानन बाला स्मृति सेवा संस्थान-बिलासपुर द्वारा संचालित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम, राघवपुरी, सरगुजा	वृद्धाश्रम	569700	583200
2	राजनांदगांव	समता मंच, समता मंच (वृद्धाश्रम), पार्रीनाला विद्युत ऑफिस के पास, राजनांदगांव	वृद्धाश्रम	714744	619920
3	बिलासपुर	जनपरिषद, कल्याणकुंज वृद्धाश्रम अपराजिता भवन, पुलिस लाईन के सामने, आजाद नगर, बिलासपुर	वृद्धाश्रम	962496	946080
4	बस्तर	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, आस्था निकुंज वृद्धाश्रम, धरमपुरा, जगदलपुर	वृद्धाश्रम	312336	314928
5	---	स्नेहगिरी मिशनरी सिस्टर्स, जगदलपुर, बस्तर	वृद्धाश्रम	515808	482976
6	कांकेर	बुलबुल शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, उदय नगर कॉलोनी, पी.जी. कालेज के सामने, कांकेर	वृद्धाश्रम	360936	360936
7	कबीरधाम	शिवमंगल महिला समिति (वृद्धाश्रम), पुरानी कचहरी, कबीरधाम	वृद्धाश्रम	384480	450144
8	दुर्ग	इण्डियन रेडक्रास सोसायटी वृद्धाश्रम, पुलगांव चौक, दुर्ग	वृद्धाश्रम	597348	571140
9	---	आस्था बहुददेशीय संस्था, क्वॉ. नं. 23 ए, सडक एवेन्यू सेक्टर 2, मिलाई नगर, दुर्ग	वृद्धाश्रम	717120	900288
10	दंतेवाड़ा	माँ दंतेश्वरी समन्वय समिति, हीरानगर, पो-गीदम, दंतेवाड़ा	वृद्धाश्रम	436320	436320
11	धमतरी	श्री जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति, श्री गुजराती समाज रोड, बनियापारा, धमतरी	वृद्धाश्रम	572400	0
12	जांजगीर-चांपा	देव सेवा समिति, खोखरा, जांजगीर,	वृद्धाश्रम	705456	705456
13	रायगढ़	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बालसमुन्द, रायगढ़	वृद्धाश्रम	629748	733968
14	---	आर्य विद्या सभा, सलखिया, रायगढ़	वृद्धाश्रम	542160	574992
15	बेमेतरा	शिव मंगल महिला समिति (वृद्धाश्रम), ग्राम-कंतेली, पेट्रोल पंप के पास, दुर्ग रोड, -बेमेतरा	वृद्धाश्रम	438480	479520
16	गरियाबंद	"प्रेरक" रावण भाठा, गरियाबंद	वृद्धाश्रम	658800	658800
17	मुंगेली	छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान, ग्राम-बछेरा, पोस्ट-भटगांव, तहसील-पथरिया, मुंगेली	वृद्धाश्रम	493344	550800
18	बलौदाबाजार-भाटापारा	तुलसी लोक विकास संस्थान, श्री सीमेंट लिमिटेड, खपरीडीह, तहसील-सिमगा, बलौदाबाजार-भाटापारा	वृद्धाश्रम	455328	200000
19	बालोद	समता जन कल्याण समिति (सुख आश्रय वृद्धाश्रम), शिकारी पारा, बालोद	वृद्धाश्रम	495936	471312

क्र.	जिला	संस्था का नाम	प्रयोजन	अनुदान	
				वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1		2	3	4	5
20	बलरामपुर-रामानुजगंज	ग्राम विकास समिति, ग्राम-भाला, पोस्ट-विजय नगर, बलरामपुर	वृद्धाश्रम	576720	555120
21	कोरिया	छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान (वृद्धाश्रम), धौराटिकरा, बैकुण्ठपुर, कोरिया	वृद्धाश्रम	365868	519264
22	कोण्डागांव	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान, समर्पण वृद्धाश्रम डी.एन.टी. कॉलोनी, पुराना आर.एन.टी. हॉस्पिटल, कोण्डागांव	वृद्धाश्रम	652344	555552
23	महासमुंद	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान, आसियाना वृद्धाश्रम दलदली रोड, महासमुंद	वृद्धाश्रम	709800	604800
24	सारंगढ़-बिलाईगढ़	प्रांजल वेलफेयर फाउण्डेशन, सारंगढ़ - बिलाईगढ़	वृद्धाश्रम	0	639384
25	सूरजपुर	छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान-सूरजपुर	वृद्धाश्रम	0	622968
26	बालोद	अरीना शिक्षण एवं जन कल्याण समिति-बालोद	वृद्धाश्रम	0	549096
27	रायपुर	ग्रास रूट सोसायटी, पता 872, सुंदर नगर रायपुर	प्रशामक देख-रेख गृह	2420000	2243700
28	बिलासपुर	सुवाणी शिक्षा समिति, बिलासपुर	प्रशामक देख-रेख गृह	2229800	0
29	कबीरधाम	शिव मंगल महिला समिति-दुर्ग, शाखा-कबीरधाम	प्रशामक देख-रेख गृह	1759320	1974780
30	दुर्ग	ब्राईट शिक्षण एवं मानव कल्याण समिति, दुर्ग	प्रशामक देख-रेख गृह	1820880	1790100
31	बालोद	अरीना शिक्षण एवं जन कल्याण समिति, दुर्ग, शाखा-बालोद	प्रशामक देख-रेख गृह	2243700	2200095
32	धमतरी	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान, पंचवटी कॉलोनी, धमतरी	नशामुक्ति केन्द्र	2204820	2204820
33	सरगुजा	छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान, पहना दुकान के पास, केदारपुर, अम्बिकापुर, -सरगुजा	नशामुक्ति केन्द्र	1911915	2252340
34	दुर्ग	कल्याणी सोशल वेलफेयर एण्ड रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन, 414 भिलाई नगर -दुर्ग	नशामुक्ति केन्द्र	2252340	2252340
35	रायपुर	संगी मितान सेवा संस्थान, उदया सोसायटी, टाटीबंध, रायपुर	नशामुक्ति केन्द्र	1345140	2252340
36	बालोद	समता जन कल्याण समिति, पाररास, बालोद जिला-बालोद	नशामुक्ति केन्द्र	1624955	2252340
37	बलरामपुर-रामानुजगंज	ग्राम विकास समिति, ग्राम भाला, पो. -विजयनगर, बलरामपुर-रामानुजगंज	नशामुक्ति केन्द्र	1583060	2252340
38	कांकेर	संस्था कल्याणी सोशल वेलफेयर एण्ड रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन, मकान नं. -62 पो. ऑफिस गोविन्दपुर, वार्ड नं. 07 कांकेर	नशामुक्ति केन्द्र	2252340	2252340
39	रायगढ़	उन्नायक सेवा समिति, 960/22 केलो विहार कॉलोनी, रायगढ़	नशामुक्ति केन्द्र	2423840	2252340

क्र.	जिला	संस्था का नाम	प्रयोजन	अनुदान	
				वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1		2	3	4	5
40	कोण्डागांव	बस्तर रिवाइवल सोसायटी, म.न. 11, मोहल्ला नहर पारा, कोण्डागांव तहसील व जिला-कोण्डागांव	नशामुक्ति केन्द्र	0	2419520
41	सूरजपुर	छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान, एकीकृत पुनर्वास केन्द्र, मण्डी रोड -सूरजपुर	नशामुक्ति केन्द्र	0	2141960
42	राजनांदगांव	समता जन कल्याण समिति, वार्ड क्र. 43, बसंतपुर-राजनांदगांव	नशामुक्ति केन्द्र	0	2423840
43	मुंगेली	छ.ग. शबरी सेवा संस्थान, लोरमी रोड खसुरीघाट-मुंगेली	नशामुक्ति केन्द्र	0	2423840
44	दंतेवाड़ा	गुण्डाधुर सेवा शिक्षण संस्था, रायपुर का जिला-दंतेवाड़ा में नशामुक्ति केन्द्र संचालन।	नशामुक्ति केन्द्र	0	2288840
45	कबीरधाम	शिवमंगल महिला समिति, ग्राम सैगोना, वि.ख. कवर्धा-कबीरधाम	नशामुक्ति केन्द्र	0	2423840
46	रायपुर	रायपुर शाखा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाईड प्रेरणा वीर सावरकर नगर स्लाईस-।।। हीरापुर रायपुर	दृष्टि बाधित बालिकाओं का स्कूल व छात्रावास	2768902	2853278
47	---	सेवा निकेतन दिव्यांग का पुनर्वास केन्द्र मंदिर हसौद छेरीखेड़ी रायपुर	अस्थि बाधित बच्चों का शिक्षण-प्रशिक्षण/ छात्रावास	2802560	2983880
48	---	दिव्यांग बालिका विकास गृह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फॉर महाराष्ट्र मंडल द्वारा संचालित समता कॉलोनी रायपुर	अस्थि बाधित बालिकाओं का छात्रावास	288920	311960
49	---	श्रवण मूक दिव्यांग अभिभावक संघ "प्रज्ञा" कर्ण बधिर शाला, सेक्टर-04, पुरानी पानी टंकी, डी.डी. नगर रायपुर	श्रवण मूक बधिर दिव्यांग बच्चों का विद्यालय/ छात्रावास	2079320	2105360
50	---	आकांक्षा लायंस स्कूल फॉर मेटली हैण्डिकैप्ड अवन्ति विहार रायपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों का डे-केयर सेटर	2407520	2481580
51	---	आकांक्षा लायंस स्कूल फॉर मेटली हैण्डिकैप्ड बीरगांव रायपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों का डे-केयर सेटर	1504504	1503384
52	---	आकांक्षा लायंस स्कूल फॉर मेटली हैण्डिकैप्ड धरसीवा रायपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों का डे-केयर सेटर	1070600	1109960
53	---	जागरूक पैरेन्ट्स एसोसिएशन म.न. 1/10 राजीव नगर, शंकर नगर रायपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों का विशेष विद्यालय	1346960	1505120
54	---	संवेदना मानसिक दिव्यांग सेवा संस्थान, विकास विहार कालोनी, रायपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों का विशेष विद्यालय	1839158	1972058
55	---	छत्तीसगढ़ सृष्टि डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन, पता कंचन गंगा फेस-2, रोहिणीपुरम, डंगनिया रायपुर	बौद्धिक मंदता बालक-बालिकाओं का विशेष विद्यालय	0	1225455
56	गरियाबंद	उन्नति क्रिएटिव आर्गनाइजेशन जिला रायपुर द्वारा संचालित विद्यानिधि बहुदिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय, कोकडी, गरियाबंद	श्रवणबाधित/ दृष्टिबाधित/ अस्थिबाधित/ बहुदिव्यांग/ बौद्धिक मंदता बच्चों के लिए विद्यालय एवं छात्रावास	2631400	0


क्र.	जिला	संस्था का नाम	प्रयोजन	अनुदान	
				वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1		2	3	4	5
57	---	प्रेरक रावणभाटा गरियाबंद द्वारा संचालित सक्षम दिव्यांग विद्यालय, राजिम	श्रवण एवं मूकबाधित तथा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विद्यालय एवं छात्रावास	1837480	2048480
58	---	शांति मैत्री विकास संस्थान धमतरी द्वारा संचालित अनुराग मनोविकास केन्द्र आवासीय विद्यालय, राजिम	बौद्धिक मंदता बालक-बालिकाओं का विद्यालय एवं छात्रावास	0	2068120
59	धमतरी	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान 5 बंगला विद्यालय परिसर चरमुडियों पो. कुरुद धमतरी	दृष्टि, श्रवण बाधित बालक/बालिका आवासीय विद्यालय	954080	1152920
60	---	"सार्थक" सर गौरी शंकर श्रीवास्तव सेवा समिति, धमतरी	बौद्धिक मंदता बच्चों के लिए विशेष विद्यालय संचालन	663440	688040
61	---	एकजेक्ट फाउण्डेशन, दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र, रुद्री, धमतरी	श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित/बहुदिव्यांग/बौद्धिक मंदता बच्चों के लिए विद्यालय एवं छात्रावास	2042880	1828280
62	---	उन्नायक सेवा समिति, रायगढ़ द्वारा संचालित श्री बालाजी विशेष दिव्यांग आवासीय शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र, धमतरी	श्रवण एवं मूकबधिर/मानसिक एवं बहुदिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन	1163920	1329680
63	महासमुंद	फॉर्च्यून फाउण्डेशन ग्राम प्रेतनडीह पो. केन्दुढार, वि.खं. सराईपाली, महासमुन्द	दृष्टि बाधित बच्चों के लिए विशेष विद्यालय एवं छात्रावास	1956200	2242880
64	बिलासपुर	आनंद निकेतन बधिर विद्यालय सिविल कोर्ट के पीछे वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर	श्रवण, मूक बधिर बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास	2147850	2661324
65	---	डेफ एशोसिएशन चितले कालोनी इंदिरा सेतु के पास नेहरू चौक बिलासपुर	श्रवण बाधित बालिकाओं का छात्रावास एवं विद्यालय	1342604	1628849
66	---	जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन बिलासपुर	बौद्धिक मंदता एवं श्रवण बाधित बालक बालिकाओं का विद्यालय	3079400	3187640
67	---	श्री स्पेशल केयर सेंटर द्वारा श्री क्लीनिक इन्दु उद्यान चौक विजया मोटर्स जरहाभाटा बिलासपुर	बौद्धिक मंदता दिव्यांग बच्चों का शिक्षण कार्य	1536440	1600360
68	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	राबर्ट कानन वाला स्मृति सेवा संस्थान कानन काटैज, पावर हाऊस के सामने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	अस्थि बाधित बालिकाओं का प्रशिक्षण	351200	357580
69	राजनांदगांव	आस्था मूक बधिर दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ शिक्षण सह पुनर्वास संस्थान बसंतपुर धरमकांटा के पीछे राजनांदगांव	श्रवण मूक बाधित बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास	1794800	2098730

क्र.	जिला	संस्था का नाम	प्रयोजन	अनुदान	
				वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1		2	3	4	5
70	---	अभिलाषा दिव्यांगों के कल्याणार्थ शिक्षण प्रशिक्षण संस्था दिग्विजय स्टेडियम परिसर राजनांदगांव	अस्थि एवं दृष्टि बाधित बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास	2380880	3038720
71	---	मनोकामना मनोविकास केन्द्र, बल्देव बाग, कामठी लाईन राजनांदगांव	बौद्धिक मंदता बच्चों का विद्यालय (बालक बालिका)	401360	559880
72	दुर्ग	लायंस चेरीटेबल ट्रस्ट "प्रयास" श्रवण दिव्यांग संस्थान जी.ई.रोड सुपेला भिलाई दुर्ग	श्रवण बाधित बच्चों का स्कूल व छात्रावास	2960154	2846462
73	---	स्नेह सम्पदा विद्यालय, 32 बंगला चौक, सेक्टर-8 भिलाई दुर्ग	बौद्धिक मंदता बच्चों का स्कूल व छात्रावास	1701200	1815560
74	---	ब्राइट शिक्षण एवं मानव कल्याण समिति बरईपारा दुर्ग	मूक बधिर एवं बौद्धिक मंदता बच्चों का स्कूल व छात्रावास	2738000	2966377
75	---	त्रिविधा विकास समिति, बी.एस.पी. प्रायमरी स्कूल क. -8 अय्यप्पा मंदिर के पास, सेक्टर-2 भिलाई नगर दुर्ग	बौद्धिक मंदता बच्चों का स्कूल	1769696	1833656
76	---	तुलसी लोक विकास संस्थान कैम्प-1ख, रोड न. 18 वार्ड 20 भिलाई दुर्ग	दृष्टि बाधित बालक/ बालिकाओं का आवासीय विद्यालय	1132700	1072694
77	---	मानवता लायंस मनोविकास अनुसंधान एवं पुनर्वास लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी सेवा ट्रस्ट छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड न्यू बोरसी दुर्ग	बौद्धिक मंदता बच्चों का विद्यालय	410720	425480
78	जांजगीर-चांपा	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ कात्रेनगर सोठी जांजगीर चांपा	कुष्ठ कल्याण आश्रम	678800	650000
79	---	देव सेवा समिति (मानसिक दिव्यांग विकास संस्थान) मॉ मनका दाई मंदिर परिसर खोखरा, जांजगीर चांपा	बौद्धिक मंदता बच्चों के लिए विद्यालय/ छात्रावास	678680	784760
80	---	दिव्यांगजन कल्याण सेवा समिति पामगढ़, जांजगीर-चांपा	दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों के विद्यालय/ छात्रावास	1943120	2222000
81	सक्ती	प्रेमधारा चैरिटेबल सोसायटी कसेरपारा सक्ती	श्रवण एवं मूक बधिर बच्चों के विद्यालय/ छात्रावास	2195720	2427920
82	सरगुजा	मानव जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय कुनकुरी, बतौली तह सीतापुर	दृष्टि बाधित बच्चों का स्कूल व छात्रावास	1425080	1690280
83	---	होलीक्रॉस आशा निकुंज दिव्यांग केन्द्र सरगुजा	श्रवण बाधित एवं बौद्धिक मंदता बच्चों का स्कूल व छात्रावास	2169800	2481200
84	बरतर	बरतर दिव्यांग कल्याण परिषद अघनपुर, पो. ऑ. धरमपुरा जगदलपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों के विद्यालय एवं छात्रावास	2479520	2697680
85	---	बरतर धर्म क्षेमा समिति द्वारा संचालित आशा आश्रम पल्लीगाँव जगदलपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों के विद्यालय एवं छात्रावास	1053560	1088000

क्र.	जिला	संस्था का नाम	प्रयोजन	अनुदान	
				वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1		2	3	4	5
86	कोरबा	इनरव्हील एजुकेशन सोसायटी गैलरी नं. 3, इंदिरा स्टेडियम ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा	श्रवण एवं दृष्टि बाधित बौद्धिक मंदता, बहुदिव्यांग बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास	1723040	2336480
87	---	अंकुर एन.एफ. 3 कोसाबाड़ी सदा कालोनी कोरबा	बौद्धिक मंदता बच्चों का विशेष विद्यालय	1426280	1480400
88	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भतरपुर	नेत्रहीन व दिव्यांग शिक्षण प्रशिक्षण एवं धर्मार्थ समिति आमाखेरवा, मनेन्द्रगढ़	दृष्टि बाधित बालकों का स्कूल व छात्रावास	2003000	2360600
89	रायगढ़	नंदा सरकुलेशन संस्थान एवं अंध-मूक बधिर विद्यालय भगवानपुर रायगढ़	दृष्टि व श्रवण बाधित बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास	1690075	2168360
90	---	उन्नायक सेवा समिति, 960/22, केलो विहार कॉलोनी, रायगढ़	बौद्धिक मंदता श्रवण मूक बच्चों का विद्यालय व छात्रावास	1705640	1991960
91	सारंगढ़-बिलाईगढ़	उन्नायक सेवा समिति, बरमकेला, सारंगढ़	बौद्धिक मंदता बच्चों का विद्यालय व छात्रावास	1468280	1541988
92	---	प्रांजल मानसिक एवं दिव्यांग केन्द्र वार्ड क. 15 अम्बेडकर नगर सारंगढ़	बौद्धिक मंदता बच्चों का विद्यालय/छात्रावास	774200	1329320
93	रायपुर	संवेदना मानसिक दिव्यांग सेवा संस्थान, सुपर स्वीट्स के सामने, अश्विनी नगर, रायपुर (महिला)	घरौंदा	2727640	2969760
94	---	संवेदना मानसिक दिव्यांग सेवा संस्थान, सुपर स्वीट्स के सामने, अश्विनी नगर, रायपुर (पुरुष)	घरौंदा	2220940	2386080
95	बिलासपुर	विकास सेवा संस्था, शासकीय आश्रयदत्त कर्मशाला के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (महिला)	घरौंदा	2712120	2790840
96	---	विकास सेवा संस्था, सीएसपीडीसीएल कार्यालय के पास तोरवा, मोपका, बिलासपुर, (पुरुष)	घरौंदा	2356440	2790840
97	सरगुजा	अनामिका वेलफेयर सोसायटी, बिलासपुर रोड, मठपारा बड़ा पुलिया के पास, अम्बिकापुर सरगुजा (पुरुष)	घरौंदा	2498400	1695720
98	---	अनामिका वेलफेयर सोसायटी, बिलासपुर रोड, मठपारा बड़ा पुलिया के पास, अम्बिकापुर सरगुजा (महिला)	घरौंदा	0	1688040
99	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भतरपुर	राबर्ट कानन बाला स्मृति सेवा संस्थान, ग्राम-चैनपुर, मेन रोड, मनेन्द्रगढ़, (महिला)	घरौंदा	2754840	2832480
100	---	राबर्ट कानन बाला स्मृति सेवा संस्थान, ग्राम-चैनपुर, उपजेल रोड, मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भतरपुर (पुरुष)	घरौंदा	2739240	2832480

क्र.	जिला	संस्था का नाम	प्रयोजन	अनुदान	
				वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1		2	3	4	5
101	रायगढ़	उन्नायक सेवा समिति, कौहाकुण्डा, रायगढ़ (पुरुष)	घरौंदा	2715240	2728200
102	बस्तर	बस्तर दिव्यांग सेवा समिति, ग्राम-चिड़ईपदर, कोलचूर, अघनपुर, धरमपुरा, बस्तर (महिला)	घरौंदा	2227040	2137200
103	बालोद	गुण्डाधूर सेवा शिक्षण संस्थान, मंगल भवन, पुराना जिला चिकित्सालय के सामने, घड़ी चौक, बालोद (महिला)	घरौंदा	2200920	2368920
104	---	गुण्डाधूर सेवा शिक्षण संस्थान, ग्राम-झलमला, घोटिया चौक, बालोद (पुरुष)	घरौंदा	2369880	2320920
105	रायपुर	माँ डिण्डेश्वरी शिक्षा समिति, पता न्यू सेलटेक्स कालोनी शंकर नगर, रायपुर	हाफ-वे-होम	9868250	12000000
106	बिलासपुर	माँ डिण्डेश्वरी शिक्षा समिति "हाफ-वे-होम" बिलासपुर	हाफ-वे-होम	28892500	13000000
107	कोण्डागांव	शांति फाउण्डेशन कोण्डागांव	हाफ-वे-होम	0	1321200
108	रायपुर	संगी मितान सेवा संस्थान, मोवा रायपुर	भिक्षुक पुनर्वास केन्द्र	3779960	4980792
109	रायपुर	संगी मितान सेवा संस्थान, अनुपम नगर रायपुर	कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र	2526150	0
योग				140982125	166684854

नोट :- सरल क्रमांक 27, 28, 55, 105, 106, 108 एवं 109 को जिले में संधारित निराश्रित निधि से अनुदान प्रदाय किया गया है।


 अथर सोयव
 छत्तीसगढ़ शासन
 समाज कल्याण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - छियालीस
अतारोकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 543) की जानकारों


प्रपत्र

क्र	विकासखण्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	भवन विहीन केन्द्रों की संख्या	किराये के भवन में संचालित केन्द्रों की संख्या
1	नगरी	346	125	9
2	मगरलोड	136	32	0
योग:-		482	157	9

प्रपत्र 'अ'

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारांकित

स.क्र	विकासखण्ड	अन्त्योदय कार्ड	प्राथमिकता कार्ड	निःशक्तजन कार्ड	निराश्रित कार्ड	सामान्य कार्ड	कुल राशनकार्ड
1	बिल्हा	683	5082	10	13	131	5919
कुल		683	5082	10	13	131	5919
स.क्र	नगरीय निकाय	अन्त्योदय कार्ड	प्राथमिकता कार्ड	निःशक्तजन कार्ड	निराश्रित कार्ड	सामान्य कार्ड	कुल राशनकार्ड
2	बोदरी	74	320	1	0	95	490
3	बिल्हा	53	184	0	0	36	273
कुल		127	504	1	0	131	763
TOTAL		810	5586	11	13	262	6682


अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र ब

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 778 अतारकित

राशनकार्डधारियों के लिए राशन सामग्री की निम्नानुसार पात्रता एवं दर निर्धारित है :-

स0क्र0	योजना का नाम	योजनावार राशनकार्डों में खाद्यान्न की पात्रता एवं दर				
		चावल	शक्कर	नमक	केरोसीन	चना
1	अन्त्योदय प्राथमिकता	35 किग्रा. निःशुल्क				
2	01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	10 किग्रा. निःशुल्क	प्रति राशन कार्ड 01 किलो 17 रूपए की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा. एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किग्रा. निःशुल्क प्रति कार्ड	नगरीय क्षेत्र में अधिकतम- 1 लीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो 5 रूपए प्रति किलो की दर से
	02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	20 किग्रा. निःशुल्क				
	03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35 किग्रा. निःशुल्क				
	05 से अधिक वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	7 किग्रा. प्रति सदस्य के मान से				
3	निशक्त जन	10 किग्रा. निःशुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	निराश्रित	10 किग्रा. निःशुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	सामान्य					
	01 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	10 किलो 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	02 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	20 किलो 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	03 या 05 सदस्य वाले सामान्य एपीएल राशनकार्ड	35 किलो 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

अनुभाग अधिकारी

वर्क क्रमांक-2

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र.	महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत स्वीकृत आयोग का नाम	वर्ष	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			आरक्षित पद (एसटी, एससी,ओबीसी व अन्य)			आरक्षित पद के विरुद्ध की गई नियुक्ति			आयोग में पदस्थ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य का नाम	आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने वाले दोषी अधिकारी का नाम	दोषी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
			अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य			
1	छ.ग. राज्य महिला आयोग	2021-22	1	0	6 (01 शासकीय एवं 05 अशासकीय)	1	0	04 (अशासकीय)	0	0	2 (01 शासकीय एवं 01 अशासकीय)	0	0	01 अपिव, 01 अजजा, 01 अजा,	0	0	01 अपिव	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य शासन के नाम निर्देशन के आधार पर सामान्यतः 03 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। वर्ष 2021 में तत्कालीन सरकार के नाम निर्देशन के आधार पर नियुक्ति की गयी हैं आयोग में वर्ष 2022 में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की नियुक्ति की गयी है। अनुसूचित जाति के सदस्य की नियुक्ति नहीं की गयी है।	श्रीमती किरणमयी नायक - अपिव	
		2022-23 (नवम्बर-23)	1	0	6 (01 शासकीय एवं 05 अशासकीय)	1	0	05 (अशासकीय)	0	0	01 (शासकीय)	0	0	01 अपिव, 01 अजजा, 01 अजा,	0	0	01 अपिव 01 अजजा		श्रीमती अर्चना उपाध्याय - सामान्य	
2	छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2021-22	1	0	6	1	0	5	0	0	1	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं 19 में आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में आयु एवं अनुभव का उल्लेख है अधिनियम/नियम में अध्यक्ष/सदस्यों के आरक्षण			-	-	-		-	-
		2022-23 (नवम्बर-23)	1	0	6	1* (15 अक्टूबर 2023 के पश्चात)	0	6	0	0	0				-	-	-		-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

* छ.ग. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष का पद दिनांक 16.10.2023 से रिक्त है।

पॉरीशेष्ट - उन्चास

अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 800) की जानकारी

प्रपत्र

जिला बलौदाबाजार भाटापारा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र
(जनवरी 2025 की स्थिति में)

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र
1	बलौदाबाजार	381
2	पलारी	310
3	भाटापारा	262
4	सिमगा	246
5	कसडोल	388
योग		1587

प्रपत्र

बिलासपुर जिले में वर्ष 2020 से 2024 तक जिला निराश्रित निधि की राशि से किये गए कार्य, कार्यस्थल, राशि, वर्ष एवं अनुमति दिनांक की जानकारी

क्र.	जिला निराश्रितनिधि की राशि से किये गए कार्य	कार्य स्थल	राशि	वर्ष	अनुमतिदिनांक
1	2	3	4	5	6
1	स्वैच्छिक संस्था कोअनुदान	बड़ी कोनी बिलासपुर	3074007.00	2020-21	13-04-2020
2	स्वैच्छिक संस्था कोअनुदान	बड़ी कोनी बिलासपुर	19847500.00	2020-21	14-08-2020
3	गौरैला-पेंण्ड्रा-मरवाहीमें शासकीय बहुदिव्यांग गृह की स्थापना हेतु	जिलागौरैला-पेंण्ड्रा-मरवाही	2000000.00	2020-21	21-03-2021
4	स्वैच्छिक संस्था कोअनुदान	बड़ी कोनी बिलासपुर	3335300.00	2020-21	25-03-2021
5	स्वैच्छिक संस्था कोअनुदान	बड़ी कोनी बिलासपुर	26300000.00	2021-22	20-10-2021
6	रतनपुर में चतुर्थराज्य स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक सम्मेलन के आयोजन	रतनपुर	100000.00	2021-22	11-03-2022
7	01 अक्टूबर, 2022 कोअंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आयोजन	त्रिवेणीभवन, व्यापार विहार, बिलासपुर	1909000.00	2022-23	22-09-2022
8	03दिसम्बर, 2022 अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आयोजन	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालयबिलासपुर	1088900.00	2022-23	30-11-2022
9	03दिसम्बर, 2022 अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम मेंसम्मिलित होने हेतु दिव्यांगजनों का रायपुर प्रवास हेतु	इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय, लाभांडी, रायपुर	500000.00	2022-23	02-12-2022

अतारोकेत प्रश्न संख्या 21 (क. 860) की जानकारी

परिशेष - पचास

143

14 मार्च 2025

1/2..

//2//

क्र.	जिला निराश्रितनिधि की राशि से किये गए कार्य	कार्य स्थल	राशि	वर्ष	अनुमतिदिनांक
1	2	3	4	5	6
10	दिव्यांगजनों केडोर-टू-डोर सर्वेक्षण में हुये व्यय का भुगतान	कोटा, तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी	1976721.00	2022-23	07-10-2022
11	स्वैच्छिक संस्था कोअनुदान	बड़ी कोनी बिलासपुर	8892500.00	2022-23	20-10-2022
12	वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए कम्बल क्रय	बिलासपुरशहर	367280.00	2022-23	15-02-2023
13	मानदेय	बिलासपुर	23572.00	2022-23	15-02-2023
14	22वीं राष्ट्रीय पैरादिव्यांग तैराकी प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 गोवाहाटी (असम)	गोवाहाटी (असम)	142200.00	2022-23	24-01-2023
15	मानदेय	बिलासपुर	15936.00	2022-23	26-03-2023
16	मानदेय	बिलासपुर	17928.00	2022-23	10-04-2023
17	मानदेय	बिलासपुर	17050.00	2023-24	09-05-2023
18	दिनांक 27.02.2023 को उभयलिंगी व्यक्तियों की राष्ट्रीय कार्यशाला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुए व्यय का भुगतान	रायपुर	1191528.00	2023-24	23-03-2023
19	जिला बिलासपुर में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़शासन का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम में सांस्कृतिक लोककला मंच जय जोहार बिलासपुर देयक का भुगतान बाबत।	तखतपुर, जिला-बिलासपुर	140000.00	2023-24	26-05-2023
20	मानदेय	बिलासपुर	18414.00	2023-24	14-06-2023
21	स्वैच्छिक संस्था कोअनुदान	बिलासपुर	2229800.00	2023-24	06-06-2023

//3//

क्र.	जिला निराश्रितनिधि की राशि से किये गए कार्य	कार्य स्थल	राशि	वर्ष	अनुमतिदिनांक
1	2	3	4	5	6
22	वरिष्ठ नागरिकों कोसंभाग स्तरीय सहायक उपकरण हेतु मूल्यांकन एवं वितरण समारोह का आयोजन।	शासकीय राघवेन्द्र कला, वाणिज्य एवं विज्ञानमहाविद्यालय, बिलासपुर	20842630.00	2023-24	08-06-2023
23	मानदेय	बिलासपुर	17050.00	2023-24	11-07-2023
24	दिव्यांग व्यक्तियोंहेतु 04विकासखण्डों में 16शिविर दिव्यांग व्यक्तियों की शल्य क्रिया एवंकृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण चिन्हांकन/ मूल्यांकन तथा परीक्षण शिविर का आयोजनबाबत।	कोटा, तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी	1999165.00	2023-24	13-09-2023
25	01अक्टूबर, 2023कोअंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आयोजन	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थविद्यालय, बिलासपुर	1056000.00	2023-24	27-09-2023
26	मानदेय	बिलासपुर	107698.00	2023-24	16-01-2024
27	मानदेय	बिलासपुर	18630.00	2023-24	12-02-2024
28	मानदेय	बिलासपुर	17250.00	2023-24	05-03-2024
29	दिव्यांगजनों कामोटराइज्ड ट्रायसायकल मरम्मत	बिलासपुर	25578.00	2023-24	11-03-2024
30	मानदेय	बिलासपुर	17940.00	2023-24	03-04-2024

KL 24/02/25
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक 31.01.2025 की स्थिति में प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या, स्वयं के भवन एवं किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के कार्यरत व रिक्त पद का जिलेवार विवरण

जिला	आं.बा.केंद्र की संख्या	स्वयं के भवन में संचालित आं.बा. केंद्र	किराये के भवन में संचालित आं.बा. केन्द्र	कार्यरत आं.बा.कार्यकर्ता	कार्यरत आं.बा.सहायिका	कार्यकर्ता के रिक्त पद	सहायिका के रिक्त पद
बालोद	1525	1268	121	1522	1522	3	3
बलौदाबाजार	1587	1241	212	1586	1570	1	17
बलरामपुर	2373	1719	517	2338	2109	35	264
बस्तर	2000	1783	144	1993	1976	7	24
बेमेतरा	1179	784	212	1173	1162	6	17
बीजापुर	1187	696	453	1177	1167	10	20
बिलासपुर	1917	1351	413	1913	1903	4	14
दंतेवाड़ा	1062	764	212	1049	1029	13	33
धमतरी	1106	956	38	1105	1105	1	1
दुर्ग	1506	1195	236	1501	1499	5	7
गरियाबंद	1509	1151	192	1508	1495	1	14
गौरैला पेंड्रा मरवाही	838	701	85	833	763	5	75
जांजगीर-चांपा	1368	960	297	1362	1340	6	28
जशपुर	4115	2660	994	4066	3617	49	498
कबीरधाम	1705	1365	161	1701	1698	4	7
कांकेर	2141	1805	192	2132	2115	9	26
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	647	542	35	643	640	4	7
कोंडागांव	1834	1382	360	1828	1822	6	12
कोरबा	2598	1582	719	2589	2470	9	128
कोरिया	650	522	99	634	506	16	144
महासमुंद	1789	1616	98	1785	1787	4	2
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर	1138	874	161	1130	1020	8	118
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	890	768	51	886	831	4	59
मुंगेली	1138	873	128	1135	1126	3	12

जिला	आं.बा.केंद्र की संख्या	स्वयं के भवन में संचालित आं.बा. केंद्र	किराये के भवन में संचालित आं.बा. केन्द्र	कार्यरत आं.बा.कार्यकर्ता	कार्यरत आं.बा.सहायिका	कार्यकर्ता के रिक्त पद	सहायिका के रिक्त पद
नारायणपुर	563	346	132	563	558	0	5
रायगढ़	2706	2012	436	2689	2634	17	72
रायपुर	1931	1278	495	1923	1908	8	23
राजनंदगांव	1503	1241	98	1499	1495	4	8
सक्ती	917	653	127	912	901	5	16
सारंगढ़-बिलाईगढ़	1119	855	119	1118	1094	1	25
सुकमा	1044	792	203	1031	1026	13	18
सुरजपुर	2080	1656	342	2062	1891	18	189
सरगुजा	2503	1558	829	2474	2098	29	405
कुल	52168	38949	8911	51860	49877	308	2291

(डाटा स्रोत-पोषण ट्रेकर)

प्रपत्र

वर्ष 2023-24 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के लाभान्वित महिला एवं पुरुष दिव्यांगजनों की योजनावार, वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राही विकासखण्ड-बालोद				लाभान्वित हितग्राही विकासखण्ड-गुरुर			
		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25 (31 जनवरी, 2025 तक)		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25 (31 जनवरी, 2025 तक)	
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1	2								
1.	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	33	42	48	150	8	10	7	32
2	सामर्थ्य विकास योजना	41	47	58	108	11	24	8	8
3	दिव्यांजन विवाह प्रोत्साहन योजना	0	1	0	1	1	1	1	2
4	दिव्यांजन छात्रवृत्ति योजना	35	33	40	34	45	43	55	48
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांजन पेंशन योजना	12	15	13	10	9	10	9	12
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	405	574	402	578	405	520	405	522
7	दिव्यांजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	2	3	1	2	3	5	1	4
9	दिव्यांजन छात्रगृह योजना	0	0	0	0	0	1	0	1
13	घरौंदा (आश्रय गृह)	3	2	3	2	3	2	3	2
17	मोटराईज्ड ट्राईसायकल प्रदाय योजना	0	7	9	18	0	4	0	2
	योग	531	724	574	903	485	620	489	633

KL
अध्यापक संविधान
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 890) की जानकारी

प्रपत्र

सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों का विकासखण्डवार एवं ग्राम पंचायतवार जानकारी


क्र	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ उचित मूल्य दुकान संचालित है
1	अंबिकापुर ग्रामीण	392001038 - ग्राम पंचायत मोतीपुर
		392001039 - ग्राम पंचायत नवापारा खुर्द
		392001040 - आराधना स्व सहायता समूह बरगवां
		392001041 - वन सुरक्षा समिति कुम्हरता
		392001042 - ग्राम पंचायत पंपापुर
		392001043 - ग्राम पंचायत खजूरी
		392001063 - आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्वा
		392001066 - आकाश खादय सुरक्षा पोषण सेवा सहकारी समिति मर्या0 पोडीकला
		392001067 - देवी महिला स्वयं सहायता समूह
		392001068 - ग्राम पंचायत रकेली
		392001069 - ग्राम पंचायत नवानगर
		392001070 - श्रीराम खादय सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या0 नवापाराकला
		392001071 - महामाया खादय सुरक्षा पोषण सेवा सहकारी समिति मर्या0 बडादमाली
		392001072 - ग्राम पंचायत नानदमाली
		392001078 - वन सुरक्षा समिति कुनियाकला
		392001090 - जागृति महिला स्वयं सहायता समूह बरपारा लवईडीह
		392001101 - आदर्श खादय सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या
		392001107 - महामाया खादय सुरक्षा पोषण सेवा सहकारी समिति मर्या0 बडादमाली
योग		18
2	बतौली	392004001 - महामाया खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति खडधोवा में संलग्न
		392004002 - सूरज महिला स्वयं सहायता समूह कुनकुरी
		392004003 - तारा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004004 - नीलकण्ठ महिला स्वयं सहायता समूह, करदना
		392004005 - तोता खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004006 - संस्कृति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004007 - जागृत सेवा समिति खादय सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या, देवरी बतौली
		392004008 - रातरानी महिला स्व सहायता समूह गहिला
		392004009 - तारा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति भटको में संलग्न
		392004010 - आदर्श खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति


क्र	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ उचित मूल्य दुकान संचालित है
		392004011 - Durga खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति बिलासपुर
		392004012 - बंजारी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004013 - महामाया खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004014 - प्रगति सेवा समिति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मया0 घोघरा
		392004015 - चमेलीस्वयं सहायता समूह टीरंगमें संलग्न
		392004016 - चमेली महिला स्व सहायता समूह टीरंग
		392004017 - संगवारी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति बांसाझाल
		392004018 - सहारा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004019 - गोपाल स्वयं सहायता समूह घुटरापारा
		392004020 - पीडीएस सेवा समिति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मया; तरागी
		392004021 - आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सेदम
		392004022 - आजाद खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004023 - मुक्ति स्वयं सहायता समूहबालमपुर संलग्न
		392004024 - शिवसेवा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004025 - प्रकाश स्वयं सहायता समूह चिपरकाया बतौली
		392004026 - जीवन सेवा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004027 - महिला बचत साख, स्व सहायता समूह विशुनपुर
		392004028 - जन सेवा सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004029 - तारा महिला स्वयं सहायता समूह तेलईधार
		392004030 - सरगुजा महिला समूह बटाइकेला
		392004031 - प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति
		392004032 - प्राथमिक उपभोक्ता सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति नकना
		392004033 - गीतांजलि स्वयं-सहायता समूह बिरीमकेला
		392004034 - सीता स्वयं सहायता समूह सरमना
		392004035 - आ.जा.सेवा सहकारी समिति सेदम बासेन
		392004036 - विकास स्वयं सहायता समूह, सिलमा
		392004037 - महामाया खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति खडधोवाबतौली
		392004038 - जय अम्बे स्वयं सहायता समूह मूर्ताडांड संलग्न गोविन्दपुर
		392004039 - आदर्श खाद्य खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या ललाती
		392004040 - चौद महिला स्वयं सहायता समूह शिवपुर
		392004041 - जय अम्बे स्व सहायता समूह मूर्ताडांड
		392004042 - ग्राम पंचायत कालीपुर
		392004043 - फुलवारी स्वयं सहायता समूह पोपरंगा
	योग	43

क्र	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ उचित मूल्य दुकान संचालित है
3	सीतापुर	392003001 - आदिमजाति सेवा सहकारी समिति सीतापुर
		392003002 - सहारा महिला स्व सहायता समूह देवगढ
		392003003 - खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोगता सेवा सहकारी समिति आमाटोली
		392003004 - खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोगता सेवा सहकारी समिति ढेलसरा
		392003005 - गंगा महिला स्वयं सहायता समूह रायकेरा
		392003006 - सहारा महिला स्वयं सहायता समूह खडादोरना
		392003007 - जनविकास महिला स्वयं सहायता समूह भूसु
		392003008 - रीना महिला स्वयं सहायता समूह सहनपुर
		392003009 - महिला स्व सहायता समूह रजपुरी
		392003010 - रानी स्वयं सहायता समूह ढेकीडोली
		392003011 - जनविकास महिला स्वयं सहायता समूह भूसू में संलग्न नावापारा
		392003012 - ग्राम पंचायत बेलजोरा
		392003013 - खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोगता सेवा सहकारी समिति धरमपुर
		392003014 - आ०जा०सेवा सहकारी समिति भूसू में संलग्न ललितपुर
		392003015 - आदिमजाति सेवा सहकारी समिति प्रतापगढ
		392003016 - खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति गिरहुलडीह
		392003017 - महिला स्व सहायता समूह भरतपुर
		392003018 - आ०जा०सेवा सहकारी समिति गेरसा
		392003019 - दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह सरगा
		392003020 - गोवर्धन स्वयं सहायता समूह शिवनाथपुर
		392003021 - फुलसीता स्वयं सहायता समूहकुनभेरा
		392003022 - परी महिला स्वयं सहायता समूह केरजू
		392003023 - खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोगता सेवा सहकारी समिति ढोढागांव
		392003024 - खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति बंशीपुर
		392003025 - नीलम स्वयं सहायता समूह हल्दीसाँढ
		392003026 - संतोषी स्व सहायता समूह आरा
		392003027 - माता महिला स्वयं सहायता समूह पेटला
		392003028 - खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति बनेया
		392003029 - हीरा स्व सहायता समूह बेलगाँव
		392003030 - हीरा स्व सहायता समूह उलकिया
		392003031 - आ.जा.सह.समिति प्रतापगढ
		392003032 - दीपक स्वयं सहायता समूह राधापुर
		392003033 - सत्यम स्वयं सहायता समूह प्रतापगढ
		392003034 - ग्राम पंचायत चलता
		392003035 - आशा महिला स्व सहायता समूह सूर
		392003036 - सीता महिला स्वयं सहायता समूह भिटूवा

क्र	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ उचित मूल्य दुकान संचालित है
		392003037 - जीवन उजाला महिला स्वयं सहायता समूह एरण्ड
		392003038 - कविता महिला स्वयं सहायता समूह बगडोली
		392003039 - इंद्रा महिला स्वयं सहायता समूह मुरता
		392003040 - कला वृक्ष महिला स्वयं सहायता समूह बमलाया
		392003041 - खाद्य सुरक्षा पोषण एवम उपभोगता सेवा सहकारी समिति लिचिरमा
		392003042 - चांद स्वयं सहायता समूह भंवराडांड
		392003043 - तारा स्वयं सहायता समूह
		392003044 - सुभद्रा स्वयं सहायता समूह सोनतराई भुलसीटिकरा
		392003045 - बिदिया स्वयं सहायता समूह बनेया
		392003046 - जीवन ज्योति स्वयं सहायता समूह कुनमेरा
		392003047 - शिवचर्चा स्वयं सहायता समूह गिरहुलडीह
		391006001 - सहारा स्वयं सहायता समूह सीतापुर
		391006002 - चांद स्व सहायता समूह सीतापुर
		391006003 - फातमा स्वयं सहायता समूह सीतापुर
	योग	50
4	मैनपाट	392008001 - लक्ष्मीस्वयं सहायता समूह
		392008002 - आ.जा.सेवा सहकारी समिति बरिमा
		392008003 - लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह कुनिया
		392008004 - आ.जा.सेवा सहकारी समिति कमलेश्वरपुर
		392008005 - पीहू स्वयं सहायता समूह रोपाखार
		392008006 - खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी सोसायटी मर्यादित
		392008007 - ग्राम पंचायत समनिया
		392008008 - सन्तोषी स्व सहायता समूह कदनई
		392008009 - मां दर्गा स्वयं सहायता समूह बिसारपानी
		392008010 - दुर्गा स्वयं सहायता समूह सुपलगा
		392008011 - आराधना स्वयं सहायता समूह सरभजा
		392008012 - फुलो स्व सहायता समूह लुरैना
		392008013 - ऊर्जा स्वयं सहायता समूह
		392008014 - विकास महिला स्व सहायता समूह पैगा
		392008015 - सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह परपटिया
		392008016 - आदिम जाति सेवा सहकारी समिति वंदना
		392008017 - ग्राम पंचायत जजगा
		392008018 - खाद्य पोषण सुरक्षा सेवा सहकारी समिति मर्यादित काराबेल
		392008019 - आदिम जाति सेवा सहकारी समिति वन्दना, उडूमकेला
		392008020 - आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बन्दना कोट
		392008021 - खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी सोसायटी राजापुर

क्र	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ उचित मूल्य दुकान संचालित है
		392008022 - खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति खडगांव
		392008023 - खाद्य सुरक्षा एवम पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति चिड़ापारा
		392008024 - ग्राम पंचायत हरमिार
		392008025 - रानी स्वयं सहायता समूह डांगबुड़ा
		392008026 - ग्राम पंचायत जामढोढी
		392008027 - खाद्य सुरक्षा एवम पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति कोटछाल
		392008028 - खाद्य सुरक्षा एवम पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति पेट
		392008029 - खाद्य सुरक्षा एवम पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति कतकालो
		392008030 - खाद्य सुरक्षा एवम पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति पीडीया
		392008031 - आ.जा.सेवा सहकारी समिति राजापुर चैनपुर
		392008032 - खुशबु स्वम समूह कंदराजा
		392008033 - खाद्य पोषण सुरक्षा समिति कुदारीडीह
		392008034 - खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति कलजीवा
		392008035 - सरस्वती स्वम सहायता समूह कर्महा
		392008036 - खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति असर्गावा
		392008037 - चादनी महिला स्वयं सहायता समूह अमगांव
		392008038 - खाद्य सुरक्षा पोषण एवम उपभोक्ता सहकारी सोसायटी मर्यादित जामकानी
		392008039 - खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी सोसायटी मर्यादित सलाइनगर
		392008040 - खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी सोसायटी मर्यादित महारानीपुर
		392008041 - मैट्रो स्वयं सहायता समूह
		392008042 - गौरी महिला स्वयं सहायता समूह
		392008043 - ग्राम पंचायत रजखेता
		392008044 - जीवन सहारा स्वयं सहायता समूह
		392008045 - जय महाकाल खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुनिया
		392008046 - सृष्टि स्वयं सहायता समूह उडुमकेला
		392008047 - नव दुर्गा स्वयं सहायता समूह नर्मदापुर
	योग	47
	महायोग	158


अनुभाग अधिकारी
 वरुण क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 नर्मदापुर, रायपुर


सहायक संचालक
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.

प्रपत्र

क्र	विकासखण्ड का नाम	रख-रखाव, मरम्मत पर व्यय, भुगतान की गई, क्रियान्वयन एजेंसी				रंगाई-पोताई पर व्यय, भुगतान की गई, क्रियान्वयन एजेंसी			
		2023-24		2024-25		2023-24		2024-25	
		व्यय/ भुगतान	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	व्यय/ भुगतान	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	व्यय/ भुगतान	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	व्यय/ भुगतान	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम
1	बम्हनीडीह	1597000	मुख्य कार्यपालन	0	मुख्य कार्यपालन	254830	महादेव इंटरप्राइजेस चांपा	0	-
2	अकलतरा	1789000	अधिकारी जिला	0	अधिकारी जिला	299800		0	
3	बलौदा	0	पंचायत	0	पंचायत	299800		0	
4	पामगढ़	0	जांजगीर-चांपा	0	जांजगीर-चांपा	296802		0	
5	नवागढ़	1518000		2353000		587608		0	
योग:-		4904000	0	2353000	0	1738840	0	0	0

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 901 अताराकित की जानकारी प्रपत्र - 2

क्र.	विकासखण्ड	दुकान आई.डी. व समिति का नाम	कमी पाई गई मात्रा			की गई कार्यवाही
			चावल	शक्कर	नमक	
1		542003001 जय माँ शाकम्भरी महिला स्व सहायता समूह कोटमीसोनार	180.11 क्विंटल	0.00	0.00	खाद्यान्न की कमी पाए जाने पर अनु. अधिकारी राजस्व अकलतरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
2	अकलतरा	542003004 सेवा सहकारी समिति करूमहू	106.68 क्विंटल	0.00	0.00	खाद्यान्न की कमी पाए जाने पर अनु. अधिकारी राजस्व अकलतरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राशि के रूप में वसूली की कार्यवाही पूर्ण। प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
3		542003019 प्रा. कृषि साख समिति अमोरा	274.24 क्विंटल	0.00	3.00	खाद्यान्न की कमी पाए जाने पर अनु. अधिकारी राजस्व अकलतरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राशि के रूप में वसूली की कार्यवाही पूर्ण। प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
4	बलौदा	542004021 सेवा सहकारी समिति नवगवां	187.43 क्विंटल	0.00	4.09	खाद्यान्न की कमी पाए जाने पर अनु. अधिकारी राजस्व अकलतरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राशि के रूप में वसूली की कार्यवाही पूर्ण। प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

खाद्य अधिकारी
जिला जांजगीर-चांपा, (छ.ग.)

परोशेष्ट - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 902) को जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	पंजीकृत कृषकों की संख्या जिनके द्वारा धान विक्रय नहीं किया गया
1	बस्तर	11566
2	बीजापुर	2610
3	दन्तेवाड़ा	7807
4	कांकेर	10842
5	कोंडागांव	8103
6	नारायणपुर	4270
7	सुकमा	3262
8	बिलासपुर	11777
9	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	5199
10	जांजगीर चाम्पा	7432
11	कोरबा	9694
12	मुंगेली	4956
13	रायगढ़	11946
14	सक्ती	4407
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	4996
16	बालोद	6304
17	बेमेतरा	7066
18	दुर्ग	8133
19	कवर्धा	12208
20	राजनांदगांव	7405
21	खैरागढ़ हुरईखदान गण्डई	4306
22	मोहला मानपुर अं. चौकी	3767
23	बलौदाबाजार	7791
24	धमतरी	4580
25	गरियाबंद	6152
26	महासमुंद	9007
27	रायपुर	6290
28	बलरामपुर	6297
29	जशपुर	11161
30	कोरिया	2801
31	सरगुजा	8009
32	सुरजपूर	5617
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	3745
योग:-		229506

अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 रायपुर

पॉरीशेष्ट - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 962) की जानकारी

प्रपत्र

कस्टम मिलिंग में मिलर्स को प्रदाय धान के विरुद्ध जमा चावल एवं दिसम्बर, 2024 की स्थिति में राईस मिलर्स से जमा हेतु शेष चावल की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकास खंड	2021-22 (मात्रा मी. टन में)		
		धान उठाव	जमा चावल	दिसम्बर 24 में जमा हेतु शेष चावल
1	खैरागढ़	41648.75	28183.71	0.00
2	छुईखदान	54957.41	37189.68	0.00
+	योग	96606.16	65373.39	0.00

क्र.	विकास खंड	2022-23 (मात्रा मी. टन में)		
		धान उठाव	जमा चावल	दिसम्बर 24 में जमा हेतु शेष चावल
1	खैरागढ़	73761.84	49914.64	0.00
2	छुईखदान	111246.60	75280.57	0.00
	योग	185008.44	125195.21	0.00

क्र.	विकास खंड	2023-24 (मात्रा मी. टन में)		
		धान उठाव	जमा चावल	दिसम्बर 24 में जमा हेतु शेष चावल
1	खैरागढ़	113696.48	69485.61	7452.80
2	छुईखदान	161540.73	100165.95	9148.66
	योग	275237.21	169651.56	16601.46

क्र.	विकास खंड	2024-25 (मात्रा मी. टन में)			रिमार्क
		धान उठाव	जमा चावल	दिसम्बर 24 में जमा हेतु शेष चावल	
1	खैरागढ़	8905.55	1100	5016.33	खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में चावल जमा का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2	छुईखदान	15467.60	1911	8712.14	
	योग	24373.15	3011	13728.47	

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वायं जागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

दुर्ग संभागान्तर्गत जिलों के विकासखण्डों में कुपोषण की स्थिति

क्र.	जिला	विकासखण्ड	कुपोषित बच्चों की संख्या
1	कवर्धा	बोड़ला	1552
			1423
			1050
		पण्डरिया	1617
			1100
			1269
		कवर्धा	1400
			1251
सहसपुर लोहारा	2363		
2	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	मोहला	2400
		मानपुर	2395
		अंबागढ़ चौकी	2343
3	दुर्ग	दुर्ग	982
			950
			1096
			455
		पाटन	817
			727
		धमधा	867
			532
4	बालोद	बालोद	1172
		डौण्डी	737
			167
			585
		डौण्डीलोहारा	1461
			1095
		गुण्डरदेही	1910
गुरुर	1506		
5	राजनांदगांव	राजनांदगांव	552
			1114
			889
		डोंगरगांव	1279
		डोंगरगढ़	2241
		छुरिया	978
1450			

क्र.	जिला	विकासखण्ड	कुपोषित बच्चों की संख्या
6	बेमेतरा	बेमेतरा	1386
			1339
		बेरला	1899
		नवागढ़	1166
			1530
		साजा	2457
7	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	छुईखदान	2650
		खैरागढ़	3250


दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की पात्रता सहित जानकारी

क्र.	योजना का नाम	योजना की पात्रता एवं जानकारी
1	2	3
1.	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	<ul style="list-style-type: none"> दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, आवेदक के माता पिता या स्वयं का मासिक आय 5000/- से 8000/- तक होने पर निःशुल्क उपकरण प्रदाय किये जाते हैं। मासिक आय 8001/- से अधिक होने पर उपकरण का 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर उपकरण प्रदाय की जाती है। अधिकतम राशि रूपये 6900/- तक के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण जैसे. कैलीपर्स, ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवणयंत्र, श्वेतछड़ी व ब्रेल किट आदि प्रदान किया जाता है।
2.	सामर्थ्य विकास योजना	<ul style="list-style-type: none"> दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, आवेदक के माता पिता या स्वयं का मासिक आय 5000/- से 8000/- तक होने पर निःशुल्क प्रदाय किये जाते हैं। मासिक आय 8001/- से अधिक होने पर उपकरण का 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर उपकरण प्रदाय की जाती है। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण हेतु मेले/शिविरों का आयोजन कर दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण करते हुए आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण जैसे. कैलीपर्स, ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवणयंत्र, श्वेतछड़ी व ब्रेल किट आदि प्रदान किया जाता है।
3.	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजन	<ul style="list-style-type: none"> ऐसे दिव्यांग जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो। युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो। दिव्यांग दम्पति को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर राशि रूपये 50,000/- एकमुश्त तथा दोनों के दिव्यांग होने पर राशि रूपये 1,00,000/- एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
4.	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	<ul style="list-style-type: none"> कक्षा पहली से बारहवीं तक के नियमित दिव्यांग विद्यार्थी हो। गत परीक्षा में उत्तीर्ण हो। दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 2,00,000/- तथा पोस्ट -मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक आय 2,50,000/- हो। दिव्यांग विद्यार्थियों को निम्नानुसार छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं:- प्राथमिक स्तर पर रूपये 150/- प्रतिमाह, पूर्व माध्यमिक स्तर पर रूपये 170/- प्रतिमाह एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर रूपये 190/- प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> • 18-79 आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु दिव्यांगता गंभीर निःशक्त से तात्पर्य किसी एक प्रकार की निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो। बहु दिव्यांगता से तात्पर्य एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। • आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो। • योजना अंतर्गत राशि रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।
6.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> • 6-17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे जो अध्ययनरत है उन्हें पात्रता नहीं होगी। • 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति। • बौने व्यक्ति। • आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो। • योजना अंतर्गत राशि रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।
7.	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	<ul style="list-style-type: none"> • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • जिला अंतर्गत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में दिव्यांगजनों की श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो। • आई.टी.आई./पोलिटैक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित विद्यार्थी हो। • चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी हो। • जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2000/- एकमुश्त। • जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/- एकमुश्त। • आई. टी. आई./पोलिटैक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/- रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि। • चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/- रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
8.	दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना योजना	<ul style="list-style-type: none"> • संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यार्थी। • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 20,000/- एकमुश्त। • मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 30,000/- एकमुश्त। • संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रूपये 50,000/- एकमुश्त दिये जाने का प्रावधान है।

9.	दिव्यांगजन छात्रगृह योजना	<ul style="list-style-type: none"> • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। • शिक्षण संस्थान से आवेदक के मूल निवास की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो। <p>05 बच्चों के समूह को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन की अधिकतम मासिक किराया राशि निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A श्रेणी के शहर हेतु 10,000 /- (दस हजार) तक देय। 2. B श्रेणी के शहर हेतु 7,000 /- (सात हजार) तक देय। 3. C श्रेणी के शहर हेतु 5,000 /- (पांच हजार) तक देय, का प्रावधान है।
10.	शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। • आयु 6 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। उक्त का प्रावधान शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए है। <p>शासकीय एवं मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण-प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।</p>
11	स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	<ul style="list-style-type: none"> • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • आवेदक की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो। • वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम हो। • संबंधित शैक्षिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता और अनुभव हो। <p>दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु निम्नानुसार ब्याज दर पर ऋण प्रदाय किया जाता है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रूपये 5 हजार से रूपये 50 हजार तक - 5% 2. रूपये 50 हजार से रूपये 5 लाख तक - 6% 3. रूपये 5 लाख से रूपये 15 लाख तक - 7% 4. रूपये 15 लाख से रूपये 30 लाख तक - 8% 5. रूपये 30 लाख से रूपये 50 लाख तक - 9% <p>महिला दिव्यांग हितग्राही को 1 प्रतिशत की वार्षिक विशेष छूट दी गई है एवं दृष्टि/मानसिक/श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को 0.5% वार्षिक छूट, का प्रावधान है।</p>

12.	उत्थान सब्सिडी योजना	<ul style="list-style-type: none"> दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, ऋण की अदायगी 75 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर हितग्राही को उत्थान सब्सिडी प्राप्त होगी। हितग्राही को ऋण के कुल ब्याज की राशि का 25 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में अदा होगी, का प्रावधान है।
13	घरौंदा (आश्रय गृह)	<ul style="list-style-type: none"> ऐसी संस्थाएं जो छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीकृत हो एवं विभाग से मान्यता प्राप्त हो तथा कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखते हो। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत हो। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रमस्तिष्क अंगाघात, स्वपरायणता, बौद्धिक मंदता एवं बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए आजीवन निःशुल्क आवासीय व्यवस्था का प्रावधान है।
14	हॉफ-वे-होम	<ul style="list-style-type: none"> ऐसी संस्थाएं जो छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीकृत हो एवं विभाग से मान्यता प्राप्त हो तथा कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखते हो। मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों का मानसिक चिकित्सालय से उपचार उपरांत उनके पुनर्वास हेतु निःशुल्क समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
15	अपराजिता (मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र)	<ul style="list-style-type: none"> मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को सभी आधारभूत सुविधा जैसे- आवास/भोजन/चिकित्सा/विधिक सहायता/दैनिक क्रियाकलाप की वस्तुएं आदि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
16	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थस्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की यात्रा का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।
17.	मोटराईज्ड ट्राईसायकल प्रदाय योजना	<ul style="list-style-type: none"> दिव्यांगता का प्रतिशत 60% या उससे अधिक वाले अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं जिनकी न्यूनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष हो, दिव्यांगता का प्रतिशत 70% या उससे अधिक के रोजगार एवं स्वरोजगार में संलग्न दिव्यांग व्यक्ति हो, दिव्यांगता का प्रतिशत 80% या उससे अधिक के सामान्य दिव्यांगजन जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हों। आवेदक के माता पिता या स्वयं का मासिक आय 20,000/- प्रतिमाह तक हों, ऐसे दिव्यांगजनों को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।


अनुराग सिंघ
 छत्तीसगढ़ शासन
 समाज कल्याण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - साठ

अताराजित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1002) की जानकारी

प्रपत्र

जिलेवार पात्र हितग्राही, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी एवं गैर पेंशनधारी हितग्राही (फरवरी 2025 की स्थिति में)

स.क्रं.	जिले का नाम	कुल पात्र हितग्राही	पेंशनधारी	गैर पेंशनधारी
1	बालोद	250862	39356	211506
2	बलौदाबाजार	328452	35426	293026
3	बलरामपुर	213449	30781	182668
4	बस्तर	192344	22997	169347
5	बेमेतरा	253246	26496	226750
6	बीजापुर	38303	3085	35218
7	बिलासपुर	423362	54526	368836
8	दंतेवाड़ा	54634	5931	48703
9	धमतरी	234291	32716	201575
10	दुर्ग	402520	37770	364750
11	गरियाबंद	182449	28420	154029
12	गौरेला-पैण्ड्रा-मरवाही	95494	16272	79222
13	जांजगीर-चांपा	288915	38522	250393
14	जशपुर	231086	31158	199928
15	कबीरधाम	253877	36052	217825
16	कांकेर	183752	17335	166417
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	116529	13111	103418
18	कोण्डागांव	140041	17786	122255
19	कोरबा	293498	39794	253704
20	कोरिया	59681	6786	52895
21	महासमुंद	323330	42811	280519
22	महेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर	100995	7594	93401
23	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	81959	11674	70285
24	मुंगेली	212716	35980	176736
25	नारायणपुर	27425	3560	23865
26	रायगढ़	304023	53209	250814
27	रायपुर	531796	39054	492742
28	राजनांदगांव	256898	28910	227988
29	सक्ती	198791	32920	165871
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	189448	44582	144866
31	सुकमा	52109	5858	46251
32	सूरजपुर	215669	25055	190614
33	सरगुजा	231677	35106	196571
	योग	6963621	900633	6062988

बस्तर संभाग अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की जिलेवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राही						
		बस्तर	दंतेवाड़ा	कांकेर	बीजापुर	नारायणपुर	कोण्डागांव	सुकमा
1	इं.गां.रा. वृद्धावस्था पेंशन योजना	18996	6038	13833	3349	4710	15505	6622
2	इं.गां.रा. विधवा पेंशन योजना	8021	5754	7487	2958	1761	8206	3939
3	इं.गां.रा. दिव्यांग पेंशन योजना	868	758	1456	380	277	867	49
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	8016	1996	10335	2013	1035	7530	2061
5	सुखद सहारा योजना	4022	910	6408	1599	679	3414	2339
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	17067	8632	20508	3177	6081	13021	10622
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	236	43	33	43	0	259	63
8	सामर्थ्य विकास योजना	0	203	39	16	263		14
9	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	5	36	5		0	4	1
10	निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना	912	1063	764	921	147	401	152
11	निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	2	7	2	0	0	5	0
12	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	0	6	0		0	0	0
13	वरिष्ठ नागरिक सहायता	0	0	15	0	150	300	210
14	भारतमाता वाहिनी			15	0	3700	4000	0
15	शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम (शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं की जानकारी)	226	0	0	0	0	0	0
16	घरौंदा (आश्रय गृह)	25	0	0	0	0	0	0
17	स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय	0	1	0	0	0	0	0
18	कृत्रिम अंग उकपरण	0	54	0	34	50	21	5
योग		58396	25501	60900	14490	18853	53533	26077

अवेर सांचक
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परीशेष्ट - बैसठ

अतारोकैत प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1007) की जानकारी

प्रपत्र-अ

कंडिका 'क' - बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कुपोषण की स्थिति

क्र.	जिला	दिसंबर 2024 की स्थिति में (प्रतिशत में)	जनवरी 2025 की स्थिति में (प्रतिशत में)
1	बस्तर	15.67	15.89
2	बीजापुर	23.39	23.58
3	दंतेवाड़ा	25.28	23.54
4	कांकेर	15.69	15.49
5	कोण्डागांव	17.51	16.54
6	नारायणपुर	25.41	25.27
7	सुकमा	32.01	31.95

(डाटा स्रोत पोषण ट्रेकर एप के अनुसार)

प्रपत्र ब

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कुपोषण से बचाव के लिए स्वीकृत/प्रावधानित/आबंटन एवं व्यय की गई राशि

क्र.	योजना का नाम	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 तक)	
			आबंटित राशि	व्यय राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		बस्तर	94051583	88727657	95637000	89816137	76838000	56019350
2		बीजापुर	51700072	39680818	39550000	32262730	28493000	24705357
3		दंतेवाड़ा	34158446	27681412	28896000	27307855	25638000	17609405
4	पूरक पोषण आहार	कांकेर	66799754	64476989	52470000	51940709	46362000	38061427
5		कोण्डागांव	54892900	40386642	49328000	46509082	40831000	32548993
6		नारायणपुर	12462741	10355142	12206000	11832465	12894000	8818732
7		सुकमा	28495034	25164090	26650000	26141482	25614000	21210899
		योग	342560530	296472750	304737000	285810460	256670000	198974163
1	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	बस्तर	85339849	85339849	75170776	75170776	0	0
2		बीजापुर	56596901	56596901	64914508	64914384	0	0
3		दंतेवाड़ा	58959000	67563303	38736000	40690080	84612500	66487407
4		कांकेर	20000000	20000000	30000000	22183405	0	0
5		कोण्डागांव	13550350	5712000	12722000	12531585	1148428	959400
6		नारायणपुर	12231152	13282143	22564000	18488982	0	1815868
7		सुकमा	22025200	18222679	32217251	34785672	27495668	24143100
		योग	268702452	266716875	276324535	268764884	113256596	93405775

क्र.	योजना का नाम	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 तक)	
			आबंटित राशि	व्यय राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		बस्तर	3396355	3260062	2970050	2628968	1485150	589123
2		बीजापुर	1282400	1117227	1621888	1169910	1373800	370514
3	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	दंतेवाड़ा	1323730	1030935	1323850	959644	806850	388689
4		कांकेर	1297050	984801	1756334	1483121	1654000	478209
5		कोण्डागांव	842930	526315	1147350	756697	1841500	386097
6		नारायणपुर	250000	139517	300000	97929	600000	26607
7		सुकमा	1059400	894724	722550	528292	1204000	31177
		योग	9451865	7953581	9842022	7624561	8965300	2270416
1		बस्तर	3162000	314250	22260500	22115950	19636500	18930490
2		बीजापुर	886250	856250	7892750	7148650	10801250	6611250
3		दंतेवाड़ा	833500	837500	9978000	9526250	10267250	5120500
4	पोषण अभियान	कांकेर	1374250	1323000	18432500	17935250	20409250	19758750
5		कोण्डागांव	1246750	801200	13500506	12350973	17391000	13373207
6		नारायणपुर	491000	522811	4739000	4710632	8294250	3996728
7		सुकमा	834500	715363	6906087	5782477	9686250	6224323
		योग	8828250	5370374	83709343	79570182	96485750	74015248

पॉरीशेष्ट - तैरसठ
अतारॉकेत प्रश्न संख्या 34 (क. 1009) की जानकारी

प्रपत्र


विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में दुकान सह गोदामविहीन उचित मूल्य दुकानों की जानकारी


क्रमांक	उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत का नाम	उचित मूल्य दुकान संचालन स्थल
1	402005008	सोढ़ार	निजी / किराये के भवन
2	402005017	कोहड़िया	निजी / किराये के भवन
3	402005024	चारभाठा	निजी / किराये के भवन
4	402005042	अमलीडीह	निजी / किराये के भवन
5	402005055	लिलवाकापा	निजी / किराये के भवन
6	402005064	ढबहा	निजी / किराये के भवन
7	402005070	दाबो	निजी / किराये के भवन
8	401002001	रामगोपाल तिवारी वार्ड क्रमांक 01 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
9	401002002	शंकर परमहंस वार्ड क्रमांक 05 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
10	401002003	शिवाजी वार्ड क्रमांक 07 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
11	401002004	गांधी वार्ड क्रमांक 10 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
12	401002005	ठक्कर बाबा वार्ड क्रमांक 12 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
13	401002006	कालीमाई वार्ड क्रमांक 15 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
14	401002007	एंडुज वार्ड क्रमांक 19 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
15	631002009	हीरालाल वार्ड क्रमांक 18 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
16	631002010	महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 20 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
17	631002011	सुभाष वार्ड क्रमांक 03 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
18	631002012	दीनदयाल वार्ड क्रमांक 22 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
19	631002014	कबीर वार्ड क्रमांक 16 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
20	631002015	अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 13 शहरीय क्षेत्र मुंगेली	निजी / किराये के भवन
21	632005111	बिरगहनी	निजी / किराये के भवन
22	632005119	सिपाही	निजी / किराये के भवन
23	632005126	दामापुर (प्र.)	निजी / किराये के भवन

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत का नाम	उचित मूल्य दुकान संचालन स्थल
24	402005096	ठकुरीकापां	निजी / किराये के भवन
25	402005012	पंडरभाठा	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
26	402005013	कोदूकापा	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
27	402005015	घोरपुरा	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
28	402005016	पुरान	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
29	402005018	दुल्लापुर (सी.)	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
30	402005020	नवागांव (वी.)	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
31	402005030	चमारी	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
32	402005032	हरियरपुर	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
33	402005034	डोडा	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
34	402005049	राजपुर	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
35	402005051	तरवरपुर	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
36	402005054	लालाकापा	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
37	402005072	धपई	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
38	402005095	खामहीकुर्मी	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
39	402005099	कोसमा	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
40	402005100	केशरूवाडीह	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
41	632005108	नेवासपुर	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
42	632005109	गस्तीकापा	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
43	632005112	देवरी 'क'	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
44	632005117	पीथमपुर	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
45	632005124	करही (ध.)	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
46	402005073	रामगढ	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
47	402005081	बोधापारा	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
48	402005001	हेडसपुर	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
49	402005005	लिम्हा	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
50	402005021	बलौदी	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
51	402005041	फंदवानी	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
52	402005046	सिंगारपुर	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
53	402005057	पालचुआ	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
54	402005058	भीमपुरी	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
55	402005061	बैहाकापा	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
56	402005080	सुरीघाट	अन्य शासकीय भवन (पंचायत भवन)
57	402005033	पौनी	अन्य शासकीय भवन (राजीव गांधी सेवा केन्द्र)
58	402005048	विचारपुर	अन्य शासकीय भवन (राजीव गांधी सेवा केन्द्र)
59	402005094	खुर्शी	अन्य शासकीय भवन (राजीव गांधी सेवा केन्द्र)

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत का नाम	उचित मूल्य दुकान संचालन स्थल
60	632005121	खैरवार 'बै'	अन्य शासकीय भवन (सांस्कृतिक भवन)
61	402005043	गोपतपुर	अन्य शासकीय भवन (कृत्रिम गर्भधान)
62	402005014	लछनपुर (कि.)	अन्य शासकीय भवन (मंगल भवन)
63	402005031	देढ़ाधौरा	अन्य शासकीय भवन (मंगल भवन)
64	402005052	लछनपुर (अ.)	अन्य शासकीय भवन (मंगल भवन)
65	402005056	रेहुटा	अन्य शासकीय भवन (मंगल भवन)
66	402005069	चिरहुला	अन्य शासकीय भवन (मंगल भवन)
67	632005113	सोनपुरी (शी.)	अन्य शासकीय भवन (मंगल भवन)
68	632005116	पालनसरी	अन्य शासकीय भवन (मंगल भवन)
69	401002008	मुंगेली	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
70	402005011	छाता	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
71	402005029	बांकी	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
72	402005035	जल्ली	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
73	402005038	छटन	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
74	402005039	सेमरकोना	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
75	402005047	नागोपहरी	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
76	402005059	मानपुर	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
77	402005077	करही	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
78	402005079	जमकोर	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
79	402005084	खमहरिया	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
80	402005086	दाऊकापा	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
81	402005098	बरदुली	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
82	402005101	झझपुरीखुर्द	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
83	632005105	कुरानकापा	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
84	632005106	घुण्डूकापा	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत का नाम	उचित मूल्य दुकान संचालन स्थल
85	632005114	किरना	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
86	632005115	गीधा	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
87	632005118	सुरेठा	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
88	632005120	घुठेली	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
89	402005067	देवगांव	अन्य शासकीय भवन (सामुदायिक भवन)
90	402006049	मायामाया गोड स्वसहायता समूह बगबुडवा	सामुदायिक भवन अन्य शासकीय भवन
91	402006057	सागर महिला स्व सहा समूह कपुआ	पंचायत भवन अन्य शासकीय भवन
92	402006058	गुरू कृपा बहु सेवा सहस्रसण्गोईद्रा टेगनागढ	सामुदायिक भवन अन्य शासकीय भवन
93	402006059	मा चण्डी महिला स्व सहा समूह जेवरा	पंचायत भवन अन्य शासकीय भवन
94	402006062	ग्राम पंचायत पुछेली	अतिरिक्त कक्ष स्कूल अन्य शासकीय भवन
95	402006063	सहोद्रा माता स्व सहा समूह परसाकापा	अतिरिक्त कक्ष स्कूल अन्य शासकीय भवन
96	402006064	रामेश्वरी महिला स्व सहा समूह ढोढमा	पंचायत भवन अन्य शासकीय भवन
97	402006065	अन्नपूर्णा महिला स्व सहा समूह रौनाकापा	सामुदायिक भवन अन्य शासकीय भवन
98	402006066	महामाया गोड महिला स्व सहा समूह बगबुडवा	पंचायत भवन अन्य शासकीय भवन
99	402006068	गुरू कृपा बहु सेवा सहस्रसण्गोईद्रा टेगनागढ	सामुदायिक भवन अन्य शासकीय भवन
100	402006070	जागृति महिला स्व सहायता समूह बरदुली	पंचायत भवन अन्य शासकीय भवन
101	402006077	सागर महिला स्व सहा समूह कपुआ	अतिरिक्त कक्ष स्कूल अन्य शासकीय भवन
102	632006089	शारदा महिला स्व सहा समूह बरछा	अतिरिक्त कक्ष स्कूल अन्य शासकीय भवन
103	632006097	महिला एक्ता स्व सहायता समूह भटगांव	सामुदायिक भवन अन्य शासकीय भवन
104	632006095	ग्राम पंचायत कोकडी	पंचायत भवन अन्य शासकीय भवन


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


 सहायक संचालक
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
 संचालनालय, नवा रायपुर

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 नवीन राशनकार्ड बनाये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों की विकासखण्डवार, राशनकार्ड के प्रकार अनुसार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड/ नगरीय निकाय	नवीन राशनकार्ड निर्माण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र						बनाये गये राशनकार्ड					
		अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य परिवार	कुल	अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य परिवार	कुल
1	धरसीवा	23	3162	5	0	112	3302	23	3162	5	0	112	3302
2	तिल्दा	61	1747	1	2	29	1840	61	1747	1	2	29	1840
3	कुंरा	5	129	0	0	4	138	5	129	0	0	4	138
4	खरोरा	2	36	0	0	5	43	2	36	0	0	5	43
5	रायपुर	25	190	0	0	102	317	25	190	0	0	102	317
	कुल	116	5264	6	2	252	5640	116	5264	6	2	252	5640

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2024-25 में जनवरी, 2025 तक नवीन राशनकार्ड बनाये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों की विकासखण्डवार, राशनकार्ड के प्रकार अनुसार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड/ नगरीय निकाय	नवीन राशनकार्ड निर्माण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र						बनाये गये राशनकार्ड					
		अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य परिवार	कुल	अन्त्योदय	प्राथमिकता	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य परिवार	कुल
1	धरसीवा	56	3130	8	0	157	3351	56	3130	8	0	157	3351
2	तिल्दा	83	2316	6	12	37	2454	83	2316	6	12	37	2454
3	कुंरा	6	182	0	0	4	192	6	182	0	0	4	192
4	खरोरा	1	47	0	0	10	58	1	47	0	0	10	58
5	रायपुर	63	266	0	1	92	422	63	266	0	1	92	422
	कुल	209	5941	14	13	300	6477	209	5941	14	13	300	6477

अनुभाग अधिकारी

कक्षा क्रमांक-2

स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - पेंसठ

अतारांकेत प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1011) की जानकारी

प्रपत्र-अ

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदत्त सामग्री एवं राशि का विवरण

क्र.	वर्ष	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	शादी में शासन की ओर से प्रदाय सामग्री एवं राशि का विवरण		
			सामूहिक विवाह में जोड़ों को प्रदायित सामग्री का विवरण	विवाहित कन्या को प्रदाय राशि	
1	2	3	4		5
1	जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020	निरंक	निरंक		निरंक
2	01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021	175	चाँदी का मंगलसूत्र सेट (कान के टॉप्स सहित), चाँदी की बिछिया, वधु के लिये साड़ी, वर के लिये कुर्ता, दुल्हे का सेहरा मौर मुकूट, कलगी एवं हार सहित जुता-चप्पल, साफा एवं पूर्ण सेट, दुल्हन का मौर मुकूट एवं हार, चुनरी, जुता-चप्पल एवं पूर्ण सेट, काँच की चूड़ी, कंधी, टेल्कमपाउडर, दर्पण, सिंदूर, आलता, बिन्दी, नहाने का साबुन, गठबंधन, चुनरी लाल, मेंहदी, श्रृंगार बॉक्स, स्टील थाली, स्टील प्लेट, स्टील कटोरी, स्टील चम्मच, स्टील ड्रम, स्टील लोटा, स्टील टिफिन बॉक्स, प्रेशर कूकर, स्टील परात, सूटकेस/टीन की पेटी, टेबल पंखा, आलमीरा, गद्दा, चादर, तकिया सेट, मसाला डिब्बा, हाथ की घड़ी, बड़ी टार्च, मोबाईल।	राशि रु. 1000/- प्रति कन्या	
3	01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022	88	चाँदी का मंगलसूत्र सेट (कान के टॉप्स सहित), चाँदी की बिछिया, वधु के लिये साड़ी, वर के लिये कुर्ता, दुल्हे का सेहरा मौर मुकूट, कलगी एवं हार सहित कम्पीट सेट, दुल्हन का मौर मुकूट एवं हार कम्पीट सेट, काँच की चूड़ी, कंधी, टेल्कमपाउडर, दर्पण, सिंदूर, आलता, बिन्दी, नहाने का साबुन, गठबंधन, चुनरी लाल, मेंहदी, श्रृंगार बॉक्स, नेल पॉलिस, लिपस्टिक, स्टील थाली, स्टील प्लेट, स्टील कटोरी, स्टील चम्मच, स्टील ड्रम, स्टील गुण्डी, स्टील टिफिन बॉक्स, प्रेशर कूकर, स्टील परात, टीन की पेटी, लोटा, आलमीरा, गद्दा, चादर, तकिया सेट, बाल्टी, स्टील भगोना।	राशि रु. 1000/- प्रति कन्या	
4	01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023	197	चाँदी का मंगलसूत्र सेट (कान के टॉप्स सहित), चाँदी की बिछिया, वधु के लिये साड़ी, वर के लिये कुर्ता, दुल्हे का सेहरा मौर मुकूट, कलगी एवं हार सहित कम्पीट सेट, दुल्हन का मौर मुकूट एवं हार कम्पीट सेट, काँच की चूड़ी, कंधी, टेल्कमपाउडर, दर्पण, सिंदूर, आलता, बिन्दी, नहाने का साबुन, गठबंधन, चुनरी लाल, मेंहदी, श्रृंगार बॉक्स, नेल पॉलिस, लिपस्टिक, स्टील थाली, स्टील प्लेट, स्टील कटोरी, स्टील चम्मच, स्टील ड्रम, स्टील गुण्डी, स्टील टिफिन बॉक्स, प्रेशर कूकर, स्टील परात, टीन की पेटी, लोटा, आलमीरा, गद्दा, चादर, तकिया सेट, बाल्टी, स्टील भगोना।	राशि रु. 1000/- प्रति कन्या	

क्र.	वर्ष	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	शादी में शासन की ओर से प्रदाय सामग्री एवं राशि का विवरण		
			सामूहिक विवाह में जोड़ों को प्रदायित सामग्री का विवरण	विवाहित कन्या को प्रदाय राशि	
1	2	3	4		
5	01 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023	39	चाँदी का मंगलसूत्र सेट (कान के टॉप्स सहित), चाँदी की बिछिया, वधु के लिये साड़ी, वर के लिये कुर्ता, दुल्हे का सेहरा मौर मुकूट, कलगी एवं हार सहित कम्पीट सेट, दुल्हन का मौर मुकूट एवं हार कम्पीट सेट, काँच की चूड़ी, कंधी, टेल्कमपाउडर, दर्पण, सिंदूर, आलता, बिन्दी, नहाने का साबुन, गठबंधन, चुनरी लाल, मेंहदी, श्रृंगार बॉक्स, नेल पॉलिस, लिपस्टिक, स्टील थाली, स्टील प्लेट, स्टील कटोरी, स्टील चम्मच, स्टील ड्रम, स्टील गुण्डी, स्टील टिफिन बॉक्स, प्रेशर कूकर, स्टील परात, टीन की पेटी, लोटा, आलमीरा, गद्दा, चादर, तकिया सेट, बाल्टी, स्टील भगोना।		राशि रू. 21000/-प्रति कन्या

प्रपत्र-ब

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में सम्पन्न मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में टेन्ट एवं खाने की व्यवस्था करने वाले वेंडरों का नाम एवं उनको प्रत्येक कार्यक्रम हेतु प्रदान की गई राशि विवरण

स.क्रं.	वर्ष	धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में सम्पन्न मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में टेन्ट एवं खाने की व्यवस्था करने वाले वेंडरों का नाम एवं उनको प्रत्येक कार्यक्रम हेतु प्रदान की गई राशि विवरण		
		वेंडरों का नाम	वेडर द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण	वेंडर को प्रत्येक कार्यक्रम के लिये भुगतान राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020	निरंक	निरंक	निरंक
2	01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021	राम हलवाई केटर्स राम हलवाई केटर्स राम हलवाई केटर्स	टेंट, माइक साउण्ड एवं खाने व चाय पानी पीने की व्यवस्था	42500 54400 608100
3	01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022	होमलाल साहू टेंट हाउस, कपसदा	टेंट व्यवस्था	42000
		सिन्हा केटर्स, रायपुर	भोजन व्यवस्था	42000
		धर्मेन्द्र किराया भंडार	टेंट व्यवस्था	39000
		महाजन किराया भंडार	भोजन व्यवस्था	54000
		धर्मेन्द्र टेंट हाउस	आयोजन टेंट, माइक, लाईट, पंडाल व्यवस्था, कुर्सी टेबल व्यवस्था आदि।	68716
		संत कर्मा स्व सहायता समूह टेमरी	भोजन व्यवस्था	71800
4	01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023	होमलाल साहू टेंट हाउस, कपसदा	टेंट व्यवस्था	55000
		तिवारी केटर्स, रायपुर	भोजन व्यवस्था	60000
		धर्मेन्द्र किराया भण्डार	टेंट व्यवस्था	64200
		महाजन किराया भंडार	भोजन व्यवस्था	90000
		मित केटरर्स, टाटीबंध, रायपुर	भोजन व्यवस्था	306000
		धर्मेन्द्र टेंट हाउस	टेंट, डेकोरेटिव माइक सिस्टम, फ्लैक्स एण्ड पॉम्पलेट	189700
5	01 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023	धर्मेन्द्र किराया भण्डार	टेंट व्यवस्था	34000
		महाजन किराया भंडार	भोजन व्यवस्था	54000
		खुशबू इवेंट्स	टेंट डेकोरेटिव एण्ड पूजा सामग्री, लाईट, साउण्ड डी.जे., फोटोग्राफ	19500
		अन्नपूर्णा स्व-सहायता समूह सेरीखेड़ी	भोजन व्यवस्था	48320

पॉरीशेष्ट - छेसठ

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 37 (क. 1012) कौ जानकारौ

प्रपत्र

सरायपाली वि.स. क्षेत्र के जिले में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी 2025 तक सामग्री क्रय हेतु विभिन्न मदों में प्राप्त राशि, क्रय की गई सामग्रियों की दर की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	किस-किस प्रकार की सामग्री क्रय की गई	क्रय की गई सामग्री की दर	विकासखण्ड
1	2021-22	विभागीय मद	2597	चांदी का मंगलसूत्र	2597	बसना
2			1995	साड़ी, कुर्ता, पैजामा, सेहरावर-वधुहेतु	1995	
3		विभागीय मद	2597	चांदी का मंगलसूत्र	2597	सरायपाली
4			1995	साड़ी, कुर्ता, पैजामा, सेहरावर-वधुहेतु	1995	
1	2022-23	खनिज न्यास निधि	300000	प्री-स्कूल लर्निंग कीट	9990	बसना
2				पेन्सिल	35	
3				कलर पेन्सिल	25	
4				स्केच पेन	30	
5				स्कूल कीट	5	
6				स्कूल कीट शापनर	5	
7				वेक्स क्रयांस	25	
8		विभागीय मद	600	एलईडी बल्ब	200	बसना
9				टायलेट क्लीनर	95	
10				फिनाईल	50	
11				साबून	80	
12				वाशिंग पाउडर	70	
13				हैंडवास	85	
14				बर्तनवाश	80	
15				कॉटन नैपकिन	140	
16			2600	चांदी का मंगलसूत्र	2595	
17			2000	साड़ी, कुर्ता, पैजामा, सेहरावर-वधुहेतु	1996	
18	खनिज न्यास निधि	300000	प्री-स्कूल कीट	9990	सरायपाली	
19			पेन्सिल	35		
20			कलर पेन्सिल	25		
21			स्केच पेन	30		
22			स्कूल कीट	5		
23			स्कूल कीट शापनर	5		
24			वेक्स क्रयांस	25		

क्र.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	किस-किस प्रकार की सामग्री क्रय की गई	क्रय की गई सामग्री की दर	विकासखण्ड
25	2022-23	खनिज न्यास निधि	300000	प्री-स्कूल कीट	9990	सरायपाली
26				पेन्सिल	35	
27				कलर पेन्सिल	25	
28				स्केचपेन	30	
29				स्कूल कीट	5	
30				स्कूल कीट शापनर	5	
31				वेक्स क्रयांस	25	
32	2022-23	विभागीय मद	200	एल.ई.डी. बल्ब	200	सरायपाली
33			600	टायलेट क्लीनर	95	
34				फिनाईल	50	
35				साबुन	40	
36				डिटर्जेंट पाऊडर	70	
37				हैण्डवास	85	
38				बर्तन वाश	80	
39				कॉटन नैपकीन	140	
40			2600	चांदी का मंगलसूत्र	2595	
41			2000	साड़ी, कुर्ता, पैजामा, सेहरावर-वधुहेतु	1996	
1	2023-24	विभागीय मद	2990	चांदी का मंगलसूत्र	2990	बसना
2			2395	साड़ी, कुर्ता, पैजामा, सेहरावर-वधुहेतु	2395	
3		विभागीय मद	2990	चांदी का मंगलसूत्र	2990	सरायपाली
4			2395	साड़ी, कुर्ता, पैजामा, सेहरावर-वधुहेतु	2395	
5				निरंक		बसना
6				निरंक		सरायपाली

वर्ष 2024 - 25 में धान खरीदी केन्द्रों में गड़बड़ी और अनियमितता की प्राप्त शिकायत एवं उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	समिति का नाम	उपार्जन केंद्र का नाम	शिकायत प्राप्त		पाई गई अनियमितता/शिकायत का कारण				धान खरीदी		दोषी कर्मचारी		की गई कार्यवाही
			शिकायत प्राप्त दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	अधिक धान तौल	फर्जी पंजीयन	रकबा में वृद्धि	अन्य कारण	मात्रा (क्वेटल में)	राशि (लाख में)	नाम	पद	
1	बेमचा	बेमचा	23.11.2024	यादराम चंद्राकर, भरत चंद्राकर, रोहित चंद्राकर, शंकर चंद्राकर	धान में अधिक वजन की तौलाई	-	-	-	0	0	श्री पुरानिक लाल साहू	समिति प्रभारी	प्रथम दृष्टया प्रकरण संज्ञान में आने पर संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केंद्र प्रभारी पुराणिक लाल साहू को धान खरीदी के प्रभार से पृथक कर निलंबित किया
2	रिसिकेला	रिसिकेला	24.11.2024	आकस्मिक निरीक्षण	-	-	-	उपार्जित धान के स्टैक तैयार करने में लापरवाही बरती गई	0	0	श्री टिकेश्वर पटेल	लिपिक	प्रथम दृष्टया प्रकरण संज्ञान में आने पर संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केंद्र प्रभारी श्री टिकेश्वर पटेल को धान खरीदी के प्रभार से पृथक कर निलंबित किया
3	जंगलबेढा	जंगलबेढा	20.11.2024	कलेक्टर महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण	-	-	-	उपार्जित धान के स्टैक तैयार करने में लापरवाही बरती गई	0	0	श्री भोजराम प्रधान	कंप्यूटर आपरेटर	प्रथम दृष्टया प्रकरण संज्ञान में आने पर शाखा प्रबंधक द्वारा केंद्र प्रभारी भोजराम प्रधान को धान खरीदी के प्रभार से पृथक किया
4	खट्टी	परसदा (ख)	03.12.2024	सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी	-	-	-	किसानों से बगैर ऋण पुस्तिका के खरीदी किया जाना, स्टैक में किस्मवार प्रदर्शन नहीं किया जाना	0	0	श्री कृष्ण कुमार साहू	केंद्र प्रभारी	कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला महासमुंद द्वारा श्री कृष्ण कुमार साहू, केंद्र प्रभारी, परसदा (ख) समिति खट्टी को कारण बताओ नोटिस क्रमांक 423 दिनांक 14.02.2025 जारी किया गया है. प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	जाड़ागुड़ा	झारमुड़ा	-	मीडिया में प्रकाशित खबर	-	-	-	जाँच में धान 375.20 क्वेटल की कमी पाई गयी	0	0	श्री मोतिन प्रधान	केंद्र प्रभारी	कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला महासमुंद द्वारा धान उपार्जन केंद्र झारमुड़ा में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही हेतु उपायुक्त सहकारी संस्थाएँ जिला महासमुंद को पत्र प्रेषित किया गया है. प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वायत्त वार्षिक आपूर्ति एवं
1 उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पॉरीशेष्ट - अडसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1020) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	विकासखण्ड	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन विहीन	जर्जर	मरम्मत योग्य	किराये का भवन
1	2	3	7	4	5	6
1	बिल्हा	4 पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र के सामने	हां	-	-	हां
2	बिल्हा	14 सूर्या चौक चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
3	बिल्हा	97 लक्ष्मी चौक चिंगराजपारा	हां	हां	-	हां
4	बिल्हा	110 विश्वकर्मा चौक चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
5	बिल्हा	244 सुभाष चौक चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
6	बिल्हा	98 प्रभात चौक चिंगराजपारा	हां	हां	-	हां
7	बिल्हा	109 लवकुश नगर चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
8	बिल्हा	243 जय स्तंभ चौक चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
9	बिल्हा	149 नाग-नागिन तलाब के पास चिंगराजपारा	हां	-	-	-
10	बिल्हा	2 राजीव नगर चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
11	बिल्हा	15 स्कूल चौक चिंगराजपारा	हां	हां	-	हां
12	बिल्हा	96 गर्धव मोहल्ला चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
13	बिल्हा	150 कंदरू बाड़ी के पास चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
14	बिल्हा	151 लक्ष्मी चौक चिंगराजपारा	हां	-	-	-
15	बिल्हा	152 केला गोदाम के पास चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
16	बिल्हा	245 सूर्या चौक चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
17	बिल्हा	246 रामनगर चिंगराजपारा	हां	-	-	हां
18	बिल्हा	81 देवनंदन नगर फेस -1	हां	-	-	हां
19	बिल्हा	91 डबरी पारा चांटीडीह	हां	-	-	हां
20	बिल्हा	121 साइंस कालेज के सामने चांटीडीह	हां	-	-	हां
21	बिल्हा	248 प्राथमिक शाला स्कूल के पास	हां	-	-	हां
22	बिल्हा	155 शिवशक्ति मंदिर के पास चांटीडीह	हां	-	-	हां
23	बिल्हा	82 किसानपारा चांटीडीह	हां	-	-	हां
24	बिल्हा	84 संजयनगर चांटीडीह	हां	-	-	हां
25	बिल्हा	85 ईरानी मोहल्ला चांटीडीह	हां	-	-	हां
26	बिल्हा	83 स्कूल परिसर चांटीडीह	-	-	हां	-
27	बिल्हा	86 पठानपारा चांटीडीह	हां	-	-	हां
28	बिल्हा	87 मेलापारा चांटीडीह	हां	-	-	हां
29	बिल्हा	88 रामायण चौक के पास चांटीडीह	हां	-	-	हां
30	बिल्हा	153 सोनी धर्मशाला के सामने चांटीडीह	हां	-	-	हां
31	बिल्हा	154 संजयनगर चांटीडीह	हां	-	-	हां
32	बिल्हा	247 अशोकनगर चांटीडीह	हां	-	-	हां
33	बिल्हा	249 सब्जी मंडी चांटीडीह	हां	-	-	हां
34	बिल्हा	250 संतोषी मंदिर के पास चांटीडीह	हां	-	-	हां
35	बिल्हा	251 मेलापारा रोड चांटीडीह	हां	-	-	हां
36	बिल्हा	बहतराई 1	-	-	-	-
37	बिल्हा	बहतराई 2	-	-	हां	-
38	बिल्हा	बहतराई 3	हां	हां	-	हां
39	बिल्हा	बहतराई 4	-	-	हां	-
40	बिल्हा	बिजौर 1	-	-	हां	-
41	बिल्हा	बिजौर 2	-	-	हां	-
42	बिल्हा	परसाही	-	-	हां	-
43	बिल्हा	खमतराई 1	-	-	हां	-
44	बिल्हा	खमतराई 2	-	-	-	-
45	बिल्हा	खमतराई 3	-	-	हां	-
46	बिल्हा	खमतराई 4	-	-	-	-
47	बिल्हा	खमतराई 5	-	-	हां	-
48	बिल्हा	बैमा 1	-	-	हां	-
49	बिल्हा	बैमा 2	हां	हां	-	हां
50	बिल्हा	बैमा 3	-	-	हां	-
51	बिल्हा	बैमा 4	-	-	हां	-
52	बिल्हा	नगोई 1	-	-	हां	-
53	बिल्हा	नगोई 2	हां	-	-	हां
54	बिल्हा	नगोई 3	-	-	हां	-
55	बिल्हा	नगोई 4	हां	हां	-	हां
56	बिल्हा	नगोई 5	-	-	हां	-
57	बिल्हा	नगोई 6	-	-	-	-
58	बिल्हा	नगोई 7	-	-	हां	-

क्र	विकासखण्ड	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन विहीन	जर्जर	मरम्मत योग्य	किराये का भवन
59	बिल्हा	बेलतरा 1	-	-	-	-
60	बिल्हा	बेलतरा 2	-	-	-	-
61	बिल्हा	बेलतरा 3	-	-	हां	-
62	बिल्हा	बेलतरा 4	हां	-	-	-
63	बिल्हा	लिम्हा 1	-	-	-	-
64	बिल्हा	लिम्हा 2	-	-	हां	-
65	बिल्हा	लिम्हा 3	-	-	-	-
66	बिल्हा	लिम्हा 4	-	-	-	-
67	बिल्हा	सलखा 1	-	-	हां	-
68	बिल्हा	सलखा 2	-	-	हां	-
69	बिल्हा	कडरी 1	-	-	हां	-
70	बिल्हा	नगपुरा 1	-	-	हां	-
71	बिल्हा	नगपुरा 2	-	-	-	-
72	बिल्हा	बांका	-	-	-	-
73	बिल्हा	नान बांक	-	-	हां	-
74	बिल्हा	कोरबी 1	-	-	-	-
75	बिल्हा	हरदीपारा	-	-	-	-
76	बिल्हा	पथरापाली	-	-	-	-
77	बिल्हा	धौरामुड़ा 1	-	-	-	-
78	बिल्हा	बरपाली	-	-	-	-
79	बिल्हा	कोनी 1	हां	हां	-	-
80	बिल्हा	कोनी 2	-	-	-	-
81	बिल्हा	कोनी 3	-	-	-	-
82	बिल्हा	कोनी 4	-	-	हां	-
83	बिल्हा	कोनी 5	हां	-	-	हां
84	बिल्हा	कोनी 6	हां	-	-	हां
85	बिल्हा	कोनी 7	-	-	-	-
86	बिल्हा	रमतला 1	-	-	-	-
87	बिल्हा	रमतला 2	-	-	हां	-
88	बिल्हा	बिरकोना 1	हां	-	-	हां
89	बिल्हा	बिरकोना 2	-	-	हां	-
90	बिल्हा	बिरकोना 3	हां	-	-	हां
91	बिल्हा	बिरकोना 4	-	-	हां	-
92	बिल्हा	बिरकोना 5	-	-	हां	-
93	बिल्हा	बिरकोना 6	-	-	हां	-
94	बिल्हा	बिरकोना 7	-	-	हां	-
95	बिल्हा	बिरकोना 8	-	-	हां	-
96	बिल्हा	बिरकोना 9	-	-	हां	-
97	बिल्हा	मंगला बि 1	-	-	हां	-
98	बिल्हा	मंगला(बि) 2	-	-	हां	-
99	बिल्हा	मंगला(बि) 3	हां	-	-	हां
100	बिल्हा	मंगला(बि) 4	हां	-	-	हां
101	बिल्हा	मंगला (बि) 5	-	-	हां	-
102	बिल्हा	मंगला (बि) 6	हां	-	-	हां
103	बिल्हा	मंगला 7	हां	-	-	-
104	बिल्हा	मंगला(बि.) 8	हां	-	-	हां
105	बिल्हा	मंगला (बि) 9	हां	-	-	हां
106	बिल्हा	मंगला (बि) 10	हां	-	-	हां
107	बिल्हा	मंगला (बि) 11	हां	-	-	हां
108	बिल्हा	लिंगियाडीह 1	हां	-	-	हां
109	बिल्हा	लिंगियाडीह 2	हां	-	-	हां
110	बिल्हा	लिंगियाडीह 3	-	-	हां	-
111	बिल्हा	लिंगियाडीह 4	-	-	हां	-
112	बिल्हा	लिंगियाडीह 5	हां	-	-	हां
113	बिल्हा	लिंगियाडीह 6	-	-	हां	-
114	बिल्हा	लिंगियाडीह 7	-	-	-	-
115	बिल्हा	लिंगियाडीह 8	हां	-	-	हां
116	बिल्हा	लिंगियाडीह 9	हां	-	-	हां
117	बिल्हा	लिंगियाडीह 10	हां	-	-	हां
118	बिल्हा	लिंगियाडीह 11	-	-	-	-

क्र	विकासखण्ड	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन विहीन	जर्जर	मरम्मत योग्य	किराये का भवन
119	बिल्हा	लिंगियाडीह 12	हाँ	-	-	हाँ
120	बिल्हा	लिंगियाडीह 13	हाँ	हाँ	-	-
121	बिल्हा	लिंगियाडीह 14	-	-	-	-
122	बिल्हा	लिंगियाडीह 15	हाँ	-	-	हाँ
123	बिल्हा	चिल्हाटी 1	-	-	-	-
124	बिल्हा	चिल्हाटी 2	-	-	-	-
125	बिल्हा	चिल्हाटी 3	-	-	हाँ	-
126	बिल्हा	खैरा(ल) 1	-	-	हाँ	-
127	बिल्हा	खैरा ल 2	-	-	हाँ	-
128	बिल्हा	खैरा ल 3	-	-	-	-
129	बिल्हा	फरहदा 1	-	-	हाँ	-
130	बिल्हा	फरहदा 2	-	-	हाँ	-
131	बिल्हा	फरहदा 3	-	-	हाँ	-
132	बिल्हा	सेंदरी 1	-	-	-	-
133	बिल्हा	सेंदरी 2	हाँ	-	-	-
134	बिल्हा	सेंदरी 3	-	-	-	-
135	बिल्हा	सेंदरी 4	-	-	-	-
136	बिल्हा	सेमरी	-	-	-	-
137	बिल्हा	गौंदईया 1	-	-	-	-
138	बिल्हा	गाँदईया 2	-	-	-	-
139	बिल्हा	गाँदईया 3	हाँ	-	-	हाँ
140	बिल्हा	मोहतराई	-	-	हाँ	-
141	बिल्हा	चमकवा	-	-	-	-
142	बिल्हा	पेण्डरवा(उ)	हाँ	हाँ	-	-
143	बिल्हा	लच्छनपुर	-	-	हाँ	-
144	बिल्हा	लोफंदी 1	-	-	-	-
145	बिल्हा	लोफंदी 2	-	-	-	-
146	बिल्हा	लोफन्दी 3	-	-	-	-
147	बिल्हा	लोफन्दी 4	-	-	-	-
148	बिल्हा	कछार 1	-	-	हाँ	-
149	बिल्हा	कछार 2	-	-	-	-
150	बिल्हा	कछार 3	-	-	-	-
151	बिल्हा	अतमरा	-	-	हाँ	-
152	बिल्हा	गतौरी 1	-	-	-	-
153	बिल्हा	गतौरी 2	-	-	-	-
154	बिल्हा	नवगवां	-	-	-	-
155	बिल्हा	भरारी 1	-	-	हाँ	-
156	बिल्हा	भरारी 2	-	-	हाँ	-
157	बिल्हा	भरारी 3	-	-	हाँ	-
158	बिल्हा	सेमरताल 1	-	-	-	-
159	बिल्हा	सेमरताल 2	-	-	-	-
160	बिल्हा	सेमरताल 3	-	-	हाँ	-
161	बिल्हा	सेमरताल 4	-	-	-	-
162	बिल्हा	सेमरताल 5	-	-	हाँ	-
163	बिल्हा	सेमरताल 6	-	-	-	-
164	बिल्हा	सेमरताल 7	हाँ	-	-	-
165	बिल्हा	जलसो 1	-	-	-	-
166	बिल्हा	जलसो 2	-	-	हाँ	-
167	बिल्हा	जलसो 3	-	-	हाँ	-
168	बिल्हा	जलसो 4	-	-	-	-
169	बिल्हा	जलसो 5	-	-	हाँ	-
170	बिल्हा	पौसरा 1	-	-	-	-
171	बिल्हा	पौसरा 2	-	-	-	-
172	बिल्हा	पौसरा 3	-	-	-	-
173	बिल्हा	पौसरा 4	-	-	-	-
174	बिल्हा	पौसरा 5	-	-	हाँ	-
175	बिल्हा	पौसरा 6	हाँ	-	-	-
176	बिल्हा	पौसरा 7	-	-	हाँ	-
177	बिल्हा	पौसरा 8	-	-	हाँ	-
178	बिल्हा	परसदा 1	-	-	-	-

क्र	विकासखण्ड	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन विहीन	जर्जर	मरम्मत योग्य	किराये का भवन
179	बिल्हा	परसदा 2	-	-	-	-
180	बिल्हा	परसदा 3	-	-	-	-
181	बिल्हा	परसौड़ी 1	-	-	-	-
182	बिल्हा	परसौड़ी 2	-	-	हां	-
183	बिल्हा	सेमरा 1	-	-	हां	-
184	बिल्हा	सेमरा 2	-	-	हां	-
185	बिल्हा	सेमरा 3	-	-	-	-
186	बिल्हा	उच्चभटटी 1	-	-	-	-
187	बिल्हा	उच्चभटटी 2	-	-	-	-
188	बिल्हा	उच्चभटटी 3	हां	हां	-	-
189	बिल्हा	निपनिया 1	-	-	हां	-
190	बिल्हा	निपनिया 2	-	-	-	-
191	बिल्हा	भिल्मी	-	-	हां	-
192	बिल्हा	गोपालपुर	-	-	हां	-
193	बिल्हा	बिटकली 1	हां	हां	-	-
194	बिल्हा	बिटकली 2	हां	-	-	हां
195	बिल्हा	बिटकली 3	हां	-	-	हां
196	बिल्हा	रामपुर 1	हां	हां	-	-
197	बिल्हा	रामपुर 2	हां	-	-	हां
198	बिल्हा	करमा	-	-	हां	-
199	बिल्हा	बसहा 1	-	-	-	-
200	बिल्हा	बसहा 2	-	-	हां	-
201	बिल्हा	बसहा 3	-	-	हां	-
202	बिल्हा	मंजूरपहरी	-	-	हां	-
203	बिल्हा	बम्हनीखुर्द	-	-	-	-
204	बिल्हा	नेवसा 1	-	-	हां	-
205	बिल्हा	नेवसा 2	हां	हां	-	-
206	बिल्हा	नेवसा 3	-	-	हां	-
207	बिल्हा	नेवसा 4	-	-	हां	-
208	बिल्हा	भाडी 1	-	-	हां	-
209	बिल्हा	भाडी 2	-	-	हां	-
210	बिल्हा	भाडी 3	-	-	-	-
211	बिल्हा	बाम्ह 1	-	-	हां	-
212	बिल्हा	बाम्ह 2	-	-	हां	-
213	बिल्हा	गिधौरी 1	-	-	हां	-
214	बिल्हा	गिधौरी 2	-	-	-	-
215	बिल्हा	टेकर 1	-	-	-	-
216	बिल्हा	टेकर 2	-	-	-	-
217	बिल्हा	टेकर 3	-	-	हां	-
218	बिल्हा	डगनिया 1	-	-	-	-
219	बिल्हा	डगनिया 2	-	-	हां	-
220	बिल्हा	खैरा(ड) 1	-	-	-	-
221	बिल्हा	खैरा(ड) 2	-	-	हां	-
222	बिल्हा	सेलर 1	-	-	हां	-
223	बिल्हा	सेलर 2	-	-	-	-
224	बिल्हा	सेलर 3	-	-	हां	-
225	बिल्हा	सेलर 4	-	-	-	-
226	बिल्हा	सेलर 5	-	-	-	-
227	बिल्हा	सेलर 6	-	-	हां	-
228	बिल्हा	सेलर 7	-	-	-	-
229	बिल्हा	सेलर 8	-	-	हां	-
230	बिल्हा	लखराम 1	हां	हां	-	हां
231	बिल्हा	लखराम 2	-	-	हां	-
232	बिल्हा	लखराम 3	-	-	हां	-
233	बिल्हा	लखराम 4	-	-	हां	-
234	बिल्हा	लखराम 5	-	-	हां	-
235	बिल्हा	लखराम 6	-	-	-	-
236	बिल्हा	सिंघरी 1	-	-	हां	-
237	बिल्हा	सिंदयरी 2	-	-	-	-
238	बिल्हा	सिंघरी 3	-	-	हां	-

क्र	विकासखण्ड	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन विहीन	जर्जर	मरम्मत योग्य	किराये का भवन
239	बिल्हा	सिंधरी 4	-	-	हां	-
240	बिल्हा	सिंधरी 5	-	-	-	-
241	बिल्हा	मदनपुर 1	-	-	हां	-
242	बिल्हा	मदनपुर 2	-	-	-	-
243	बिल्हा	मदनपुर 3	-	-	हां	-
244	बिल्हा	भरवीडीह 1	-	-	हां	-
245	बिल्हा	भरवीडीह 2	-	-	हां	-
246	बिल्हा	भरवीडीह 3	-	-	हां	-
247	बिल्हा	सरवनदेवरी 1	-	-	हां	-
248	बिल्हा	अकलतरी 1	-	-	हां	-
249	बिल्हा	अकलतरी 2	-	-	हां	-
250	बिल्हा	अकलतरी 3	-	-	हां	-
251	बिल्हा	गढ़वट 1	हां	हां	-	हां
252	बिल्हा	गढ़वट 2	-	-	हां	-
253	बिल्हा	गढ़वट 3	-	-	-	-
254	बिल्हा	खैरखंडी 1	हां	हां	-	हां
255	बिल्हा	चोरहादेवरी 1	-	-	-	-
256	बिल्हा	चोरहादेवरी 2	-	-	हां	-
257	बिल्हा	मटियारी 1	-	-	हां	-
258	बिल्हा	मटियारी 2	-	-	-	-
259	बिल्हा	मटियारी 3	-	-	हां	-
260	बिल्हा	मटियारी 4	-	-	हां	-
261	बिल्हा	मटियारी 5	-	-	हां	-
262	बिल्हा	मटियारी 6	हां	-	-	-
263	बिल्हा	मोहरा 1	-	-	हां	-
264	बिल्हा	मोहरा 2	-	-	हां	-
265	बिल्हा	मोहरा 3	-	-	-	-
266	बिल्हा	लगरा 1	-	-	हां	-
267	बिल्हा	लगरा 2	-	-	-	-
268	बिल्हा	मोपका 1	-	-	हां	-
269	बिल्हा	मोपका 2	-	-	हां	-
270	बिल्हा	मोपका 3	-	-	हां	-
271	बिल्हा	मोपका 4	-	-	हां	-
272	बिल्हा	मोपका 5	-	-	हां	-
273	बिल्हा	मोपका 6	-	-	हां	-
274	बिल्हा	मोपका 7	-	-	हां	-
275	बिल्हा	मोपका 8	-	-	हां	-
276	बिल्हा	मोपका 9	-	-	हां	-
277	बिल्हा	उर्तुम 1	-	-	-	-
278	बिल्हा	उर्तुम 2	-	-	हां	-
279	बिल्हा	हरदोडीह	-	-	हां	-
280	कोटा	रानीगांव-1	हां	हां	-	-
281	कोटा	रानीगांव-2	हां	हां	-	-
282	कोटा	रानीगांव 3 आवासपारा	-	-	हां	-
283	कोटा	रानीगांव 4	-	-	-	-
284	कोटा	कलमीटार 1	हां	हां	-	-
285	कोटा	कलमीटार 2	-	-	-	-
286	कोटा	डबरीपारा (कलमी)	-	-	हां	-
287	कोटा	जंजीराडीह	-	-	हां	-
288	कोटा	जाली-1	हां	हां	-	-
289	कोटा	जाली-2	-	-	हां	-
290	कोटा	नवागाव करी	हां	हां	-	-
291	कोटा	आवासपारा नवागांव	-	-	हां	-
292	कोटा	खैरवारपार	-	-	-	-
293	कोटा	खूटाडीह	-	-	हां	-
294	कोटा	करी	हां	हां	-	-
295	कोटा	मेलनाडीह	-	-	हां	-
296	कोटा	भाठापारा करी	-	-	हां	-
297	कोटा	रैनपुर	-	-	हां	-
298	कोटा	सीस -1	-	-	हां	-

क्र	विकासखण्ड	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन विहीन	जर्जर	मरम्मत योग्य	किराये का भवन
299	कोटा	सीस -2	-	-	-	-
300	कोटा	सावपारा	-	-	-	-
301	कोटा	जनकपुर	हाँ	-	-	हाँ
302	कोटा	रमदेई 1	हाँ	हाँ	-	हाँ
303	कोटा	रमदेई 2	-	-	-	-
योग:-		303	85	23	130	64

पंरीशेष्ट - उनहत्तर

अतारीकेत प्रश्न संख्या 47 (क. 1082) की जानकारी

प्रपत्र

राज्य के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 01 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक प्राप्त शिकायत/दर्ज प्रकरण एवं निराकृत प्रकरण की जिलेवार जानकारी

क्रमांक	उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	01 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक दर्ज प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या
1	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	906	384
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग			
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर	487	9
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बिलासपुर	290	44
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दुर्ग	337	15
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजनांदगांव	185	39
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सरगुजा अंबिकापुर	101	46
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सूरजपुर	29	2
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बस्तर-जगदलपुर	95	19
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़	149	20
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरिया-बैकुंठपुर	76	25
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जशपुर	34	9
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर चांपा	154	70
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग मुंगेली	12	2
13	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा	133	37
14	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कबीरधाम	29	8
15	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धमतरी	49	11
16	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग महासमुंद	83	9
17	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कांकेर	70	17
18	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दंतेवाडा	12	2
19	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गरियाबंद	10	2
20	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद	40	3
21	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलोदावाजार	32	0
योग		2407	389

अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य न्यायिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 भुवनेश्वर

परिशेष - सत्र

अतारोकेत प्रश्न संख्या 48 (क. 1083) की जानकारी


प्रपत्र

महासमुन्द जिले में समाज कल्याण विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी,
योजनावार, मदवार, एवं लाभान्वितों की जानकारी

क्रमांक	योजना का नाम	मद	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना	80-2235-60-198-0701-7340-14-011-V	483
		81-2235-60-192-0701-7340-14-011-V	61
		81-2235-60-193-0701-7340-14-011-V	67
		15-2235-60-198-0703-7340-14-011-V	103
		53-2235-60-192-0703-7340-14-011-V	17
		53-2235-60-193-0703-7340-14-011-V	13
		82-2235-60-198-0702-7340-14-011-V	195
		83-2235-60-192-0702-7340-14-011-V	27
		83-2235-60-193-0702-7340-14-011-V	24
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	80-2235-60-198-0701-7336-14-011-V	5060
		15-2235-60-198-0703-7336-14-011-V	1107
		53-2235-60-192-0703-7336-14-011-V	224
		53-2235-60-193-0703-7336-14-011-V	51
		82-2235-60-198-0702-7336-14-011-V	1829
		83-2235-60-192-0702-7336-14-011-V	363
		83-2235-60-193-0702-7336-14-011-V	83
		81-2235-60-192-0701-7336-14-011-V	992
		81-2235-60-193-0701-7336-14-011-V	279
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	80-2235-60-198-0701-5401-14-011-V	17191
		81-2235-60-192-0701-5401-14-011-V	1374
		81-2235-60-193-0701-5401-14-011-V	481
		82-2235-60-198-0702-5401-14-011-V	8200
		83-2235-60-192-0702-5401-14-011-V	512
		83-2235-60-193-0702-5401-14-011-V	165
		15-2235-60-198-0703-5401-14-011-V	6577
		53-2235-60-192-0703-5401-14-011-V	304
		53-2235-60-193-0703-5401-14-011-V	75

क्रमांक	योजना का नाम	मद	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
4	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	80-2235-60-198-0101-7921-14-011-V	18431
		81-2235-60-192-0101-7921-14-011-V	682
		81-2235-60-193-0101-7921-14-011-V	185
5	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	81-2235-60-192-0000-9142-14-011-V	1490
		81-2235-60-193-0000-9142-14-011-V	578
		80-2235-60-198-0000-9142-14-011-V	22736
6	सुखद सहारा योजना	80-2235-60-198-0000-4858-14-011-V	7514
		81-2235-60-192-0000-4858-14-011-V	1350
		81-2235-60-193-0000-4858-14-011-V	369
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	15-2235-60-198-0703-5397-14-011-V	2
		80-2235-60-198-0701-5397-14-011-V	18
		81-2235-60-193-0701-5397-14-011-V	20
		82-2235-60-198-0702-5397-14-011-V	8
		83-2235-60-193-0702-5397-14-011-V	1
		83-2235-60-192-0702-5397-14-011-V	5
		81-2235-60-192-0701-5397-14-011-V	70
53-2235-60-192-0703-5397-14-011-V	10		
8	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	41-2235-02-101-0102-3923-14-012-V	57
		64-2235-02-200-0103-9605-14-012-V	3
9	सामर्थ्य विकास योजना	34-2235-02-101-0000-6902-14-012	15
		34-2235-02-101-0000-6902-17-000	0
10	दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना	34-2235-02-101-0101-0075-11-001-V	369
		41-2235-02-101-0102-0075-11-001-V	150
		64-2235-02-101-0103-0075-11-003-V	109
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	34-2235-02-101-0101-7740-14-012-V	12
12	दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना	34-2235-02-101-0101-7735-11-003-V	18

क्रमांक	योजना का नाम	मद	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
13	दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	34-2235-02-101-0101-7737-11-003-V	0
14	दिव्यांग छात्रगृह योजना	34-2235-02-101-0101-7739-11-003-V	0
15	दिव्यांगजनों हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्वैच्छिक संस्थाओं का राज्य अनुदान)	34-2235-02-104-0101-5257-14-006-V	65
		34-2235-02-104-0101-7014-14-012-V	57
16	वृद्धाश्रम	34-2235-02-104-0101-(7014)-14-012-	21
17	भारत माता वाहिनी (नशामुक्ति केन्द्र)	-34-2235-02-105-0101-(6497) -14 -012-	180


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 समाज कल्याण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैटरी चलित ट्रायसायकल/सामान्य ट्रायसायकल
वितरण की जानकारी

—:0:—

क्रमांक	उपकरण का नाम	हितग्राही को प्रदाय दिनांक
1.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	27.04.2022
2.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	10.06.2022
3.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	10.06.2022
4.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	10.06.2022
5.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	10.06.2022
6.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	20.07.2022
7.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	22.07.2022
8.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	02.08.2022
9.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	05.08.2022
10.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	05.08.2022
11.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	07.09.2022
12.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	07.09.2022
13.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	07.09.2022
14.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	14.09.2022
15.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	15.09.2022
16.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	18.09.2022
17.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	18.09.2022
18.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	28.10.2022
19.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	03.11.2022
20.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	13.12.2022
21.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	28.03.2023
22.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	28.03.2023
23.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	28.03.2023
24.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	05.04.2023
25.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	15.12.2023
26.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	26.12.2023
27.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	05.01.2024
28.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	19.01.2024
29.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	24.01.2024
30.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	29.01.2024
31.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	31.01.2024
32.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	19.02.2024
33.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	04.03.2024
34.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	11.03.2024
35.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	11.03.2024
36.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	14.03.2024

37.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	15.03.2024
38.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	15.03.2024
39.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	10.06.2024
40.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	13.09.2024
41.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	13.09.2024
42.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	22.10.2024
43.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	30.09.2022
44.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	29.09.2022
45.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	28.03.2023
46.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	28.03.2023
47.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	28.03.2023
48.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	01.06.2023
49.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	12.09.2023
50.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	06.10.2023
51.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	06.10.2023
52.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	06.10.2023
53.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	06.10.2023
54.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	01.02.2024
55.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	10.06.2024
56.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	10.12.2024
57.	बैटरी चलित ट्रायसायकल	15.03.2024
58.	ट्रायसायकल	10.06.2022
59.	ट्रायसायकल	10.06.2022
60.	ट्रायसायकल	10.06.2022
61.	ट्रायसायकल	10.06.2022
62.	ट्रायसायकल	10.06.2022
63.	ट्रायसायकल	10.06.2022
64.	ट्रायसायकल	10.06.2022
65.	ट्रायसायकल	10.06.2022
66.	ट्रायसायकल	07.09.2022
67.	ट्रायसायकल	09.09.2022
68.	ट्रायसायकल	16.09.2022
69.	ट्रायसायकल	16.09.2022
70.	ट्रायसायकल	16.09.2022
71.	ट्रायसायकल	26.09.2022
72.	ट्रायसायकल	11.11.2022
73.	ट्रायसायकल	15.11.2022
74.	ट्रायसायकल	15.12.2022
75.	ट्रायसायकल	20.12.2022
76.	ट्रायसायकल	21.02.2023
77.	ट्रायसायकल	28.03.2023
78.	ट्रायसायकल	28.03.2023

79.	ट्रायसायकल	28.03.2023
80.	ट्रायसायकल	28.03.2023
81.	ट्रायसायकल	28.03.2023
82.	ट्रायसायकल	10.04.2023
83.	ट्रायसायकल	10.04.2023
84.	ट्रायसायकल	10.04.2023
85.	ट्रायसायकल	12.04.2023
86.	ट्रायसायकल	17.04.2023
87.	ट्रायसायकल	25.04.2023
88.	ट्रायसायकल	27.04.2023
89.	ट्रायसायकल	04.07.2023
90.	ट्रायसायकल	07.08.2023
91.	ट्रायसायकल	05.09.2023
92.	ट्रायसायकल	07.02.2024
93.	ट्रायसायकल	30.07.2024
94.	ट्रायसायकल	08.08.2024
95.	ट्रायसायकल	12.08.2024
96.	ट्रायसायकल	20.08.2024
97.	ट्रायसायकल	13.09.2024
98.	ट्रायसायकल	27.09.2024
99.	ट्रायसायकल	20.11.2024
100.	ट्रायसायकल	27.12.2024
101.	ट्रायसायकल	28.03.2023
102.	ट्रायसायकल	28.03.2023
103.	ट्रायसायकल	10.06.2022
104.	ट्रायसायकल	28.03.2023
105.	ट्रायसायकल	27.08.2024
106.	ट्रायसायकल	10.06.2022
107.	ट्रायसायकल	28.03.2023
108.	ट्रायसायकल	28.03.2023
109.	ट्रायसायकल	10.04.2023
110.	ट्रायसायकल	19.04.2023
111.	ट्रायसायकल	04.07.2023
112.	ट्रायसायकल	16.01.2024
113.	ट्रायसायकल	27.08.2024
114.	ट्रायसायकल	30.09.2024
115.	ट्रायसायकल	07.10.2024


 भवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 समाज कल्याण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - बहत्तर

अतारोकेत प्रश्न संख्या 51 (क्र. 1095) की जानकारी

प्रपत्र - अ

गुंडरदेही विधानसभा की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विधान सभा	विकासखण्ड का नाम	मार्च में आवेदन किये गए हितग्राही	अद्यतन स्थिति में पात्र हितग्राही	अपात्र हितग्राहियों
1	गुण्डरदेही	डोंडीलोहारा	27300	26915	385
2		गुण्डरदेही	64554	63953	601
योग			91854	90868	986

महतारी वंदन योजना का लाभ लिए जाने हेतु शर्तें

योजनांतर्गत पात्रता के मापदण्ड:-

योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो -

- विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
- आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

योजनांतर्गत अपात्रता के मापदण्ड:-

योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी -

- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में स्थायी /अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड , निगम, मण्डल के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।

प्रपत्र

प्रदेश के थर्ड जेंडर समुदाय के सशक्तिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2025 तक प्रावधानित बजट, व्यय की वर्षवार, योजनावार, कार्यक्रम दिनांकवार एवं एजेंसियों को की गयी भुगतान की जानकारी योजना का नाम :- उभयलिंगी व्यक्तियों से सम्बंधित कार्यक्रम एवं योजनायें

क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय की वर्षवार, योजनावार, कार्यक्रमवार जानकारी				
		कार्यक्रम	कार्यक्रम दिनांक	व्यय	एजेंसी का नाम	भुगतान राशि
वित्तीय वर्ष 2021-22						
1	76,30,000/-	सम्मेलन, कार्यशाला सह प्रशिक्षण, सर्वेक्षण एवं कार्यालयीन व्यय	3/3/2021	13,43,539/-	कल्पना प्रिंटिंग प्रेस बलरामपुर	6,000/-
					श्री राम कृष्ण मिल्स बलरामपुर	12,000/-
					कार्यालयीन व्यय-प्रशिक्षक का मानदेय/वाहन किराया	12,000/-
					सिया इंडस्ट्रीज विलासपुर	33,800/-
					एस.एस. एण्ड संस विलासपुर	17,370/-
					इंडियन कॉफी हाऊस	3,465/-
					पार्थ ग्राफिक्स विलासपुर	8,602/-
					माधव ट्रेडर्स विलासपुर	11,700/-
					सन प्रिंटर्स विलासपुर	8,512/-
					प्रीत टेन्ट हाऊस विलासपुर	30,066/-
			24/11/2021		सिमर केटर्स विलासपुर	65,100/-
					छेदी साऊंड विलासपुर	39,235/-
					हरिओम मेडिकल विलासपुर	15,398/-
			1/12/2021		सिद्धी विनायक इंडस्ट्रिस विलासपुर	9,135/-

//2...

अतिरिक्त प्रश्न संख्या 53 (फ. 1099) की जानकारी

गरीशम - निरंतर

//2//

क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय की वर्षवार, योजनावार, कार्यक्रमवार जानकारी				
		कार्यक्रम	कार्यक्रम दिनांक	व्यय	एजेंसी का नाम	शुगतान राशि
		सम्मेलन, कार्यशाला सह प्रशिक्षण, सर्वेक्षण एवं कार्यालयीन व्यय	1/12/2021		पार्थ ग्राफिक्स विलासपुर	8,602 /-
					सन प्रिंटर्स विलासपुर	19,523 /-
					माधव ट्रेडर्स विलासपुर	5,680 /-
					आर्ची फ्लावर्स विलासपुर	7,261 /-
					प्रीत टेन्ट हाऊस विलासपुर	51,448 /-
					सिमर केटर्स विलासपुर	48,552 /-
				12/12/2021	छ.ग. मितवा संकल्प समिति, रायपुर	70,000 /-
				31/12/2021	इंडियन कॉफी हाउस-रायपुर	4,725 /-
				11/1/2022	राय किराना स्टोर्स-रायपुर	7,260 /-
				12/1/2022		4,440 /-
				25/1/2022	ए.ए. ट्रेडिंग कम्पनी माना कैम्प-रायपुर	8,040 /-
				28/1/2022	रायपुर ट्रेडिंग-रायपुर	3,563 /-
				2/1/2022		47,037 /-
				2/2/2022		45,540 /-
				3/2/2022	सप्त सागर बैग हाउस एण्ड स्टेशनरी-रायपुर	46,016 /-
				3/2/2022		40,746 /-
				7/2/2022		48,132 /-
				12/2/2022	मेसर्स देव टेंट एण्ड केटरिंग जगदलपुर	99,810 /-
			16/2/2022	सप्त सागर बैग हाउस एण्ड स्टेशनरी-रायपुर	45,577 /-	
			17/2/2022		30,590 /-	
			18/2/2022	तिवारी फोटोकापी एण्ड कम्प्यूटर-रायपुर	15,350 /-	

//3...

11311

क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय की वर्षवार, योजनावार, कार्यक्रमवार जानकारी				
		कार्यक्रम	कार्यक्रम दिनांक	व्यय	एजेंसी का नाम	भुगतान राशि
		सम्मेलन, कार्यशाला सह प्रशिक्षण, सर्वेक्षण एवं कार्यालयीन व्यय	28/2/2022		दुर्ग शामियाना दुर्ग	70,000 /-
			3/3/2022		रूद्रा ग्राफिक्स दुर्ग	10,000 /-
					मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत-मुंगेली, पथरिया एवं लोरमी	60,000 /-
					जिला स्तर कार्यालयीन व्यय मुंगेली	20,000 /-
					व्यापक इंटरप्राइजेस-रायपुर	1,99,939 /-
22/3/2022	साईवर नेट-रायपुर	53,325 /-				
वित्तीय वर्ष 2022-23						
2	63,30,000 /-		27/9/2022	28,19,677 /-	तिवारी फोटोकॉपी एण्ड कम्प्यूटर-रायपुर	23,510 /-
			27/9/2022		सप्त सागर वैग हाउस एण्ड स्टेशनरी-रायपुर	49,495 /-
			28/9/2022		मोती महल विकानेर मिष्ठान भण्डार-रायपुर	1,37,025 /-
			30/9/2022		सप्त सागर वैग हाउस एण्ड स्टेशनरी-रायपुर	22,080 /-
			6/10/2022		केवल शांति इन्टरप्राइजेस-रायपुर	38,115 /-
			12/10/2022		तिवारी फोटोकॉपी एण्ड कम्प्यूटर-रायपुर	6,000 /-
			10/11/2022		महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, रायपुर	25,000 /-
			18/11/2022		ओम टेंट एण्ड केटरिंग, धमतरी	51,870 /-
				शिवा ट्रेवल्स धमतरी	2,500 /-	

114...

क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय की वर्षवार, योजनावार, कार्यक्रमवार जानकारी				
		कार्यक्रम	कार्यक्रम दिनांक	व्यय	एजेंसी का नाम	भुगतान राशि
		सम्मेलन, कार्यशाला सह प्रशिक्षण, सर्वेक्षण एवं कार्यालयीन व्यय	18/11/2022		श्रीमती हीना कौशर (एडवोकेट), धमतरी	11,350 /-
					अरिहंत मेटल, धमतरी	14,580 /-
					कीर्ति प्रिन्टर्स एण्ड इन्टरप्राईस, धमतरी	15,700 /-
					मुस्कान डिजिटल फोटो स्टुडियो एवं विडियो शूटिंग, धमतरी	4,000 /-
				28/11/2022	सप्त सागर वैग हाउस एण्ड स्टेशनरी-रायपुर	11,989 /-
					सिमर केटर्स विलासपुर	46,463 /-
				3/12/2022	प्रीत टेन्ट हाऊस विलासपुर	11,989 /-
					एस.एस. एण्ड संस विलासपुर	31,956 /-
					श्री लाईट एण्ड साऊंड सर्विस विलासपुर	9,592 /-
				20/12/2022	सप्त सागर वैग हाउस एण्ड स्टेशनरी-रायपुर	79,989 /-
					लोक निर्माण विभाग	50,000 /-
					केवल शांति इन्टरप्राईजेस-रायपुर	2,99,807 /-
					मेसर्स व्यापक इंटरप्राईजेस रायपुर	35,568 /-
				27/2/2023	सप्त सागर वैग हाउस एण्ड स्टेशनरी-रायपुर	3,93,061 /-
					केवल शांति इन्टरप्राईजेस-रायपुर	94,098 /-
				श्रीराम प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनरी-रायपुर	27,730 /-	
			27/2/2023	व्यापक इंटरप्राईजेस-रायपुर	12,97,410 /-	


//5...

//5//

क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय की वर्षवार, योजनावार, कार्यक्रमवार जानकारी					शुगतान राशि
		कार्यक्रम	कार्यक्रम दिनांक	व्यय	एजेंसी का नाम		
वित्तीय वर्ष 2023-24							
3	89,30,000 /-	सम्मेलन, कार्यशाला सह प्रशिक्षण, सर्वेक्षण एवं कार्यालयीन व्यय	20/11/2023	25,87,012 /-	मेसर्स नेशनल इंटर प्राईजेस दुर्ग	2,84,380 /-	
			3/3/2024		दुर्ग शामियाना दुर्ग	1,98,000 /-	
			4/3/2024		पदमावती प्रिन्टर्स दुर्ग	17,450 /-	
			5/3/2024		मेसर्स सनमून इन्टरप्राईजेस-रायपुर	43,070 /-	
			11/3/2024		सप्त सागर वैग हाउस एण्ड स्टेशनरी-रायपुर	4,12,082 /-	
			12/3/2024		तिवारी फोटोकॉपी एण्ड कम्प्यूटर-रायपुर	12,300 /-	
			13/3/2024		मेसर्स सनमून इन्टरप्राईजेस-रायपुर	46,610 /-	
			19/3/2024		मेसर्स सनमून इन्टरप्राईजेस-रायपुर	44,840 /-	
					मेसर्स सनमून इन्टरप्राईजेस-रायपुर	46,020 /-	
					सप्त सागर वैग हाउस एण्ड स्टेशनरी-रायपुर	34,288 /-	
					व्यापक इंटरप्राईजेस-रायपुर	3,00,000 /-	
					मेसर्स सनमून इन्टरप्राईजेस-रायपुर	48,380 /-	
					व्यापक इंटरप्राईजेस-रायपुर	7,99,592 /-	
	कार्यालय व्यय	3,00,000 /-					

1/6/1-

क्रमांक	बजट प्रावधान	व्यय की वर्षवार, योजनावार, कार्यक्रमवार जानकारी					भुगतान राशि
		कार्यक्रम	कार्यक्रम दिनांक	व्यय	एजेंसी का नाम		
वित्तीय वर्ष 2024-25							
4	89,30,000 /-	सम्मेलन, कार्यशाला सह प्रशिक्षण, सर्वेक्षण एवं कार्यालयीन व्यय	7/8/2024	3,74,959 /-	छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति-रायपुर	1,40,000 /-	
			8/8/2024			1,80,000 /-	
			13/9/2024			54,959 /-	
					एस.ए.केटर्स एण्ड टेंट, रायपुर		


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 समाज कल्याण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरेशिष्ट - चोहत्तर

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 54 (क्र. 1103) को जानकारों

प्रपत्र

क्र	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र	भवनयुक्त आंगनबाड़ी केन्द्र	किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र
1	कवर्धा	107	93	6
2	पंडरिया	536	425	73
3	सहसपुर लोहारा	135	119	3
योग		778	637	82

पारिशेष - पचहत्तर

अतारोकेत प्रश्न संख्या 55 (क्र. 1104) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र खुज्जी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कार्यकर्ता/सहायिका के भरे, रिक्त पदों की विकासखण्डवार, परियोजनावार जानकारी

क्र.	परियोजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता		आंगनबाड़ी सहायिका	
				भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद
1	अं. चौकी	अं. चौकी	153	152	1	153	0
2	छुरिया-01	छुरिया	207	206	1	206	1
3	छुरिया-02	छुरिया	182	181	1	182	0

पॉरीशेष्ट - छिहत्तर

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 56 (क्र. 1105) की जानकारी

प्रपत्र- 'अ'

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31.012025 तक दिव्यांगजनों से बैटरी चलित ट्रायसायकल/ सामान्य ट्रायसायकल हेतु प्राप्त आवेदन एवं वितरण की तिथिवार व ग्रामवार जानकारी वर्ष :- 2021-22

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	उपकरण का नाम	प्राप्त आवेदन की संख्या	वितरण संख्या	वितरण दिनांक
1	छुरिया	बैटरी चलित ट्रायसायकल	7	7	04.08.2021
2		सामान्य ट्रायसायकल	1	1	23.07.2021
3			1	1	27.07.2021
4			25	25	04.08.2021
5			1	1	18.01.2022
6			1	1	07.03.2022
7			1	1	09.03.2022
8	अम्बागढ़-चौकी	बैटरी चलित ट्रायसायकल	4	4	19.01.2021
9		सामान्य ट्रायसायकल	16	16	19.01.2021
योग			57	57	—

वर्ष :- 2022-23


क्र.	जनपद पंचायत का नाम	उपकरण का नाम	प्राप्त आवेदन की संख्या	वितरण संख्या	वितरण दिनांक
1	छुरिया	बैटरी चलित ट्रायसायकल	3	3	12.11.2022
2			1	1	21.11.2022
3			1	1	08.12.2022
4			1	1	16.12.2022
5		सामान्य ट्रायसायकल	2	2	20.04.2022
6			2	2	26.04.2022
7			1	1	23.05.2022
8			2	2	20.06.2022
9			2	2	12.07.2022
10			1	1	05.01.2023
11			1	1	10.03.2023
12	अम्बागढ़-चौकी	बैटरी चलित ट्रायसायकल	11	11	10.01.2023
13		सामान्य ट्रायसायकल	14	14	10.01.2023
योग			42	42	—

वर्ष :- 2023-24

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	उपकरण का नाम	प्राप्त आवेदन की संख्या	वितरण संख्या	वितरण दिनांक
1	छुरिया	बैटरी चलित ट्रायसायकल	1	1	10.11.2023
2		सामान्य ट्रायसायकल	2	2	06.05.2023
3			1	1	30.05.2023
4			3	3	15.06.2023
5			4	4	16.02.2024
6	अम्बागढ़-चौकी	बैटरी चलित ट्रायसायकल	1	1	05.01.2024
7		सामान्य ट्रायसायकल	10	10	05.01.2024
योग			22	22	-

वर्ष :- 2024-25 (31.01.2025)

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	उपकरण का नाम	प्राप्त आवेदन की संख्या	वितरण संख्या	वितरण दिनांक
1	छुरिया	बैटरी चलित ट्रायसायकल	2	2	21.08.2024
2		सामान्य ट्रायसायकल	1	1	21.08.2024
3			1	1	10.09.2024
4			5	5	23.12.2024
5			1	1	15.01.2025
योग			10	10	-


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 समाज कल्याण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


प्रपत्र-‘ब’

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रवण बाधित हितग्राहियों की ग्रामवार
संख्यात्मक जानकारी

क्रमांक	ग्राम का नाम	हितग्राही की संख्या
1.	अछोली	1
2.	अमाकट्टा	1
3.	आमगांव	2
4.	अंको	1
5.	अतरगांव	1
6.	बड़गांव	1
7.	बदरा टोला	2
8.	बागनदी	1
9.	बैरागी भेंडी	3
10.	बम्हनी चारभाठा	4
11.	बापू टोला	1
12.	भंडारी भरदा	1
13.	भर्री टोला	3
14.	भेजरा टोला	1
15.	भोलापुर	1
16.	बिटल	1
17.	बोइरडीह	1
18.	बुच्चा टोला	2
19.	चांदो	1
20.	छुरिया डोंगरी	2
21.	चिरचारी कलां	4
22.	दैहान	3
23.	दामा बंजारी	1
24.	धनगांव	1
25.	धरमू टोला	1
26.	डुमरडीह	1
27.	फाफामार	1
28.	गैंदा टोला	1
29.	गेरुघाट	1
30.	घुप्सल	2
31.	गिडारी	1
32.	गोदलवाही	1
33.	गोपालपुर	1
34.	टोपी बंजारी	1

क्रमांक	ग्राम का नाम	हितग्राही की संख्या
35.	जरहमहाका	1
36.	काम	1
37.	जोधरा	1
38.	जोशीलामटी	3
39.	कालदाबरी	1
40.	कल्लू बंजारी	2
41.	कपा	1
42.	केशल	2
43.	केशो टोला	2
44.	खोभा	3
45.	खोरा टोला	1
46.	खुर्सी टिकुल	1
47.	कोलिहालमती	1
48.	कोलियारी	1
49.	कुही कलां	1
50.	कुमारदा	1
51.	लालू टोला	1
52.	लैमेटा	2
53.	लक्ष्मण भारड़ा	1
54.	मसूल	2
55.	मतेखेड़ा	2
56.	मेटेपार	2
57.	मुंजाल पठारी	1
58.	नांदिया	1
59.	पदगुड़ा	2
60.	पाण्डुका	1
61.	परेवाडीह	1
62.	पिकापार	1
63.	रामपुर	4
64.	रंगी टोला	1
65.	रतन भाठ	1
66.	सागर	1
67.	साल्हे	1
68.	सीताकासा	3
69.	सोमाझिटिया	2
70.	तेंदू टोला	1
71.	थाइली टोला	2
72.	तुर्गढ़	1

क्रमांक	ग्राम का नाम	हितग्राही की संख्या
73.	बरछुटोला	1
74.	महरूम	2
75.	खोराटोला	1
76.	छुरिया	2
77.	रेंगाकठेरा	7
78.	डोंगरगांव	1
79.	सिंघाभेंडी	2
80.	रैनुटोला	2
81.	हाडीटोला	2
82.	आमाटोला	2
83.	मांगाटोला	5
84.	जादूटोला	1
85.	चिखली	4
86.	खुर्सीपार	2
87.	ढादूटोला	2
88.	जोरातराई	5
89.	गुण्डरदेही	3
90.	ब्राम्हणभेड़ी	2
91.	हितागुटा	5
92.	थुहाडबरी	3
93.	टारुटोला	2
94.	छछानपहरी	4
95.	केकतीटोला	5
96.	कुसुमकसा	1
97.	चिल्हाटी	5
98.	सोनसायटोला	3
99.	लाताकोड़ो	1
100.	झिटिया	1
101.	बिटाल	2
102.	पेंदलकुही	1
103.	बांधाबाजार	5
	योग	192


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 समाज कल्याण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

उचित मूल्य दुकानों में मार्च 2024 के बचत स्टॉक सत्यापन की जानकारी

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	उचित मूल्य दुकान आई डी क्रमांक	उचित मूल्य की दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	सत्यापन में कम पाई गई राशन सामग्री की मात्रा (किलो में)			शासन नियमानुसार इकोनॉमी दर पर संचालनकर्ता समितियों के विरुद्ध वसूली योग्य राशि (लाख ₹. में)			
				चावल	शक्कर	नमक	चावल	शक्कर	नमक	कुल वसूली योग्य राशि
1	चंपारण	442002045	ग्रामीण सेवा सह. समिति, चंपारण पं.क्र.-1690, केन्द्र-चंपारण	60.30	0	0	2.34	0.00	0.00	2.34
2	भटगांव	442002082	ग्रामीण कृषि सहकारी समिति, खोरपा पं.क्र.-728, केन्द्र भटगांव	22.57	0.66	0.68	0.88	0.03	0.01	0.91
3	खोरपा	442002007	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति, खोरपा पं.क्र.-728, केन्द्र-खोरपा	672.82	6.44	10.42	26.09	0.26	0.11	26.46
4	परसदा	442002011	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति, रवेली पं.क्र.-244, केन्द्र-परसदा	429.89	0	0	16.67	0.00	0.00	16.67
5	आमदी	442002079	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति, रवेली पं.क्र.-244, केन्द्र-आमदी	95.04	0	0	3.69	0.00	0.00	3.69
कुल				1280.62	7.10	11.10	49.66	0.29	0.11	50.06

टीप - उपरोक्त सत्यापन में कम पाई गई कमी मात्रा तकनीकी कारणों को छोड़कर वास्तविक रूप से कम पाई गई मात्रा है।

अनुभाग अधिकारी
 वरक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - अठहत्तर

अताराजकेत प्रश्न संख्या 58 (क्र. 1114) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में जनवरी, 2025 की स्थिति में कुपोषण एवं योजना पर की गई
व्यय राशि का जिलेवार विवरण

क्र.	जिला	कुपोषण का प्रतिशत	योजना पर व्यय राशि
1	बालोद	14.11	1104556
2	बलौदाबाजार	13.77	528582
3	बलरामपुर	14.18	866785
4	बस्तर	15.89	757686
5	बेमेतरा	13.15	1204238
6	बीजापुर	23.58	768436
7	बिलासपुर	9.39	925406
8	दंतेवाड़ा	23.54	516597
9	धमतरी	8.07	618603
10	दुर्ग	6.67	1433381
11	गरियाबंद	15.19	392275
12	गौरिला-पेण्ड्रा-मरवाही	14.64	21960
13	जांजगीर	8.75	350000
14	जशपुर	18.73	1145105
15	कबीरधाम	15.37	920828
16	कांकेर	15.49	555021
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	15.76	77603
18	कोंडागांव	16.54	225048
19	कोरबा	10.31	660897
20	कोरिया	12.08	91980
21	महासमुंद	17.02	290900
22	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	12.09	22000
23	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	26.92	74957
24	मुंगेली	8.14	400342
25	नारायणपुर	25.27	47572
26	रायगढ़	12.67	412981
27	रायपुर	13.82	631680
28	राजनांदगांव	11.63	483980
29	सक्ती	9.27	198396
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	8.75	249575
31	सुकमा	31.95	63202
32	सूरजपुर	10.78	1518336
33	सरगुजा	13.15	171759
	योग	13.27	17730667

राज्य स्तर पर वजन त्रुटिहार के आयोजन में 16796271 रूपये व्यय किया गया।

पारिशेष्ट - उन्पासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 1115) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण हेतु शेष उचित मूल्य दुकानों एवं मात्रा की जानकारी

क्रमांक	जिला	माह अक्टूबर 2024		माह नवम्बर 2024		माह दिसम्बर 2024		माह जनवरी 2025	
		भंडारण हेतु शेष उचित मूल्य दुकानों की संख्या	मात्रा (टन में)	भंडारण हेतु शेष उचित मूल्य दुकानों की संख्या	मात्रा (टन में)	भंडारण हेतु शेष उचित मूल्य दुकानों की संख्या	मात्रा (टन में)	भंडारण हेतु शेष उचित मूल्य दुकानों की संख्या	मात्रा (टन में)
1	बलरामपुर	121	138.74	359	373.99	383	374.12	446	426.50
2	सूरजपुर	60	76.04	457	397.65	493	443.28	528	446.60
3	गोरिला-पेन्डा-मरवाही	22	35.12	143	176.58	119	184.06	203	216.69
4	बस्तर	0	0	290	265.19	396	315.89	482	369.24
5	बीजापुर	0	0	0	0.00	2	22.77	170	123.44
6	दन्तेवाड़ा	0	0	3	27.60	60	75.54	179	157.70
7	सुकमा	0	0	9	47.22	49	71.29	126	123.21
8	कांडागांव	0	0	130	96.95	268	194.43	402	281.60
9	काकेर	0	0	192	176.04	277	249.21	481	339.86
10	नारायणपुर	0	0	0	0.00	59	38.16	103	62.49
11	धमतरी	0	0	45	38.94	69	88.20	123	104.82
12	गरियाबंद	0	0	97	103.95	116	173.35	216	225.48
13	महासमुंद	0	0	75	103.21	101	173.72	214	228.63
14	बलौदा बाजार-भाटापारा	0	0	0	0.00	0	0.00	46	48.02
15	बालोद	0	0	60	49.25	52	68.38	83	69.26
16	कवर्धा	0	0	39	38.79	41	49.38	72	68.92
17	माहला-मानपुर-अबागढ़ चौकी	0	0	51	45.84	52	50.38	179	138.12
18	खैरागढ़-छुईखदान-गडई	0	0	0	0.00	0	0.00	24	28.61
19	बिलासपुर	0	0	51	76.05	62	83.86	119	148.62
20	कोरबा	0	0	411	506.94	389	547.34	538	612.87
21	सक्ती	0	0	2	3.70	3	8.24	29	27.44
22	रायगढ़	0	0	180	244.44	336	310.97	414	370.60
23	सारंगढ़-बिलाईगढ़	0	0	14	29.99	30	40.33	72	64.04
24	सरगुजा	0	0	251	285.10	252	361.25	515	536.24
25	कोरिया	0	0	123	110.09	163	152.36	170	154.37
26	जशपुर	0	0	197	230.67	416	417.09	489	476.59
27	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	0	0	121	131.57	169	159.65	245	189.11
योग		203	249.90	3300	3559.77	4357	4653.26	6668	6039.09


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर


सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.सं.
संचालनालय, नवा रायपुर

प्रपत्र

जगदलपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 01 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2025 तक निरस्त किये गये राशनकार्डों की जानकारी

क्र०	राशनकार्ड निरस्त करने का कारण	निरस्त राशनकार्डों विकासखण्डवार/नगरीय निकायवार संख्या			
		नगर पालिक निगम जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	विकासखण्ड दरभा	योग
1	परिवार में 01 से अधिक राशनकार्ड होने के कारण	23	4	1	28
2	राशनकार्ड जारी करने के आधार की पुष्टि नहीं होने के कारण	215	62	26	303
3	सत्यापन में निवास पे नहीं पाये जाने के कारण	310	141	28	479
4	परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के कारण	171	327	94	592
5	हितग्राही द्वारा राशनकार्ड समर्पित करने के कारण	70	18	16	104
योग		789	552	165	1506


अनुभाग अधिकारी
वर्क क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर


सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, नवा रायपुर

प्रपत्र-अ**आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देय मानदेय का विवरण**

	केंद्रांश राशि (आईसीडीएस प्रावधान अनुसार)	राज्यांश राशि (आईसीडीएस प्रावधान अनुसार)	राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त मानदेय	कुल मानदेय
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	2700/-	1800/-	5500/-	10,000/-

प्रपत्र-ब

वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक नवीन भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी

क्र0	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	परियोजना का नाम	ग्राम पंचायत/ वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख)	व्यय राशि (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	कुरंदी 02	डोगरीगुड़ा 01	2021-22	6.45	6.34
2	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	घाटपदमुर	डुरकीगुड़ा	2021-22	6.45	3.25
3	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	घाटपदमुर	नेगीगुड़ा 01	2021-22	6.45	5.84
4	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	नागलसर	नागलसर	2021-22	6.45	5.6
5	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	कावापाल	कावापाल 01	2022-23	8.04	6.45
6	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	चितांलगुर	गुड़िया	2022-23	8.04	6.89
7	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	आड़ावल	नयापारा	2022-23	8.04	4.98
8	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	साडगुड़	खुटागुड़ा	2022-23	8.04	7.23
9	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	तिरिया	कालागुड़ा	2022-23	8.04	6.35
10	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	घाटपदमुर	भाटागुड़ा	2022-23	6.45	5.19
11	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	कवालीकला	बड़ेकवाली	2022-23	6.45	5.98
12	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	कोलावाड़ा	मिलकुलवाड़ा	2022-23	8.04	1.64
13	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	मारकेल	आवासप्लॉट	2022-23	8.04	6.25
14	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	खम्हारगांव	खम्हारगांव 03	2022-23	8.04	3.27
15	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	चितांलगुर	पैंगारास	2022-23	6.45	5.2
16	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	बडेमुरमा	खासपारा	2022-23	8.04	6.72

क्र०	विधानस भा क्षेत्र	विकासख ण्ड	परियोजना का नाम	ग्राम पंचायत/ वार्ड का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख)	व्यय राशि (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर ग्रामीण	कोलावाड़ा	कोलावाड़ा स्कूलपारा	2024-25	11.69	0.61
19	जगदलपुर	दरभा	दरभा	कोलेंग	कोलेंग 5 उरुकपाल	2022-23	8.04	4.59
20	जगदलपुर	दरभा	दरभा	छिन्दगुर	छिन्दगुर मुण्डीपारा	2024-25	11.69	0.19683
21	जगदलपुर	दरभा	दरभा	केलाउर	केलाउर पेदापारा	2024-25	11.69	0.34263
योग:-					21		172.31	93.25946

प्रपत्र-स

2021-22 से जनवरी 2025 तक आंगनबाड़ी भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी

क्रं.	विधानसभ क्षेत्र	विकासखण्ड	परियोजना का नाम	भवन की संख्या	भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगदलपुर	जगदलपुर	जगदलपुर शहरी	1	54000	50000	50000/- रु. में मरम्मत कार्य पूर्ण होने के कारण 4000/- रु आहरित नहीं किया गया।
योग:-				1	54000	50000	